खण्ड-335, अंक-9
गुरूवार, 7 पौष, शक संवत् 1900
(28 दिसम्बर, 1978 ई0)

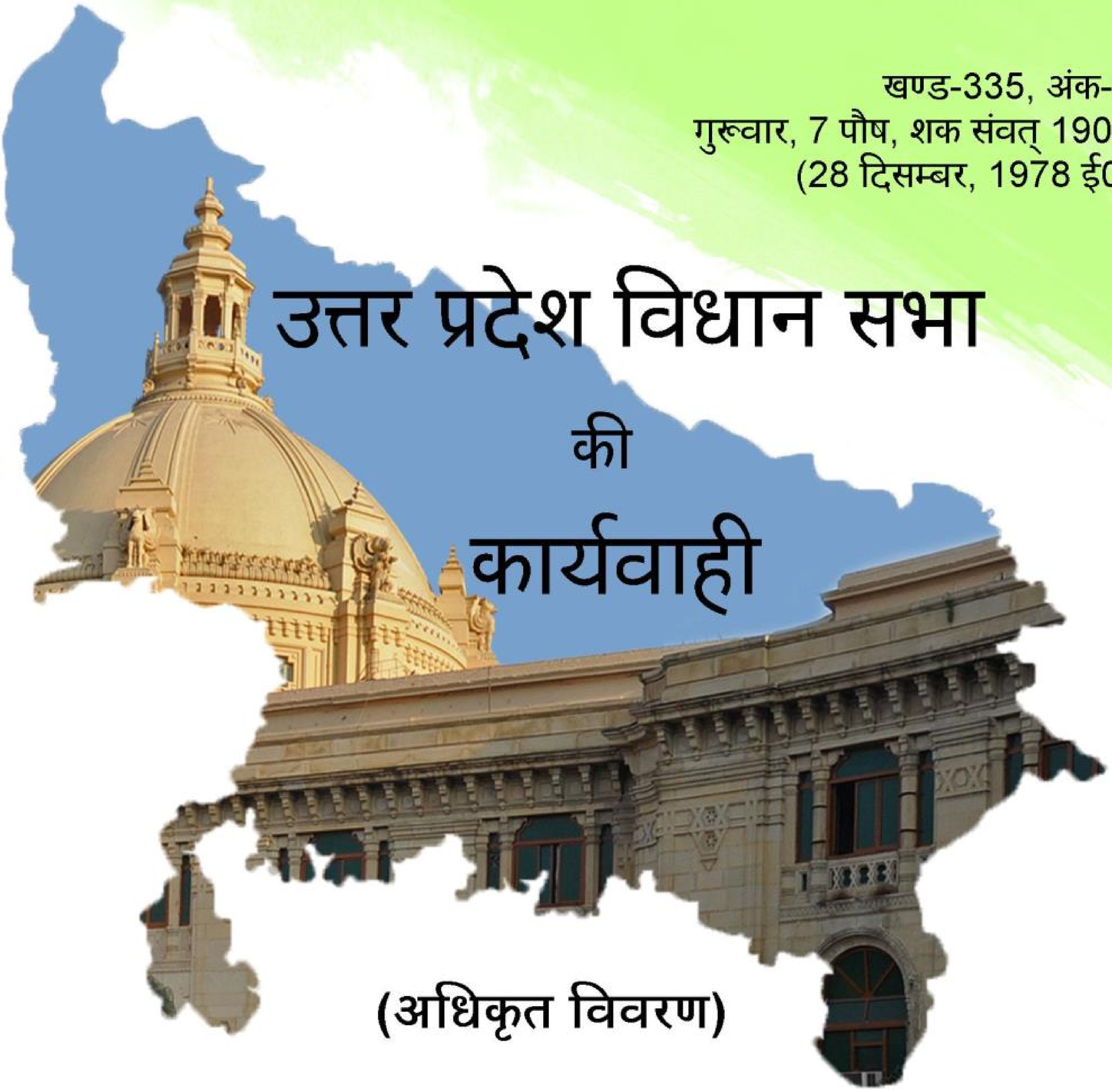

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	१३३३-१३३६
प्रश्नोत्तर ..	१३३७-१४१२
कांग्रेस (आई०) के सदस्यों को जेल में सुविधाएं न मिलने पर आपत्ति तथा सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु जेल से बुलाये जाने की मांग	१४१२-१४२२
कानपुर जूट उद्योग में बिजली की कमी के कारण बन्दी से श्रमिकों के समक्ष कठिनाइयां तथा उनकी मांगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४२२-१४२३
प्रदेश के प्राथमिक हेल्थ वर्कर्स का आन्दोलन तथा उनकी मांगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४२३
इलाहाबाद जिला कचहरी स्थित अभिलेखागार में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४२४-१४२५
बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता का नवीनीकरण न कराने से अनुसूचित जाति के छात्रों को परेशानी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४२५
कानपुर में गंगा नदी के पानी के प्रदूषित होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४२६
बांदा जनपद में निम्नकोटी खाद की बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४२६-१४२७
फतेहपुर के थाना मलवां के दरोगा द्वारा श्री शारदा प्रसाद, निवासी शीतलपुर, थाना मलवां के घर में घुस कर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४२७
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१४२८
शासन से सदस्यों की सुविधाएं एवं व्यवहार के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा द्वारा जारी किये परिपत्र के विषय में शासन को निर्देश दिये जाने की मांग	१४२८-१४२९
श्री मानपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	१४२९
सप्तम विधान सभा की आश्वासन समिति का आठवां विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१४३०
मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१४३०-१४३१

विषय	पृष्ठ-संख्या
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१४३१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अन्य सूचनाएं ..	१४३१-१४३२
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (समिति को पुनः विचारार्थ भेजा गया)	१४३२-१४३८
मंत्रि-परिषद् के इस्तीफे की मांग	१४३८-१४४०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	१४४०-१४४१
श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थकों द्वारा बलिया जिले के चिलकहर रेलवे स्टेशन में आगजनी की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१४४१-१४४२
प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकाशन के प्रस्ताव (जारी)	१४४३-१४६७
प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकाशन के प्रस्ताव पर बहस के लिए समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१४६७-१४७०
प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुयी स्थिति पर खेद प्रकाशन प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	१४७०-१४९५
उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	१४९६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१४९६
शाह जांच आयोग की रपट के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन	१४९६
हमीरपुर जिले में डकैतियों में वृद्धि के विषय पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१४९७-१४९९
ग्राम भुडकुड़ा, जिला गाजीपुर में हरिजनों के मकान जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१४९९-१५०५
नत्थियां	१५०७-१५२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२२

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोबिन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री

गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह, चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह,
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री(उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर

भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फ हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम असरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम पाल, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री

विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्ध)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शारदा सहायक परियोजना के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

**१ श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के दो हजार ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों, जिन्होंने ५ से १५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, सेवायें समाप्त कर उनकी नयी नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें पुराने सेवाओं का लाभ देने में क्या कठिनाई है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर से संबंधित अधिकांश कार्यों के समाप्त होने के फलस्वरूप उन कार्यों पर कार्यरत कार्य प्रभारित लगभग ८५० कर्मचारियों को जो शारदा सहायक परियोजना में फालतू घोषित थे, अन्य परियोजनाओं पर खपाये जाने की कार्यवाही की गई है । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जाती है । उनकी पूरी सेवा का पूरा विवरण उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित है और उनकी सेवा का लाभ उन्हें नियमानुसार मिलेगा ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने कर्मचारी किन-किन परियोजनाओं में लग चुके हैं और कितने शेष रह गये हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, शारदा सहायक परियोजना में करीब ५ हजार कर्मचारी हैं । इनमें से ८५० कर्मचारी फालतू हुये, जिनमें से ७५० एक परियोजना में तथा १०० एक दूसरी परियोजना में रख लिये गये । शेष कोई नहीं है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, शासन की नीति इस संबंध में क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

सन् १९७३ में शासन ने यह नीति बनायी कि जो वर्क चार्ज कर्मचारी तीन साल तक सेवा में रह चुके हैं और उस पद की आगे भी आवश्यकता है और वह वैकेन्सी नियमित कर दी गयी है, तो उस पर उसकी नियुक्ति कर दी जायेगी । यह नीति है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इन ८५० फालतू कर्मचारियों में से कितने काम पर ले लिये गये हैं तथा कितने बाकी रह गये हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

सभी काम पर ले लिये गये हैं ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)

मान्यवर, यह आदेश तो सन् १९७२ के सरकार के हैं, पर उन पर अमल नहीं हो रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ८५० प्रभारी कर्मचारी जो हटाये गये, इसके बाद कितने अन्य प्रभारी कर्मचारी रखे गये और उनमें इन ८५० में से कितने लोगों को लिया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस जी० ओ० के बाद से मान्यवर, ४,२७३ कर्मचारियों को रेगुलर किया जा चुका है । नीति तो यह है जो मैंने अभी बतायी कि ३ साल तक काम किया हो और वैकेन्सी भी नियमित हो गयी हो । जहां तक इन ८५० आदमियों का सवाल है, इन सभी को दूसरी जगह ले लिया गया है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इन ८५० को लेने के बाद कितनी नयी नियुक्तियां प्रभारी कर्मचारी की हुई हैं और कहां-कहां ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस शारदा सहायक परियोजना में कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शासन की क्या यह नीति है कि जो भी छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर कोई नयी नियुक्ति होगी, तो इनमें से ही की जायेगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, ८५० आदमी जो छटनी के हैं, इस परियोजना के संबंध में जिसका प्रश्न है, उन सब में आठ सौ पचासों को ले लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न है कि क्या सरकार की यह नीति है कि जिन सेवारत व्यक्तियों को पृथक् किया जायगा, क्या उनको ही लिया जायगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जिनको ग्रेच्युटी नहीं दी गयी है, उनके बारे में तो यह है. . . .

श्री अध्यक्ष--

उनका कथन है कि क्या सरकार की नीति है कि जो कार्यरत व्यक्ति सेवा से पृथक् होंगे, उनको सरकारी सेवाओं में स्थान दिया जायगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, परियोजनाओं में अगर आवश्यकता है तो उनको हम प्राथमिकता देंगे ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

श्रीमन्, मैंने आपके माध्यम से यह पूछा था कि जो आदमी १५ साल कार्य करने के बाद, हटाने के बाद फिर कार्य में लिया जायगा, उसको ग्रेच्युटी दी जायगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल इससे नहीं पैदा होता है ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

श्रीमन्, जो पैदा होता है, वह उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप बहस कर रहे हैं । आप बैठ जाइये, बहस नहीं कर सकते ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहरें, जो बन रही हैं, वह अभी पूरी नहीं हुई हैं और अभी भी शारदा सहायक परियोजना जो केवल ५-७ वर्ष में पूरी होने वाली थी, नहीं पूरी हुई है, तो छटनी होने की अवस्था कहां से आई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन, शारदा सहायक पोषक नहर अपने समय से ८ महीने पहले पूरी कर ली गयी और जो दूसरी नहरों पर काम चल रहा है, उसमें इनको भेजा जा रहा है ।

प्रदेश में चुंगी व पथकर समाप्त किय जाने पर विचारार्थ समिति का गठन

**२-- श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सरकार प्रदेश से चुंगी को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ? और नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

चुंगी एवं पथकर स्थानीय निकायों की आय के मुख्य स्रोत हैं अतः इनको समाप्त करने से उनको होने वाली आय की क्षति पूर्ति किस प्रकार की जाये इस पर अभी विचार हो रहा है । भारत सरकार से इस क्षति पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है । इन्हीं बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए श्री भोमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । उपरोक्त रिपोर्ट तथा केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में अंतिम प्रतिक्रिया के बाद यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरे पहले सवाल के तीन हिस्से हैं । क्या शासन ने चुंगी की समाप्ति के संबंध में कोई कमेटियां बनाई हैं या नहीं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कमेटियां हैं और उनकी क्या सिफारिश है तथा सरकार को उन सिफारिशों को मानने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, इस कर को समाप्त करने के लिए सलाह कई बार दी गयी है, लेकिन चूंकि अभी वित्तीय....

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न है, क्या इससे पहले कमेटियां मुकर्रर की गयी हैं और उनकी संस्तुति चुंगी समाप्त करने के लिए है ? अगर संस्तुति है, तो उनको मानने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य प्रकाश--

पहले १९५१ में एक कमेटी बनी थी और दूसरी १९५७ में कमेटी बनी थी । यह केन्द्रीय कमेटी बनी थी, उसने सलाह दी थी कि इ टैक्स को धीरे-धीरे समाप्त किया जाय । जैसा मैंने कहा कि श्री भीमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी । उसकी रिपोर्ट आने पर ही निर्णय किया जा सकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या अभी हाल में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने चुंगी समाप्त करने के संबंध में शासन को सुझाव दिया है या पत्र भेजा है, तो इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश--

इस संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ था मई, १९७८ में, उस संबंध में उन्होंने लिखा था कि इस पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध में उत्तर गया था और हमारी ओर से यह लिखा गया था कि अगर केन्द्रीय सरकार जो इस कर से प्राप्त धनराशि है, अगर पूरी की पूरी हमको क्षतिपूर्ति देने को तैयार हो, तो शासन इस कर को समाप्त करने पर निर्णय ले सकता है ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चुंगी कर समाप्त करने के संबंध में कोई जे० डी० शुक्ला कमेटी बनी थी ? जो भीमन कमेटी का उल्लेख किया गया है यह भीमन कमेटी कब बनी और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाने की उम्मीद है ?

श्री सत्य प्रकाश--

२० सितम्बर, १९७८ को एक बैठक हुई थी, उसमें श्री भीमन को यह अधिकार दिया गया था और एक भीमन समिति बनाई गयी थी कि वह उसके संबंध में विचार करे । जे० डी० शुक्ला कमेटी की हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, पिछले वर्ष चुंगी समाप्त कर के बस पर यात्री कर लगाये जाने के बारे में शासन द्वारा विचार हो रहा था, क्या सरकार इस चुंगी कर को समाप्त करके यात्री कर लगाने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश--

इस संबंध में अभी विचार किया जा रहा है । अभी इसका विकल्प निश्चित नहीं हो सका है । इसलिए जब तक कोई निर्णय न हो जाय, बताना सम्भव नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुंगी समाप्त करने की बात सरकार ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है । यदि हां, तो यह कब तक कार्य रूप दिया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश--

इस संबंध में मान्यवर, विचार तो पहले से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या सिद्धान्त रूप में चुंगी माफ करने के सम्बन्ध में स्वीकार कर लिया है ?

श्री सत्य प्रकाश--

अभी प्रान्तीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं किया है ।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस चुंगी समाप्त करने से सरकार को कितनी हानि होगी और इसको कैसे पूरा किया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश--

वर्ष १९७६-७७ में १८.६ करोड़, १९७७-७८ में २२.१७ करोड़, १९७८-७९ में इस वर्ष के अन्त तक यह ३० करोड़ तक चुंगी आमदनी अपेक्षित है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी है चुंगी समाप्त करने के लिए और केन्द्रीय सरकार का जो पत्र आया है चुंगी समाप्त करने के लिए, तो चुंगी समाप्ति से जो क्षति होगी, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई सुझाव दिये हैं कि क्षतिपूर्ति कहां से की जाय ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, ऐसे सुझाव दिये थे कि इसमें टर्न ओवर टैक्स लगाया जा सकता है यदि केन्द्रीय सरकार इसमें शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति करे या कुछ क्षतिपूर्ति करे तो यह सुझाव आया था और इसमें से अभी किसी का कोई पक्का प्रबन्ध नहीं किया है और न कहीं और से क्षतिपूर्ति की बात हुई थी । इसलिए अभी तक इसको समाप्त नहीं किया जा सका है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह जो सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि क्षति-पूर्ति केन्द्रीय सरकार करे, तो उसका जवाब केन्द्रीय सरकार ने कुछ दिया है या नहीं दिया है ? यदि नहीं दिया है, तो प्रदेश के कोषागार पर डकैती करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि वित्त मंत्री का पत्र आ चुका है। अब दूसरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। उनका कहना है कि अगर यह चुंगी समाप्त हो जायगी तो प्रदेश के कोषागार पर डकैती होगी ?

श्री सत्य प्रकाश--

इसका उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री ही दे सकेंगे।

श्री ऊदल--

अगर केन्द्रीय सरकार इसकी क्षतिपूर्ति कर दे, तो केन्द्रीय सरकार ने कोई जबाव दिया या नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो जबाव दे दिया कि विचार कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, विचार तो इस पर बहुत ही चलेगा, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाया ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, इस संबंध में अभी यह महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया जो हैं, ३ करोड़ रुपया लगभग नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज को प्राप्त होता है पथकर और अवट्राय आदि से, तो शासन गम्भीरता पूर्वक इस ओर विचार कर रही है। जो बैरियर्स लगा रखे हैं इससे आवागमन में कठिनाई होती है कि ये बैरियर्स हटा दिये जायं तथा तीन करोड़ रुपये का प्राविधान करने का विचार किया जा रहा है और इस पर गम्भीरतापूर्वक शासन विचार कर रहा है। जैसे ही यह विचार पूरा हो जायगा, कर समाप्त कर दिया जायगा।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

**३--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार का कोई पत्र सं० ओ० ११०१६/१७७/आर० एच० डी० दिनांक २८ सितम्बर, १९७८ ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त योजना के द्वितीय चरण में आयुर्वेदिक, यूनानी डाक्टरों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री--श्री कल्याण सिंह--

संदर्भित पत्र दिनांक २८ सितम्बर, १९७८ का नहीं अपितु २८ सितम्बर, १९७७ का है। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के द्वितीय चरण में अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गयी है, क्योंकि यह १-७-७९ से लागू होना है।

श्री राज नाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि २ अक्तूबर, १९७७ को ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत १७६ आयुर्वेदिक यूनानी, एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (तृतीय) पद पर नियुक्त किए गए थे ? यदि हां, तो फिर शासन के ६ दिसम्बर, १९७८ के आदेश के अनुसार फिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई कि इन चिकित्साधिकारी (तृतीय) के पद पर केवल एम० बी० बी० एस० के स्नातक ही नियुक्त किए जायेंगे।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह सच है कि २ अक्तूबर, १९७७ को जनस्वास्थ्य रक्षक की योजना प्रदेश में लागू की गई थी और उसके अनुसार १७६ चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक, यूनानी, में से रखे गए थे, उनमें से उस समय जो असिस्टेंट अपेडेमिक आफीसर्स थे, इनका केडर भी एक डाइंग-कैडर है। इनका पहला स्केल ३००-५०० तक था। इसके रिवीजन की भी मांग की गई थी तब ४५०-८५० किया गया था। यह बात भी सच है कि अब ६ दिसम्बर, १९७८ के शासन ने यह निर्णय लिया है कि अब जनस्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत तृतीय डाक्टर की नियुक्ति एम० बी० बी० एस० जो एलोपैथिक के हैं, इन्हीं में से की जाएगी। व्यवहारिक रूप में, जनहित की दृष्टि से यह सोचा गया कि इनकी नियुक्ति की जाय।

श्री राजनाथ सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जिन १७६ चिकित्साधिकारी, (तृतीय) के पद पर आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा एलोपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, उनकी व्यवसायिक कठिनाई के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है कि नहीं ? यदि नहीं हुई है, तो ६ दिसम्बर, १९७८ को क्यों ऐसा आदेश जारी किया गया था कि एम० बी० बी० एस० एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जाय ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, उनके कार्य की समीक्षा अथवा उनके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है। मैंने जैसा निवेदन किया कि हमारे यहां असिस्टेंट एपेडेमिक आफीसर थे, उनका पे-स्केल बहुत समय पहले से कम चला आ रहा था। उनका पे-स्केल रिवाइज करके उनको थर्ड मेडिकल अफसर के रूप में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना में नियुक्त किया जाय, व्यवहारिक रूप से, जनहित की दृष्टि से यह सोचा गया कि इनको ही नियुक्त किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायण ने चलाई थी। उनके पद त्याग से क्या योजना के उद्देश्य में कोई परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

इससे उत्पन्न होता है, योजना के उद्देश्य के केन्द्र बारे में परिवर्तन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

आप उनके नाम से भड़क जायं तो दूसरी बात है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत जितने वैद्य, डाक्टरों की नियुक्ति की गई है, उनको कृपा करके मेरे जिले में भेज देंगे, क्योंकि वहां अस्पताल खाली पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे कहां पैदा होता है ।

(प्रश्न संख्या ४ पुकारे जाने पर)

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न का अवसर दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं, अब मैंने विद्युत मन्त्री को बुलाया है ।

अल्यूमिनियम तार का अभाव और नलकूपों को बिजली न मिलना

**४--श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) --

क्या विद्युत् मन्त्री को मालूम है कि एल्यूमिनियम तार के अभाव में प्रदेश के कई हजार नलकूपों को बिजली नहीं मिल रही है ? क्या शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि एल्यूमिनियम तार प्रान्त के बाहर नहीं भेजा जायगा ? यदि हां, तो सरकार इसकी आपूर्ति के सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

विद्युत मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

जी हां ।

जी नहीं ।

जिन फर्मों को एल्यूमिनियम तार की आपूर्ति भारी मात्रा में किए जाने के आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा दिए गए हैं उनको उचित मात्रा में एल्यूमिनियम दिलवाने के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं । भारत एल्यूमीनियम कम्पनी से आयातित एल्यूमीनियम लाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है । अन्तरिम तौर पर सुनिश्चित आपूर्ति योग्य तार को अल्प-कालीन निविदाओं के अन्तर्गत लगभग १४,००० किलोमीटर तार की पूर्ति के आदेश जारी किए गए हैं तथा यह मात्रा जनवरी, १९७९ के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने हजार नलकूप तार न होने की वजह से, उनको बिजली नहीं मिल रही है ? साथ ही साथ उन्होंने जो यह उत्तर दिया कि केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है, तो बताया जाय कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इस साल इस वर्ष के अन्त तक ४० हजार नलकूपों को विद्युतीकरण करने की योजना विद्युत परिषद ने निर्धारित की है। उसमें से लगभग १० हजार नलकूप अब तक इनरजाइज हो गए हैं। १२ हजार से ऊपर ऐसे नलकूप हैं, जिनमें प्रक्रिया के अनुसार बी० एल० फार्म आदि जमा होने हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि तार के अभाव में कितनों को बिजली नहीं मिली है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैं बता रहा हूं। एप्लीकेशन्स आती हैं जब बी० एल० फार्म वगैरह जमा हो जाते हैं, शुल्क जमा हो जाता है तब करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि एल्यूमिनियम के तार के अभाव में कितने नलकूपों को बिजली नहीं दी गई हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना के आधार पर ११,७०० ट्यूबवेल ऐसे हैं जहां यदि कंडक्टर सुलभ होता तो बिजली जोड़ दी गई होती। कंडक्टर सुलभ नहीं है उसको सुलभ करने की कोशिश की जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, क्या यह बात सही है कि मन्त्री जी ने हाल में एक वक्तव्य दिया था, जो पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इस प्रदेश में एल्यूमिनियम बनाने की फैक्ट्री है, उसका बनाया हुआ तार इस देश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, चूंकि इसकी आवश्यकता है, तो उस पर क्या हुआ है ? साथ ही यह भी बताया जाय कि विद्युत बोर्ड ने या सरकार ने हिन्डालको को इस सम्बन्ध में तार प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया, तो क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा ?

श्री अध्यक्ष--

आपके दो प्रश्न हैं। पहला तार बाहर जायेगा कि नहीं जिसका उत्तर दिया है, जी नहीं। दूसरे प्रश्न की अनुमति है।

श्री श्यामधर मिश्र --

इन्होंने वक्तव्य दिया है जिसको हम दिखला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तर्क नहीं। दूसरा प्रश्न है प्रदेश की एल्यूमिनियम कम्पनी से आपने कितना तार मांगा है और उसने क्या उत्तर दिया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, एल्यूमिनियम का भारत सरकार ने कारपोरेशन बना रखा है । हम एल्यूमिनियम की आपूर्ति के लिए जो कंडक्टर और बाकी सामान जो बिजली के उपयोग में आता है, उसके आर्डरस प्लेस, निविदायें मांगकर, करते हैं । भारत सरकार के एल्यूमिनियम कारपोरेशन को उसकी सूची और सिफारिश भेजते हैं कि इनको-इनको एल्यूमिनियम दे दिया जाय । भारत सरकार पूरे देश में जो एल्यूमिनियम उपलब्ध है उसका कोटा निर्धारित करता है । हमने इस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन एल्यूमिनियम कंडक्टर की मांग रखी थी और कहा था कि इसकी आपूर्ति कर दी जाय । मान्यवर, जो लेवी में एल्यूमिनियम बनता है और जो दूसरे ग्रेड का अल्यूनियम होता है जिससे बर्तन बनते है पिछले साल १९७७-७८ में ४२ हजार मेट्रिक टन कारखाने में बना था । उसमें से हमने कहा कि १० हजार मेट्रिक टन एलाट करदें । अब भारत सरकार और यहां के एल्यूमिनियम उत्पादक, जिनको सस्ते दर पर बिजली देते हैं, से अपेक्षा करते हैं कि वह हमको यह देंगे । हमारी जानकारी में आया है कि कई फर्में तार बना रही हैं और वह सांठ-गांठ करके उत्पादक से अपना तार एलाट करा लेते हैं और हमारे सप्लायर को नहीं देते हैं ।

इसलिए इस बात का विचार करने के लिए शासन से हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एल्यूमिनियम उपलब्ध हो उससे कम से कम हमारे कारखाने जो तार बनाते हैं वह विद्युत बोर्ड को आवश्यकता भर का तार दें ।

श्री अध्यक्ष--

आपने सूचना जरूरत से ज्यादा दे दिया है । उनका प्रश्न यह है कि क्या रेणूकोट के कारखाने से एल्यूमिनियम का तार मांगा ? यदि हां, तो कितनी मांग किया है और उनका उत्तर क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, विद्युत बोर्ड ने उन्हें लिखा कि आप हमें १० हजार मेट्रिक टन एल्यूमिनियम दे दें । उन्होंने लिखा कि हमें आप अतिरिक्त बिजली कितनी देंगे । अतिरिक्त बिजली देने के बूते में हम अभी नहीं हैं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, कल मैंने शून्य प्रहर में यह प्रश्न उठाया था । एल्यूमिनियम तार के अलावा और सामान भी नहीं है । क्या यह सत्य है कि अकेले वाराणसी जिले में १८० निजी नलकूप, जिनमें पम्प सैट लगा चुके हैं, कनेक्शन मंजूर हो चुके हैं, बी० एल० फार्म जमा हो चुके हैं, पूरे प्रदेश में १२,००० निजी नलकूप और कम से कम २०० सरकारी नलकूप इनको इस सामान की कमी की वजह से कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्राप्त सूचना के अनुसार १२,५०० प्राइवेट नलकूप और राजकीय नलकूप भी एल्यूमिनियम के कन्डक्टर्स के अभाव से रुके पड़े हैं । और यह एक कन्टीन्यूस प्रोसेस है कि कुआं खुदेगा, एप्लीकेशन देंगे । एक दिन में यह नहीं हो जायेगा । ४०,००० का लक्ष्य पूरा करने का हमारा है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम तार के अभाव में करीब ११००० से अधिक नलकूप बंद हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में हिन्डाल्को को एल्यूमिनियम के उत्पादन में बिजली न मिलने के अलावा किसी और चीज का प्राब्लम है और माननीय मन्त्री जी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे उसका उत्पादन हो और कन्डक्टर मिले ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जितनी बिजली उन्हें मिल रही है, उसमें जो भी लेवी एल्यूमिनियम बना रहे हैं उसका भी ड्यू शेयर हमको नहीं मिल रहा है । इसलिए अतिरिक्त बिजली देने पर सारा मिल जायगा न तो यह आश्वासन है और न ही अतिरिक्त बिजली देने की स्थिति में किसानों की सिंचाई को देखते हुये, हम हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि चाहे एल्यूमिनियम का अभाव हो, पानी का अभाव हो, बिजली का अभाव हो, जिन खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है उनसे पैसा वसूल करने का कोई प्राविधान है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि हिन्डालको को बिजली इन्सेशनल रेट्स पर मिलती है और दूसरी तरफ साढ़े ग्यारह हजार नलकूप इस वक्त शारटेज आफ तार की वजह से बन्द पड़े हैं, आप बिजली नहीं दे पाये हैं, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एल्यूमिनियम कारपोरेशन का ही तार दिया जाय जो हमारे प्रदेश की रिक्वायरमेन्ट्स से सरप्लस हो, क्या सरकार इस सिलसिले में बात करेगी ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि एल्यूमिनियम कारपोरेशन भारत सरकार की है । उससे बात चल रही है और माननीय सदस्यों को सूचना दे दूं कि इम्पोरटेड एल्यूमिनियम मंगाने का प्राविधान किया है और इम्पोरटेड एल्यूमिनियम भी उसी भाव पर मिलेगा जिस भाव पर देश का उत्पादित एल्यूमिनियम है । दोनों पर भारत सरकार से इस बात पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो मामला है उसे पूरा कर दिया जाय । और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर भी विचार कर लेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कानपुर मेडिकल कालेज के मेस कर्मचारी श्री नगीना की हत्या

*१—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २७-११-७८ को कानपुर मेडिकल कालेज के दो इंटर्न डाक्टरों ने एक चपरासी को बुरी तरह पीटा जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और दोषी डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह

जी हां । पी० जी० छात्रावास के कुछ इंटर्नस ने उस छात्रावास के प्राइवेट मेस के कर्मचारी श्री नगीना की कथित पिटाई घड़ी चुराने के संदेह में की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । संबंधित इन्टर्नस को प्रिंसिपल द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और उनमें से चार को जेल भेजा जा चुका है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन चार इंटर्नस को जेल भेज दिया गया है, उनके नाम क्या हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, एफ० आई० आर० में पांच नाम हैं । डा० अजय कुमार अग्रवाल, डा० सुरेन्द्र पाल जिन्दल, डा० उमेश नारायण राय, डा० अशोक कुमार सिंह और डा० प्रवीण मिश्रा । इनमें से डा० अजय कुमार, डा० सुरेन्द्र पाल जिन्दल, डा० उमेश नारायण राय और डा० अशोक कुमार सिंह ये ४ लोग जल जा चुके हैं और पांचवां डा० प्रवीण मिश्रा अभी जेल नहीं गये हैं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक के परिवार को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गयी कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, रु० ५,००० स्वीकार कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जिन डाक्टरों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कर दी गयी है, मैं जानना चाहूंगा कि यह कार्यवाही प्रश्न होने के बाद की गयी है या पहले ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, निलम्बन ३०-११-७८ को कर दिया गया है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगीना की पिटाई के बाद उसको अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया और मरने के बाद लाश को अस्पताल के बाहर फेंक दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राज नाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबन्धित मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि जो भी इंटर्न डाक्टर जेल भेजे गए हैं उनके ऊपर कौन-कौन सी धारायें लगायी गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

धारा १४७, १४८, १४९ और ३०२ ।

मेसर्स हिन्द लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद, मैनपुरी के मजदुरों की हड़ताल

*२--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या शासन को ज्ञात है कि हिन्द लैम्पस लिमिटेड, शिकोहाबाद (बल्ब फक्टरी), जिला मैनपुरी में लगभग दो हजार मजदुरों की पिछले ढ़ाई महीने से लगातार आम हड़ताल जारी है तथा मिल गेट पर रोजाना क्रमिक भूख हड़ताल होती है ? यदि हां, तो मजदूरों की मांग क्या है और शासन इस संबन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मेसर्स हिन्द लैम्पस लि०, शिकोहाबाद जिला मैनपुरी में १९२५ श्रमिकों की आम हड़ताल दिनांक १६ अक्तूबर, १९७८ से यथा क्रमिक भूख हड़ताल मिल गेट पर प्रतिदिन दो श्रमिकों द्वारा दिनांक २२ सितम्बर, १९७८ से जारी है श्रमिकों की कुल २६ मांगे हैं, जिनमें वर्ष १९७४-७५ तथा ७७ के बोनस का भुगतान २०% की दर से करने, ६ गुड अटेन्डेन्स लीव देने तथा वेतन और मंहगाई की दरों के पुनरीक्षण करने की मांगे मुख्य हैं । शासन द्वारा बोनस की मांग को अभिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (तृतीय) कानपुर को २२ सितम्बर, १९७८ को सन्दर्भित कर दिया गया है ।

समझौता कराने के प्रयास श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तथा शासनास्तर पर किए गए परन्तु उभयपक्षों द्वारा अपने अपने मतों पर दृढ़ रहने के कारण अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है ।

मान्यवर, अपने उत्तर में मैं, आपकी अनुमति से, दो वाक्य और जोड़ना चाहता हूं कि १२-१२-७८ को मैंने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की और रास्ता निकालने का प्रयास किया गया । उक्त बैठक में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त किए किन्तु यह जानकारी प्राप्त हुई कि ६८७ लोग कार्य पर २२ दिसम्बर, १९७८ को आ गये हैं । फैक्ट्री में काम चालु हो गया है और स्थिति में सुधार जारी है ।

श्री राम सजीवन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो समझौता करने का प्रयास किया, उसमें मालिकों ने क्या इन २६ मांगों में से १, २, ३, इस तरह से कोई मांगे स्वीकार करने की अपनी सहमति दी थी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, १२-१२-७८ को जो बैठक बुलाई गयी, उसमें जो बातें रखी गयीं थीं उसमें एक थी कि ६ दिन की जो गुड अटेन्डेंस लीव है, जो पहले से इस प्रतिष्ठान में दी जाती रही थी, वह दी जाती रहेगी । इसको मालिकों ने मान लिया । एक, जो कर्मचारी निकाले गए हैं, उनकी नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाय । इसको भी मालिकों ने मान लिया था । तीसरी मांग थी वेतन और डी० ए० के सम्बन्ध में । उसमें मैंने सुझाव दिया था कि एक ऐसी कमेटी का निर्माण कर दिया जाय जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों

और लेबर कमिश्नर समझौता कराने की कोशिश करें । यह मांग भी मालिकों ने मान ली थी । तीसरी बात मैंने उनसे यह कही थी कि अनुग्रह के रूप में जो १९७५ से पहले जो बोनस की शर्तें या समझौते थे उन समझौतों को माना जाना इसलिए असम्भव हो गया था क्योंकि १९७५ में कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा आर्डिनेंस जारी कर दिया था कि कोई बोनस नहीं दिया जाएगा और उसको देखते हुए यह समझौता लागू नहीं होता था । लेकिन जब उन्होंने सिल्वर जुबली मनाई थी तब उन्होंनें कुछ पैसा कर्मचारियों को दिया था और उसके बाद मैंने यह सुझाव दिया था कि सौ रुपए प्रति कर्मचारी अनुग्रह के रूप में दे दिए जायें । इस बात को भी मिल मालिकों ने मान लिया था लेकिन कर्मचरियों ने कहा कि अभी चूंकि हम अपने सभी साथी कमचारियों से बात नहीं कर पाये हैं इसलिए अभी हम इस संबन्ध में अपने अन्य साथी कर्मचारियों से बात करेंगे । इस तरह उनकी तरफ से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया । २२ दिसम्बर से फैक्टरी में काम शुरू हो गया है और ६८७ कमचारी काम पर वापस आ गए हैं ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

मंत्री जी के अधिकारी, जो उनके अन्तर्गत हैं, मालूम पड़ता है कि ठीक सूचना नहीं दे रहे हैं । ४ ५ दिन हुए, माननीय मंत्री जी ध्यान में रखेंगे कि यह जो हड़ताल थी, इस शर्त पर स्थगित हो चुकी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ३ जनवरी को इसमें मीडिएशन करने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रम मंत्री जी, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ३ जनवरी को इसमें मध्यस्थता करने जा रहे हैं और इस आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

हड़ताल किस आधार पर तोड़ी गयी इसकी कोई जानकारी तो मेरे पास नहीं है लेकिन इतना अवश्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने १८ तारीख को एक उभयपक्षीय बैठक अपने यहां बुलाई थी लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को १८ तारीख को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा इसलिए वह बैठक स्थगित हो गई थी और अब वह बैठक ३ जनवरी, १९७९ के लिए निश्चित की गई है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस हड़ताल के सिलसिले में कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है और क्या कोई कर्मचारी बर्खास्त भी किया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि सरकार की जो घोषित नीति बोनस के बारे में है, उसको उस फक्ट्री में लागू करवाने की कृपा करेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

कुछ स्पष्ट नहीं हुआ....

श्री ऊदल—

बोनस के बारे में जो सरकार की घोषित नीति है उसको उस फैक्टरी में लागू करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जो बोनस के संबन्ध में सरकार की नीति और ऐक्ट है उसके मुताबिक बोनस का भुगतान हो रहा है और जो उन्होंने बैलेंस शीट दिखाई है उसमें उनको घाटा है जिसका हमनें भी परीक्षण कराया अपने विभाग के जरिये से और उस बैलेंस शीट को चैलेंज करने का कोई औचित्य हमारे पास नहीं प्राप्त हुआ है। तब तक ८.३३ प्रतिशत, जो बोनस ऐक्ट के मुताबिक है उसका भुगतान वे कर रहे हैं।

दि इण्डस्ट्रियल गैसेज लि०, लखनऊ की बन्दी

*३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या श्रम मंत्री को इसकी जानकारी है कि दि इण्डस्ट्रियल गैसेस लि० लखनऊ की तीनों शाखाओं में पूर्णरूपेण कारखाना बन्दी आजकल घोषित कर दी गई है जिससे कि लगभग ३०० कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा कारखाना खुलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

दि इण्डस्ट्रियल गैसेज लि०, लखनऊ के तीनों कारखानों के सेवायोजकों ने दिनांक २५-९-७८ से कारखानों की बन्दी घोषित कर दी थी, जिससे लगभग २०० श्रमिक प्रभावित हुए। सेवायोजकों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा उपद्रव करने के कारण जैसे घेराव, गालीगलौज, प्रबन्धकों को प्रतिष्ठानों में न घुसने देना, अन्दर के श्रमिकों द्वारा "गो स्लो" करना एवं जानमाल का खतरा उत्पन्न होने के कारण उन्हें कारखानों की बन्दी घोषित करनी पड़ी।

श्रम विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा जिलाधिकारी, लखनऊ के प्रयास से इण्डस्ट्रियल क्रायोजनिक ऐन्ड केमिकल प्लांट्स लि०, लखनऊ दिनांक १४-१२-७८ से तथा इण्डस्ट्रियल एलेक्ट्रोड्स ऐण्ड गैसज लि० तथा इण्डस्ट्रियल गैसेज लि०, लखनऊ दिनांक २१-१२-७८ से पुनः चालू हो गए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित संस्थान में जो आन्दोलन हो रहा था तो आन्दोलनकारी कर्मचारयों की मांगें क्या थीं और उन मांगों को पूरा कराने की दृष्टि से शासन द्वारा अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, उनकी मुख्य मांगें थी वेतनमान निर्धारित करना अवकाश बोनस मजदूरों का स्थायीकरण और गलत प्रकार से स्थानांतरित किए गए कुछ श्रमिकों

[श्री रमाशंकर कौशिक]

को कार्य से पृथक किए जाने आदि के विवादों को लेकर उनकी यह मांगें थी जिस पर उन्होंने आन्दोलन किया था और इसके संबन्ध में सारी बातें हुई हैं आपसी समझौता हो गया उसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं आई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जो उनकी मांग थी जिसके लिए वे आन्दोलन कर रहे थे और अनर्गल आरोप लगाकर जेल भेजा गया था वह मांग क्या थी ? वह तो बता दिया गया लेकिन उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या किया गया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, विवाद को तुरन्त निपटाने के आशय से दिनांक ३१-८-७८ को प्रादेशिक सराधन अधिकारी, लखनऊ के समक्ष बुलाया गया और वार्ता के बाद एक अन्तरिम समझौता हुआ कि दोनो पक्षों के बीच एक समिति बनाकर द्विपक्षीय वार्ता कर विवाद को तय किया जाये । उक्त समझौते के अनुसार १-९-७८ से ३-९ ७८ तक दिपक्षीय वार्ता विवाद को निपटाने के लिए की गयी किन्तु वार्ता सफल न हो सकी । वार्ता के दौरान श्रमिक पक्ष के द्वारा जो क्रमिक अनशन का आन्दोलन उठा लिया गया था वह दिनांक ४-९-७८ से प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर पुनः आरम्भ कर दिया गया । चूंकि सेवायोजक और श्रमिक पक्ष समझौता दिनांक ३१-८-७८ के अनुसार आपसी वार्ता से अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ रहे इसलिए कानूनी तौर पर विवाद को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम ४ के अन्तर्गत पक्षों को नियमानुसार नोटिस जारी करके बुलाया गया तथा भिन्न-भिन्न तिथियों में वार्ता की गयी और विचार विमर्श हेतु अगली तिथि २५-९-७८ निश्चित की गयी । इसी बीच सूचना प्राप्त हुई कि सेवायोजकों ने दिनांक २१-९-७८ को अपरान्ह एक बजे से अनिश्चित कालीन तालाबन्दी घोषित कर दी । दिनांक २५-९-७८ को सेवायोजकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ बल्कि केवल श्रमिक पक्ष ही उपस्थित हुआ । उसी दिन ज्ञात हुआ कि सेवायोजकों ने अपने कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय से नोटिसें दिनांक २३-९-७८ को अलग अलग प्रतिष्ठानों के लिए दिनांक २१-९-७८ से तालाबन्दी तथा २५-९-७८ से कारखाना बन्दी की घोषणा कर दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले प्रश्न का तो स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । अगला प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि वहां पर जो मजदूर आन्दोलन कर रहे थे और घेराबन्दी या रास्ता रोकने का काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध मिल मालिकों ने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई जिसके कारण उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया । क्या यह भी सही है मजदूरों ने भी कोई इस आशय की रिपोर्ट लिखाई है कि सेवायोजकों द्वारा उनको मारा पीटा गया और क्या सेवा-योजकों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इस रिपोर्ट के सिलसिले में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कारखाना पुनः खुलने के बाद भी कुछ मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया और क्या उन्हें तत्काल काम पर लेनके सम्बन्ध में मन्त्री जी कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन श्रमिकों को जेल भेज दिया गया है, उनको भी काम पर वापस ले लिया जायेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इस समय विस्तार से विवरण मेरे पास नहीं है। वैसे कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली है कि श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया।

अमीनाबाद पार्क, लखनऊ, हनुमान जी के मन्दिर की प्रसाद की दुकान का आवंटन

*४—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि हनुमान जी मन्दिर, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ के कोने में स्थित प्रथम नम्बर की प्रसाद की दुकान वर्ष १९३७ से श्री खूबचन्द्र को आवंटित की गई थी और आवंटी एवं उनके उत्तराधिकारी श्रीमती हंसा देवी मार्च, १९७८ तक उसका किराया नियमित रूप से जमा करते रहे ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम नम्बर की दुकान जून, १९७८ में एक अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गयी और उपरोक्त पुराने आवंटी को बिना कारण बताओ नोटिस दिये तथा बिना बचाव का अवसर दिये अचानक उक्त स्थान से बेदखल भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों। क्या सरकार उक्त कार्यवाही को रद्द करके उक्त दुकान उसके पुराने आवंटी को पुनः आवंटित करने तथा दोषी अधिकारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

नौटियाल जी, इसको मैं स्थगित कर रहा हूं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह प्रश्न अल्प सूचित प्रश्न के रूप में दिया गया था और ७ दिसम्बर, १९७८ को दिया गया था और शासन को ८ दिसम्बर, १९७८ को भेजा गया। लखनऊ का ही मामला है और यहीं से सूचना प्राप्त करनी थी। अब आप ही बतायें कि कितना समय निर्धारित होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

नियम तो १५ दिन का है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न अल्पसूचित के रूप में स्वीकृत हुए होते हैं और जिसकी सूचना लखनऊ से ही प्राप्त हो सकती है, तो उसकी सूचना प्राथमिकता के आधार पर आनी चाहिए और इसमें जो अधिकारी विलम्ब करे सरकार को चाहिये कि उनसे कहें कि शीघ्र इस तरह की सूचनायें भेजें।

श्री अध्यक्ष--

क्योंकि लखनऊ का प्रश्न है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या आप इसे स्थगित कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो स्थगित करना ही पड़ेगा ।

श्री सुखपाल पांण्डेय (जिला बस्ती)--

जो अधिकारी विलम्ब करते हैं उनको सस्पेंड करना चाहिये । इस तरह से क्यों टाला जा रहा है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्र, श्री आर० बी० गौतम का निलम्बन

*५--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद), श्री बलदेव (जिला वाराणसी), श्री श्री नारायण (जिला देवरिया), श्याम देव (जिला वाराणसी), श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री गौरीशंकर भैया (जिला बलिया), श्री लालदास (जिला सीतापुर), श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर), श्री रामफेर कोरी (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज, लखनऊ के आर० बी० गौतम हरिजन छात्र को मेडिकल कालेज से निलम्बित किया गया और अब उक्त छात्र उचित न्याय न मिलने के कारण ५ दिसम्बर, १९७८ से आमरण अनशन पर बैठा है ? यदि हां, तो निलम्बित किये जाने का क्या कारण है ? क्या मेडिकल कालेज के छात्रों ने एक माह पूर्व एक ज्ञापन स्वास्थ्य मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक २६ अक्टूबर, १९७८ को मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रोफेसर डा० पी० सी० दुबे के साथ दुर्व्यवहार के फलस्वरूप श्री आर० बी० गौतम को दिनांक २८ अक्टूबर, १९७८ से कालेज से निलम्बित कर दिया गया था और इस मामले की पूर्ण जांच हेतु एक सदस्यीय जांच समिति को यह मामला प्रधानाचार्य द्वारा सौंप दिया गया था । निलम्बन के आदेशों के विरुद्ध दिनांक ५ दिसम्बर, १९७८ से श्री गौतम ने अनशन प्रारम्भ कर दिया था और वह दिनांक ९ दिसम्बर, १९७८ तक अनशन पर रहे । श्री गौतम ने लिखित रूप में प्रोफेसर डा० पी० सी० दुबे से अपने दुर्व्यवहार के लिये क्षमा याचना की और प्रोफेसर दुबे ने उन्हें क्षमा कर दिया । तत्पश्चात् श्री गौतम के निलम्बन के आदेश दिनांक ९ दिसम्बर, १९७८ से वापस ले लिये गये और उक्त मामले की जांच को समाप्त कर दिया गया ।

युवा चिकित्सक संघ, लखनऊ के डा० सी० पी० राय से दिनांक ४ नवम्बर, १९७८ को एक मांगपत्र शासन को प्राप्त हुआ था । मांगों का संक्षिप्त विवरण संलग्नक में उल्लिखित है । इन्हीं मांगों का उल्लेख करते हुए युवा चिकित्सक संघ, लखनऊ के अध्यक्ष डा० बी० पी० सिन्हा का पत्र दिनांक ७ नवम्बर, १९७८

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ को भी प्रस्तुत किया गया था। इन मांगों पर कृत कार्यवाही का विवरण भी संलग्नक में अंकित है जिससे प्रधानाचार्य द्वारा अध्यक्ष, युवा चिकित्सक संघ, लखनऊ को सूचित किया जा चुका है।

देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५०७ पर।

श्री बलदेव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी थी उसका क्या नाम था ?

श्री कल्याण सिंह—

यह जांच का काम सौंपा गया डा० एस० बी० यादव, रीडर फारेन्जिक मेडिसिन्स को।

श्री श्यामदेव—

विभाग की ओर से मुझे लिखित उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

नियमों के मुताबिक श्रीमती रामरति देवी का प्रथम प्रश्न है लिहाजा उनको कापी भेज दी गई। वैसे मैंने पहले भी कहा और कोशिश भी हम कर रहे हैं कि उत्तर की अधिक प्रतियां छपें ताकि जिनके नाम से प्रश्न हो उन सभी को वे प्रतियां दी जा सकें।

श्री श्यामदेव—

श्री गौतम ५ दिसम्बर, १९७८ को आमरण अनशन पर बैठे और ९ दिसम्बर, १९७८ को उन्होंने जो अपना मांग ली इस सम्बन्ध में मुझे निश्चित जानकारी है कि श्री गौतम हरिजन छात्र है और लखनऊ मेडिकल कालेज में हमेशा छुआछूत के माध्यम से उनको परेशान किया जाता रहा, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि डाक्टर दुबे ने डाक्टर गौतम को केवल छुआछूत की भावना से विलम्बित कराया और अन्य छात्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ है ?

श्री कल्याण सिंह—

यह आरोप निराधार है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह जो छुआछूत की बात आई तो यह साथ बैठने की बात थी या थाली में साथ खाने की बात थी।

श्री अध्यक्ष—

यह आप ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं। छुआछूत का महत्व सभी जानते हैं।

श्री श्याम देव—

मेरी निश्चित जानकारी है कि मेडिकल कालेज के छात्रावास में भोजनालय के मामले को लेकर डा० गौतम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया कि यह निराधार है। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं क्या वहां इस बात की जांच कराकर देख लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, अस्पृश्यता निवारण कानून के मुताबिक, नागरिक अधिकारों के मुताबिक किसी प्रकार छुवाछूत या भेदभाव करना कानून के खिलाफ है। माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि उस होस्टेल में खाने में कोई भेदभाव होता है, अगर ऐसा है तो इसकी जांच करवा कर पूरी जानकारी प्राप्त करें।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या डा० गौतम को इसलिए निलम्बित किया गया था कि वह हरिजन हैं उस पर मैंने कहा कि यह निराधार है। माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, यदि वहां इस प्रकार की बात होगी तो निश्चित रूप से जांच करालो जायेगी और छुआछूत के कलंक को जरूर मिटा दिया जायेगा।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की दाइयों की सेवा समाप्ति

*६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों पर अनेक वर्षों से सेवारत प्रशिक्षित दाइयों की सेवायें आपातकाल में समाप्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो आपातकाल में की गई सेवा समाप्ति को निरस्त कर उन्हें पूर्ववत सेवारत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सन्दर्भगत दाइयों की नियुक्ति ए० एन० एम० के अभाव में उनके रिक्त पदों पर प्रशिक्षित ए० एन० एम० के उपलब्ध होने तक के लिये की गई थी। ज्यों-ज्यों प्रशिक्षित ए० एन० एम० उपलब्ध हुई, उनके स्थान पर अस्थायी तौर पर नियुक्त दाइयों को कनिष्ठता के आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया। अतः उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सेवा से जिन दाइयों को आपातकाल में अलग कर दिया गया उनकी संख्या कितनी है और उनमें कम से कम सेवा काल वाली कितनी हैं और अधिकतम सेवा काल वाली कितनी हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर,....

(व्यवधान)

[कांग्रेस (आई०) के सदस्यों के सदन में आने पर।]

श्री श्यामधर मिश्र--

स्वागत होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

स्वागत होना ही चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह चाहते हैं कि आने न पायें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जब शासन की नीति है और शासन ने घोषणा की थी कि आपातकाल के अधिकारों का दुरुपयोग करके जिन सेवारत कर्मचारियों को निलम्बित किया गया या उनकी सेवायें समाप्त की गई, उन्हें पुनः सेवा में लिया जायेगा, तो उस घोषित नीति के अनुसार उन प्रशिक्षित बाइयों को पुनः सेवा में लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि आपातकाल के कारण से इनको नहीं हटाया गया। इनकी नियुक्ति ट्रेंड ए० एन० एम० एस० के अभाव में की गई थी, जैसे-जैसे ट्रेंड ए० एन० एम० एस० उपलब्ध होते जा रहे हैं तैसे-तैसे कनिष्ठता के आधार पर नीचे से उनकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं। आपातकाल का प्रश्न नहीं है ।

होम्योपैथिक छात्रों की हड़ताल एवं मांगें

*७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आन्दोलनरत प्रदेश के होम्योपैथिक छात्रों की मांगों पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रदेश के आन्दोलनरत होम्योपैथिक छात्रों की मांगो पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय/कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५०८ पर)

श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कई प्वाइंट्स पर यह कह दिया है कि यह सात सदस्यीय समिति के सुपुर्द है और उसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कब तक विचाराधीन रहेंगे और दूसरी बात प्वाइंट ५ पर कहा है कि कानपुर विश्वविद्यालय को परीक्षा हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है । मांग सम्बद्धता की थी । जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं हो जाती क्या कानपुर विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से इन छात्रों को सम्बद्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में केवल यही नहीं कहा कि वह ७ सदस्यीय समिति की सम्बन्धित मामला था, वह उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे यह भी है कि होम्योपैथी छात्रों के लिए कुछ शासनादेश भी निर्गत कर दिए गए हैं, जो विगत ३० वर्ष में नहीं हुए थे । जहां तक उनके एफिलिएशन का सवाल है, अभी कानपुर विश्वविद्यालय

[श्री कल्याण सिंह—]

को उनकी परीक्षायें लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और उनको उससे सम्बद्ध करने के मामले पर शासन विचार कर रहा है, क्योंकि यह एक साधारण विषय नहीं है और शीघ्र ही सरकार इस पर निर्णय ले लेने वाली है ।

श्री रामआसरे वर्मा—

आप सदन के सामने तारीख-दिन बता दें, जबतक इस पर निर्णय ले लेंगे ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

आपातकाल में शाहजहांपुर के परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्ति

*८—श्री भगवान दीन कुशवाहा (जिला कानपुर), श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर) श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री भगवान सिंह (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में आपात-काल के दौरान सेवा मुक्त किये गये परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को सेवा में वापस लेकर उन सबकी पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए अनुपस्थिति की अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? क्या उनकी सेवायें लगातार मान ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री कल्याण सिंह—

शासनादेश के अन्तर्गत आपातकाल के दौरान जनपद शाहजहांपुर के निकाले गए परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों में से १० को पुनः नियुक्त कर दिया गया है ।

उनकी पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए उन्हें नियमानुसार अनुपस्थिति की अवधि का अवशेष वेतन भुगतान किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा निर्देशित किया जा चुका है ।

कानपुर जिले के जूट उद्योग की बन्दी

*९—बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २१ सितम्बर, १९७८ से बन्द कानपुर जूट उद्योग का अधिग्रहण करके चालू करना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो कारखाने के बन्दी के शिकार १५०० मजदूरों तथा उनसे सम्बन्धित परिवार के ६००० लोगों की भुखमरी से बचाने हेतु शासन की क्या योजना है ? क्या माननीय मंत्री यह भी बतावेंगे कि इस कारखाने के मजदूरों का वेतन भुगतान क से नहीं किया गया है तथा बकाया वेतन प्रबन्धकों से दिलाने हेतु सरकार क्या क कार्यवाही कर रही है ?

८—नियम २९(४) के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

कानपुर जूट उद्योग को पुनः चालू कराने के लिए शासन सतत प्रयत्नशील है और इस संबन्ध में सभी सम्भव उपायों पर विचार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि यदि प्रतिष्ठान की बन्दी नहीं टलती है तो वे इसके अधिग्रहण के सम्बन्ध में निर्णय लें। श्रमिकों को १५ अक्तूबर, १९७८ तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है और इसके बाद का वेतन बकाया है, कार्य जिसके सम्बन्ध में कम्पनी के डायरेक्टर को अविलम्ब व्यवस्था किये जाने हेतु लिखा गया है।

परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण बिभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*१०--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १७ नवम्बर, १९७८ ई० को उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से अपने कर्मचारियों के स्थाईकरण हेतु कोई सूचना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री को १८ दिसम्बर से प्रदर्शन व अनशन करने की दी गई ? क्या संघ के संरक्षक श्री विद्याशंकर पांडेय ने उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृशिशु कल्याण में रत २२,०० कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में २४ नवम्बर, १९७८ ई० को कोई पत्र दिया ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों के ३३ प्रतिशत पदों को स्थायी किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् के कापर कन्डक्टर्स के स्थान पर लगाये गये अल्युमिनियम कन्डक्टर्स

*१--श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत् परिषद् द्वारा प्रदेश में लगे कापर कन्डक्टर्स को बदल कर अल्यूमिनियम कन्डक्टर्स लगाये गए हैं ? यदि हां, तो निकाले हुए कापर कन्डक्टर्स की संख्या क्या है और वह कितने मूल्य के हैं तथा उन निकाले हुए कापर कन्डक्टर्स को विद्युत् परिषद् ने क्या किया तथा जो अल्युमिनियम कन्डक्टर्स लगाये गए उनका मूल्य क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्न में मांगी गई सूचना एकत्र करने में जो श्रम, समय व धन व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

आगरा जिले के ग्राम तोरा के समीप लेबोरेटरी से बरामद क्लोरोहाईड्रेड

*२—राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक ८ अगस्त को आगरा में आबकारी उप आयुक्त ने ग्राम तोरा के पास फतिहाबाद रोड पर स्थित लेबोरेटरी पर छापा मारकर ५,५९६ किलोग्राम अवैध क्लोरोहाईड्रेड बरामद किया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां ।

सम्बन्धित इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया कि वे वजह बतायें कि उनका अनुज्ञापन क्यों न निरस्त किया जाये तथा इकाई से उत्तर भी प्राप्त हो गया है । इस सम्बन्ध में इकाई के विरुद्ध आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यक कायवाही की जा रही है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों का कनवेंस भत्ता

*३—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत् परिषद् के अधिकारियों को २२५ रु० प्रतिमाह कनवेंस भत्ता दिया जाता है, जबकि अन्य विभागों में ऐसा भत्ता देने का प्राविधान नहीं है और ऐसा भत्ता देने में परिषद् पर करीब १ लाख रुपया की धनराशि प्रतिवर्ष व्यय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् में रु० २२५ प्रतिमाह कनवेन्स भत्ता किसी अधिकारी को नहीं दिया जाता है वरन् रु० २२५ प्रतिमाह की दर से स्थानीय बहिर्कक्ष कर्तव्य भत्ता (Local Outdoor Duty Allowance), लखनऊ में तैनात ऐसे ४१ अधिकारियों को स्वीकृत है जिन्हें परिषदीय कार्य से ८ कि० मी० व्यासार्ध में स्थित परिषद् के विभिन्न कार्यालयों में स्थानीय यात्रा अपनी निजी गाड़ियों से करनी पड़ती है । इस पर परिषद को प्रतिवर्ष लगभग १,१०,७०० रु० का व्यय भार वहन करना होता है । जहां तक अन्य विभागों में प्रचलित स्थिति का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :

१—स्वायत्त शासन अनुभाग— उ० प्र० जल निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न दरों पर वाहन भत्ता स्वीकार किया गया है :

(१)	मोटर कार भत्ता	रु० २०० प्रति माह
(२)	मोटर साइकिल/स्कूटर भत्ता	रु० ७५ प्रति माह

२--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग--

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्न दरों पर वाहन भत्ता स्वीकार किया गया है :

(१) मोटर कार भत्ता रु० १५० प्रति माह

(२) मोटर साइकिल/स्कूटर भत्ता रु० ७५ प्रति माह

(३) मोपेड प्रकार की आटो वाहन हेतु रु० ४० प्रति माह

जहां तक इस भत्ते को समाप्त करने का सम्बन्ध है, यह मितव्ययिता की दृष्टि से सम्भव नहीं है कारण कि परिषद् के विभिन्न कार्यालय लखनऊ में अलग-अलग स्थानों पर छिटके हुए हैं जिनमें मीटिंग तथा अन्य परिषदीय कार्यों हेतु यात्रा करने हेतु परिषद् को अधिकारियों के लिए गाड़ियां उपलब्ध करानी होंगी जिसके चालन हेतु पेट्रोल, ड्राइवर, अनुरक्षण एवं मृत्यु ह्रास आदि पर उपरोक्त स्वीकृत भत्ते के व्यय से कहीं अधिक व्यय भार वहन करना होगा ।

आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण

*४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ जून, १९७८ को आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण की जो सूची घोषित हुई थी उसमें यह आदेश था कि एक सप्ताह के अन्दर आदेश का पालन करते हुए अपना कार्यभार सम्भाला जाय ? यदि हां, तो उस स्थानान्तरण सूची में से कितने ऐसे आबकारी निरीक्षक हैं, जिन्होंने उक्त आदेश का पालन नहीं किया और उनका स्थानान्तरण संशोधित किया गया ? स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करने का औचित्य क्या था ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

आबकारी आयुक्त के आदेश संख्या ए-२३४१-चार/४१९--अधिष्ठान-२, दिनांक ३ जून, १९७८ के अन्तर्गत जो आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण की सूची घोषित हुई थी उसमें यह अंकित था कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अन्दर सम्बन्धित निरीक्षक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यभार से मुक्त करा दिया जाय और आदेश दिये जायें कि तीन दिन के अन्दर नवनियुक्त स्थान पर अवश्य कार्यभार ग्रहण कर लें ।

उपरोक्त स्थानान्तरण सूची में से १५ आबकारी निरीक्षक ऐसे थे, जिन्होंने उपरोक्त आदेश के अनुसार स्थानान्तरण पर अपना कार्यभार नहीं छोड़ा और उनमें से ६ आबकारी निरीक्षकों का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया था तथा ९ आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश संशोधित किये गये ।

स्थानान्तरण आदेश का संशोधन प्रशासकीय आवश्यकताओं एवं सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए किया गया था ।

महेश्वरी खैतान शुगर मिल, रामकोला, देवरिया के श्रमिकों के ग्रेच्युटी का भुगतान और स्थायीकरण

*५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि महेश्वरी खैतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया) के लगभग एक सौ बीस (परमानेंट व सीजनल परमानेंट) श्रमिक अक्तूबर-नवम्बर, १९७७ में रिटायर हुए किन्तु आज तक उनको अनुग्रह धन (ग्रेच्युटी) प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अनुग्रह धन कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मेसर्स महेश्वरी खैतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया) में माह अक्तूबर १९७७ में १२७ श्रमिक सेवा निवृत्त हुये थे जिनकी कुल अनुग्रह धनराशि (ग्रेच्युटी) ६ लाख ३६ हजार रु० है इनमें से ३५ श्रमिकों को ३७,१५० रु० अग्रिम धनराशि के रूप में आंशिक भुगतान किया जा चुका है। मिल की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय है। इसमें कुछ सुधार होने पर बकाया अनुग्रह धनराशि का भुगतान संभव हो सकेगा।

*६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या श्रम मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त प्रतिष्ठान में तीस वर्ष से सेवारत सीजनल परमानेंट श्रमिकों को आज तक स्थायी (परमानेंट) नहीं किया गया है जबकि शासकीय आदाता (रिसीवर) ने स्वेच्छा से श्रम कानून का उल्लघंन कर अपने निजी आदमियों को एक वर्ष से कम सेवा अवधि के बाद ही स्थायी कर दिया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इस चीनी मिल में ५८१ सीजनल कर्मचारी सीजनल स्थानों पर गत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ये स्थान स्थायी प्रकृति के नहीं है। अतः सीजनल कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। रिसीवर ने केवल ११ ऐसे कर्मचारियों को, जो स्थाई स्थानों पर कार्य के लिये रखे गये थे, स्थायी कर दिया है।

[माननीय विद्युत् मंत्री की प्रार्थना पर २रे गुरुवार (१४-१२-७८) के स्थगित तारांकित प्रश्न]

चोपन, जिला मिर्जापुर के बिजली कर्मचारियों की कालोनी पर अनधिकृत कब्जा

*९—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान चोपन, जिला मिर्जापुर में बिजली कर्मचारियों को रहने के लिए एक अस्थायी कालोनी ५०-६० व्यक्तियों को रहने के लिए सन् १९६२ से १९६८ के बीच में बनवाई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त कालोनी से बिजली के कर्मचारी चले गए और उसमें बहुत से लोगों ने अनधिकार रूप से कब्जा कर लिया है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कालोनी का मैनेजमेन्ट नहीं किया गया है जिससे सरकारी कर्मचारियों को कमरे नहीं मिल पाते ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

स्थान चोपन, जिला मिर्जापुर में वर्ष १९५३-५४, न कि १९६२-६८ के बीच रिहन्द परियोजना के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कर्मचारियों के निवास के लिये ९६ भवनों का एक अस्थायी कालोनी का निर्माण हुआ था। रिहन्द परियोजना का कार्य पूरा होने के उपरान्त वहां तैनात कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कालोनी से बिजली के कर्मचारी चले गये। इनमें से २२ भवन काफी समय पूर्व गिर चुके हैं। शेष ७४ भवनों में से २४ भवनों में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी वर्तमान समय में रह रहे हैं। ४१ भवनों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी रहते हैं। ९ भवनों में बाहरी व्यक्ति अनधिकृत रूप से रह रहे हैं जिनसे खाली करवाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त अस्थायी कालोनी में निहित भवनों का जीवन काल समाप्त हो चुका है और उनमें रहना असुरक्षित है, अतः उसके रखरखाव का कार्य बन्द कर दिया गया है।

विद्युत् उपभोक्ताओं के लिये उपभोक्ता पथ प्रदर्शक का प्रकाशन

*१२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राज्य विद्युत् परिषद् के गठन के अनेक दशकों बाद भी प्रदेश के विद्युत् उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा हेतु विद्युत् सम्बन्धी कानूनों की जानकारी से सम्बन्धित कोई नियमावली उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो विद्युत् उपभोक्ता नियमावली कब तक बन जायेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, १९५६ के नियम २७ के अन्तर्गत राज्य विद्युत् परिषद् को विद्युत् आपूर्ति की शर्तें बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार राज्य विद्युत् परिषद् ने सर्वप्रथम वर्ष १९६६ में विद्युत् संभरण की शर्तें बनाई थी, जोकि १ सितम्बर, १९६६ से लागू हैं। इन शर्तों में आवश्यक संशोधन विचाराधीन हैं।

इसके अतिरिक्त सामान्य उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु विद्युत् परिषद् ने उपभोक्ता पथ प्रदर्शक वर्ष १९६६ में प्रकाशित किया था। आवश्यक संशोधन के बाद राज्य विद्युत् परिषद् ने इसको १९६९ में पुनः प्रकाशित किया। वर्ष १९७६ में पुनः आवश्यक संशोधन के पश्चात् उपभोक्ता पथ प्रदर्शक को प्रकाशित किया है और इच्छुक उपभोक्तागण इसकी प्रति ५० पैसे में राज्य विद्युत् परिषद् के सम्बन्धित स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

विद्युत् कर्मचारी संयुक्त समिति की भूख हड़ताल

*१७--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत् विभाग के कर्मचारी संघ के नेता श्री एम० ए० खान १ सितम्बर, १९७८ से शक्ति भवन, लखनऊ के सामने दरवाजे पर अपनी संघ की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

विद्युत् विभाग के कर्मचारी संघ के नेता श्री एम० ए० खान ने स्वयं अपने संगठन की तरफ से १-९-७८ से कोई भूख हड़ताल नहीं की थी बल्कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से भूख हड़ताल दिनांक १-९-७८ से प्रारम्भ की थी। ११-९-७८ को अध्यक्ष राज्य विद्युत् परिषद् की अपील पर सायंकाल ५ बजे उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। विद्युत् कर्मचारी संयुक्त समिति के पेम्पलेट में जो मांगें उल्लिखित थीं तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्नक में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५११ पर)

अतिरिक्त सचिव, श्री मथुरा राय राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध की गयी जांच

*१८--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९७४-७५ में ओबरा निर्माण खन्ड के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (श्री मथुरा राय) को भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य विद्युत् परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष (श्री बी० एन० बालिगा) द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और उक्त श्री मथुरा राय विद्युत् परिषद् में आज किस पद पर हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्री मथुरा राय को किसी आरोप के सम्बन्ध में कभी भी निलम्बित नहीं किया गया, यद्यपि उनके विरुद्ध दो जांच की गई थीं। सम्प्रति श्री राय परिषद् में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

सीतापुर जिले की बिसवां बकऊंवा विद्युत् लाइन से विद्युत् की आपूर्ति

*२१--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में बिसवां पोखरा कलां, बिसवां से बकऊंवा बाजार विद्युत् लाईन खिच गई है ? यदि हां, तो इस लाइन पर पड़ने वाले किसानों को सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या किसानों ने वर्ष १९७४-७५ में विद्युत् कनेक्शन के लिए कुछ आवेदन-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को विद्युत् कनेक्शन प्राप्त हो गए हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदुआगंज थर्मल प्रोजेक्ट, अलीगढ़ से विद्युत् का उत्पादन

*३६--श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि हरदुआगंज थर्मल प्रोजेक्ट, अलीगढ़ की (भेल द्वारा लगाई गई) ११० मेगावाट की मशीन मार्च, १९७८ में पूरी हुई लेकिन अभी अक्तूबर, १९७८ तक लोड नहीं ले पा रही है ? यदि हां, तो टरबाइन तथा इलेक्ट्रिकल साइड में क्या कोई खराबी है ? यदि हां, तो इसे कब तक दूर किया जायेगा ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ब्वाइलर पर अभी लोड नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या इसमें भी कोई कमी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

हरदुआगंज थर्मल प्रोजेक्ट, अलीगढ़ में (बी० एच० ई० एल०) द्वारा लगाई गई ११० मेगावाट की मशीन ३१ मार्च, ७८ स्टीम रोल की गई तथा २८ मई ७८ को पहली बार ग्रिड से जोड़ी गई। तब से अक्तूबर, ७८ तक यह मशीन ९१४ घंटे चली एवं ३८ मिलियन यूनिट उत्पादन दे चुकी है। किसी भी इकाई के प्रथम वर्ष में उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम होना स्वाभाविक है जो कि इरेक्शन (Erection) के समय में रह गयी छोटी-छोटी कमियों या आक्जिलरीज (Auxiliares) की खराबी के कारण होता है। परन्तु यह सत्य है कि इस इकाई में सामान्य से अधिक ही दोष पाये गये और बहुत से शट-डाउन्स, उपकरणों में छोटी-छोटी खराबी के कारण हुए। जिनको समय-समय पर मेसर्स बी० एच० ई० एल० ने ठीक किया। यद्यपि इकाई में कोई बड़ी खराबी (Major defect) नहीं है परन्तु इस इकाई से विद्युत् उत्पादन कम होने को नहीं रोका जा सका। इस विषय को मेसर्स बी० एच० ई० एल०, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्री के स्तर पर विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में सुधार होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के नार्मस के अनुसार किसी भी नई मशीन से पहले वर्ष से कार्य काल के प्रथम तीन माह में किसी उत्पादन की अपेक्षा नहीं की जाती और शेष ९ महीनों में उत्पादन की क्षमता का २८.५% उत्पादन अपेक्षित है। परन्तु इस इकाई ने प्रथम माह में अपनी उत्पादन क्षमता का ५.३ और इसके बाद सितम्बर एवं अक्तूबर में १५.३ उत्पादन किया है।

जहां तक ब्वायलर का सम्बन्ध है ब्वायलर ने लोड लिया और इसमें कोई स्थायी खराबी नहीं है।

मशीन अभी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने चार्ज में नहीं ली यह बी० एच० ई० एल० के कमीशनिंग इन्जीनियर्स की देख-रेख में चल रही है।

एटा जिले के कासगंज के समीप बारह पत्थर के ट्रांसफार्मर की क्षमता

*३७--श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के नगर कासगंज के समीप बारह पत्थर के ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या है और उस पर कितना भार चल रहा है ? क्या वह सही है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता से भी अधिक भार के कनेक्शन अनुचित तरीके से दिये गये हैं जिससे सब्जी उत्पादक कृषकों को भारी दुश्वारी व हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१०० के० वी० ए०।

कुल १४६ हार्सपावर जिनका किसी भी समय ट्रान्सफर्मर पर पड़ने वाला सम्मिलित भार ट्रान्सफार्मर की क्षमता से कम ही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की पेंशन

*३९--श्री नेम सिंह चौहान--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के गत दो वर्ष के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अब तक पेंशन या अन्य देय प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो देरी का कारण क्या है तथा कब तक इनको पेंशन आदि का भुगतान हो जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के लिये प्रस्तावित स्टेडियम

*४२--श्री जय शंकर पान्डेय (जिला फैजाबाद)--

क्या क्रीड़ा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में स्टेडियम की कोई योजना लगभग पिछले पांच साल से विचाराधीन है और क्या स्टेडियम के लिए लगभग पांच साल पहले एक लाख रुपया मन्जूर हुआ था ? यदि हां, तो रुपये का क्या उपयोग किया गया और स्टेडियम कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

जी हां ।

स्वीकृत रुपया फिक्सड डिपाजिट बैंक में जमा है । नगर के अन्दर आवश्यक निःशुल्क उपयुक्त भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात् स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

[बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सेन्ट्रल काउन्सिल आफ हेल्थ एन्ड सेन्ट्रल फेमिली वेलफेयर काउन्सिल की नई दिल्ली में बैठक और औषधि नियंत्रण संगठन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय

*१--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, ७८ में नेशनल हेल्थ काउन्सिल की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें ड्रग कंट्रोल के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में भी फैसला किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह--

नेशनल हेल्थ काउन्सिल की बैठक नहीं अपितु सेन्ट्रल काउन्सिल आफ हेल्थ एन्ड सेन्ट्रल फेमिली वेलफेयर काउन्सिल की चतुर्थ संयुक्त बैठक नई दिल्ली में जनवरी, १९७८ में हुई तथा उसमें औषधि नियंत्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में कुछ संस्तुतियां की गई थीं। उन संस्तुतियों में से अधिकांश पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है तथा काफी हद तक सुदृढ़ीकरण की दिशा में निर्णय लिये जा चुके हैं।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में गोली कान्ड

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर के स्वदेशी काटन मिल में सितम्बर, १९७७ से ताला बन्दी के फलस्वरूप मजदूरों में उत्पन्न असंतोष को दबाने के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की, उस में कुल कितने लोग मरे ? कितने मजदूर जेल गये और कितने मजदूरों के खिलाफ आज भी अदालत में मुकदमें चलाये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मिल को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है ? यदि हां, तो क्या पिछली कार्यवाहियों में मजदूरों के खिलाफ कायम मुकदमें वापस लेने तथा उन्हें पुनः काम देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर में सितम्बर, १९७७ से कोई ताला-बन्दी नहीं हुई थी। तालाबन्दी दिनांक ६-१२-७७ को मिल में हिंसात्मक घटनाओं के कारण रात्रि के लगभग १० बजे से हुई। हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप मिल के दो अधिकारियों व ११ श्रमिकों की मृत्यु हुई। गिरफ्तार किये गए कुल २३७ श्रमिकों में से २३१ श्रमिकों को दिनांक ७-१२-७७ को जेल भेजा गया तथा ६ घायल मजदूरों को उपचार हेतु अस्पताल दाखिल कर दिया गया था। गिरफ्तार किये गये सभी मजदूर जमानत पर रिहा हो चुके हैं। उपरोक्त अभियोग अभी अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचनाधीन है। भारत सरकार के आदेश दिनांक १३-४-७८ के अन्तर्गत इस मिल का प्रबन्ध नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, नई दिल्ली ने दिनांक १४-४-७८ से संभाल लिया है। दिनांक ६-१२-७७ को हुये कान्ड में गिरफ्तार सभी मजदूर अभियुक्त हैं। उनके विरुद्ध जांच जारी है। अतः मुकदमा वापस लेने के प्रश्न पर विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक गिरफ्तार कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने का प्रश्न है, उन सभी श्रमिकों को काम पर ले लिया गया है जो मिल खुलने के बाद उपस्थित हुये।

*३--श्री रामदत्त जोशी--

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४--श्री राज किशोर तिवारी--

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित]

अमीनाबाद, लखनऊ में पुलिस द्वारा मारा गया छापा एवं बरामद की गयी दवाएं

*५--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १० व ११ जुलाई, १९७८ को लखनऊ पुलिस अमीनाबाद द्वारा मारे गये छापे में कितने लोग गिरफ्तार किये गये

और कितनी धनराशि की दवाओं की चोरी प्रकाश में आई है ? क्या इन दवाओं की चोरी सरकारी अस्पतालों से की गई थी ? यदि हां, तो इसमें किन-किन अधिकारियों तथा कर्मचारियों का हाथ था उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक १० जुलाई, १९७८ को सूचना मिलने पर लखनऊ पुलिस थाना अमीनाबाद के उप निरीक्षक श्री छोटे लाल शर्मा ने मुहम्मद अहमद पुत्र मजहर, निवासी जहंगीराबाद, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर को कुछ दवाइयों सहित पकड़ा था और बरामदशुदा दवाइयों में से कुछ पर बलरामपुर अस्पताल की मुहर लगी थी। मुहम्मद अहमद के बताने पर कि वे दवाइयां उसने आनन्द राम तिवारी, निवासी बलरामपुर अस्पताल क्वार्टर से खरीदी थी, श्री छोटे लाल शर्मा, उप निरीक्षक, थाना अमीनाबाद ने पुलिस तथा ड्रग इन्सपेक्टरों के दल के साथ उसी दिन श्री तिवारी के घर पर छापा मार कर कुछ दवाइयां बरामद की और उन्हें भी गिरफ्तार किया। मुहम्मद अहमद के पास से और श्री तिवारी के घर से बरामदशुदा दवाइयों की अनुमानित लागत ४ हजार रुपये बतायी गई है। मामले की जांच करायी जा रही है। जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायगी।

*६—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा जिले के फिरोजाबाद में विद्युत की आपूर्ति

*७—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद को क्या दिनांक १५-१०-७८, १६-१०-७८, १८-१०-७८ और १९-१०-७८ को बिजली सप्लाई बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के बन्द हुई जिससे नगर निवासियों को पानी पीने को नहीं मिला और समस्त कटाई, गोदाम, फैक्ट्रीज आदि कारोबार बन्द रहे जिससे लाखों का नुक्सान नागरिकों का हुआ ? यदि हां, तो इस प्रकार की बिजली बन्दी आदि अनियमितता के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सन्दर्भित तिथियों में फिरोजाबाद टाउन में ९ बार विद्युत् आपूर्ति में बाधा आई जिसका योग ८ घन्टे ५२ मिनट है। यह बाधा मैनपुरी खंड में आपातकालीन शटडाऊन लिये जाने के कारण आई। इसके अतिरिक्त इन तिथियों में रोस्टरिंग के कारण ४ बार विद्युत् आपूर्ति में बाधा आई जिसका योग २ घन्टे ५२ मिनट है।

इन बाधाओं के कारण फिरोजाबाद की जल आपूर्ति में बाधा नहीं आनी चाहिये।

मेडिकल अन्टेन्डेन्ट की पदोन्नति की मांग

*८—डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष १९६५ से सेवारत प्रशिक्षित मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की संख्या कितनी है ? प्रशिक्षित

मेडिकल अटेन्डेन्ट्स ने अपने पदों को स्पष्ट कराने, पदोन्नति कराने, स्थायी कराने तथा दूसरों की भांति उपलब्ध होने वाली सुविधायें पाने हेतु शासन को समय-समय पर प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रशिक्षित मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की संख्या १६१ है । जी हां, उनकी पदोन्नति फार्मेसिस्ट्स एवं स्टाफ नर्सेज के पदों पर करने से सम्बन्धित मांग मई, १९७८ में अस्वीकार कर दी है और शेष मांगे शासन के विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अछमेरा, जिला आगरा के निकाले गए जन-स्वास्थ्य रक्षक

*९--श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र अछमेरा, जिला आगरा पर जन स्वास्थ्य रक्षकों के अन्तिम बैच में से दो मास का प्रशिक्षण लेने के बाद निकाले गए जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सितम्बर, १९७८ में क्रमिक अनशन किया गया था ? यदि हां, तो उनकी मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । निकाले गए जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण में वापिस लिए जाने के लिए मांग कर रहे थे । उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों की ४८ रिक्तियां थी जिसके विपरीत ६४ प्रशिक्षार्थी चुन लिए गए थे। अतः १६ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण से पृथक कर दिया गया था ।

*१०--श्री जय शंकर पांडेय--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेनेटरी इन्सपेक्टरों को दी गयी फूड सैम्पुलिंग ट्रेनिंग

*११--श्री देव राम (जिला गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं जिन्हे फूड सैम्पुलिंग ट्रेनिंग नहीं दी गई है जिससे वे फूड सैम्पुलिंग का कार्य नहीं कर रहे हैं ? क्या उनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था की जा रही है ? अब तक प्रशिक्षण न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

ऐसे कुल १७ सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं जो प्रश्नगत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं । भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक १५-१२-७८ द्वारा अभी हाल ही में राज्य के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को प्रश्नगत प्रशिक्षण प्रदान करने की मान्यता स्वीकृत की है । अतः इससे पूर्व उक्त सेनेटरी इन्सपेक्टरों को कथित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका था :

गोरखपुर मंडल में इन्सेफिलाइटिस रोग की रोकथाम के लिए की गयी कार्यवाही

*१२--श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री श्रीनारायण, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री देव कुमार (जिला बांदा), श्री राजेश कुमार सिंह, श्री अजीत सिंह सेठी तथा श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर मंडल में विचित्र ज्वर बीमारी से इस समय एक हजार से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों चारपाई पर मरणासन्न की दशा में पड़े हैं ? डाक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद बीमारी की बढ़ोतरी जारी है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कराकर जनहित में रोकथाम की कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित विचित्र बीमारी का तात्पर्य कदाचित इन्सेफेलाइटिस से है। दिनांक २५ दिसम्बर, १९७८ तक गोरखपुर मंडल में इस रोग के प्रकोप की स्थिति निम्नवत् थी--

जिला	ग्रसित	मृतक	२५-१२-७८ को शेष भर्ती
१--गोरखपुर	९९८	२९६	४७
२--देवरिया	७२६	२१८	७
३--बस्ती	१३०	४९	०
४--आजमगढ़	५३२	१२६	७
	२३८६	६८९	६१

केन्द्र सरकार के सहयोग से तथा राज्य सरकार द्वारा की गई तत्काल कार्यवाही के कारण रोग को नियंत्रित करने में सफलता मिल गई है। इस वर्ष इस रोग की प्रथम सूचना देवरिया जनपद से १६-१७ अक्तूबर, १९७८ को प्राप्त हुई सूचना प्राप्त होते ही राज्य मुख्यालय से २ सहायक निदेशक देवरिया भेजे गए। दिनांक १९ अक्तूबर, १९७८ को स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ० प्र० ने प्रिंसिपल, बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर को आदेश दिए कि वह विशेषज्ञों की टीम तुरन्त तैनात करें और जांच पड़ताल कराएं। प्रिंसिपल किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ से भी अनुरोध किया गया कि वह अपने कालेज से भी एक टीम देवरिया भेजे। इस कालेज द्वारा ३ विशेषज्ञों की एक टीम दिनांक २० अक्तूबर, १९७८ को भेज दी गई। इस टीम ने वहां रोगियों के खून, सी० एस० एफ० तथा एक मृतक के दिमाग के नमूने लिए। जांवोरान्त वाइरस आइसोलेट किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि यह जापानीज वाइरल इन्सेफेलाइटिस ही है। इसकी पुष्टि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वाइरोलाजी, पूणे द्वारा भी की गई। इस इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती गए थे।

इस रोग के उपचार के लिए कोई प्रभावी विशिष्ट औषधि उपलब्ध नहीं है। उपचारात्मक कार्यवाही के रूप में ग्लूकोज, मैनीटाल तथा कारटिको इस्टेराइड उपयोगी बताए गए हैं, जिनकी पूरी व्यवस्था राज्य के अन्य जनपदों के अतिरिक्त गोरखपुर मंडल के प्रत्येक उपचार केन्द्र तथा चिकित्सालय में कराई गई। समस्त जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी निदेशित किए गए कि वह अपने-अपने क्षेत्र से ऐसे रोगी खोजकर सरकारी वाहनों द्वारा चिकित्सा केन्द्रों पर तुरन्त पहुंचावे। अन्य प्रमुख कार्यवाही की रूपरेखा निम्नवत् है :--

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियां और चालू हालत में वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

(२) सभी चिकित्साधिकारियों एवं विभागीय कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए।

(३) समस्त विभागीय चिकित्साधिकारियों को यह निदेश है कि वह अपने-अपने चिकित्सालयों में कम से कम १५ दिन आगे की औषधियों का स्टाक बनाकर रखें।

(४) कितने ही मूल्य की औषधियां क्यों न लगें, सभी रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

(५) प्रारम्भ में यदि किसी रोगी ने दवा क्रय भी की है तो रसीद दिखाने पर शासन की ओर से उसका नकद भुगतान कर देने की व्यवस्था है।

(६) गोरखपुर मंडल के विभिन्न जनपदों में निम्नलिखित उपचार केन्द्रों की व्यवस्था की गई जहां पर पर्याप्त मात्रा में औषधियों तथा साज-सज्जा का समुचित प्रबंध किया गया तथा रोगियों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों तथा परिचारिकाओं की तैनाती की गई :--

जिला	उपचार केन्द्र
१--गोरखपुर	१--जिला अस्पताल, २--मेडिकल कालेज, ३--महराजगंज अस्पताल।
२--देवरिया	१--जिला अस्पताल, २--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाटा, ३--पडरौना अस्पताल।
३--बस्ती	१--जिला अस्पताल, २--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटवा, ३--नौगढ़।
४--आजमगढ़	१--जिला अस्पताल, २--फातिमा अस्पताल, ३--मिशन अस्पताल, ४--मऊ अस्पताल।

निरोधात्मक कार्यवाहियों के रूप में अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :--

(१) कीटाणुनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बी० एच० सी० तथा डी०-एम० उपलब्ध कराए गए।

(२) मच्छरों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त थरमल फागिंग मशीनों के माध्यम से मेलाथियान नामक कीटाणु-नाशक दवा के छिड़काव की व्यवस्था की गई ।

(३) इस मंडल में सम्पूर्ण व्यवस्था के सुचारुरूप से संचालन हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक का मुख्यालय गोरखपुर किया गया ।

(४) प्रश्नगत मंडल में औषधियों तथा अन्य आवश्यक सामग्री की सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों को अतिरिक्त धनराशि निम्नवत् आवंटित की गई :—

जनपद	धनराशि
	रु०
(अ) गोरखपुर	५२,०००
(ब) देवरिया	४६,०००
(स) बस्ती	१७,०००
(द) आजमगढ़	३८,०००

(५) इस मंडल के प्रभावित जनपदों में सफाई अभियान के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में १५,००० रु० प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत किया गया ।

तहसील पडरौना के कुबेरनाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विद्युत् कनेक्शन

*१३—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में कुबेरनाथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विद्युत् आपूर्ति हेतु समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं की पूर्ति अट्ठारह मास पूर्व हो जाने के बावजूद आज तक कनेक्शन की स्वीकृति नहीं मिली है ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर विद्युत् कनेक्शन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । इस मामले में हाईडिल विभाग के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर बिजली कनेक्शन शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

*१४—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[१४-१२-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ८ द्वारा उत्तरित]

*१५—श्री राम नरायन वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*१६—श्री विक्रमा राय—

[५वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के बरही सोनबरसा व चौरी-चौरा तथा मुंडेरा बाजार में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

*१७--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर में बरही सोनबरसा एवं मुंडेरा बाजार चौरी चौरा टाउन एरिया म महिला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा माह अगस्त सन् १९७७ से अब तक भेजे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी जबकि उक्त दोनों जगहों पर महिला अस्पताल के लिए भवन भी है ? कब तक महिला अस्पताल शासन द्वारा खोल दिए जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। प्रदेश के अन्य स्थानों पर नए चिकित्सालय खोलनें के प्रस्तावों के साथ विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जायगा।

एटा जिले की टाउन एरिया सहावर के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*१८--श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की टाउन एरिया सहावर के सभी कर्मचारियों को गत आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिस के कारण कर्मचारियों में भारी क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है ? वेतन भुगतान न होने के लिए कौन दोषी है तथा इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और कब उनका वेतन भुगतान कर दिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

टाउन एरिया सहावर, जिला एटा के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अप्रैल, १९७८ से शेष है। करों की वसूली न होने के कारण वेतन का बकाया चला आ रहा है। करों की वसूली के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और बकाया कर राजस्व बकाये की भांति तहसीलदार के माध्यम से वसूल कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मार्च, १९७९ तक बकाया वेतन भुगतान करने का वादा किया है। करों की वसूली में लापरवाही के लिए बख्शी तथा प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों की हड़ताल

*१९--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के कर्मचारियों ने अक्तूबर मास ७८ के अन्तिम सप्ताह में अपनी मांगों के लिए हड़ताल की ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं तथा शासन ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिनांक १९-१०-७८ से २७-१०-७८ तक क्रमिक भूख हड़ताल की गयी थी। उनकी मुख्य मांगों और उनपर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

---

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे १५१३ पृष्ठ पर)

हिण्डालको, मिर्जापुर को विद्युत की आपूर्ति एवं बकाया विद्युत-कर

*२०—श्री राम जी (जिला आजमगढ़), श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिण्डालको को सस्ते दर पर बिजली देने का निर्णय कब तथा किन परिस्थियों में लिया गया था ? हिण्डालको के ऊपर विद्युत कर तथा ऋणों पर ब्याज और अन्य मदों का १-११-७८ तक कुल कितना बकाया है ? सरकार ने उनकी वसूली के लिए कब तथा क्या कदम उठाया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हिण्डालको को सस्ते दर पर बिजली देने का निर्णय २९-१०-५९ में लिया गया था ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने १९५६ में विपरी (जिला मिर्जापुर) में एक जल विद्युत गृह की स्थापना करना स्वीकार किया था इस जल विद्युत गृह की स्थापना करने का मुख्य ध्येय इस क्षेत्र के कृषि तथा उद्योगों को सस्ते दर पर बिजली देना था ।

रिहन्द जल विद्युत गृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञात हुआ कि उक्त पावर स्टेशन १९६० से उर्जा उत्पादन प्रारम्भ कर देगा । तत्कालीन सरकार द्वारा ३०० मेगावट की खपत की व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन की ४७·१ प्रतिशत बिजली का अनुबन्ध एल्यूमीनियम इन्डस्ट्री (मेसर्स हिण्डालको) से उत्पादन मूल्य से सस्ती दर पर करना श्रेयस्कर समझा ।

अपने पत्र दिनांक १५-७-७५ द्वारा तत्कालीन इस्पात एवं खनिज मंत्री ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि हिण्डालको का टैरिफ ११ पैसे प्रति यूनिट कर दिया जाय और ५५ की जगह ८५ मेगावाट बिजली डिण्डालको को दी जाय ।

उक्त सुझाव के आधार पर राज्य विद्युत परिषद ने ३०-११-७६ से एक अनुबन्ध हिण्डालको से किया जो ३०-६-७५ से प्रभावी माना गया । यद्यपि इस दर पर भी उत्पादन व्यय से कम मूल्य पर बिजली आपूर्ति की गयी ।

भारत सरकार ने उक्त बिजली की दरें अल्यूमिनियम उत्पादकों को दी जाने वाली बिजली की सार्वजनिक नीति के आधार पर निर्धारित की हैं तथा उसी आधार पर उक्त दूसरा अनुबन्ध मेसर्स हिण्डालको से किया गया है ।

हिण्डालको द्वारा एल्यूमिनियम के उत्पादन में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपभुक्त होने वाली शक्ति पर विद्युत् सर चार्ज न किये जाने की प्रार्थना को शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने पर उनके द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयानुसार उनकी विद्युत कर से छूट की प्रार्थना पर निर्णय में दी गई अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है । यदि यह पाया जाता है कि हिण्डालको अपने कैपटिव पावर प्लान्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपभुक्त की जाने वाली उर्जा पर एक पैसा प्रति

यूनिट की दर से विद्युत् कर वहन करने की स्थिति में है तो उनके द्वारा दिनांक १-११-७८ तक अपने कैपटिव पावर प्लान्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपभुक्त की गई उर्जा पर ६९१·४६१ लाख रुपये की विद्युत् कर की धनराशि देय होगी ।

इसके अतिरिक्त ३१-१०-७८ तक की अवधि के कुल १,९५,५०,६९३·७६ रु० के कोल सरचार्ज के बिल हिण्डालको को भेजे गये । इस धनराशि में से उन्होंने १,८१,६५०·०० का भुगतान केन्द्र सरकार के आदेशानुसार कर दिया है ।

हिण्डालको के ऊपर ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

पी० एम० एस० व पी० एम० एच० एस० अधिकारियों को स्नातकोत्तर कोर्स करने के लिए दी गयी अनुमति

*२१--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग से वर्ष १९७६ में कोई ऐसा शासनादेश जारी हुआ है । जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि सेवारत पी० एम० एस०/पी एम० एच० एस०, अधिकारियों को क्लीनिकल विषयों में (रेडियोलोजी पैथालाजी), एनेस्थीसियोलाजी, साइक्रियाट्री तथा टी० बी० एवं चेस्ट डिवीजन के अतिरिक्त स्नातकोत्तर कोर्स अथवा डिप्लोमा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन के उक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुये वर्ष १९७७ तथा १९७८ में विभाग के कतिपय सेवारत अधिकारियों को डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर कोर्स करने की अनुमति दी गई है अथवा समुचित अनुमति के बिना ही संबंधित अधिकारियों ने प्रश्नगत अध्ययन किया और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, उल्लिखित शासनादेश के अनुसार क्लीनिकल विषयों मे स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स चाहे वह किसी भी विशिष्टता में हो, के अध्ययन के लिए अब किसी अधिकारी को अनुमति नहीं दी जायगी किन्तु उस शासनादेश में इस बात का भी प्राविधान है कि यदि कोई अधिकारी अपने व्यय पर स्नातकोत्तर कोर्स करना चाहे तो उसका प्रवेश हो जाने पर नियमानुसार शासन द्वारा देय अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जायगा । तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को स्नातकोत्तर कोर्स करने के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

यह सूचना एकत्र की जा रही है कि उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के प्रतिकूल किन अधिकारियों ने प्रश्नगत अध्ययन किया है अथवा कर रहे हैं ।

विद्युत् विभाग के अवर अभियन्ता, श्री जेड० ए० ईराकी, जिला हरदोई के मकान पर मारा गया छापा

*२२--राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ३० नवम्बर, सन् १९७७ को हरदोई कोतवाली की पुलिस ने विद्युत् विभाग के अवर अभियन्ता श्री जेड० ए० ईराकी के हरदोई निवास स्थान पर छापा मारकर २०० मीटर चोरी के तार बरामद किये ? यदि हां, तो अवर अभियन्ता को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और विभागीय उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, पुलिस ने छापा मारकर २०० पुराने इनर्जी मीटर बरामद किये न कि तार। यह मामला विद्युत् परिषद् के सतर्कता अधिष्ठान को विस्तृत छान बीन के लिए सौंप दिया गया है और उनकी रिपोर्ट आने पर अवर अभियन्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

नर्सों की वर्दी भत्ता में वृद्धि

*२३--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नर्सों के यूनीफार्म एलाउन्स बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विषय पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कल्याण सिंह--

उपचारिकाओं एवं हाउस कीपरों को ६ रुपया प्रतिमास की दर से मिलने वाले वर्दी भत्ते को दिनांक १५-९-७८ से ही बढ़ाकर २० रु० प्रतिमास किया जा चुका है।

निजी क्षत्र की औद्योगिक इकाइयों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*२४--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में खोली जाने वाली उद्योग इकाइयों में समाज के निर्बल, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या आरक्षण दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

प्रश्नगत वर्ग के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में नियोजन में कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वर्तमान श्रम कानूनों के अन्तर्गत इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

जिला चिकित्सालय, बस्ती को एक्सरे प्लेट व एक्सरे फिल्म की आपूर्ति

*२५--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर, लखनऊ द्वारा जिला चिकित्सालय, बस्ती को कितनी एक्सरे प्लेट १९७७-७८ में सप्लाई की गई ? उनकी मैन्युफैक्चरिंग तिथि क्या है और जिला चिकित्सालय, बस्ती रजिस्टर में किस तारीख को अंकित की गई और उन प्लेटों की एक्सपायरी तिथि क्या थी और जिला चिकित्सालय, बस्ती नें समाप्त हुई कि नहीं ? यदि नहीं हुई तो कितना शेष बचा ? क्या यह सही है किअस्पताल में एक्सपायरी तारीखों का प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर, लखनऊ द्वारा वर्ष १९७७-७८ में जिला चिकित्सालय, बस्ती में उपयोग हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मांग पर २७-५-७७ को १००० एक्सरे फिल्में तथा दिनांक १८-६-७७ को ८,६०० एक्सरे फिल्में सप्लाई

की गई जो जिला चिकित्सालय, बस्ती के रजिस्टर में क्रमशः दिनांक १-६-७७ तथा ९-७-७७ को अंकित की गईं। इन एक्सरे फिल्मों पर कोई मैन्यूफैक्चरिंग तिथि अंकित नहीं थी। इन सभी फिल्मों की एक्सपायरी तिथि फरवरी/मार्च, १९७८ थी। यह सभी एक्सरे फिल्में जिला चिकित्सालय, बस्ती में इस्तेमाल हो गई हैं और इसमें से कोई एक्सरे फिल्म इस समय शेष नहीं बची है। एक्सपायरी तिथि के बाद एक्सरे फिल्मों का उपयोग सामान्यतः तभी किया जाता है जब अन्य एक्सरे फिल्में उपलब्ध न हों। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त फिल्मों का उपयोग हानिकारक नहीं है।

नगर महापालिका, वाराणसी के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२६--श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका वाराणसी के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं और धन के घोटाले के सम्बन्ध में जो जांच हेतु पत्रक जुलाई, १९७८ में स्वायत्त शासन सचिव को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था उस पर आज तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है और यदि नहीं कोई कार्यवाही अब तक की जा सकी तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां।

माननीय विधायक श्री उदय नारायण सिंह के शिकायती पत्र दिनांक १९ जुलाई, १९७८ की जांच निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रशासक, नगर महापालिका, वाराणसी से कराई गई।

जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुए।

सहायक अभियन्ता, विद्युत् जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती पत्र और ठेकेदार की बकाया धनराशि

*२७--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि श्री शिव कुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर के शिकायती पत्र दिनांक २६-६-७८ व दिनांक ११-१०-७८ के द्वारा सहायक अभियन्ता विद्युत् जनपद निर्माण उपखण्ड चतुर्थ, बुलन्दशहर व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उपरोक्त उपखण्ड के कार्यालय से दो माप पुस्तिकायें गायब कर दी गई है जिसके गायब हो जाने से ठेकेदारों का अन्तिम भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित ठेकेदारों का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां। परिवाद पत्रों पर जांच कार्य प्रगति पर है तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उपखण्ड कार्यालय से दो माप पुस्तिकायें खो गई हैं परन्तु इनके खो जाने से ठेकेदारों के अन्तिम भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनमें मुख्यतः मापन के एब्स्ट्रैक्ट थे।

श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता, विद्युत, बुलन्दशहर द्वारा मांगे गये कोटेशन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२८--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विजयपाल सिंह के पत्र ८-१०-७८ व श्री यतेन्द्र नाथ शर्मा के पत्र दिनांक १२-१०-७८ में श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता, विद्युत, जनपद निर्माण उपखन्ड चतुर्थ, बुलन्दशहर पर भ्रष्टाचार तथा टेन्डर व कोटेशन अनियमितता के लगभग एक लाख रुपये के आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि १६-१२-७७ को सिमेन्ट ढुलाई रेलवे स्टेशन खुर्जा से विभिन्न सिविल स्टोर के हेतु कोटेशन मांगी थी जिनको खोलने की तिथि २१-१२-७७ थी, परन्तु २१ तारीख से पूर्व ही अर्थात् २०-१२-७७ को श्री अरुण कुमार ठकेदार को निविदा खोलने से एक दिन पूर्व ही रेलवे की आर० आर० व पैसा दे दिया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । यह पत्र कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुए हैं ।

परिवाद पत्रों को क्षेत्रीय अधिकारियों को जांच हेतु भेज दिया गया है तथा उस पर आवश्यक जांच की जा रही है ।

उन्नाव जिले की टाउन एरिया, नवाबगंज का अलग किया गया कथित हिस्सा

*२९--श्री हेमराज (जिला उन्नाव)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में टाउन एरिया, नवाबगंज का कुछ भाग टाउन एरिया से सन् १९७३ में अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अलग किये गये भाग को मिलाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, जिला बांदा के छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार

*३०--श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बांदा जनपद के आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में परीक्षा तिथि के पहले कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के माननीय कुलपति या माननीय रजिस्ट्रार का पत्र कुछ अध्यापकों की १३-१०-७८ से होने वाली वार्षिक परीक्षा में निरीक्षक न रखने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उन अध्यापकों को निरीक्षक क्यों बनाया गया ? क्या यही कारण था कि १३-१०-७८ से होने वाली परीक्षा का वहां के छात्रों ने बहिष्कार किया ? यदि हां, तो छात्रों का इतना समय जो बरबाद हुआ, उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । रजिस्ट्रार, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर का दिनांक २२-९-७८ का एक पत्र संस्था के दो अध्यापकों को परीक्षा कार्य से सम्बद्ध न रखने के सम्बन्ध

में प्रधानाचार्य को प्राप्त हुआ था। प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा ने विवेकानुसार परीक्षा कार्य के हित में उन अध्यापकों को निरीक्षक बनाया था। जी हां, किन्तु अब दिनांक २५-११-७८ से परीक्षायें नियमित रूप से हो रही हैं। मामले की जांच कराई जा रही है, जिसके पूरी होने पर ही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा।

आगरा जिले का भवन विहीन ग्राम बांगुरी का आयुर्वेदिक अस्पताल

*३१--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि गांव बांगुरी ब्लाक शमसाबाद, जिला आगरा में जो आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है उसके पास अपना निजी भवन नहीं है? क्या यह सही है कि जिस किरायेदार के मकान में यह स्थित है उसे खाली कराने को वह बराबर दबाव डाल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अस्पताल का भवन बनाने पर विचार करेगी? अगर हां, तो यह कब तक बन जायेगा?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३२--श्री ओंकार नाथ--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के जूनियर डाक्टरों की हड़ताल

*३३--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में जूनियर डाक्टरों ने अपनी कुछ मांगों के सम्बन्ध में अक्तूबर, ७८ की १८ ता० से अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दिया? यदि हां, तो क्या इससे कुछ माह पूर्व सरकार को भी ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या प्रयास किया?

श्री कल्याण सिंह--

इस कालेज के जूनियर डाक्टरों ने दिनांक १८ अक्तूबर, १९७८ से २३ अक्तूबर, १९७८ तक हड़ताल की थी। उन्होंने अपनी मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी दिया था, जिसमें उल्लिखित मांगों का संक्षिप्त विवरण *संलग्न है। ये मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५१४ पर)।

*३४--श्री प्रदीप कुमार--

[३१-८-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५० द्वारा उत्तरित।]

*३५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[७-९-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४९ द्वारा उत्तरित।]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के लिपिकों का स्थायीकरण एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

*३६--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशक के आदेश संख्या १३-फ/४३-ए/४४/९०१९, दिनांक २३-१०-१९७८ के द्वारा जिन १६ नैत्यिक लिपिकों को स्थाई किया गया है उनमें शासनादेश संख्या १५/२५/७३-रा० एकी०, दिनांक १० मई, १९७६ के अनुच्छेद ४ के आधार पर अनुसूचित जाति के कितने नैत्यिक लिपिकों को आरक्षण के आधार पर स्थाई किया गया है ? यदि कोई नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने अपने प्रश्नगत आदेश दिनांक २३ अक्तूबर, १९७८ को पुनर्विचार उपरान्त संशोधित करके अब कुल २० नैत्यिक लिपिक के पदों में निर्दिष्ट आरक्षण के आधार पर ३ अनुसूचित जाति के नैत्यिक लिपिकों को स्थायी कर दिया है और एक पद पर अनुसूचित जाति के नैत्यिक लिपिक को आवश्यक औपचारिकतायें पूरा न हो सकने के कारण अभी स्थायी नहीं किया गया है, अपितु उसके लिए एक पद रिक्त रखा गया है ।

मेडिकल कालेज, झांसी में घटित शर्मनाक काण्ड और चौकीदार का शिकायती पत्र

*३७--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक १०-४-७८ को मेडिकल कालेज, झांसी के चौकीदार का कोई शिकायती पत्र दिनांक ३ मार्च, १९७८ की आधी रात से लेकर सुबह तक मेडिकल कालेज, झांसी में घटित शर्मनाक काण्ड, जो न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी और कार्यालय, मलेरिया विभाग, झांसी के अधिकारियों से सम्बन्धित है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । जांचोपरान्त डा० सी० एस० रावत को दोषी पाया गया । उन्हें निलम्बित कर दिया गया और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जलकल विभाग, नगर महापालिका, लखनऊ के पाइप लाइन निरीक्षकों की अर्हता

*३८--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जल कल विभाग नगर महापालिका, लखनऊ में ऐसे कितने और कौन-कौन पाइप लाइन निरीक्षक इस समय कार्यरत हैं जो कि उस पद के लिये अनर्ह हैं परन्तु अर्ह पाइप लाइन निरीक्षक का लाभ ले रहे हैं ? यह लाभ किन कारणों से उनको दिया जा रहा है? इस प्रकार सरकारी धन के दुरुपयोग के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नगर महापालिका, लखनऊ के जल कल विभाग में इस समय निम्नलिखित पाइप लाइन निरीक्षक कार्यरत हैं जिनके पास भरती के समय डिप्लोमा तो था पर एक साल का अनुभव नहीं था ।

(१) श्री मुन्ना लाल ।

(२) श्री पुरुषोत्तम कुमार सक्सेना ।

(३) श्री प्रभात कुमार दास ।

(४) श्री हरिश्चन्द्र जायसवाल ।

(५) श्री राम चरन कनौजिया ।

(६) श्री सोहन लाल ।

(७) श्री मोहम्मद रजा आब्दी ।

(८) श्री रघुवीर सिंह चौधरी ।

(९) श्री गजाधर लाल ।

(१०) श्री सुधीर कुमार सक्सेना ।

(११) श्री दीपक सब्बरवाल ।

नियुक्ति के समय एक वर्ष का अनुभव रखने वाले पाइप लाइन निरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण जल कल विभाग जैसे आवश्यक सेवा वाले विभाग में जन हित में उन्हें नियुक्त किया गया । अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की नगरपालिकाओं के केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३९—श्रीमती रामरति देवी—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्वायत्त शासन विभाग के नगरपालिकाओं में कार्यरत केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारी, अधिकारी जो तीन या तीन से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं अभी तक नियमित एवं स्थायी नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र एवं ठोस कदम उठाएगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां ।

बरेली जिले की नगरपालिका, फरीदपुर में टोल टैक्स की चोरी

*४०—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) —

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली की नगर-पालिका, फरीदपुर के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं चुंगी करों की चोरी के विषय में कोई शिकायत माह जून, १९७८ में स्थानीय सदस्य विधान परिषद् द्वारा माननीय मंत्री जी को की गई थी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य पाये गये और दोषी अधिकारी को अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगरपालिका फरीदपुर के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध नहीं वरन् वहां टोल टैक्स की चोरी के विषय पर श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य विधान परिषद् का शिकायती-पत्र, दिनांक १३ जून, १९७८ प्राप्त हुआ था । जांच में टोल की वसूली में चोरी होने का तथ्य पाया गया था । सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रभारी अधिकारी को लिखा गया है ।

*४१—श्रीमती शारदा देवी तथा श्री राम सागर—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

*४२—श्री मंजूर अली खां—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

नगरपालिका हापुड़ के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४३—श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी), श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिका हापुड़ के वर्तमान प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता, पद का दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें इस वर्ष प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, शिकायतों के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से जांच आख्या मांगी गयी थी । उनकी आख्या प्राप्त हो गयी है जिसमें उन्होंने सभी शिकायतें निराधार बताई हैं ।

*४४—श्री राम प्यारे, श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री हरी सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिका हापुड़ के वर्तमान प्रभारी अधिकारी जब नगरपालिका खुर्जा में कार्यरत थे उस अवधि की उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता, पद का दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें वर्ष १९७७ तथा १९७८ में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी —

जी हां, शिकायतों के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर से जांच आख्या मांगी गयी है ।

लक्ष्मीपति सिंघानिया संस्थान, कार्डियालोजी, कानपुर के निदेशक के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*४५—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मीपति सिंघानिया संस्थान, कार्डियालोजी, कानपुर के निदेशक के विरुद्ध सतर्कता विभाग की खुली जांच चल रही थी ? यदि हां, तो क्या आरोप है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । सतर्कता विभाग की खुली जांच अभी जारी है, अतः उसके सम्बन्ध में कोई अन्य विवरण दिया जाना जनहित में नहीं होगा ।

फैजाबाद, नगरपालिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४६--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद नगरपालिका में अधिकारियों की साजिश और राजनैतिक दबाव के कारण की गयी भारी अनियमितता और घपले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक ११ सितम्बर, १९७८ का शिकायती-पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

टाउन एरिया, गोसाईगंज, जिला फैजाबाद में पुलिया निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४७ --श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज में एक पुलिया का फर्जी निर्माण दिखाकर और फर्जी वाउचर दाखिल करके सारा पैसा हड़प कर जाने के बारे में प्रश्नकर्त्ता का ११ सितम्बर, १९७८ का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच करके दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां ।

टाउन एरिया गोसाईगंज, जिला फैजाबाद में एक पुलिया का निर्माण २५० रुपये की लागत से बनवाने को स्वीकृत प्रभारी अधिकारी द्वारा दी गयी थी । इस पुलिया का निर्माण श्री सीता राम गुप्त, बख्शी की देख रेख में हुआ । निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया । इसके निर्माण पर कुल २६५.९० पैसे का व्यय हुआ । बख्शी के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही एवं धन की वापसी की व्यवस्था की जा रही है ।

मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की पदोन्नति की मांग

*४८--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रशिक्षित मेडिकल अटेन्डेन्ट्स १९७७ से फरमैसिस्ट व स्टाफ नर्सेज के रिक्त पदों पर कार्यरत है ? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति फरमैसिस्ट और स्टाफ नर्सेज के स्पष्ट पदों पर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

यह कहना सही नहीं है कि १९७७ से प्रशिक्षित मेडिकल अटेन्डेन्ट्स स्टाफ नर्सेज और फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों पर कार्यरत हैं बल्कि सही स्थिति यह है कि सितम्बर, १९६६ में शासन द्वारा १६१ मेडिकल अटेन्डेन्ट के पद राजकीय अस्पतालों

एवं डिस्पेन्सरियों के लिये सृजित किये गये थे साथ ही यह आदेश भी दिये गये थे कि इनन पद फार्मेसिस्ट एवं स्टाफ नर्सेज के उक्त अस्पतालों एवं डिस्पेन्सिरियों में खाली रखे जायेंगे । उक्त तीनों सवंगो की शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण में भिन्नता है । अतः मेडिकल अटेन्डेन्ट को स्टाफ नर्स या फार्मेसिस्ट के पद पर प्रोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आगरा जिले का टाउन एरिया एत्मादपुर व टूण्डला में गबन

*४९--श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद में दिनांक २८ अक्तूबर, १९७८ को अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) में टूण्डला टाउन एरिया व एत्मादपुर टाउन एरिया में हजारों रुपयों का गबन पकड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पाये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

आगरा जनपद की टूण्डला अथवा एत्मादपुर टाउन एरिया में दिनांक २८ अक्तूबर, १९७८ को अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) ने कोई गबन नहीं पकड़ा बल्कि दिनांक ९ अक्तूबर, १९७८ को अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) के निर्देशन में की गई जांच के फलस्वरूप टूण्डला नगर क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी (परगना-अधिकारी, एत्मादपुर) द्वारा रुपये ७,७४८.७२ का गबन पकड़ा गया । तत्पश्चात् दिनांक ११ अक्तूबर, १९७८ से १४ अक्तूबर, १९७८ तक प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप रुपये १३,३३८.८० का गबन पकड़ा गया अन्त में दिनांक ११ अक्तूबर, १९७८ को एत्मादपुर टाउन एरिया में ३,७१७ रु० का गबन प्रभारी अधिकारी द्वारा पकड़ा गया । इसके अतिरिक्त दिनांक ५ नवम्बर, १९७८ को प्रभारी अधिकारी द्वारा एत्मादपुर नगर क्षेत्र में ९,८३० रु० के गबन की एक रिपोर्ट पुलिस में अंकित कराई गई है । अन्त गबन नवम्बर, १९७६ में किया गया था तथा मई, १९७७ में धनराशि दाखिल की गई थी ।

इस सम्बन्ध में दोनों नगर क्षेत्रों के सचिवों तथा अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस म धारा ४०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट अंकित करा दी गई है तथा टाउन एरिया टूण्डला के सचिव श्री मानसिंह एवं एत्मादपुर के सचिव श्री सियाराम को निलम्बित कर दिया गया है । अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । प्रभारी अधिकारी के प्रयत्नों से गबन की सभी धनराशि जमा हो चुकी है ।

देवरिया, सदर अस्पताल में आटा, चावल आदि की आपूर्ति की जांच

*५०—श्री श्रीनारायण--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि देवरिया, सदर अस्पताल को ठेकेदार ३.५५ रुपये किलो चावल, १.७० रु० किलो आटा, १२.५० रु० किलो डालटा, १.९५ रु० किलो सब्जी, २६ रु० क्विंटल लकड़ी सप्लाई करता है जब कि ये सभी खुले बाजार में बढ़िया से बढ़िया काफी सस्ते दर पर उपलब्ध होती है और ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गयी सभी चीजें निश्चित रूप से घटिया होती है ? यदि हां, तो सरकारी धन के दुरुपयोग के विरुद्ध क्या सरकार सी० एम० ओ० देवरिया, के खिलाफ जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

माननीय सदस्य की सूचना को आधार मानकर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

नगरपालिका कांधला, मुजफ्फरनगर के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*५१--श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह जानकारी है कि कांधला, जिला मुजफ्फरनगर की नगरपालिका समिति की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है ? और ७-८ मास से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका है ? प्रश्नकर्त्ता विधायक ने १०-९-७८ को स्वायत्त शासन मंत्री को तथा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने राज्य सरकार को इस विषय में पत्र लिखे है ? यदि हां, तो पालिका की स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, । माननीय सदस्य महोदय ने नगरपालिका कांधला के कर्मचारियों के वेतन देने हेतु ४ लाख रु० ऋण देने की संस्तुति थी तथा जिला मै की जेस्टेट ने जलकर की वसूली पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटने तथा कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु २ लाख रु० ऋण देने का अनुरोध किया था ।

शासन ने पालिका की आर्थिक दशा सुधारने हेतु न केवल जलकर की वसूली पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है, बल्कि स्थानीय निकायों द्वारा नये कर लगाने तथा वर्तमान कर की दरों में वृद्धि पर लगे प्रतिबन्ध को भी उठा लिया है। जहां तक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिये ऋण देने का मामला है, शासन इस मामले में अभी विचार कर रहा है कि उक्त ऋण देना शासन के लिये सम्भव है अथवा नहीं ।

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का वेतन मान

*५२--श्री अजीत सिंह सेठी--

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद) के चिकित्सा अधिकारियों के समान वेतनमान श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को भी देने पर शासन ने निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो क्या अब समान वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद) के समान वेतन मान दिए जाने का मामला अभी शासन को विचाराधीन है ।

सुहावल पावर हाउस, फैजाबाद में कोयले की खपत एवं राख की बिक्री

*५३--श्री सुखपाल पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग, फैजाबाद सुहावल के पावर हाऊस में गत तीन वर्षों में कुल कितना टन कोयला खर्च किया गया तथा कितना जरती कोयला गत तीन वर्षों में बेचा गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई

गड़बड़ी करने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या छानबीन की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इस खंड के अन्तर्गत सोहावल पावर हाउस में वर्ष १९७५-७६, १९७६-७७ तथा वर्ष १९७७-७८ में क्रमशः ६२,४७६ मैट्रिक टन, ७३०७१ मैट्रिक टन वन एवं ५७,८१२ मीट्रिक टन कोयले की विद्युत् उत्पादन हेतु खपत हुई। इस तरह गत तीन वर्षों में कुल १,९३,३५९ मैट्रिक टन कोयले की खपत हुई।

विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित जरती कोयले (राख) का विक्रय किया गया।

वर्ष	राख की मात्रा	दर
१९७५-७६	६,०९,७४८ घनफीट	रु० ६१·२१ प्रति सैंकड़ा घनफीट
१९७६-७७	७,१९,४३४ घनफीट	रु० ६१·९७ प्रति सैंकड़ा घनफीट
१९७७-७८	७,१५,९८८ घनफीट	रु० ७५·७० प्रति सैंकड़ा घनफीट

जी नहीं, गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का दैनिक श्रेणी लिपिकों (हरिजन) के पदोन्नति सम्बन्ध में कथित पत्र

*५४--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, श्री जीवन सिंह का पत्र दिनांक १०-८-७७, जिसमें दैनिक श्रेणी लिपिकों, जो हरिजन जाति के हैं, की पदोन्नति करने का विवरण अंकित था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले के ग्राम गढ़ीकला के किसानों का विद्युत् कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

१--श्री राम सजीवन--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में ब्लाक मानिकपुर के गांव चरदहा के मजरा गढ़ीकलां के रामगऊ आदि छः किसानों ने पम्पिंग सेट लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र सन् १९७२ में दिये थे और उनमें से प्रत्येक किसान से सवा

तीन सौ रुपये जमा कराकर मोटर घर बनाने व मोटर खरीदने के आदेश विद्युत विभाग द्वारा दे दिये गये ? यदि हां, तो उनको विद्युत् कनेक्शन अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या अब किसानों को शीघ्र ही कनेक्शन देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७२ में बांदा जनपद में ब्लाक मानिकपुर के ग्राम गढ़ीकलां में सात किसानों ने नलकूप/पम्पिंग सेट हेतु बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे । इनमें से छः किसानों ने ५ हार्स पावर तथा एक किसान ने १० हार्स पावर का कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था । इन सातों किसानों को एक 'कलस्टर' में कनेक्शन देना सम्भव था जिसके अनुसार स्टीमेट बनाया गया और किसानों को पैसा जमा करके अनुबन्ध करने तथा वी० एन्ड एल० फार्म जमा करने हेतु सूचना दी गई । इनमें से छः किसानों ने फरवरी १९७३ में वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात् सभी औपचारिकतायें पूरी कर दी परन्तु एक ने वांछित धनराशि ही जमा नहीं की । चूंकि राज्य विद्युत् परिषद् के नियमानुसार "कलस्टर' के अन्तर्गत जब तक समस्त व्यक्त अपनी औपचारिकतायें पूरी नहीं कर लेते तब तक उनको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता, अतः इन छः किसानों को भी जिन्होंने, सभी औपचारिकायें पूरी कर ली थी, कनेक्शन नहीं दिया गया ।

श्री बुद्धिराज यादव, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोयलसा, आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र

२-- श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री बुद्धिराज यादव, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोयलसा, आजमगढ़ ने अपनी सीनियार्टी के आधार पर एल० टी० पोस्ट पर सेवा कार्य हेतु प्रार्थना-पत्र ३०-१२-७५ व २९-१०-७६ को निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ।

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ ने प्रश्नगत तिथियों को अपनी ज्येष्ठता के आधार पर एल० टी० के पद पर स्थायीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ।

श्री यादव पहले आजमगढ़ में चिकित्सा सवर्ग में एल० टी० के पद पर अस्थायी रूप से कार्यरत थे और तत्पश्चात् उनका स्थानांतरण स्वास्थ्य सर्वग में हुआ । वह इस समय स्वास्थ्य संर्वग में अस्थायी रूप से कार्यरत है । अतः मुख्य चिकित्सा-धिकारी आजमगढ़ द्वारा इनको सूचित किया जा चुका है कि चिकित्सा संवर्ग में उन्हें स्थाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठा ।

प्रदेश के शहरों व देहातों में विद्युत् की कटौती

३--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या विद्युत् मंत्री बतलायेंगे कि बिजली की सप्लाई में कटौती आजकल सितम्बर व अक्तूबर में प्रदेश के किन शहरों व किन देहातों में कितने-कितने

घंटे की जा रही है ? कृपया मंडलवार बतलाया जाये ? क्या इस कटौती की वजह जलाशयों में पानी न होना है या कोई और वजह है ? यदि वजह है, तो क्या ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माह सितम्बर, १९७८ में तथा १५ अक्तूबर, १९७८ तक प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पूर्व निर्धारित कटौती नहीं थी। फिर भी यदा-कदा प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था की स्थिरता बनाये रखने के लिये आकस्मिक कटौती की जाती रही है।

दिनांक १६-१०-७८ से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व कस्बों में, जिनकी आबादी १९७१ की जनगणना के अनुसार २५,००० या उससे कम है, में ६ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कटौती प्रस्तावित की गयी यह कटौती सम्पूर्ण प्रदेश को दो भागों में बांट कर संलग्न तालिका के अनुसार की गयी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आकस्मिक कटौती भी की गयी।

उपरोक्त कटौती की वजह जलाशयों में पानी न होना, नहीं है परन्तु प्रदेश में विद्युत् की मांग का उत्पादन से कही अधिक होना है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५१५ पर)

सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर द्वारा चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के लिये श्रमिकों की भर्ती

४-(-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में कोई ऐसा कार्यालय है जो यू० पी० सीमेंट कारपोरेशन की विभिन्न इकायों के लिए श्रमिकों की भर्ती करता है ? यदि हां, तो भर्ती का आधार क्या है एवं इस प्रकार भर्ती किये गये श्रमिकों की सेवा शर्तें क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां। गोरखपुर स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में एक अभिलेख कक्ष है, जो उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन की चुर्क स्थित सीमेन्ट फैक्टरी के लिये श्रमिकों को उपलब्ध कराता है। श्रमिकों की भर्ती के मुख्य आधार निम्न-लिखित हैं :--

(१) श्रमिक अट्ठारह से पच्चीस वर्ष की आयु के हों।

(२) वे पूर्णरूप से स्वस्थ हों ताकि खदानों में जाकर श्रमसाध्य कार्य करने में समर्थ हो सकें।

आरम्भ में भर्ती एक वर्ष के लिये की जाती है, जिसकी अवधि श्रमिक की इच्छानुसार उसके द्वारा अच्छा काम कर पाने पर बढ़ा दी जाती है। भोजन एवं आवास के अतिरिक्त वर्तमान में रुपये ९.२५ प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों को राष्ट्रीय त्योहारों पर पड़ने वाली छुट्टी के दिनों की मजदूरी दी जाती है तथा एक वर्ष के कार्यकाल में १४ दिनों का वैतनिक अवकाश देने की भी व्यवस्था है। श्रमिकों का मनोरंजन एवं उनकी चिकित्सा की सुविधायें भी उपलब्ध करायी गयी है।

५-६--श्री हिम्मत सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, श्री डी० पी० सिंह, विरुद्ध शिकायती-पत्र

७--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् (श्री डी० पी० सिंह) जनपद देवरिया के प्रति देवरिया के सदस्यों एवं जनता द्वारा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वर्ष १९७७-७८ में कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुयी हैं ? शिकायतें क्या हैं ? और सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर० के० दुबे, आबकारी निरीक्षक, रायबरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

८--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर आबकारी निरीक्षक, रायबरेली (श्री आर० के० दुबे) के विरुद्ध राम गोपाल अशोक कुमार ने माह मई/जून, १९७८ में हलफनामें के साथ शासन को आरोप-पत्र दिया था ? यदि हां, तो आरोप-पत्र क्या है और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

श्री आर० के० दुबे, शहर आबकारी निरीक्षक, रायबरेली के विरुद्ध राम गोपाल अशोक कुमार, ठेकेदार ने माह मई/जून, १९७८ में हलफनामें के साथ शासन को आरोप-पत्र नहीं दिया था । श्री राम गोपाल ने दिनांक ११ मई, १९७८ को एक शिकायती-पत्र शासन को दिया था । प्रतिलिपि संलग्न है । इन शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा करायी गई और शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५१६ पर) ।

बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने की मांग

९--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने का विषय शासन के विचाराधीन है ? शासन कब तक उक्त टाउन एरिया की घोषणा कर देगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । औपचारिकातायें पूरी की जा रही हैं और उनके पूरा होते ही टाउन एरिया के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

बस्ती जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालय खोलने की मांग

१०--श्री ओम प्रकाश --

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि बस्ती जिले में कितने तथा किन-किन विकास क्षेत्रों में पी० एच० सी० के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं है ? क्या सरकार उन विकास क्षेत्रों में जहां पी० एच० सी० के अतिरिक्त अन्य राजकीय चिकित्सालय नहीं है उन विकास क्षेत्रों में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

बस्ती जिले के निम्नलिखित १६ विकास क्षेत्रों में पी० एच० सी० के अतिरिक्त अन्य कोई राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं है :--

१--मखरिया ।
२--बनकटी ।
३--बहादुरपुर ।
४--कुटरहा ।
५--नाथनगर ।
६--हैसर बाजार ।
७--सेमरियावां ।
८--साथा ।
९--कप्तानगंज ।
१०--भानपुर ।
११--खुनियावां ।
१२--मिठवल ।
१३--खेसरहा ।
१४--जोगिया ।
१५--बढ़नी ।
१६--सनोचरा बाजार ।

प्रदेश में अन्य स्थानों पर नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्तावों के साथ विचार करने के उपरान्त उन विकास क्षेत्रों में जहां पी० एच० सी० के अतिरिक्त अन्य राजकीय चिकित्सालय नहीं है, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के विषय में निर्णय लिया जायगा ।

बस्ती जिले के बाजार चिलमा में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

११--श्री ओम प्रकाश--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि बस्ती जिले के कप्तान गंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत चिलमा बाजार में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश में अन्य स्थानों पर नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्तावों के साथ विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जायगा ।

दी बुन्देलखण्ड साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन ऐण्ड राइस मिल के श्रमिकों का प्रार्थना-पत्र

१२--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में स्थित दी बुन्देलखंड साल्वेंट एक्ट्रैक्शन ऐन्ड राइसमिल के श्रमिकों के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र दिनांक १७ मई, १९७८ को भेजा हुआ उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

माननीय सदस्य का कोई पत्र दिनांक १७ मई, १९७८ प्राप्त नहीं हुआ । माननीय सदस्य का एक पत्र, जिस पर दिनांक २५ अप्रल, १९७८ अंकित है, दी बुन्देलखंड साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन ऐण्ड राइस मिल के श्रमिकों के पत्र दिनांक २३ अप्रैल, १९७८ के साथ दिनांक १७ मई, १९७८ को प्राप्त हुआ था, जिसे तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रमायुक्त को भेज दिया गया था । पक्षों के मध्य समझौता कराने हेतु श्रम विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है । अन्ततोगत्वा सेवा-योजकों द्वारा कारखाना चालू करने एवं निकाले गये श्रमिकों को काम पर ले लेने सम्बन्धी आश्वासन दिये जाने के फलस्वरूप २५ अक्तूबर, १९७८ से श्रमिक अनशन समाप्त हो गया है ।

फैजाबाद जिले में नरेन्द्रालय बनाने की मांग

१३--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर में (आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम से) नरेन्द्रालय बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आजमगढ़ जिले का डाक्टर व भवन विहीन कुशलगांव का चिकित्सालय

१४--श्री दया राम भास्कर--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत चल रहे कुशल गांव प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र पर न दो वर्ष से डाक्टर हैं न दवा ही है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक २७ मार्च, १९७८ को अपने पत्र संख्या १५१ एम, मार्च १९७८ को स्वास्थ्य मन्त्री को आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और जनता को राहत पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय कुशल गांव पर नवम्बर, १९७६ से डाक्टर कार्यरत नहीं है। डाक्टर के अभाव में उक्त चिकित्सालय में फार्मेसिस्ट कार्य देख रहा है।

२--बजट एलाटमेंट के अनुसार उक्त चिकित्सालय में यथासम्भव दवायें उपलब्ध करा दी गई हैं।

३--प्रश्नकर्ता का सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

१५--श्री दयाराम भास्कर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक ६ सितम्बर, १९७८, पत्रांक संख्या ७८ व ८८ द्वारा स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा उनको आजमगढ़ अन्तर्गत कुशलगांव में चिकित्सालय खोलने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

माननीय सदस्य के दिनांक ६ सितम्बर, १९७८ के दो पत्र संख्या ८७ तथा १०५ प्राप्त हुए थे, जिनमें कुशल गांव में पहले से ही कायरत चिकित्सालय के भवन के निमार्ण को मांग की गई थी किन्तु धनाभाव के कारण सम्प्रति भवन निर्माण करना सम्भव नहीं है ?

आजमगढ़ जिले के मार्टीनगंज व शिसवारा में चिकित्सालय की स्थापना की मांग

१६--श्री दयाराम भास्कर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा ६ अप्रैल, १९७८ को जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मार्टीनगंज में पुरुष एवं महिला चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कर्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। प्रदेश में अन्य स्थानों पर नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्तावों के साथ विचार करने के उपरान्त निर्णय किया जायेगा।

१७--श्री दयाराम भास्कर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ ब्लाक मार्टीनगंज, ग्राम शिसवारा में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक ८ अप्रैल, १९७८ को आवेदन-पत्र दिया था, जिसके उत्तर में बताया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीन चिकित्सालय खोलने पर विचार करना सम्भव होगा ? यदि हां, तो इस वर्ष सम्भव हो सकेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। प्रदेश में अन्य स्थानों पर नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्तावों के साथ विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

बांदा जिले की नगरपालिका अतर्रा के अधिशासी अधिकारी व परगनाधिकारी नरैनी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१८--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जिले की नगरपालिका अतर्रा के अधिशासी अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा एवं तत्कालीन नरैनी परगनाधिकारी के विरुद्ध नगर-पालिका में अनियमितता होने आदि के सम्बन्ध में श्री गिरीशकुमार चौरिहा (तत्का-लीन सदस्य नगरपालिका) ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को २५-६-७६ द्वारा लिखित कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो पत्र में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण क्या है और सरकार ने एस पर क्या कार्यवाही किया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जो हां, शिकायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में उल्लिखित है। इन पर जांच की जा रहीं है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५१७ पर)

गोरखपुर जिले के कस्बा बांसगाव का जला हुआ ट्रांसफार्मर

१९--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव कस्बे का ट्रांसफार्मर अगस्त-सितम्बर, ७८ में जल गया ? क्या इसके जलने में स्थानीय विद्युत् उपकेन्द्र कर्मचारियों की लापरवाही की भी शिकायत मिली है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा का सार्वजनिक टेलीफोन

२०--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा स्थित सरोजनी नायडू अस्पताल में गरीबों की सुविधा हेतु किसी सार्वजनिक फोन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

इस अस्पताल के आकस्मिक विभाग में एक सार्वजनिक फोन की व्यवस्था है ।

२१--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों के विद्युतीकरण की मांग एवं बिजली के बिल जमा किये जाने की सुविधा

२२--श्री मित्रसेन--

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के अमानीगंज विकास क्षेत्र के अतिरिक्त और किन-किन विकास क्षेत्रों में आर० ई० सी० विद्युतीकरण स्कीम नहीं लागू की गई है? क्या आर० ई० सी० विद्युतीकरण स्कीम लागू करने का कोई विभागीय मापदंड है? यदि हां, तो वह क्या है? इन विकास क्षेत्रों में उक्त स्कीम लागू न होने का कारण क्या है? तथा क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए क्षेत्र विकास स्तर पर कोई व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को देखते हुए ग्रामीण किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिये क्षेत्र विकास स्तर पर बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था का क्या सरकार कोई आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

फैजाबाद जनपद के अमानीगंज विकास क्षेत्र के अतिरिक्त सोहावल, मसौधा, बीझी पुर, तारून, रामनगर तथा जहांगीरगंज विकास क्षेत्रों में भी आर० ई० सी० स्कीम नहीं लागू की गई है।

जी हां।

आर० ई० सी० विद्युतीकरण स्कीमों को लागू करने का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित मापदंड निम्न प्रकार है :--

स्कीम का वर्गीकरण	न्यूनतम 'नेट रिटर्न'
ओ० ए० (O A)	५वें वर्ष के अन्त में (—) २% ७वें वर्ष के अन्त में शून्य १५वें वर्ष के अन्त में (+) ३ १/२%
ओ० बी० (O B)	५वें वर्ष के अन्त में (—) ३ १/२% १०वें वर्ष के अन्त में शून्य २०वें वर्ष के अन्त में (+) ३ १/२%

इन विकास क्षेत्रों में आर० ई० सी० विद्युतीकरण स्कीम लागू न होने का मुख्य कारण सामान्य कार्यक्रम के लिये वित्तीय संसाधन का सीमित होना है।

जी हां, ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने सभी ब्लाक मुख्यालयों पर हर माह की कुछ पूर्व सूचित तिथियां, जो देय तिथि के आधार पर निश्चित होती हैं, पर बिजली के बिलों के भुगतान लेने के आदेश दे रखे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद की नगरपालिका अकबरपुर के अनुसूचित जाति के मोहल्लों का विद्युतीकरण

२३—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के नगरपालिका अकबरपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कितने मुहल्लों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितने मुहल्ले विद्युतीकरण करने शेष हैं और इनका विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनपद फैजाबाद के नगरपालिका अकबरपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के २ मोहल्लों (उसरहवा तथा सहोटिया) का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

पांच (५) (मीरानपुर, मुरादाबाद, जौहरडीह, गदायां तथा मोहसिनपुर मन्सुरपुर) मोहल्लों का विद्युतीकरण करना शेष है ।

नगरपालिका अकबरपुर द्वारा आवेदन पत्र एवं विद्युतीकरण व्यय-धनराशि परिषद् में जमा करने पर इन पांच (५) मुहल्लों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा । अब तक नगरपालिका ने इनमें से केवल मीरानपुर तथा मुरादाबाद के विद्युतीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं परन्तु वांछित व्यय धनराशि परिषद् में जमा नहीं की है ।

जल निगम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२४—श्री राम संजीवन—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम में दशम खंड गोरखपुर के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अनेक शिकायती पत्र पूर्ण विवरण सहित अगस्त, १९७६ से अब तक शासन के सम्बन्धित मंत्रियों एवं विभाग तथा जल निगम मुख्यालय लखनऊ को प्राप्त हुए हैं जिनमें उपरोक्त अभियन्ता द्वारा किये गये फर्जी कामों, लेखा एवं वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ टेक्निकल गम्भीर अनियमितताओं का बाहुल्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासकीय आदेश संख्या २२/४/७१-नियुक्ति (ख) दिनांक २-७-७१ के अनुसार उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता का अविलम्ब गोरखपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण करके प्राविधिक मामलों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा तथा अन्य मामलों की सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा शासन के सतर्कता अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या २८०२/उन्तालीस (२)-१०(१३७)-७३ दिनांक २२ नवम्बर, १९७३ में निहित अनुदेशों के अनुसार निष्पक्ष तथा भली भांति जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रश्न का प्रथम भाग

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

दशम शाखा गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं और इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों में वर्णित प्राविधिक एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में विभागीय जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न का तृतीय भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली कर्मचारियों के लिये गठित वेतन समिति की रिपोर्ट

२५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण के लिये गठित वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वेतन समिति को ३१-१०-७८ के पहले अपनी रिपोर्ट देना था परन्तु श्रमिक प्रतिनिधियों ने समिति से १६-८-७८ से त्याग पत्र दे दिया था और चूंकि आपसी समझौता नहीं हो सका था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने दिनांक १-४-७४ से कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के एक तरफ आदेश २८-१०-७८ को जारी कर दिया ।

२६-२७--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

झांसी नगर की सीवर योजना

२८--श्रीमती सुर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर की सीवर योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

सहायक नगर अधिकारी, नगरमहापालिका व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका का चयन

२९--श्रीमती सूर्य मुखी शर्मा श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका के सहायक नगर अधिकारी एवं प्रथम श्रेणी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों की सूची वर्ष १९७७-७८ में लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक शासन द्वारा कर दी जावेगी ? उनकी नियुक्ति अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्तियां शीघ्र ही कर दी जायेंगी । नियुक्ति के पूर्व की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न हो पाने के कारण नियुक्तियां अब तक नहीं की जा सकीं ।

देवरिया जिले के विद्युत् विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र एवं स्थानान्तरण की मांग

३०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के विद्युत् मंत्री को ३१ जुलाई, १९७७ के जनपद देवरिया के दौरे के दौरान पडरौना में जनप्रतिनिधियों ने जनपद के विद्युत् विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध अनेक गम्भीर आरोप-पत्र प्रस्तुत किए ? यदि हां, तो उक्त आरोप-पत्रों पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

३१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि विद्युत् मंत्री द्वारा ३१ जुलाई, १९७७ को पडरौना में जनसमूह के समक्ष ३ वर्ष से अधिक समय से जनपद में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तत्काल स्थानान्तरण हेतु दिए गए आश्वासन की पूर्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इस समय जनपद देवरिया में कोई भी अधिकारी केवल एक सहायक अभियन्ता श्री डी० एन० पांडे को छोड़कर ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है । श्री पांडे के तीन वर्ष १४ नवम्बर, १९७८ को पूरे हुए हैं । इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आगामी स्थानान्तरण सत्र (१९७९) में स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

३२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[६ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३३—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बाराबंकी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर द्वारा ग्राम शाहपुर के श्री विनय कुमार सिंह से ली गयी कथित धनराशि

३४—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ९-१०-७५ को बाराबंकी जनपद के तत्कालीन मेडिकल आफीसर ने तत्कालीन प्रधान मंत्री प्रतिरक्षा कोष के निमित्त मु० ५०१ रु० ग्राम व पोस्ट शाहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के निवासी श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह से वसूल कर सम्बन्धित कोष में जमा किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक ९-१०-७५ को बाराबंकी जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के किसी भी डाक्टर द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री के प्रतिरक्षा कोष के निमित्त ५०१ रु० ग्राम शाहपुर तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी निवासी श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह से प्राप्त किए जाने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः कथित धनराशि को जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या एवं कुष्ठ रोग पर व्यय की गई धनराशि

३५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने कुष्ठ रोगी हैं तथा सरकार कुष्ठ रोगों के नियंत्रण हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

उत्तर प्रदेश में इस समय अनुमानतः तीन लाख पचास हजार कुष्ठ रोगी हैं। कुष्ठ रोग के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु निम्नलिखित सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं।

१--कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	२७
२--सर्वे एजूकेशनल एन्ड ट्रीटमेन्ट सेन्टर्स	८३८
३--शहरी कुष्ठ केन्द्र	५०
४--रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट	६
५--बीस शैयायुक्त स्थायी वार्ड	१५

प्रदेश के सभी जनपदों में कुष्ठ रोग की रोकथाम तथा रोगियों की चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

३६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि कुष्ठ रोग की समाप्ति हेतु तथा कुष्ठ रोगियों के चिकित्सा उपचार हेतु वर्ष १९७७ में प्रदेश सरकार ने कुल व्यय कितना किया तथा उसमें केन्द्रीय सरकार का कितना योगदान था ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७७-७८ में कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं उपचार हेतु कुल व्यय १०९.७८३ लाख हुआ है जो निम्न प्रकार से :--

१--प्रदेश सरकार द्वारा ३९.०५० लाख।

२--भारत सरकार द्वारा ७०.७३३ लाख।

३७--श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों का स्थानान्तरण

३८--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, १९७८ से १५ सितम्बर, १९७८ तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए थे उनमें से कितने संशोधित किए गए और कितने निरस्त किए गए हैं ? स्थानान्तरण सम्बन्धी पूर्व घोषित नीति में इस प्रकार की उदारता का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेरठ मेडिकल कालेज में जेनरेटर लगाए जाने की मांग

३९--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में जेनरेटरों की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो मेरठ के सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार शीघ्र ही मेरठ के सरकारी अस्पतालों में जेनरेटरों की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । प्रदेश के केवल कतिपय सरकारी अस्पतालों में जेनरेटरों की व्यवस्था की गई है । मेरठ मेडिकल कालेज में डीजल जनरेटर की पूर्ति एवं स्थापना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

नगरपालिका, उझानी में अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

४०--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उझानी नगर पालिका में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९७८ मास में कोई शिकायती-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं । परन्तु माननीय सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक रहित माननीय राज्य मंत्री स्वायत्त शासन के कार्यालय में दिनांक ३-११-७८ को प्राप्त हुआ जिसमें उझानी नगर के मुहल्ला गद्दी टोला के नाले तथा छेदालाल मौर्य मार्ग का निर्माण कराए जाने का उल्लेख है । नाले के निर्माण हेतु नगरपालिका उझानी द्वारा १८-१२-७८ तक निविदाएं आमन्त्रित की गई थी परन्तु उक्त अवधि में नियमानुसार निर्धारित संख्या में निविदाएं प्राप्त न होने पर पुनः निविदाएं मांगे जाने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है । छेदालाल मौर्य मार्ग का निर्माण नगरपालिका उझानी द्वारा प्रारम्भ कराया गया था किन्तु एक ठेकेदार द्वारा मुन्सिफ न्यायालय, बदायूं से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण निर्माण कार्य रुक गया था । दिनांक २३-१२-७९ को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कर दिया है अतः अब कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

हरदोई जिले के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

४१--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में कितने ऐसे नव निर्मित राजकीय नलकूल है, जिन्हें कि अभी तक विद्युत् कनेक्शन नहीं प्रदान किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

तेरह (१३)।

इन १३ नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सामान जिसमें मुख्यतः कन्डक्टर हैं, का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा उपलब्ध होने पर इन नलकूपों को यथाशीघ्र बिजली देने का प्रयत्न किया जायगा।

बाराबंकी जिले के बदो सराय में अस्पताल खोलने की मांग

४२--श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड रामनगर, जनपद बाराबंकी के ग्राम बदो सराय में ७-८ वर्ष पूर्व शासन द्वारा एक सरकारी अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो कृपया किन कारणों से अभी तक वहां अस्पताल नहीं खोला जा सका ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, बांदा द्वारा कराया गया छपायी का कार्य

४३--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७५-७६, ७६-७७ व अगस्त, १९७८ तक नगरपालिका, बांदा में छपाई का कार्य किन-किन प्रसों से कराया गया और कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवधि में छपाई का काय जिस प्रेस को दिया गया था वह शासन के छपाई मैनुअल १२ के अन्तर्गत नहीं था ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है।

श्री गणेश दत्त वाजपेयी--

सूचना संलग्न सूची में दी है।

जी हां।

सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायगी।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १५१९ पर)।

४४--श्री राम सजीवन--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

४५--श्री हुक्म चन्द तिवारी--

[४थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाने वाले कढ़ाई व कटाई मजदूरों का वेतन दर

४६—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी कढ़ाई और जुड़ाई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के माध्यम से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार चूड़ी कढ़ाई श्रमिक और जुड़ाई श्रमिक को तत्काल न्यूनतम वेतनमान की दरों पर भुगतान करावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्राप्त सूचना के अनुसार फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाने के नियोजन में सेवायोजित कटाई श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान नहीं हो रहा है। वास्तव में वर्तमान में इस श्रेणी के श्रमिकों की प्रचलित दरें शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक हैं।

जुड़ाई श्रमिकों के लिये शासन द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दर नहीं निर्धारित की गई हैं। किन्तु दिनांक ३१ जुलाई, १९७८ को उनके और प्रबन्धकों के बीच हुये समझौते के अनुसार उन्हें भुगतान किया जा रहा है।

४७—श्री मंगल राम प्रेमी—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

४८—श्री गजाधर प्रसाद—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

४९—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले की नगर क्षेत्र समिति, बढ़नी, शोहरतगढ़ व तेतरी बाजार का सड़क अनुदान

५०—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती नव सृजित नगर क्षेत्र समिति, बढ़नी, शोहरतगढ़, तेतरी बाजार को शासन द्वारा साधारण सड़क अनुदान निर्माण कार्य के लिये जो वर्ष १९७८-७९ में दिया गया है वह धनराशि उपरोक्त टाउन फण्डों में आज तक आहरण नहीं किया गया है, आहरण न करने के कारण क्या हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

वर्ष १९७८-७९ में नगर क्षेत्र समिति शोहरतगढ़, तेतरी बाजार व बढ़नी को क्रमशः १०,००० रु० प्रत्येक को साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था किन्तु अभी तक इस स्वीकृत धनराशि का आहरण नहीं किया गया है, क्योंकि नगर क्षेत्र समिति, शोहरतगढ़ का कार्यालय, बख्शी के फरार होने के कारण बन्द पड़ा था और नगर क्षेत्र समिति बढ़नी और तेतरी बाजार के नवसृजित होने के कारण परसनल लेजर एकाउन्ट अभी नहीं खुल सका है। इसका आहरण शीघ्रातिशीघ्र कराया जायगा।

५१—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित]

हरदोई जिले के गांवों व हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

५२—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जून, ७७ के बाद से अब तक हरदोई जनपद के कितने गांवों तथा कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जून, १९७७ के बाद से अब तक हरदोई जनपद के तेरह (१३) गांव तथा उन्नीस (१९) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

एक्सरे विभाग, बस्ती में एक्सरे-फीस

५३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्सरे विभाग, बस्ती में एक्सरे फीस कितनी निर्धारित है ? क्या यह सही है कि एक्सरे फीस निर्धारित रेट से अधिक ली जाती है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

एक्सरे विभाग, बस्ती में प्रदेश के सभी अस्पतालों के समान निम्नलिखित फीस निर्धारित है :—

(१)	सीना	१६ रुपए
(२)	पेट	१६ रुपए
(३)	गुर्दा	१६ रुपए
(४)	पित्ताशय	१६ रुपए
(५)	अन्य अंग (प्रत्येक का)	१२ रुपए
(६)	स्क्रीनिंग	७.५० रुपए
(७)	नाक	३.०० रुपए
(८)	दांत	३.०० रुपए
(९)	डायथर्मी	३.०० रुपए
(१०)	इनफ्रारेड	३.०० रुपए
(११)	अल्ट्रावायलेट	३.०० रुपए
(१२)	ई० सी० जी० (बिना रिपोर्ट)	३२.०० रुपए
(१३)	ई० सी० जी० (रिपोर्ट सहित)	४८.०० रुपए

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जिले के पडरौना में अधिशासी अभियन्ता विद्युत् का कार्यालय खोले जाने की मांग

५४—श्री श्री नारायण—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के उत्तरांचल में पडरौना नगर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत् का कार्यालय खुलने की स्वीकृति सरकार ने दी है ? यदि हां, तो कार्यालय खोलने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं । विचाराधीन है ।

बदायूं जिले के नलकूपों को विद्युत् कनेक्शन दिये जाने की मांग

५५—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अक्तूबर, १९७८ तक बदायूं जनपद में कितने ऐसे नलकूप बनकर तैय्यार खड़े हैं जो एल० तार एवं अन्य सामान की कमी के कारण चालू नहीं हो पा रहे हैं ? शासन उनको कब तक चालू कराने का प्रबन्ध कर रहा है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

१५ अक्टूबर, १९७८ तक बदायूं जनपद में दो सौ चार (२०४) निजी नलकूप तथा बीस(२०) राजकीय नलकूपों का आवश्यक स्टोर सामग्री उपलब्ध न होने के कारण ऊर्जन नहीं किया जा सका ।

इन नलकूपों को कनेक्शन देने हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा प्रयास किये जा रहे हैं कि इनका ऊर्जन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर दिया जाये ।

देवरिया जिले के ग्राम खड्डा की पेयजल योजना

५६—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता, दशम शाखा, उ० प्र० जल निगम, गोरखपुर ने अपने पत्रांक २११८/ग्रामीण ज० स० २८५, दिनांक २ सितम्बर, ७७ द्वारा प्रश्नकर्त्ता को देवरिया जिले में खड्डा ग्राम समूह पेयजल योजना में १८ ग्रामों में २७.१७ लाख की पेयजल योजना के संबंध में जो सूचना दी थी, उस योजना के कार्यान्वयन में सरकार के सामने कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ? उसकी पूर्ति कब तक होगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं है ।

योजना का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि मार्च १९८० तक पूर्ण हो सकेगी ।

देवरिया जिले की राजा बाजार खड्डा व लक्ष्मीगंज को टाउन एरिया बनाने की मांग

५७--श्री श्रीनारायण--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में राजा बाजार खड्डा और लक्ष्मीगंज दो उप नगरों को टाउन एरिया घोषित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

देवरिया जिले में राजा बाजार, खड्डा, लक्ष्मीगंज तथा खड्डी को मिलाकर टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव फरवरी/मार्च, १९७८ में प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी की आख्या तथा संस्तुति के अनुसार प्रस्तावित टाउन एरिया का सृजन उचित नहीं था। उनसे पुनः कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से विचार करके शासन को सूचित करें कि प्रश्नगत टाउन एरिया का सृजन किन कारणों से नहीं किया जा सकता है ? अतः इस प्रश्न पर अभी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

देवरिया जिले के विकास खण्ड विशुनपुर के गांवों में कतिपय रोगों का प्रभाव

५८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला देवरिया की पडरौना तहसील के विशुनपुरा विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम चैती मुसहरी, माधो, कोठिलवा, कंठी छपरा, जटहा-अरनहवां, चिरहहवा, किन्नरपट्टी, बबुइया हरपुर, परगन छपरा, जढ़ार, घुरछपरा, बलकुडिया, परवनहां, पकहा, बाबूराम बेलवा, सिसवा गोइती, पिपरा जवाहिर, बधपरना, भुई सोहरा, माधोपुर, गोपही आदि गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का कोई सरकारी प्रबन्ध नहीं है ? क्या यह सही है कि वहां हजारों व्यक्ति फाइलेरिया, मलेरिया, पाण्डु, रक्तल्पता, पेचिस आदि रोगों से ग्रस्त हो गये है ? यदि हां, तो क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत विकास खण्ड के ग्रामों में अन्य विकास खण्डों के ग्रामों की भांति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का प्रबन्ध है। इन ग्रामों में प्रश्नगत रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिनांक १ जनवरी से ३० नवम्बर, १९७८ तक के प्राप्त आंकड़ों का विवरण निम्नवत है :—

ग्राम	फाइलेरिया	मलेरिया	पाण्डु	रक्तल्पता	पेचिस	योग
१--चैती मुसहरी	३	७	..	४	४२	५६
२--माधोकोठिलवा	२	७	..	५	१०	२४
३--कंठी छपरा	..	५	..	१६	२६	४७
४--जटहा	३५	३५	..	१५	४५	१३०
५--अरनहवां	..	३	..	८	९	२०

ग्राम	फाइलेरिया	मलेरिया	पान्डु	रक्ताल्पता	पेचिस	योग
६—चिरहहवा	..	७	..	७	११	२५
७—किन्नरपट्टी	५	१०	..	७	१९	४१
८—बबुहया हरपुर	२४	१०	..	१५	४५	९४
९—परगन छपरा	३	२	..	२०	३९	६४
१०—जढ़ार	..	१३	..	३	२६	४२
११—घुर छपरा	१५	५	..	२१	२२	६३
१२—बलकुडिया	१०	..	..	६	५	२१
१३—परवनहां	..	६	..	१४	१४	३४
१४—पकहा	..	५	..	११	२	४२
१५—बाबूराम बलवा	५	१	..	७	२३	५६
१६—सिसवा गोइती	११	६	..	४१	७७	१३५
१७—पिपरा जवाहिर	..	२	..	२०	५७	७९
१८—बधपरना	२	..	..	१७	४४	६३
१९—भुईसोहरा	..	१	..	९		
२०—माधोपुर	१	..	..	१९	२२	४२
२१—गोपही	..	..	..	७	६	१३

प्रश्नगत रोगों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों तथा दोनों चिकित्साधिकारियों द्वारा क्लोरोक्वीन टेबलेट, प्राइमाक्वीन टेबलेट, डाईथाईल-कार्बामीन टेबलेट, आइरन टेबलेट, सल्फागोनाडीन टेबलेट, डाईहाइड्रोआक्सीक्वीलीन टेबलेट तथा विटामिन बी टेबलेट का वितरण किया गया है ।

उक्त रोगों से ग्रसित व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है ।

५९—६०—श्री राम सजीवन—

[७-१२-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २-३ द्वारा उत्तरित]

विभिन्न एलोपैथिक चिकित्सालयों को दी गयी औषधियों की धनराशि

६१—श्री शिव प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितनी धनराशि की दवायें उप निदेशक (ड्रग), लखनऊ द्वारा या लखनऊ मुख्यालय द्वारा सप्लाई की गयी हैं और कितनी धनराशि की दवाइयां मुख्य चिकित्साधिकारियों, चिकित्सालय अधीक्षकों द्वारा क्रय की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के केन्द्रीय औषधि भंडार, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक चिकित्सालयों को वर्ष १९७७-७८ तथा वर्ष १९७८-७९ में निम्नलिखित धनराशि की औषधियां सप्लाई की गई :--

	वर्ष १९७७-७८	वर्ष १९७८-७९
	रु०	रु०
१--केन्द्रीय औषधि भंडार द्वारा सीधे	१,०१,६४,४१९·३३	१,२३,५६,५५४·०५
२--विभिन्न फर्मों के पूर्ति आदेश के माध्यम से	४,६२,३२,६२०·५३	२,०६,०६,०८२·१९

मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा चिकित्साअधीक्षकों द्वारा उक्त वर्षों में क्रय की गई औषधियों की बाबत सूचना अभी तक ४८ स्थानों से प्राप्त हो सकी है जो कि निम्न प्रकार है :--

वर्ष १९७७-७८	वर्ष १९७८-७९
रु०	रु०
२,३०,२५,४७४·९०	१,२७,००,५९९·०३

शेष स्थानों से सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

बस्ती नगरपालिका में तारकोल की खरीद में घोटाले के विरुद्ध शिकायती-पत्र

६२--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती नगरपालिका द्वारा जाली फार्म के माध्यम से ८४,००० रुपये के तारकोल के नकद भुगतान करने सम्बन्धी घोटाले के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मन्त्री को जनवरी, १९७७ से मार्च, सन् १९७८ तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जनवरी, १९७७ से मार्च, १९७८ तक की अवधि में स्वायत्त शासन मंत्री को इस प्रकार का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इस अवधि में प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, बस्ती को एक हस्ताक्षर एवं बिनांक रहित शिकायती-पत्र

३१-१२-७७ को प्राप्त हुआ था, जिसमें तारकोल के घोटाले के संबंध में भी शिकायत थी। इस शिकायती-पत्र पर प्रारम्भिक जांच करने पर अनियमितताएं की गई प्रतीत होती हैं, जिन पर अग्रिम कार्यवाही अभी विचाराधीन है।

उप आयुक्त आबकारी कार्यालय, आगरा के हेडक्लर्क, श्री डी० पी० सिंह का स्थानान्तरण

६३--श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह सही है कि आगरा में उप आयुक्त, आबकारी कार्यालय में १४ वर्षों से कार्यरत हेडक्लर्क (श्री डी० पी० सिंह) का स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर दिनांक २० जुलाई, १९७८ को आगरे से गाजियाबाद (मोहन नगर) हो गया था ? यदि हां, तो उनका दिनांक ८ अगस्त को पुनः आगरा स्थानान्तरण कर दिया गया है और क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह सही है कि उप आबकारी आयुक्त, आगरा के कार्यालय में कार्यरत हेडक्लर्क (श्री डी० पी० सिंह) का स्थानान्तरण आगरा से गाजियाबाद (मोहन-नगर) २०-७-७८ को किया गया था किन्तु यह सही नहीं है कि वह उक्त कार्यालय में ४ वर्ष से कार्यरत थे या उनका स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर किया गया था।

उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये दिनांक ८ अगस्त, १९७८ को उनको पुनः आगरा स्थानान्तरण कर दिया गया था।

मुरादाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों के सम्बन्धियों द्वारा दिया गया कोटेशन

६४--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर-पालिका में किन-किन कर्मचारियों ने अपने या अपने भाई के नाम से कोटेशन देकर सप्लाई का कार्य सन् १९६७ से १९७८ तक किया है ? इन लोगों ने कुल कितने रुपये का कार्य किया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नगरपालिका, मुरादाबाद के विभागीय लेखाकार (स्वा०) श्री एन० के० भाटिया के छोटे भाई श्री मदन कुमार भाटिया ने मेसर्स भाटिया प्रिन्टिंग प्रेस, मुरादाबाद के नाम से नगरपालिका मुरादाबाद एवं वाटर वर्क्स, मुरादाबाद को कोटेशन देकर, दिनांक ८-७-६८ से २५-१०-७८ की अवधि में क्रमशः रुपये १४,१४१·०४ एवं रुपये ४,७२१·३२ की स्टेशनरी, रजिस्टर एवं छपाई के कार्य की आपूर्ति की है। उनके अतिरिक्त पालिका के पम्प मैकेनिक श्री मोहम्मद हलीम के लड़के मोहम्मद नाजिम उर्फ अलीम ने मेसर्स अलीम इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से तथा उनके भतीजे श्री अजीम ने अजीम इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से वाटर वर्क्स मुरादाबाद में कोटेशन देकर, दिनांक ३०-३-७७ से २९-२-७८ की अवधि में मशीनों के पुर्जों की आपूर्ति एवं मरम्मत के कार्य में कुल १,९४९ रु० प्राप्त किया।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं डाक्टरों का स्थानान्तरण

६५--श्री विद्याशंकर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों, नर्सों का स्थानान्तरण किया गया ? इस स्थानान्तरण की प्रक्रिया में सरकार का कुल कितना धन लगा ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७८ में १ जनवरी से ३१ अक्तूबर तक स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कारणों से संलग्न*तालिकाओं में दी गयी संख्या में स्थानान्तरण किये गये ।

अभी समस्त यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि स्थानान्तरण की प्रक्रिया में सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ।

*(देखिये नत्थी 'ऊ' आगे पृष्ठ १५२० पर)

आबकारी आयुक्त इलाहाबाद एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के निरीक्षकों का टी० ए० बिल

६६--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कितने अधिकारियों एवं निरीक्षकों का टी० ए० बिल बिना भुगतान के माह सितम्बर, १९७८ तक कितने-कितने दिनों से पड़ा हुआ है और कुल कितने रुपये का है और भुगतान न होने का क्या कारण है ? सरकार सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टी० ए० बिलों का भुगतान करने के बारे में सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

आबकारी आयुक्त इलाहाबाद एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं निरीक्षकों के क्रमशः २२८ तथा २२४१ टी० ए० बिल माह सितम्बर, १९७८ तक बिना भुगतान के काफी दिनों से पड़े हुये हैं और इन सभी बिलों की धनराशि ३,७६,१९९·६३ रु० है । इन बिलों का भुगतान, इस मद हेतु आय-व्ययक में किये गये वार्षिक वित्तीय प्राविधान के कम पड़ जाने के कारण, नहीं किया जा सका है । सभी बकाया टी० ए० बिलों के भुगतान के संबंध में शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक अनुदान द्वारा किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

आबकारी निरीक्षक संघ की मांगें

६७--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ ने २४ फरवरी, १९७८ को कोई मांग-पत्र आबकारी मन्त्री जी को दिया था ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र में क्या-क्या मांगे थीं, उनमें से कितनी मांगों की पूर्ति की गई और कितनी मांगे अवशेष हैं ? जो मांगे अवशेष हैं उन्हें सरकार कब तक पूरा करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ २४-२-७८ ने एक मांग पत्र आबकारी मन्त्री जी को दिया था। उक्त मांग पत्र में जो मांगे थी वह कुल ९ थी। इनकी सूची संलग्न हैं। उपर्युक्त सूची में मांग संख्या-१ पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता चूंकि शासन द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त का पद अभी तक सृजित नहीं किया गया है। मांग सं०-६ जो पारितोषिक दिए जाने के विषय पर है की पूरी किए जाने की दिशा में आबकारी ऐक्ट में संशोधन करके अपराधी से वसूल अर्थदन्ड में से पारितोषिक देने की व्यवस्था कर दी गई है। शेष मांगों के सम्बन्ध म भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १५२२ पर)

वाराणसी एवं गाजीपुर की पेयजल योजनाओं के निर्माण में कथित घोटाला

६८--श्री उदय नारायण सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी और गाजीपुर जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण में जल निगम द्वारा फर्जी मस्टर-रोल द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का घोटाला किया जा रहा है ? क्या मन्त्री जी वर्ष १९७७-७८ और १९७८-७९ के मस्टर-रोल की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेई--

वाराणसी और गाजीपुर जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण में जल निगम द्वारा फर्जी मस्टर रोल द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का कोई घोटाला नहीं किया गया है।

वर्ष १९७७-७८ तथा १९७८-७९ में उपरोक्त जनपदों के विभिन्न शाखाओं द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का आडिट महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ की आंतरिक संपरीक्षा द्वारा किया जा चुका है। किन्तु किसी भी मामले में मस्टर रोल के बारे में आपत्ति नहीं की गई है।

कानपुर की टैनरियों के कर्मचारियों का स्थाईकरण

६९--श्री ऊदल --

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के सभी टेनरी में कार्य करने वाले मजदूरों को आज तक स्थाई नहीं किया गया है और उन्हे महंगाई और तनख्वाह भी कम दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और अलग-अलग टेनरी कारखानों में कितने मजदूर कार्य करते हैं उनमें कितने स्थाई तथा अस्थाई है ? क्या सरकार लेदर वेज बोर्ड बैठाने पर विचार कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह कहना सही नहीं है कि कानपुर की सभी टैनरियों में कार्य करने वाले मजदूरों को स्थायी नहीं किया गया है। लगभग ६०% श्रमिकों को हर टेनरी में

(श्री रमा शंकर कौशिक)

स्थाई घोषित कर दिया है । इन श्रमिकों को निर्धारित से कम वेतन तथा महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है । कानपुर में स्थित कारखाना कानून, १९४८ के अन्तर्गत पंजीकृत टेनरियों में कार्यरत स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारियों की संख्या संलग्न तालिका में दर्शाई गई है । लेबर वेज बोर्ड बैठाने पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १५२३ पर)

७०—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

सीतापुर जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

७१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन कौन-कौन विकास खन्डों को लिया जाना विचाराधीन है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सीतापुर जिले के लिए दो नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण लेने हेतु भेजी गई थी जिनमें विकास खन्ड खैराबाद, परसेन्ड, लहरपुर तथा हरगांव सम्मिलित किए गए थे । विकास खण्ड खैराबाद व परसेन्डी से सम्बन्धित योजना निगम द्वारा स्वीकृत कर दी गई है तथा विकास खण्ड लहरपुर व हरगांव से सम्बन्धित योजना अभी निगम के विचाराधीन है ।

अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी फैजाबाद का विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में पत्र

७२—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी, फैजाबाद का पत्र संख्या अ-३३५-७८ (विविध), दिनांक २२ अगस्त, १९७८ अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परिषद, फैजाबाद को मिला ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां ।

अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक २२-८-७८ में केदारनगर गांव में पंखा व बत्ती तथा औद्योगिक कनेक्शन दिए जाने तथा श्री रहमत अली निवासी जौनपुर व श्री रामस्वरूप वर्मा निवासी कटेरिया को निजी नलकूप के कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में लिखा ।

केदारनगर गांव में पंखा व बत्ती के कनेक्शन के लिए ६ व्यक्तियों ने माह जून १९७८ में अनुबन्ध कर लिए थे जिनको माह अक्तूबर, १९७८ में कनेक्शन दे दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त ६ अन्य व्यक्तियों ने औद्योगिक कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे । इनके विद्युत भार सक्षम समिति द्वारा माह दिसम्बर, १९७८ में स्वीकृत कर दिए गए हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों को स्वीकृति की सूचना दे दी गई है तथा इनके द्वारा औपचारिकतायें पूरी कर दिए जाने पर यथाशीघ्र कनेक्शन दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी । श्री रामस्वरूप वर्मा निवासी

कटेरिया तथा श्री रहमत अली निवासी जैनापुर ने निजी नलकूप के लिए माह जुलाई, १९७८ में अनुबन्ध किए थे तथा इनकी प्राथमिकता संख्या क्रमशः ३१ व ३७ थी। माह नवम्बर, १९७८ के अन्त तक प्राथमिकता संख्या २८ तक के कनेक्शन दिए गए हैं। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को कनेक्शन देने हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री कनेक्शन स्थल पर पहुंचा दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। आशा है कि इनको माह जनवरी, १९७९ के अन्त तक दे दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

७३—श्री मन्जूर अहमद—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, मुजफ्फरनगर (श्री राजेन्द्र सिंह) के विरुद्ध जनवरी १९७३ से १९७७ तक शासन को कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त हुई तथा उन पर कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्री राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, मुजफ्फरनगर में केवल मई १९७५ से १९७७ तक तैनात थे। इस बीच उनके विरुद्ध कुल १६ (सोलह) शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से दो शिकायतें जांच में निस्सार पाई गई एवं वे प्रकरण समाप्त कर दिए गए। एक के विषय में श्री सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही दी जाएगी। अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में विद्युत वितरण खंड, द्वितीय, मुजफ्फरनगर का विशेष सम्प्रेक्षा प्रारम्भ कर दिया गया है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो अनियमितायें प्रकाश में आयेंगी, उनके अनुसार श्री सिंह के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल श्री राजेन्द्र सिंह का मुजफ्फरनगर से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अलीगढ़ जिले के सिकन्दराराऊ व अतरौला का विद्युत वितरण उप खण्ड

७४—श्री नेम सिंह चौहान—

क्या विद्युत मन्त्री को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ जनपद अलीगढ़ को अब हाथरस सब-डिवीजन में शामिल किया गया है ? जिससे सिकन्दरा राऊ क्षेत्र के नागरिकों को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या तीसरा सब-डिवीजन अलीगढ़ में ही खोलने की कृपा करेंगे जहां अतरौली व सिकन्दरा राऊ के विद्युत उपभोक्ता सुविधापूर्वक पहुंच सके ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सिकन्दरा राऊ व अतरौली दोनों जगह पर राज्य विद्युत परिषद के एक-एक वितरण उप खंड (Electricity Distribution Sub Division) कार्यरत हैं। अतः सिकन्दरा राऊ व अतरौली के विद्युत उपभोक्ताओं को घोर असुविधा का सामना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

सिकन्दरा राऊ व अतरौली के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए अलीगढ़ में भी किसी तीसरे सब डिवीजन के खोलने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की क्षतिग्रस्त इकाई

७५--श्री नेम सिंह चौहान--

क्या सरकार को जानकारी है कि हरदुआगंज प्रोजेक्ट फाउन्डेशन तैयार है और बी० एच० ई० एल० अभी तक अक्तूबर, १९७८ तक कन्डेंसर ट्यूब आदि सप्लाई नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या वह कार्य निर्धारित अवधि ३७ सप्ताह के अन्दर पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

यदि यह प्रश्न हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की ६० मेगावाट की क्षतिग्रस्त इकाई से सम्बन्धित है तो उत्तर निम्न है :--

इस इकाई की फाउन्डेशन का निरीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जा चुका है और उनके द्वारा निर्देशित सुझावों के अनुसार फाउन्डेशन का कार्य नवम्बर, ७८ में पूरा हो चुका है। मेसर्स बी० एच० ई० एल० को नए उपकरणों के लिए कह दिया गया है और उन्होंने जनरेटर रोटर को सप्लाई भी कर दिया है बाकी उपकरणों के विषय में जिनमें कन्डेंसर ट्यूब भी शामिल है फर्म से बराबर कोशिश की जा रही है कि वे जल्द से जल्द उनको भी सप्लाई पूरी कर।

यह आशा की जाती है कि मेसर्स बी० एच० ई० एल० से सब उपकरण उपलब्ध हो जाने पर इकाई के इरेक्शन का कार्य (erection) ३७ सप्ताह के अन्दर पूरा हो जाएगा।

कांग्रेस (आई०) के सदस्यों को जेल में सुविधाएं न मिलने पर आपत्ति तथा सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु जेल से बुलाए जाने की मांग

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, पार्लियामेन्ट में जो आदमी गिरफ्तार होते हैं, उन्हें सदन में उपस्थित होने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, तो यहां भी जो जेल में हैं, उनको भी यदि वही सुविधा दी जाती और वह सदन की कार्यवाही में भाग लेते, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आप दें, कोई परम्परा डाल तो बड़ा अच्छा हो सकता है।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, आपको तो कांग्रेस सरकार से भी बढ़कर सुविधा मिली है और क्या चाहिए कि जनता पार्टी के शासन में औरतों तक को पुरुषों के साथ रखा जा रहा है ? इससे ज्यादा वह क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी आपको इस पर क्या कहना है ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अभी देवबहादुर जी ने एक प्रश्न उठाया। आप अध्यक्ष हैं और सदन की परम्परा है कि विरोधी दल और उसका नेता यहां रहे। यह तो विरोध दल को पसन्द नहीं करते हैं। नहीं आ रहे हैं तो आपको चाहिए था कि सद

की कार्यवाही बिना विरोधी दल के नेता के नहीं चलेगी । यह परम्परा के विपरीत हुआ । जनता पार्टी की नियत इसलिए भी खराब है कि ६ तारीख को नोटिफिकेशन हो रहा है, स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं । इनकी मंशा यह है कि सारे विरोधी दल के लोग जेल में ही रहें और वे चुनाव में भाग न लेने पावे । नेता विरोधी दल के बिना यह सदन कैसे चल रहा है, यह आपका उत्तरदायित्व है । यह यहां भी परम्परा चल चुकी है । दूसरी बात यह है कि ये विरोधी दल को पूरी तरह से दबा कर रखना चाहते हैं । ये लोकतन्त्र की दुहाई तो बहुत देते हैं, हो सकता है कि लोकतन्त्र इनकी जेब में रखा हो । हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर छापा मारा गया और यह हमारे लोगों को जानबूझ कर हाईजेकिंग वाले षड़यंत्र में शामिल करना चाहते हैं । हमारे एकाउन्टेंट तिवारी जी १० दिन से गायब हैं. . . (व्यवधान) आप मेरी बात पूरी सुन लें, इनका पूरा षड़यन्त्र है इस मामले में, कांग्रेस (आई०) को घसीटा जा रहा है. . . (व्यवधान) माननीय सदस्यों पर क्रिमिनल केसेज लगाए जा रहे हैं, जिससे स्वायत्तशासी चुनाव टाले जा सकें या विरोधी दल के बिना उसको करा लें । तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि आपको हमारे अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए । जिस तरह का अमानुषिक व्यवहार हमारे साथ जेलों में हो रहा है . . . (व्यवधान) (श्री शतरुद्र प्रकाश तथा कई सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे) श्रीमन्, इतना ही नहीं विरोधी दल के नेता, श्री नारायण दत्त तिवारी को १० दिन से सी क्लास का खाना दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । विधायकों को या जो पहले मन्त्री रह चुके हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से उच्च श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और यदि उनको उच्च श्रेणी में नहीं रखा गया है तो यह बड़ी भारी भूल की गई है ।

मैं सरकार से चाहता हूं कि जितने भी विधायक हैं, तुरन्त आदेश दिया जाय कि उनको उच्च श्रेणी में रखा जाय । माननीय शिक्षा मंत्री ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने शिक्षा मंत्री को बुलाया है । आप बैठिए ।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)--

माननीय अध्यक्ष जी, यहां दो बातें उठायी गयी हैं । एक तो श्रीमन्, आपने आदेश दिया कि इस समय जो वर्तमान विधायक हैं या भूतपूर्व मंत्री हैं उनको जेल में उच्च श्रेणी में रखा जाये, सरकार का इस तरह का आदेश है । यदि कोई ही न चाहे तो जबरदस्ती उसे वहां नहीं रखा जा सकता । पहली बात यह है रहना दूसरी बात यह है, जो लोग विरोधी दल के जेलों में बन्द हैं उन्हें सदन में आने की अनुमति प्रदान की जाय, उन्हे बुलाया जाय । ऐसा लगता है कि वे बहुत जल्द ही वह बोते हुए दिन भूल गये इमर्जेंसी के समय, आपको भी पता है, सारे देश को और सारी दुनिया को पता है, सारे विरोधी दल के लोगों को जबरदस्ती बिना किसी अपराध के. . . .

श्री गुलाब सेहरा--

आप तो लोकतन्त्र के हामी हैं। आप तो कहते हैं कि हमने लोकतन्त्र स्थापित किया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री कालीचरण---

श्रीमन्, सब को जेलों में बन्द करके इतना ही नहीं, भारतीय संविधान, जिसकी पवित्रता पर इस देश को गर्व है उसको पूरा-पूरा नष्टभ्रष्ट करने की कोशिश की गयी। आज यह लोग कानून को अपने हाथ में ... (व्यवधान तथा शोर)

श्री गुलाब सेहरा--

यही बात आपकी निगाह में लाना चाहता हूं। यह जनता पार्टी के लोग बदले की भावना से पूरे विरोधी दल को निकाल देना चाहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देना चाहते हैं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्रीमन्, मने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मान्यवर, जैसा कि माननीय देवबहादुर जी ने एक प्रश्न उठाया मेरा कहना यह है कि यह प्रश्न अध्यक्ष के अधिकार और शक्ति से सम्बन्धित है इसमें सरकार को कहीं भी शामिल होना या उसको शरीक करना नहीं है। यह ठीक है कि इंदिरा जी की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं। माननीय सेहरा जी की बात से मतभेद है लेकिन संसदीय लोकतंत्र को चलाने के लिए आपको रक्षा करनी पड़ेगी। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी में हमको जेलों में बन्द कर दिया, हम अपेक्षा करते थे कि विधान सभा के अध्यक्ष हमारी शक्तियों और अधिकारों की रक्षा करेंगे। मान्यवर, यह निवेदन आप से है। संसदीय लोकतन्त्र को जिन्दा रखने का सवाल है। अगर इंदिरा गांधी ने, तिवारी जी ने गलती की है तो शाह कमीशन की रिपोर्ट पर जेल भेजें। लेकिन संसद में लोक सभा में यह विधान सभा में अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे जिन्दा रहेगा? उनकी बात से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन आप कहने का अवसर देंगे आपके अधिकार के अन्तर्गत है। राज नारायण जी को राज्यसभा के अध्यक्ष ने बुलाया, नागपुर के संसद सदस्य को संसद में भेजा गया, मजिस्ट्रेट के कहने पर नगरपालिका और विधायिका अगर सरकार के इशारे पर चलने लगेगी तब लोकतन्त्र नहीं चल सकता है। आप बड़े हैं। आपके अधिकार सरकार से ज्यादा हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस सरकार की राय हो या न हो, जो एक विधायक के अधिकार हैं, उनकी रक्षा आपको करनी चाहिये और यह दर्श होगा हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और दुनियां में १९७८ में विधान सभा के अध्यक्ष ने सारे के सारे विरोधी दल के नेताओं को जो जेल में बन्द हैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सदन में बुलाया, भले ही वह जेल में रहें, उसकी सजा शासन देगा। लेकिन आप इसमें बिना किसी देरी के बिना किसी शक के बुलवायें आज जो बहस होने वाली है तो हम चाहते हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी के काले कारनामों को सुनें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

इसी पर मान्यवर, कहना चाहता हूं जो लोग जेलों में हैं उनको बुला लिया जाय और दूसरे उस पर अत्याचारों की बात हो रही है। जिस उज्जवल मुख से यह बात रखी गयी उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। मान्यवर, याद होगा कि अनेक विधायक मीसा के अन्दर बन्द थे। जो उप नियम (४) हैं उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि आपसे संपर्क रखने की सुविधा विधायक को दी जायगी, उनको सुपीरियर क्लास दी जायगी लेकिन इसके बाद भी यह सब नहीं किया गया। अध्यक्ष से पत्र व्यवहार करने की भी सुविधा नहीं दी गयी। मैं विधायक उस समय नहीं था लेकिन जो मालूम हुआ वह यह कि आपसे पत्र व्यवहार करने की भी सुविधा विधायक को नहीं दी गयी। आज इनमें संसदीय प्रणाली और प्रजातंत्र के प्रति मोह पैदा हो गया है।

जो यहां बुलाने की बात है तो जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है और जो भारतीय संविधान के अन्तर्गत दिया हुआ है उसके अनुसार चलेगा। उसमें सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर यह है कि हम कब गिरफ्तार किये जायेंगे या नहीं। यह सदन चलते हुये यदि कोई सदस्य क्रिमिनल आफेन्स करेगा तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर कोई धारा १४४ तोड़ता है, अगर उसके ऊपर १८८ लागू होता है तो क्या विधायक के विशेषाधिकार के कारण वह गिरफ्तार नहीं किया जायगा। वह जेल गये क्योंकि उन्होंने संविधान और सी० आर० पी० सी० के नियमों का उल्लंघन किया। शासन का रवैया, जहां तक मैं समझता हूं, उनके अधिकार के परिपालन में बाधक नहीं है। किसने न्योता दिया था उनको जेल जाने का।

मुझे मान्यवर, इधर से भी शिकायत है। जिस समय मुख्य मंत्री जी का बयान पढ़ा तो उस बयान में स्पष्ट था कि श्रीमती गांधी की कांग्रेस के लोग हमारे प्रदेश में हिंसा भड़का कर जनतंत्र के लिए एक खतरा पैदा करना चाहते हैं। शासन ने यह जानते हुए भी ढिलाई बरती जिसकी वजह से आज देश में उपद्रव हो रहे हैं और सुनियोजित उपद्रव किये जा रहे हैं। हमारे जो अधिकारी हैं उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिये।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर आप व्यवस्था दें इसके पहले एक जानकारी चाहता हूं। जो जेल के नियम हैं और कानून हैं उनमें स्पष्ट प्राविधान है कि यदि संसद या विधान मंडल के सदस्यगण संसद या विधान सभा में आना चाहते हैं कोई प्रश्न पूंछना चाहते हैं या नियम ५१ या ५६ के अन्तर्गत कोई विषय उठाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा के किसी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में आपसे कोई निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष--

जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो....।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

निवेदन किया या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते नहीं हैं और इस तरह अशोभनीय व्यवहार करते हैं । यहां व्यवस्था का प्रश्न शतरूद्र जी ने उठाया। उस पर निर्णय देने के पहले यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो दूसरों को सुन सकते हैं । इसी लिए मैंने उनसे कहा । (श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा कुछ और सदस्यों के खड़े होने पर) इस पर सब लोग राय देना चाहेंगे । लेकिन इस पर अधिक विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है । इसमें समय अधिक नहीं लगना चाहिए। नेगी जी, संक्षेप में आप कहें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैंने गोविन्द सिंह नेगी को बुला लिया है ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं तो शतरुद्र प्रकाश जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत गम्भीर प्रश्न आपके सामने रखा है । चूंकि इन्होंने मीसा के अन्दर बन्द कर दिया था लिहाजा वह भी वैसी ही हरकत करें यह दलील नहीं है । उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वह मिल गयी है इसके अलावा शाह कमीशन बैठाया है । सप्लीमेंटरी बजट आ रहा है । पूरा विरोधी दल गायब है । दूसरे हमारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने आ रहा है । मैं चाहता था कि इस प्रस्ताव के बारे में नेता विरोधी दल अपनी बात रखें ।

मान्यवर, यह परम्परा राज्य सभा में हुई है । इस सदन में भी रही है जब माननीय राज नारायण जी जेल में बन्द थे वह जेल से इस सदन में बुलाये गये और चर्चा में हिस्सा लिया । राज्य सभा में एक माननीय सदस्य पटना से आये या बंगलौर से आये, पूना से तिहाड़ जेल में आये और वहां से पुलिस की कस्टडी में राज्य सभा में आये और उनको चर्चा में हिस्सा लेने दिया गया । यह स्वस्थ परम्परा है । माननीय शिक्षा मंत्री को इतनी असहिष्णुता नहीं होनी चाहिये कि विरोधी पक्ष अपना बचाव करता है तो उनको क्या आपत्ति होना चाहिये । यह व्यवस्था आपको करनी है । सरकार को नहीं करनी है आपको व्यवस्था करना है ।

श्री मान सिंह आजाद--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो श्रीमान सिंह ने कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या नेता विरोधी दल को किसी नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया या किसी अपराध के अन्तर्गत जेल भेजा गया है या किसी क्रिमिनल आफेन्स के अन्तर्गत वह गिरफ्तार किए गये हैं और उनके दूसरे सदस्य भी गिरफ्तार किये गये हैं । इस सदन का कोई सदस्य जिसके बिना किसी अपराध के जेल के अन्दर बन्द कर दिया गया हो तो यह समझा जायेगा कि उस सदस्य को या किसी नेता को या किसी दल के नेता को सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए या उससे वंचित करने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लिए ऐसा किया गया है और तब उसको इस सदन में लाया जा सकता है लेकिन अगर श्रीमन् कोई सदस्य किसी क्रिमिनल अफेन्स में बन्द होता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई ३०२ में या ३९५ में जेल जाता है तो क्या किसी सदस्य को इस सदन में आने के लिए इस आधार पर अनुमति दी जायेगी कि वह माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं ?

दूसरा सवाल यह है कि क्या माननीय सदस्य जो जेल में बन्द हैं उनको जमानत पर आने का रास्ता बन्द हो चुका है ? यह भी एक सवाल है कि अगर वह आना चाहते हैं तो कृपाकर जमानत दे दें या मुचलिका दे दें, जैसे कैदी छूटते हैं चले आवें क्या दिक्कत है । इस दलील का यह मतलब नहीं है कि एक तरफ तो नाम अहिंसा का हो और दूसरी ओर हिंसात्मक उपद्रव किये जायेंगे । हवाई जहाज का अपहरण किया जायगा और दूसरी ओर आपको, अधिकारों के उपयोग करने की बात कही जाएगी । मान्यवर, यह ऐसी परम्परा होगी कि इससे क्रिमिनल मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा । अतः मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपा करके इस आजादी के अधिकार के नाम पर क्रिमिनल शक्तियों को किसी भी प्रकार बढ़ावा देने का कष्ट न करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठिए । मैंने अनुमति नहीं दी है । मैंने इस सम्बन्ध में ५-६ आदमियों को सुन लिया है । अब मैं निर्णय दूंगा । इस पर कोई विवाद नहीं होगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, यह विषय बड़ा ही गम्भीर है । अगर आप हम लोगों को सुन लें तो आपको निर्णय करने में सहायता मिलेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर पुनः कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब इस विषय पर कोई विवाद नहीं होगा । कृपया आप लोग बैठिये ।

यह जो प्रश्न माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने उठाया है, जहां तक प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है अध्यक्ष द्वारा स्वतः किसी भी व्यक्ति को, जो विचाराधीन है या अन्डर ट्रायल है या कंविक्ट है, जिस समय सत्र हो रहा है स्वयं उनको बुलाने का अभी तक कोई प्रिसीडेन्ट नहीं है । जैसा अभी माननीय राजेन्द्र जी ने कहा एमरजेन्सी के दौरान में जितने नेता विरोधी दल के थे सभी बन्द थे लेकिन यह अवश्य है कि अन्डर ट्रायल हैं, जैसा मालवीय जी ने प्रश्न किया, क्या कोई ऐसी प्रार्थना किसी माननीय सदस्य से ऐसे प्राप्त हुयी है कि उनको सदन में लाने की अनुमति दी जाय । माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे पास एक पत्र भेजा अपने वैयक्तिक सचिव को अपने पास बुलाने के लिए और वह सुविधा मैंने उनको दे दी । अगर कोई अन्डर ट्रायल हो जो कि किसी क्रिमिनल अफेन्स में अभियुक्त हो जो अनैतिकता से सम्बन्ध रखता हो, अगर मेरे पास उनकी ऐसी प्रार्थना आयेगी.... (व्यवधान) आपको मालूम होना चाहिये कि राज्य सभा में कुमारी सरोज खापरडे ने प्रार्थना की थी और उनको बुलाया गया । लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदालत

[श्री अध्यक्ष--]

से दंडित किया गया है तो उनको बुलाने का अधिकार नहीं है। इस सिलसिले में सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि बिहार में भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था तो वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा कि नेता विरोधी दल और सभी विधायकों को छोड़ने का निर्णय कर दिया जायगा यदि आन्दोलन बन्द कर दिया जाय। तो मैं भी सरकार को परामर्श दूंगा कि यदि वे आन्दोलन समाप्त कर दें तो जितने विधायक हैं या विरोधी दल के नेता हैं, उन सबको छोड़ने पर विचार करें।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमने जनतंत्र की स्थापना की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। इस समय एक नया इतिहास विधान सभा में हो रहा है। आपके माध्यम से सरकार से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक अच्छा काम करें। यह तो बदले की भावना हुई।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद नहीं होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने पर)

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा औचित्य का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया था . . .।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अब इनका कुछ लिखा नहीं जायेगा। इस समय कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

एक सदस्य--

मेरी बात सुन लीजिये।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, एक जानकारी यह मिली है कि उत्तर प्रदेश की सरकार समस्त कमाल टाउन्स में पुलिस कमिश्नरों की नियुक्ति करने जा रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस समय यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है। आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं (श्री श्याम सुन्दर गुप्त के बोलते रहने पर) यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप बैठिय।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आपने कोई प्रश्न मुझे पहले से लिख कर नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप नया प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायगा, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री दीप नरायन (जिला गोन्डा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय उप नेता, यदि इस प्रकार अवज्ञा होगी तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

आप लोग बैठिये। जो भी बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा। आप लोग बैठिये।

इस समय एजेन्डे की कोई भी मद सामने नहीं है, इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। (व्यवधान)

श्री दीप नरायन--

आप तो नाराज रहते हैं, लगता है।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

हम तो अव्यवस्था पर ही बोलना चाहते हैं। हमें तो समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दीप नरायन--

आज से, मैंने सुना है कि विधान सभा स्थगित होने जा रही है जब कि ३० तारीख तक का समय निश्चित है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री दीप नरायन--

राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है।

श्री अध्यक्ष--

श्री दीप नारायण पांडेय, आप बार-बार खड़े होते हैं। कल भी मैंने कहा था कि कम से कम एजेंडा पढ़ने की कोशिश कीजिये। अगर एजेंडा पढ़ने की कोशिश करें तो इस प्रकार का वितंडावाद और इस प्रकार का अनावश्यक व्यवधान न हो।

श्री दीप नरायन--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

इसमें लिखा है यदि कोई घोषणा हो, जब इसका विषय आये, आज कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश सामने आयेगी और जब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करें तब आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन मुझे दुख है। रोज की आदत बन गयी है जहां प्रश्नों का समय समाप्त हुआ बिना अधिकार के आप ऐसे प्रश्न करने लगते हैं। इसी तरह से कल आप नियम ५१ पर कर रहे थे। यह तरीका गलत है। आपको थोड़ा एजेन्डा पढ़ना चाहिये।

(शोर)

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मान्यवर, इसी अव्यवस्था पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मानसिंह आजाद--

राम नरेश जी ने लिख दिया है कि गवर्नर शासन कर दिया जाय और चौधरी चरण सिंह इन्दिरा जी से मिल रहे हैं, राम नरेश जी ने लिख दिया है कि गवर्नर शासन हो।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अगर बोलने की चेष्टा करेंगे तो मैं आपको सदन से बाहर कर दूंगा। आप चुप बैठिये।

श्री राम रतन सिंह--

मान्यवर, अभी आपने एक व्यवस्था दी ।

माननीय मंत्री जी ने इमरजेंसी की याद दिलायी । मैं समझता हूं कि मंत्री जी विद्वान हैं ।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह किस धारा के अन्तर्गत भाषण करवा रहे हैं ।

(शोर)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री राम रतन सिंह--

कोई भी जनता पार्टी का सदस्य इस बात की जानकारी कर सकता है । सीतापुर की जानकारी कर लें । जो स्थिति सीतापुर जेल की है और जो हम पर गुजरी है । मुझे मैदान में बैठे रहना पड़ा । कम्बल नहीं दिया । पेड़ के नीचे बैठा रहा ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य--

अध्यक्ष जी, क्या ऐसे ही सदन चलाइयेगा ?

श्री राम रतन सिंह--

बहुमत के बल पर हमारा मुंह बन्द कर देना चाहते हैं ।

(शोर)

एक सदस्य--

मान्यवर, इनका दल प्रदेश में अव्यवस्था और गुंडागर्दी कर रहा है ।

(शोर)

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, आप लोग बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया था इसलिये मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है । इसलिये आप बैठ जायं ।

(श्री रेवती रमण रस्तोगी के खड़े होने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) --

मान्यवर, हमको नहीं बोलने दिया गया, हम भी नहीं बोलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों ने अपनी-अपनी बातें कह दिया इसलिये अब हमारे सामने कोई विषय नहीं है । अतः आप लोग कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । मैंने श्री रस्तोगी जी को बुला लिया है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

हमको नहीं सुना जायेगा तो हम नहीं बैठेंगे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

विरोध पक्ष के लोग नहीं बैठ रहे हैं । इसलिये मैं सदन को आध घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय १२ बजकर ३८ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तथा १ बजकर ८ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

कानपुर जूट उद्योग में बिजली की कमी के कारण बन्दी से श्रमिकों के समक्ष कठिनाइयां तथा उनकी मांगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन एवं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर जूट उद्योग २१ सितम्बर, १९७८ से उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् द्वारा भुगतान न प्राप्त होने से बिजली के अभाव में बन्द हो गया था । इसी बीच प्रतिष्ठान के सेवायोजकों ने मिल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्लोजर की अनुमति प्राप्ति हेतु प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है । प्रबन्धकों ने ३१ दिसम्बर, १९७८ से मिल हमेशा के लिए बन्द करने की नोटिस भी लगा दी है । १५०० श्रमिक अपने लगभग ६००० आश्रितों के साथ तीन मास से बेरोजगारी एवं भुखमरी के शिकार हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानपुर जूट उद्योग "संयुक्त मोर्चा" जो शान्तिपूर्ण आन्दोलन चला रहा है उनकी यह मांगें हैं ।

१—कानपुर जूट उद्योग को अविलम्ब चालू कर बेरोजगारी एवं भुखमरी समाप्त की जाय ।

२—मालिकों की मजदूर विरोधी नीतियां जैसे—बैठकी, छटनी आदि को प्रभावी ढंग से रोका जाय ।

३—दिनांक २१-९-७८ से चल रहे श्रमिकों के ले-आफ को अवैध कर दिया जाय एवं उसका पूरा वेतन दिलाया जाय ।

४—भ्रष्ट अधिकारियों को उद्योग से तुरन्त हटा कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय ।

५—कानपुर जूट उद्योग का अधिग्रहण किया जाय ।

मान्यवर, उपरोक्त मांगों को ध्यान में रख कर माननीय श्रम मंत्री एवं माननीय उद्योग मंत्री को संयुक्त रूप से अविलम्ब उचित कदम उठाना चाहिए । जिससे श्रमिक एवं मजदूरों को अपने परिवारों सहित, जिनकी संख्या लगभग ७५०० है, को गरीबी एवं भुखमरी से बचाया जा सके, अन्यथा भूखा, नंगा, खाली पेट भयानक संघर्ष को जन्म देगा । असन्तोष, अशान्ति उग्र आक्रोश का रुख धारण कर आन्दोलनात्मक हो उठेगा ।

अतः मान्यवर आपके माध्यम से पुनः माननीय श्रम मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब दृढ़ कदम उठाकर समस्या का समुचित समाधान करें । नारायण, नारायण ।

प्रदेश के प्राथमिक हेल्थ वर्कर्स का आन्दोलन तथा उनकी मांगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) -

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान प्रदेश के प्राथमिक हेल्थ वर्कर्स के आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश के प्राथमिक हेल्थ वर्कर विगत २५ दिनों से संघर्ष के पथ पर हैं । उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू किया है और अब आमरण अनशन भी आरम्भ कर दिये हैं । शीघ्र ही प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू करने का भी फैसला किये हैं तथा इस हड़ताल में इन्हें राज्य कर्मचारियों का समर्थन भी प्राप्त होगा ।

इनकी मांगें समान कार्य के लिए समान वेतन, पदोन्नति, स्थायीकरण, भ्रमण भत्ता आदि से सम्बन्धित है ।

अनुरोध है कि सरकार शीघ्र उचित निर्णय ले कर इन के संघर्ष को समाप्त करेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाहाबाद, जिला कचहरी स्थित अभिलेखागार में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से अपने लोक महत्व के प्रश्न की सूचना माननीय सदन को देना चाहता हूं ।

कल २७-१२-७८ को दिन में लगभग पौने १२ बजे इलाहाबाद जिला कचहरी स्थित अभिलेखागार में भीषण अग्निकान्ड हो गया । दिन में जब कि सभी कार्यालय खुले थे, सम्पूर्ण कचहरी कैम्पस में चहलपहल थी । सहसा रेवेन्यू रेकार्ड कार्यालय में अग्नि की ज्वाला दिखलाई पड़ी । नागरिक अग्नि शामक कर्मचारी, सेना तथा वायु सेना के कर्मचारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और ६ घन्टे तक अग्नि की ज्वाला से जूझते रहे । किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड रूम पूरी तरह जल कर खाक हो गया । कचहरी की दीवाल में दरार पड़ गई । ज्ञातव्य है कि ६ माह पूर्व भी इलाहाबाद कचहरी में ऐसी ही आग लगी थी जिससे बहुत से रेकार्ड जल गए थे । हमारी शासन से मांग है कि इस अग्निकान्ड की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाए और सम्बन्धित अधिकारी दन्डित हो एवं माननीय राजस्व मन्त्री कितनी सामग्री और रेकार्ड खत्म हुए उस पर शीघ्र सदन में वक्तव्य दें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर एक वक्तव्य भी आप दिला दें, तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और चिन्ता का विषय है । इस पर सदन में सरकार की ओर से एक वक्तव्य कल. . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, यह दूसरी घटना है । ६ महीने पहले भी इलाहाबाद कचहरी में आग लगी थी ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें वक्तव्य कल को. . .

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप जरा सुन लें. . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

नियम ५१ में भी यह. . .

श्री ऊदल--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि ६ महीने पहले भी सिविल का सारा रिकार्ड जल गया । शायद इलाहाबाद में अब रेवेन्यू का रिकार्ड अब जल गया है । तो लगता है कोई गैंग इस तरह का रिकार्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जलाने में लगा है । पिछली बार भी आप के आदेश हुये थे जांच के लेकिन तथ्य सामने नहीं आये । मैं समझता हूं कि पूरे तथ्य अगर दिला दें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय का भी सारा रिकार्ड इस के पहले जल गया लेकिन शासन ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री राम नरेश यादव (मुख्य मन्त्री)--

मान्यवर, ३० तारीख को वक्तव्य दे देंगे ।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, कमिश्नर रेवेन्यू और कन्सालिडेशन व्यस्त रहे होंगे । जो ओरिजनल डाकूमेन्ट ह, सब खत्म हो गये । पूरे इलाहाबाद डिवीजन में कोई रिकार्ड नहीं है । सारे ओरिजनल रिकार्ड्स, वसीयतनामा, बैनामा डिस्ट्राय हो गये । कोई सबूत नहीं है । इसमें सी० बी० आई० द्वारा जांच की जानी चाहिये । मान्यवर, इलाहाबाद का पूरा रिकार्ड डिस्ट्राय हो गया है । मैंने शून्य प्रहर में सूचना भी दी थी । मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी केवल बयान ही न दें, बल्कि जांच भी सी० बी० आई० से करायें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, वह हो गया । वह जांच भी करायेंगे और अवगत भी करायेंगे ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता का नवीनीकरण न करने से अनुसूचित जाति के छात्रों को परेशानी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता का नवीनीकरण अभी तक नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के छात्रों एवं छात्राओं को घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । जब तक ऐसे विद्यालयों को अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, तब तक वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों/जन जातियों के छात्रों को सरकार से मिलने वाली छात्रवृति भी नहीं मिलेगी । इस प्रकार से प्रशासन और नौकरशाही की लापरवाही की सजा बेगुनाह छात्रों को मिल रही है ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये मैं इस दिशा में प्रशासन से शीघ्र समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कानपुर में गंगा नदी के पानी के प्रदूषित होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर महानगर के उत्तर में बहने वाली गंगा नदी का जल सरसैयाघाट से लेकर जाजमऊ तक के १० किलोमीटर के भाग में भयानक रूप से प्रदूषित है जिसके कारण यहां के बीस लाख नागरिकों के आम स्वास्थ्य को भयंकरतम खतरा उत्पन्न हो गया है। यह जानकारी एच० बी० टी० आई०, कानपुर के चार केमिकल इंजीनियरों सर्वश्री आलोक कुमार खरे, आर० एच० वर्मा, के० सी० हजेला तथा जी० एस० पान्डय द्वारा किए गये शोध अध्ययन से प्रकट हुई। इन वैज्ञानिकों ने रानीघाट, भैरोघाट पंपिंग स्टेशन, भैरोघाट, एलगिन मिल, परमटघाट, सरसैयाघाट, गुप्तारघाट, भगवतदास घाट, गोलाघाट, मैस्करघाट, सिद्धनाथघाट तथा जाजमऊ सीवेज पंपिंग स्टेशन पर गंगाजल का नमूना वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में लेकर परीक्षण किया। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरसैयाघाट से लेकर जाजमऊ तक का गंगाजल न तो पीने योग्य है और न ही स्नान करने योग्य है। स्नान और पेयजल के रूप में बराबर प्रयोग करने से अनेक अस्वास्थ्यकर और प्राणघातक बीमारियां नागरिकों को घेर सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण गंगा किनारे स्थित दो सूती मिलों, रिवरसाइड पावर हाउस, २० टैनरियों द्वारा गंगा में प्रवाहित प्रदूषित जल तथा महानगर की सीवरलाइनों को गंगा नदी में मिलाने के कारण होता है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से अत्यधिक लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि वह कानपुर महानगर के बीस लाख नागरिकों तथा लाखों की संख्या में बाहर से गंगा स्नान के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करने हेतु गंगाजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अविलम्ब कोई कारगर कदम उठावें।

बांदा जनपद में मिलावटी खाद की बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)--

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

मान्यवर, बांदा जनपद में पी० सी० एफ० एवं एजेन्सियों में अच्छी किस्म की खादों में नमक व सस्ती किस्म की खादें मिलाकर बेचने पर पूरे जनपद में किसानों में भीषण असंतोष व्याप्त है। खाद के प्रति किसानों का विश्वास हटता जा रहा है जिससे कृषि उपज प्रभावित होने का भय उत्पन्न हो गया है। यदि मिलावट ऐसे ही चलती रही तो कुछ वर्षों में जनपद की भूमि ऊसर हो जायगी। खाद की बोरियों की तादाद कम निकल रही है। बोरियां सील्ड नहीं मिल रही हैं। किसानों एवं जनप्रतिनिधियों के काफी कहने सुनने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा जनपद में मिलावटी खाद की बिक्री के विषय को नियम ३०१ के १४२७ अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह समस्या केवल इसी जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रान्त में व्याप्त है । सभी जगह खाद में नमक मिलाया जा रहा है । अतः मेरा आप के माध्यम से अनुरोध है कि इसमें पूरे प्रान्त के लिये समुचित कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, आप कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कीजिए, यह बड़ी विषम समस्या है। खादों में मिलावट करने वालों को कठोर दन्ड भी दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को अच्छी खाद मिल सके ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कृषि मंत्री जी कभी सदन में आते नहीं हैं, उनको पता नहीं कहां भेज दिया गया है ?

फतेहपुर के थाना मलवां के दरोगा द्वारा श्री शारदा प्रसाद, निवासी शीतलपुर थाना मलवां के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सुचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

जनपद फतेहपुर में पुलिस की मनमानी, निरंकुशता व अत्याचार इस समय सीमा को पार कर रहे हैं । गत २०-१२-७८ को श्री शारदा प्रसाद पुत्र प्रभु दयाल, ग्राम शीतलपुर, थाना मलवां, जिला फतेहपुर, जब अपने चचेरे भाई हर प्रसाद की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार में कानपुर गये हुए थे उनके घर में औरतें व लड़कियां ही थीं । थाना मलवां के दारोगा जी सदल बल रात्रि के करीब ९ बजे एकाएक घर के अन्दर घुस गये । भयभीत महिलाओं ने जब दारोगा जी से घर में घुसने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने भद्दी-भद्दी गालियां दीं और कहा कि यह तो बाद में बतायेंगे कि घर में क्यों घुसे । इसके बाद मकान के बाहर चले आये । रात्रि में अकस्मात पुलिस का किसी के घर में इस प्रकार घुसना उनकी बदनियती का साफ-साफ द्योतक है ।

उपरोक्त जघन्य काण्ड से घर की औरतों में अत्यन्त भय व क्षोभ व रोष व्याप्त है । अतः उपरोक्त घटना की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह ग्रामवासियों के रोष व क्षोभ को शांत करने के लिए तुरन्त उचित कार्यवाही करेंगे ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक ८ दिसम्बर, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया ।

शासन से सदस्यों को सुविधायें एवं व्यवहार के सम्बन्धी में सचिव, विधान सभा द्वारा जारी किये गये परिपत्र के विषय में शासन को निर्देश दिये जाने की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है, आप सुन लें, एक परिपत्र जारी हुआ है सचिव जी के हस्ताक्षर से, जो हम लोगों को मिला है । मान्यवर, इसमें उन बातों का उल्लेख किया गया है जिसका विषय है 'विधान मंडल के सदस्यों को शासन से सुविधायें एवं व्यवहार' । श्रीमन्, इसी में ३ शासनादेशों का उल्लेख किया गया है और उस शासनादेश की एक पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है । मान्यवर, शासनादेश दिनांक २१ जुलाई, १९७२ के बिन्दु २ पर यह लिखा गया है कि 'विधान सभा/विधान परिषद् में ऐसे प्रश्नों को नियंत्रित करने तथा उनके उत्तर में अनावश्यक लग रहे श्रम, समय और व्यय को बचाने के लिये यह भी निश्चित किया गया है कि यदि ऐसे विषयों पर प्रश्नों को, जो लोक महत्व अथवा सार्वजनिक हित के न होकर, स्थानीय महत्व के या व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हों, सदन में उत्तर के लिये ग्राह्य न करके सदस्यों से आपसे सीधे सूचना मांगने को कहा जाय और सदस्य तदनुसार आपसे सूचना मांगें तो आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार मांगी गयी ऐसी समस्त सूचना जो गोपनीयता भंग किये बिना आपके विभाग अथवा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है अविलम्ब सदस्यों को दे दी जाया करें और यदि ऐसी सूचना देना गोपनीयता के या अन्य किसी कारणवश व्यवहारिक न हो तो विनम्रतापूर्वक तदनुसार उन्हें सूचित कर दिया करें । ऐसे मामलों में उसी तत्परता से कार्यवाही करना अपेक्षित है जैसा कि विधान सभा परिषद् प्रश्नों के बारे में सामग्री उपलब्ध कराने में की जाती है, क्योंकि एक प्रकार से, यह उन्हीं प्रश्नों का निस्तारण है जो अन्यथा सदन में उठाये जा सकते हैं ।'

मान्यवर, मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया कि एक तो इसमें लिखा हुआ है कि गोपनीयता के कारण अन्य कारण भी इसमें जोड़े गये हैं । दूसरी बात यह है श्रीमन्, यह परिपत्र हम लोगों को देने के बाद जो प्रतिलिपि दी गयी है वह आपके सचिवालय द्वारा देने के बाद इस सदन की प्रापर्टी हो जाती है । इस तरह अगर किसी माननीय सदस्य के पत्र का उत्तर विभागाध्यक्ष या अन्य दूसरे सम्बन्धित अधिकारी नहीं देते और समय पर नहीं देते हैं । सालों बीत जाता है । तो क्या आप कृपाकर निर्देश करेंगे कि शासन के विभागाध्यक्ष और दूसरे अधिकारी माननीय सदस्यों के पत्र का उत्तर जिनको आप यह मानते हैं कि प्रश्नों के निस्तारण के लिए पत्र का उत्तर देना आवश्यक है, इसके लिए क्या कोई समय भी निर्धारित किया जायगा । मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि

वे यदि समय के भीतर माननीय सदस्यों के पत्र का उत्तर नहीं देते हैं तो क्या आप उन अधिकारियों को विशेषाधिकार के उल्लंघन की परिधि तक ले जाने की कृपा करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जितने उपस्थित हैं, कृपया आप उन लोगों की राय लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यों से जानकारी प्राप्त करके आज अथवा कल इस सम्बन्ध में निस्तारण करा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न आपने उठाया है। क्योंकि आपने परिपत्र का हवाला दिया है, इसलिए आपको मैंने रोका नहीं है। तो यह तो एक विशेष सुविधा है जो पहले परिपत्र प्रेषित किया गया था, इससे आपके प्रश्न पूछने के अधिकार सीमित नहीं होते। जैसे अब भी आप स्थानीय प्रश्न भेजें तो मन्जूर होगा। प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे देखने की बात यह है कि अब इनकी संख्या बहुत होती है। तारांकित प्रश्न सहित एक घंटे में आठ-दस से ज्यादा का उत्तर हो नहीं पाता। इसलिए कुछ समय पहले शासन ने आदेश प्रसारित किये थे और स्पीकर और चेयरमैन से राय करके इसको भेजा गया था। इस सम्बन्ध में जो व्यावहारिक कठिनाई आप हमारे ध्यान में लायेंगे, उसके बारे में मैं शासन से परामर्श करके उचित निर्देश दूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी, आप बिना संज्ञान में लाये दिन भर में कई बार बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। पहले आप लिखकर भेज दीजिए। उसके बाद मैं देखकर अनुमति दूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपाकर बैठें। आप इस तरह से सदन का समय नष्ट न करें। यह कोई तरीका नहीं है कि आप जब चाहते हैं बोलने लगते हैं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री मान पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एस० डी० एम० कासगंज, एटा ने अपने वायरलेस दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ जो हमारे सचिवालय ने दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचित किया है कि श्री मानपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, सोरों, एटा भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ को बन्दी बनाये गये और उन्हें जुडीशियल कस्टडी में रिमांड किया गया है तथा जिला जेल, एटा भेजा गया है।

इसी सम्बन्ध में एस० डी० एम०, एटा और जिलाधिकारी, एटा ने भी अपने वायरलेस मेसेज दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुए, के द्वारा सूचना भेजी है।

सप्तम विधान सभा की आश्वासन समिति का आठवां विशेष प्रतिवेदन

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं सभापति, आश्वासन समिति जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर की रामनगर कालोनी में विस्थापित परिवारों को जिनकी भूमि शारदा नदी की (सन् १९६९ तथा १९७२) बाढ़ के कारण कट गयी थी को अन्यत्र बसाये जाने हेतु दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में समिति का ८ वां विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दिनांक १४ दिसम्बर, १९७८ को दी थी ।

माननीय सदस्य का कहना है कि १४ दिसम्बर, १९७८ को 'आज' में प्रकाशित माननीय मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य कि 'आरक्षण नीति का विरोध करने वालों को चकनाचूर कर दिया जायगा' उनके जैसे अनेक विधायकों जो गरीबों को ९० प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के हिमायती हैं, के विधायी अधिकारों का हनन एवं धमकी है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी की । उनका कहना है कि उन्होंने यह वक्तव्य नहीं दिया । उन्होंने यह भी कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा उनके वक्तव्य के सम्बन्ध में जो सूचना समाचार पत्रों को दी गयी है तथा 'आज' के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों में उनका जो वक्तव्य छपा है उसमें भी डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' की सूचना में उल्लिखित तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है ।

माननीय सदस्य की सूचना का आधार अखबारों में प्रकाशित समाचार है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्थाओं का संकलन (१९५२–६७) के पृष्ठ ४८४ पर निर्णय संख्या १३ में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि सिर्फ अखबारों में छपी खबर के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । माननीय सदस्य के आरोप के अनुसार जो धमकी दी गयी है वह सदन के कतिपय विधायकों के लिये है किन्तु प्रकाशित समाचार में किसी विधायक को प्रत्यक्ष धमकी नहीं दी गयी है ।

कौल और शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ २७० के अनुसार जहां सदन के विशेषाधिकार की भंग या अवमान की शिकायत किसी सदस्य द्वारा सभा से बाहर दिये गये किसी कथित वक्तव्य के समाचार पत्र में छपे समाचार पर आधारित हो और उस सदस्य ने कह दिया हो कि उसने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, तो अध्यक्ष ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की बजाय उस सदस्य के कथन को स्वीकार किया है और उसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी है ।

---

†छापा नहीं गया ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना १४३१ पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

अतः प्रागदर्शन में डा० अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' द्वारा उठाये गये प्रश्न में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है और मैं उसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री प्रदीप कुमार यादव ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक २२ दिसम्बर, १९७८ को दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा के तृतीय सत्र १९७८ के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिये गलत दिया गया ।

मैंने उक्त सूचना की एक प्रतिलिपि माननीय शिक्षा मंत्री को भेज कर उनसे वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी । उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर विभाग से जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसी आधार पर दिया गया था । विभाग ने यह स्पष्ट रूप से बताया था कि श्री अयोध्या प्रसाद यादव को बकाये वेतन का भुगतान ४-३-७८ को किया गया और भुगतान रजिस्टर पर भुगतानकर्त्ता के हस्ताक्षर हैं । माननीय शिक्षा मंत्री को विभाग द्वारा यह भी बताया गया था कि श्री यादव ने त्याग पत्र अपनी इच्छा से दिया था । माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर देने में किसी प्रकार की गलत बयानी का प्रयास नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६५(१)(क) के अनुसार विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न की सूचना किसी हाल में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध होगी । प्रश्न का उत्तर ६ दिसम्बर, १९७८ को दिया गया था अतः इस विषय को उठाने में काफी विलम्ब किया गया है । माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर को देखते हुए प्रागदर्शन में यह मामला विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रतीत नहीं होता । अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष —

आज माननीय श्री सुखपाल पान्डे से श्री गोकरण सिंह, अधिशासी अभियंता डी० सी० यू० (सा० नि० वि०) बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

मैं इस पर अभी विचार कर रहा हूं और जब पूरे फैक्ट्स आ जायेंगे तब मैं निर्णय दूंगा ।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

हमने एक सूचना नियम ६३ में दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

एक दिन में एक ही सूचना प्राप्त की जा सकती है उसके बाद जो सूचना आती है वह अपने आप ही अग्राह्य नियमानुसार हो जाती है ।

श्री बिन्दू लाल--

मान्यवर, हमने १५ दिसम्बर को दी थी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

बताना तो चाहिये कि अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

बताने की आवश्यकता नहीं ।

श्री बिन्दू लाल--

१५ दिसम्बर को दी थी ।

श्री अध्यक्ष--

वह देख लेंगे ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष -

आज कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक में सदन के पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम संशोधन करते हुए यह सिफारिश की है कि २९ दिसम्बर, १९७८ को सायंकाल ५ बजे "उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय) संशोधन विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव ले लिये जाये ।"

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर....

श्री अध्यक्ष--

पहले संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव आ जा दीजिये ।

(श्री हरिश्चन्द्र खाद्य एवं रसद मंत्री)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आबकारी का जो बिल है उसके लिए असरकारी दिवस देने के बजाय पहली और दूसरी तारीख ले ली जाय ।

श्री अध्यक्ष--

नियमानुसार अगर नियमावली को आप देखें तो जो आपने कहा कि आबकारी विधेयक पहली और दूसरी तारीख को लिया जाय नियमानुसार यह आपको अधिकार नहीं है । आप कह सकते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति इस पर पुनः विचार करे ।

श्री मनेजर सिंह--

सदन को अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं है और न ऐसी परम्परा है ।

श्री मैनेजर सिंह--

परम्परा की बात आप कहते हैं । परम्परा को वापस कर सकते हैं । सदन सार्वभौम है । मेरा प्रस्ताव है कि इसको पुनः वापस कर दिया जाय । जब तक असरकारी दिवस पूरे न हो जायं तब तक इस बिल को न लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें पुनः विचार के लिए ही है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

माननीय मैनेजर सिंह का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम २३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें २३(१) में स्पष्ट है कि प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा मान्यवर, पिछले सत्र में भी असरकारी दिवस नहीं दिया गया और जब यह प्रश्न उठा था मैं उसकी आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने उस पीठ से सदन को आश्वासन दिया था कि जब सत्र बुलाया जायेगा तो शुरू के दो दिन असरकारी कार्यों के लिए, लिये जायेंगे । उसके बाद ही दूसरा कोई बिजनेस लिया जायेगा । आपके उस आश्वासन की भी पूर्ति नहीं हुई । यही नहीं मेरे सामने माननीय सचिव महोदय का भेजा हुआ पत्र है जिसमें प्रोग्राम दिया हुआ है । लेकिन १४ दिसम्बर, १९७८ को जब अलीगढ़ के परिपेक्ष में सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा हो रही थी उस समय १५ दिसम्बर, १९७८ के सम्बन्ध में माननीय सोहनवीर सिंह तोमर जी ने यह प्रश्न उठाया था और आपने फिर उस समय स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया था कि १५ दिसम्बर, १९७८ का जो असरकारी दिवस समाप्त कर रहे हैं, उसको इसी सत्र में नेता सदन से परामर्श करके दिला देंगे । उस आश्वासन की भी, अब लगता है पूर्ति नहीं होगी ।

मैं आपका और सदन का ध्यान नियम २३ के उपनियम (२) की ओर दिलाना चाहता हूं "जब अध्यक्ष ने उपनियम (१) के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो...जैसा आपने दो-दो बार दिया,... "तो वह सदन नेता से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे ।" इस उप नियम (२) के अनुसार भी वह है इसी पत्र में नेता सदन से परामर्श करके आपको वह गैर-सरकारी दिन देना पड़ेगा, जो बाकी है । अब दो गैर-सरकारी दिवस इस तरह से बाकी हैं । एक मैं आपकी जानकारी और व्यवस्था चाहता हूं, आपने दो-दो बार यहां पर जो पवित्र आश्वासन दिए हैं, उनके सम्बन्ध में क्या आपने इस प्रश्न को समिति में उठाया था या नहीं, क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सदन को जो आश्वासन दिया था, उस धरोहर को पूरा कराने की जिम्मेदारी आपकी है । वरना आप भी उस आश्वासन की अवमानना करते हैं और पूरे सदन की अवमानना करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बैठिए, इसमें इतनी बहस की आवश्यकता नहीं हुआ करती है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जब आप दो बार आश्वासन दे चुके हैं, तो उसको पूरा कराने का उत्तर-दायित्व आपका भी कुछ है या नहीं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब कोई विवाद नहीं होगा । कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्तावों पर कोई विवाद नहीं होता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मंत्रि परिषद् के सदस्य सदन में जो आश्वासन देते हैं, अगर उसका परिपालन नहीं होता है तो वह आश्वासन समिति के पास जाता है, तो उसी तरह से आपके दिए गए आश्वासनों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का कथन है, उन्होंने मेरा ध्यान नियम २३ के उप नियम (२) की ओर आकर्षित किया है । उसमें उन्होंने पहला वाक्य पढ़ दिया, दूसरा नहीं पढ़ा । उसमें लिखा "है "प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें उसको सरकारी कार्य पर अग्रेता प्राप्त होगी" । तो १३ तारीख को कार्यमन्त्रणा समिति में यह निश्चय हुआ कि शुक्रवार का क्या कार्यक्रम होगा और फिर १४ तारीख को सदन ने उसको स्वीकार किया । तो जहां तक कल के कार्यक्रम का प्रश्न है, इसे नियमानुसार सदन ने स्वीकार किया । इसलिये इस पर आपत्ति उठने का प्रश्न नहीं है । जब यह कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रस्ताव था, यह बात आई कि गैर सरकारी दिवस का क्या होगा, तो मैंने कहा था कि नेता सदन से विचार करते समय इसके लिए निश्चित किया जायेगा और कल कुछ माननीय सदस्यों न मुझ को इस सम्बन्ध में लिखकर भी दिया । मैंने कार्य मन्त्रणा समिति के सामने उसको रख दिया । तो एक बात तो उनकी अब हो गई । दूसरी बात तिवारी जी ने जो यह कही नियम २३ (२) के अनुसार "अन्यथा निदेश दिया हो तो वह नेता सदन से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे ।" अब 'किसी सप्ताह' का जहां तक प्रश्न है, आज कार्य मन्त्रणा समिति ने इसको रखा कि कल जो गैर सरकारी दिवस बाकी है, इसके स्थान पर दिवस रखना चाहिये, तो इस पर यह निश्चिय किया गया कि यह दिन अवश्य मिलेगा । लेकिन यह सदन ३० तक है, उसके बाद ही जब फरवरी में दूसरा सेशन होगा, तो अब तक का जो बकाया है, वह सब दे दिया जायेगा । यह उनका निर्णय है । (श्री कल्प नाथ सिंह के खड़े होने पर) आप बैठें, मेरे सामने इस पर विवाद नहीं है । मैनेजर सिंह जी के संशोधन को मैं ले लूंगा । (श्री राधे-श्याम शर्मा के खड़े होने पर) आप बैठ जायं । कोई आवश्यक है कि हर बात पर आपकी सलाह लूं ।

श्री मैनेजर सिंह ने परिपाटी, नियम को उन्होंने मान लिया । उनका संशोधित प्रस्ताव यह है-कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार माननीय वाद्य मन्त्री का प्रस्ताव यह है कि आबकारी विधेयक जैसा कि विधान परिषद् से

पारित हुआ है २९ तारीख को पांच बजे लिया जाय । उनका कहना यह है कि इस सिफारिश को कार्यमन्त्रणा समिति के पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाय ।

प्रश्न यह है कि श्री मैनेजर सिंह के संशोधन के अनुसार इस सिफारिश को कार्य मन्त्रणा समिति के पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

(श्री मान सिंह आजाद द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री मान सिंह, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार चीतकार करेंगे तो आपको सदन से निकलवा दूंगा । आप खामोशी के साथ बैठिये और एक सभ्य सदस्य की तरह व्यवहार कीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाबी में वोटिंग करवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है । हाथ उठा कर होगा । (माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर) अभी डिवीजन के वक्त कोई प्रश्न नहीं लिया जा सकता । घंटी बज रही है । घंटी बजने का समय समाप्त हो जाय, तब ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

नेता सदन अगर कोई बात कहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह नियमों के अनुसार है कि जब विभाजन की घंटी बजती हो तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष जी, हाउस चलने को मान लिया जाय तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अगर नहीं मानते तो इस हाउस से वोटिंग करवा लें ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर) अब आप बैठिए ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्री जी को सुन लीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

आप नियमों को निलम्बित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी घंटी बज रही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

सब अनियमित कार्य करा रहे हैं। आपने डिवीजन काल किया। 'हां' 'नहीं' हो गयी। उस पर चैलेन्ज हो गया कि 'हां' की संख्या ज्यादा है। आपने घंटी बजायी। आप वोट के लिए प्रस्ताव रखें। 'हां', 'नहीं' करवायें। उससे भी सन्तुष्ट न हों तो लाबी में वोट पड़ेगी।

श्री हरिश्चन्द्र--

मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि प्रस्तावक तो इस पर पुनः बोल सकता है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

जब आपने वोटिंग के लिए कह दिया 'हां', 'नहीं' में तो वोटिंग से ही तय करना पड़ेगा। न मुख्य मन्त्री का प्रश्न है न किसी दूसरे का। यह केवल हाउस से तय करने की बात है।

श्री मनेजर सिंह--

माननीय खाद्य मन्त्री जी का प्रस्ताव है। अगर वह प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं, तो अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया। मैंने श्री मैनेजर सिंह के संशोधन को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। उस पर 'हां' या 'नहीं' सदस्यों ने कहा। उस पर मैंने कहा 'नहीं' की संख्या अधिक है। आपने विभाजन मांगा। विभाजन की घंटी बज गयी। नियम यह है कि जब विभाजन की घंटी बज रही हो तब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। अब मुझे पुनः प्रश्न उपस्थित करना होगा। अगर उस पर विभाजन की मांग होगी तब मैं विभाजन कराऊंगा अब जैसा मैनेजर सिंह कह रहे हैं कि मुमकिन है संशोधन को वह स्वीकार कर ही रहे हों। अब तो नये सिरे से प्रश्न रख रहा हूं। संशोधन के बारे में वह क्या कहना चाहते हैं, सुन लेना चाहिये।

श्री उचित नरायन (जिला हमीरपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अब तो मैनेजर सिंह भी कहें तो भी संशोधन वापस नहीं हो सकता। वोटिंग होगी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने एक प्रश्न उपस्थित कर दिया। उसके निर्णय में मैंने कहा कि 'नहीं' की संख्या अधिक है। लेकिन जब मैं पुनः प्रस्ताव रखना चाहता हूं तब दो ही विकल्प हैं सरकार के सामने या तो संशोधन का विरोध करें या अपना प्रस्ताव वापस ले लें। अगर वापस ले लें तो दो बारा प्रश्न उपस्थित करने की आवश्यकता न होगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

प्रक्रिया नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। उसको कोई वापस ले ले इस तरीके का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री ऊदल--

आज तक एसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यवस्था होती है, जो पांडेय जी ने कहा और जिस नियम का हवाला उन्होंने दिया है वह है पेज ८० पर नियम २९७ उसके बाद नियम २९८ ।

नियम २९७ मे है

"आवाजें संगृहीत होने के बाद किसी भाषण का न हो ।-किसी प्रश्न पर अध्यक्ष 'हां' वालों और 'नहीं' वालों, दोनों की आवाजें संगृहीत कर लें तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेंगे ।"

नियम २९८ में है

"(१) मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिए जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेंगे तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगे ; परन्तु अध्यक्ष यदि समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है तो वे हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे और विभाजन का परिहार कर सकेंगे । (२) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जायेगा और उस पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी ।"

चूंकि अभी जसा ऊदल जी ने कहा, ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि प्रश्न उपस्थित करने के बाद जब आवाजें संगृहीत हो जावें और प्रस्तावक कुछ कहना चाहे तो इस सम्बन्ध में नियम ३१३ में है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनका इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें ।

श्री राज मंगल पांडेय--

नियम खामोश नहीं हैं ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इसमें कोई एम्बीगुअटी नहीं है ।

श्री मान सिंह आजाद --

मान्यवर, आपने वोटिंग करा दिया तो आपको व्यवस्था देने का अधिकार नहीं रहा । आप जाने माने नेता हैं आप ऐसी व्यवस्था न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, नियम २९७ में स्पष्ट कहा गया है कि आवाजें संगृहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना । किसी प्रश्न पर अध्यक्ष 'हां' वालो और 'नहीं' वालों दोनों की आवाज संगृहीत करलें तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगें । मान्यवर, 'हां' और 'नहीं' की आवाजें संगृहीत कर ली गयीं तो उस पर कोई सदस्य बोले इसकी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए । बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं अनुमति नहीं देता हूं । किसी प्रस्ताव में मान लीजिये कि कोई प्रस्तावक वापस लेना चाहता है और विशेष रूप से कहें । आप लोगों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता है । अगर विशेष रूप से प्रस्तावक वापस लेना चाहे तो ।

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियम २९८ देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

(प्रश्न पुन : उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर सदन में हाथ उठा कर विभाजन होने पर संशोधन निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में .. ७९

विपक्ष में .. ६९)

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न कार्य मन्त्रणा समिति को पुनः निर्दिष्ट किया गया ।

एक सदस्य--

क्या यह माना जाय कि सरकार गिर गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न कार्य मन्त्रणा समिति का है, इसमें दलगत प्रश्न नहीं है ।

मन्त्रि परिषद् के इस्तीफे की मांग

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि इस्तीफा दे । प्रस्ताव सत्ता पक्ष के मन्त्री का है ।

श्री अध्यक्ष--

यह मन्त्रि परिषद् का प्रश्न नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) --

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो माननीय खाद्य मन्त्री ने प्रस्तुत किया था । कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश न मंजूर करने की बात इन्होंने स्वीकार नहीं

किया । यह दुर्भाग्य है जनतन्त्र का कि जो व्यक्ति इधर बैठते हैं और मांग करते हैं वह व्यक्ति जब उधर बैठ जाते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और नियमों का उल्लंघन करते हैं । हमें खेद है कि हमारे मन्त्रि परिषद् के लोगों ने, जनतन्त्र की हत्या का उन्होंने संकल्प ले लिया है उनका आज कोई नैतिक कर्तव्य इन कुर्सियों पर बैठने का नहीं है । इनको इस्तीफा देना चाहिये । (शोर)--

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आपका निर्णय क्या है ? आप अध्यक्ष हैं आपका निर्णय क्या है । इस्तीफा देना चाहिये कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

कार्य मन्त्रणा समिति में जो सदस्य हैं उनके द्वारा यह प्रस्तुत हुआ है, उसमें कोई मन्त्रि परिषद् का प्रश्न नहीं है । नियम यह है कि कोई भी कार्य मन्त्रणा समिति का सदस्य प्रस्ताव कर सकता है । इसलिये जो खाद्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव किया है मन्त्री की हैसियत से नहीं बल्कि कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्य की हैसियत से किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमेशा सरकारी पक्ष से प्रस्ताव होता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । अगर आप समझते हैं कि निश्चयात्मक है तो आप अविश्वास का प्रस्ताव लायें । यह कार्य मन्त्रणा समिति को निर्दिष्ट हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । चूंकि इस सदन में चाहे कोई माननीय सदस्य हो या मन्त्री हो उनकी हैसियत अलग--अलग आंकना । इसका क्या औचित्य है ? दूसरी बात यह कि जब माननीय खाद्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया, वह प्रस्ताव गिर गया तो जहां तक मैं समझता हूं हैसियत अलग अलग नहीं होती । मन्त्री की हैसियत उनकी थी और उन्होंने मन्त्री की हैसियत से प्रस्ताव किया था । चूंकि मन्त्री की हैसियत से प्रस्ताव किया था और वह गिर गया । ऐसी स्थिति में यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि उस मन्त्री को, जिसका प्रस्ताव गिरा है, इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मन्त्री जी ने प्रस्ताव किया, श्री मैनेजर सिंह ने जो संशोधन रखा वह स्वीकार हुआ । अतः इसका नैतिक आधार यह है कि यह सरकार इस्तीफा दे ? प्रस्तावक महोदय ने संसदीय कार्य मन्त्री की हैसियत से यह प्रस्ताव रखा, जो गिर गया । तो आपको उनसे इस्तीफा दिलवाना चाहिये । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

एक ओर तो संसदीय परम्पराओं की माननीय सेहरा जी बात करते हैं। आप देखें यहां पर ब्रिटिश प्रणाली को हम लोग मान्यता देते हैं। अभी हाल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में २ मर्तबा वहां की सरकार का प्रस्ताव गिर गया, एक बार १० वोटों से और एक बार ६ वोटों से। पहले भी इंग्लैंड के अन्दर प्रस्ताव गिर जाने से जब बजट नहीं होता तो सरकार नहीं गिरा करती है।

कई सदस्य--

नैतिकता क्या कहती है ?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, श्री चन्द्र भानु गुप्ता ने इसी बात पर इस्तीफा दे दिया था। अतः श्री राम नरेश यादव भी इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक वर्मा जी ने नैतिकता की बात कही, नैतिकता नियमों से और कानून से लादी नहीं जाती है। मन्त्रि परिषद् की क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है, मैं धर्म गुरु नहीं हूं कि मैं उनकी नैतिकता पर व्यवस्था दूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, यह विषय समाप्त हुआ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब ये जो काम रोको प्रस्ताव आये हैं उनमें एक श्री राम आसरे वर्मा और श्री सुन्दर लाल दीक्षित का है जिसमें उन्होंने प्रदेश के परिवार एवं मात्र शिशु कल्याण कर्मचारियों द्वारा अनशन के बारे में लिखा है। श्री सुन्दर लाल का जो है वह विषय २६ दिसम्बर को आ चुका है। दूसरा श्री रियासत हसैन का है इलाहाबाद कलेक्ट्रोरेट के रेकार्ड रूम में आग लगना। इसको आज ही माननीय मन्त्री के वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है। तीसरी सूचना माननीय श्यामधर मिश्र और श्री देव बहादुर सिंह की है। इसको कल ही मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मेरा पहला ही प्रस्ताव है।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था और मुझे बहुत आशा थी कि इसको आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे। मुझे यह भी आशा है कि मन्त्री जी स्वयं इस पर वक्तव्य देंगे और कहेंगे कि इसको स्वीकार किया जाय और इस पर बहस हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि असहाय, अंधे और अपंग लगभग ८० लोगों को पकड़ा गया है और उनको पकड़ा ही नहीं गया है बल्कि उनको मारा भी गया है, उनकी जेल में भी ताड़ना हो रही है। अगर कांग्रेसी लोग पकड़े गये तो दूसरी बात है लेकिन कौशिक जी क्या कहेंगे कि उनकी सरकार अंधों और अपंगों को पकड़वा कर पिटवा रही है। मान्यवर, उनकी बहुत हल्की-हल्की मांगें हैं, साल भर से। यह सरकार और लोगों की करोड़ों रुपये की मांगें मान चुकी है लेकिन लाख रुपये की मांग उनकी नहीं मान रही है जबकि पिछले वर्ष मई में उन्होंने कहा था कि हम स्वीकार करेंगे।

अब अन्धों को यह पुलिस मारती है। इसमें पुलिस का दोष नहीं है, मैं उनको दोष नहीं देता, यह तो उनको जो अधिकार मिले हैं, जो धारा १४४ और १८८ के अन्तर्गत पावर्स मिली हैं उसके कारण वे यह करते हैं। हम लोगों को आप बन्द करें यह समझ में आ सकता है, मगर इन अन्धों को क्यों बन्द किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

वस्तुस्थिति क्या है? इस पर माननीय समाज कल्याण मंत्री एक बयान दे दें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा भी एक कार्य-स्थगन था....

श्री अध्यक्ष--

वह पहले आ चुका है, आप बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के समर्थकों द्वारा बलिया जिले के चिलकहर रेलवे स्टेशन में आगजनी की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

दिनांक २१-१२-७८ को रात्रि लगभग ९-५० बजे ६-७ सशस्त्र व्यक्ति जनपद बलिया के चिल हर रेलवे स्टेशन पर कार से पहुंचे। वह लोग रेलवे स्टेशन पर उपस्थित कर्मचारियों पर हावी हो गये और उन्होंने उनसे धनराशि आदि देने को कहा। इसके पश्चात् उक्त दुराचारियों ने बुकिंग एवं सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप सहायक स्टेशन मास्टर जलने से साधारण रूप से घायल हो गये, जिन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया। आक्रमणकारी अपने को इन्दिरा कांग्रेस से सम्बन्धित होना बताते हुए, क्रांति की मांग करते हुए भाग गये।

उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक २२-१२-७८ को थाना जी० आर० पी० बलिया पर मुकदमा अपराध संख्या १६३ अन्तर्गत धारा ४३६/३२६/४२७/३९५/३९७ भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर गश्ती पुलिस की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको नियम ५१ में नहीं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, इस पर अब कोई प्रश्न नहीं होंगे। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप श्रीमन्, नियम ५१ (३) को देख लें। जो सूचना दी गयी है वह पूरी नहीं है, यह वक्तव्य अधूरा है। जब सरकार को यह जानकारी मिल गयी और माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य से भी यह बात स्पष्ट हो गयी कि श्रीमती इन्दिरा की कांग्रेस हिंसा फैलाने की चेष्टा कर रही है.... (शोर-व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (जिला आगरा)--

मान्यवर, एक माला इनको दे दी जाये और यह लोग जनता पार्टी वाले उसको इन्दिरा गांधी का ही नाम लेकर हर वक्त जपा करें, इनके पास और कोई काम नहीं है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार जी, आप कृपया बैठें, आप एक नयी चीज उठा रहे हैं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं नियम ५१ में प्राप्त सूचना पर केवल वक्तव्य दिलाना बन्द कर दूं। आपने कहा कि सरकार को मालूम था कि हिन्सात्मक आन्दोलन होगा वगैरह वगैरह यह आपकी जो नोटिस है उसमें केवल रेलवे स्टेशन पर लोग घुस आये, खजाना लूट ले गये, सहायक स्टेशन मास्टर की तिजोरी की चाबी छीनने का प्रयास किया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया जिससे सहायक स्टेशन मास्टर जल गये आदि। इस घटना का सम्पूर्ण क्षेत्र में भय है। इस पर जवाब हो गया। इसलिये मैं अब इजाजत नहीं देता हूं।

(श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। इस पर नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)--

मान्यवर, दुकान लूट ली गयी है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब इसकी अनुमति नहीं है। आप बाद में लिखकर दे दें। मैंने नियम ५१ में नहीं, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। यदि और कोई शिकायतें हैं तो लिखकर दें उस पर गृह मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुयी स्थिति पर खेद प्रकाशन का प्रस्ताव

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकट करता है।"

मान्यवर, हमारा प्रस्ताव बहुत छोटा सा प्रस्ताव है ताकि जो प्रदेश की वास्तविक स्थिति है उस पर चर्चा हो। मान्यवर, हमने तो केवल खेद प्रकट करने की बात कही है लेकिन वास्तविकता तो यह है कि और भी कुछ मांग करना चाहिये था कि जो स्थिति है उस पर सरकार को क्या करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

इस समय सवा दो बजे से इस पर विवाद शुरू हुआ है और सवा चार बजे तक विवाद चलेगा। आपको भाषण १५ मिनट में समाप्त करना होगा और बाकी वक्ताओं को १० मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था शान्ति एवं व्यवस्था की विकृत स्थिति हमने जब ७ तारीख को यहां कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे तो सचिवालय के परिसर में देखा कि हजारों लोग श्री गोमती प्रसाद की लाश जो कि वहां रखी थी उसको घेरे थे और इस सरकार की अक्षमता पर आंसू बहा रहे थे। जितने नागरिक हैं उनको यह संवैधानिक अधिकार है कि सरकार उनकी जान और माल की सुरक्षा करे। यदि कोई सरकार अपने को संवैधानिक और जनकल्याणकारी कहती है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जानमाल की रक्षा करे। इसमें हम देखें तो पायेंगे कि हमारे प्रदेश में न तो कोई अपने घर में सुरक्षित है और न बाहर। यहां तक न कि पैदल चलने वाला और न रिक्शे पर चलने वाला, न मोटर पर चलने वाला और न हवाई जहाज पर चलने वाला ही इस प्रदेश में सुरक्षित है।

इसके कारणों का हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में जो अपराध स्थिति है वह बढ़ी है या घटी है। यदि बढ़ी है तो क्यों? हमारे प्रदेश के नागरिक आतंकित क्यों हैं? इसलिए जब तक इसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। मान्यवर, हम समझते थे कि जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं वह अपने को सुरक्षित समझते हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने एक मंत्री को बरखास्त करके मंत्रियों में भी असुरक्षा की भावना व्याप्त कर दिया है। इस प्रदेश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

मान्यवर, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति का अन्दाजा इस आकलन से लगाया जा सकता है। गत एक माह में लखनऊ और जो और मुख्यालय हैं उनमें अपराध और हत्या की कितनी घटनायें घटी हैं। हत्या की जो घटनायें जो उल्लेखनीय हैं वे इस प्रकार हैं। २६ नवम्बर को बहायूं के शिवराज सिंह को दिन-दहाड़े गोली मारी गयी और उसके अगले दिन २७ तारीख को श्रीमन् प्यारे लाल शर्मा को गाजियाबाद में घर से ११ बजे रात को बाहर बुलाकर गोली मार दी गयी। माननीय हामिद रजा खां हमारे सदन के सदस्य

[श्री देव बहादुर सिंह--]

हैं, इन्हें बरेली में गोली मारी गयी और आज तक अपराधी का पता नहीं चला। कोई कानून और व्यवस्था है ही नहीं। न इसकी जांच की गयी, न पड़ताल हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की थी और स्थिति यह है कि जो सुरक्षा का आदमी-गनमैन-दिया गया उसे वापस बुला लिया गया। श्री राम गोविन हमारे बलिया के विधायक हैं उन्हें गोरखपुर में कान्स्टेबिलों द्वारा पीटा गया। श्री शम्भून थ चौधरी हमारे बलिया के विधायक हैं वह रायल होटल से ११ बजे रात स्टेशन जा रहे थे उनको छूरा दिखाकर अटैची छीन ली। यह स्थिति मान्यवर, कानून और व्यवस्था की है। मंत्रियों की बात मंत्री सुनने को तैयार नहीं होते। एक मंत्री ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया। यह स्थिति है कानून और व्यवस्था की जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

कानपुर में, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक ही परिवार के २२ सदस्य का हत्या काण्ड हुआ। २ दिसम्बर को सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, पत्रकार, श्री सूर्यनाथ शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसी के दूसरे दिन टूड़ियागंज में चाकू के प्रहार से एक आदमी मारा गया। दो दिन पूर्व कृष्ण नगर में दो लाशें मिलीं। माह अक्तूबर में, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हल्द्वानी में वहां की कालेज की छात्रा कुमारी चन्द्रा पांडे की लाश नहर में तैरती हुई मिली। आज तक पता नहीं चल पाया है कि उसकी हत्या कैसे हुई और कहां हुई। जौनपुर में एक ही दिन में पांच हत्यायें हुई। गोरखपुर में एक ही दिन में पांच हत्यायें हुईं। हत्याओं की बाढ़ दिन प्रतिदिन इस प्रदेश में बढ़ती चली जा रही। अखबारों में हम रोज पढ़ते हैं, रोज डकैती, चोरी, महिलाओं की जंजीर खींचना, सारे अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ३० तारीख को पंत नगर में वहां के भूतपूर्व कुलपति और एक डाक्टर शर्मा को घातक चोटें पहुंचायी गयीं और आज तक अपराधियों का पता नहीं चला। कौन उस अपराध के पीछे था, अपराध का क्या कारण था। इस सरकार ने कोई कार्यवाही आज तक इस सम्बन्ध में नहीं की। तो अपराधों की वर्तमान स्थिति के कारण नागरिकों में बड़ी भारी चिन्ता बढ़ती जा रही है।

मैं थोड़े से आंकड़े बता दूं माननीय मुख्य मंत्री जी को। इस वर्ष १ जनवरी से ३१ अक्तूबर तक प्रदेश में ४,४५५ हत्यायें हुई हैं जब कि गत इसी अवधि में केवल ३,९८१ हत्यायें हुई थीं। गत वर्ष पूरे साल में १,८५,०७८ पुलिस हस्तक्षेपीय योग्य अपराध दर्ज किए गए थे इस वर्ष केवल दस माह में इनकी संख्या केवल १,७७,५१० है। पुलिस ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए २,००,०८६ व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की। अवैध अस्त्र के १३९ कारखाने पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष केवल ५६ ऐसे कारखाने पकड़े गये। अवैध अस्त्र १३,२३१ पकड़े गये। जिसमें १०० विदेशी असलहा है। यह स्थिति है। ये आंकड़े स्वतः सबको चौंका देने वाले हैं। कितने अपराध अभी ऐसे हैं जो पुलिस ने दर्ज नहीं किए। लोगों को भगा दिया गया, यह कह कर कि हम दर्ज नहीं करते हैं। कोई दर्ज कराये तो पुलिस वाले यह कहते हैं हमें कोई चिन्ता नहीं है हम मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। कोई कहते हैं कि हम गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं। इस प्रकार की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है।

सारे के सारे लोग अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं अगर एक तरफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस घरों से लोगों को बुलाकर गोली मार रही है। वाराणसी में एक लल्लू सिंह को गोली मार दी गयी। एक दूसरे श्री कालीचरन

मिश्रा उनको गोली मारी गयी। उन्नाव के एक मुन्ना तिवारी हैं, उनको गोली मारी गयी। मान्यवर, आज गोली मारने की प्रथा इतनी बढ़ती जा रही है कि लगता है कि कानून पुलिस के हाथ की बात ---चाहे रखे, चाहे न रखे।

मान्यवर, ट्रेन में सफर करने में तो एकदम ऐसा लगता है कि ट्रेन में कोई सफर कर ही नहीं सकता। मैं, मान्यवर, थोड़ा सा तुलनात्मक उल्लेख १९७७ ७८ में जो हत्यायें हुयी हैं, उनका करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किस रेंज में १९७७-७८ में कितनी हत्यायें हुयीं। मान्यवर, लखनऊ रेंज में १९७७ में ५७५ हत्यायें हुयीं और १० महीने बाद ५८० हो गयीं। कानपुर में १९७७ में ५०७ और १९७८ में ५५८, बरेली में ७७ में ४७८ और ७८ में ५५६, वाराणसी में ७७ में १७२ और ७८ में २१३, गढ़वाल में ७७ में २४ और ७८ में २४, कुमायूं में ७७ में २५ और उसके बाद ७८ में ३०, राजकीय रेलवे में ७७ में २२ और ७८ में २५ हत्यायें हुयीं। मान्यवर, हत्याओं की स्थिति यह है कि प्रति एक लाख जनसंख्या पर देश में ३·३ का औसत है जब कि हमारे प्रदेश में यह ४-५ से भी अधिक है। इस तरह से हमारे प्रदेश का जो अनुपात है, वह सबसे ज्यादा है और हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्यायें होती चली जा रही हैं।

अब ट्रेनों में जो घटनायें हो रही हैं, उनके बारे में जरा देखिये। १६ नवम्बर को कानपुर-फर्रुखाबाद जाने वाली गाड़ी में डकैती पड़ी और सामान लूटा गया। इसके पहले ४ नवम्बर को कानपुर और इलाहाबाद के बीच ६ यात्रियों को लूटा गया। २२ मई को मध्य रेलवे के राजा की मंडी स्टेशन पर हावड़ा-दिल्ली तूफान एक्सप्रेस को लूट लिया गया। उसमें कोच अटेन्डडेन्ट्स को जख्मी किया और टी० टी० आई० को छुरा भोंक दिया गया। इसी तरह से जनवरी-सितम्बर के अर्से में उत्तरी रेलवे में जो उत्तर प्रदेश के लम्बे-चौड़े हिस्से में है, १२ हत्यायें और १० डकैतियां एवं ६१ लूट की घटनायें हुयीं। इसके अतिरिक्त अन्य रेल गाड़ियों में इस प्रकार की घटनायें घटती जा रही हैं।

अब जरा बस में हो रही घटनाओं के बारे में देखने की कृपा करें। मान्यवर, बस में जेबकटी, चोरी तथा हत्या और डकैती की बातें आज आम बातें हो गयी हैं। एक माह के अन्दर शाहगंज में बस को लूटा गया। मथुरा से अलीगढ़ जाने वाली बस भी लूट ली गयी। बसें लूटी जा रही हैं और कितने ही आदमियों की हत्यायें हो रही हैं। आज का अखबार देखें। बसों में कितनी लूट की घटनायें हो रही हैं। नैनीताल-हल्द्वानी से दिल्ली जाने वाली बस में इस तरह की घटनायें घटीं। कार, ट्रक को सड़क पर रोक कर लूट लेने तथा हत्या करने की खबर रोज अखबारों में पढ़ी जा सकती हैं।

इसी तरह से हरिजनों पर अत्याचार के मामले को ले लें। इस सिलसिले में पूरे देश में जितनी घटनायें घटी हैं, सबसे अधिक घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई हैं और सबसे अधिक अत्याचार हरिजनों पर हमारे प्रदेश में हुआ है और हो रहा है। पिछले ७ महीने में ४,०२९ घटनायें अत्याचार की हरिजनों पर घट चुकी है। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मण्डल ने अपने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल, १९७७ से ३१ मई, १९७८ तक इस प्रकार की ५,७५५ घटनायें हुयी हैं। हरिजनों के घर जलाये गये हैं और उनके खेत कटवा लिये गये हैं। इस तरह से दिनों दिन ये घटनायें बढ़ती जा रही हैं।

साम्प्रदायिकता के बारे में भी यही स्थिति है। जब से यह सरकार आयी है, हिन्दू-मुस्लिम में दंगे, हिन्दू-हिन्दू में दंगे, मुस्लिम-मुस्लिम (शिया और सुन्नी) में

[श्री देव बहादुर सिंह]

सिख और सिख (निरंकारी और अकाली) में दंगे बढ़ते जा रहे हैं । इतनी दंगों की घटनाओं के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी साम्प्रदायिकता का आतंक इतना है कि अलीगढ़ और लखनऊ में कर्फ्यू चल रहा है और सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर पायी है ।

मान्यवर, इसके बाद नशाबंदी को ले लें । प्रदेश में नशाबन्दी लागू की गयी। चेक-पोस्ट लगाये जाते हैं कि शराब की रोक हो । लेकिन हमारे देखने में चेक-पोस्ट पर जो एक्साइज के लोग जाते हैं, वे खुद शराब पकड़ते हैं और खुद पीते हैं । यह जांच करें अगर आप नशाबन्दी लगाना चाहते हैं । जितने थाने हैं इन थानों की जांच करें तो ७५ फीसदी सिपाही और दरोगा आपको पिए हुए मिलेंगे । उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, उसका कारण क्या है ?

जब यह जनता पार्टी की सरकार बनी मान्यवर, तो प्रदेश में जितने ऐसे लोग थे, चाहे वे गुन्डे हों, अराजक तत्व हों, ब्लैकमार्किटियर हों या तस्कर हों, सब यह समझ बैठे की अब हमारी सरकार आ गई और इसलिए जो भय का वातावरण था समाज विरोधी तत्वों में वह दूर हो गया । आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अपराध की स्थिति बिगड़ती जा रही है और आज स्थिति यह है कि कोई भी महिला गले में मंगल सूत्र पहन कर कहीं घूम नहीं सकती । इससे बड़ी खेद की बात और क्या हो सकती है । उस दिन इस सदन में भी बात हो रही थी और कितने ही सदस्य थे जो क्षुब्ध होकर कह रहे थे कि आज हमारी जान सुरक्षित नहीं है और जिस सरकार में विधायक सुरक्षित न हों वहां साधारण जनता की हालत क्या होगी, यह तो आप समझ ही सकते हैं । मैं चाहूंगा कि मैं एक सुझाव दूं कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे अपराध हमारे प्रदेश में कम हों हमारे यहां एक लाख ६६ हजार पुलिस की आवश्यकता है, इस समय यहां एक लाख १० हजार पुलिसमैन हैं, ५६ हजार पुलिस की कमी है और जब तक यह ५६ हजार पुलिसमैनों की कमी पूरी न कर दी जाए, तब तक मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित नहीं हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि जो ५ घटक इस सरकार में हैं, पांचों ने यह किया है कि पुलिस और दरोगा को अपने हिसाब से बांट दिया गया है । एक घटक का कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस गुट के लोग उसकी मदद करते हैं । राजनीतिक हस्तक्षेप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक शान्ति और व्यवस्था की स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सिपाही हैं, उनको तीन सौ रुपया प्रतिमाह मिलता है जबकि पुलिस के कुत्तों को पालने के लिए ३९५ रुपए प्रतिमाह खर्च किया जाता है । तो जिस प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की हालत कुत्तों से बदतर है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी विचार करे कि उनके लिए भी जरा सुख-सुविधा की व्यवस्था हो । थानों की हमारे यहां कमी है, जब तक यह कमी दूर नहीं होगी तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है । मैं चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव को जो बहुत बहुत छोटा है और सरल है को मुख्य मंत्री जी इसे स्वीकार करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री गुलाब सेहरा को संशोधन प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जाने पर ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मुझे इसकी ग्राह्यता पर आपत्ति है ।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला नागरा)—

श्रीमन्, प्रस्तुत तो करने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो माननीय अध्यक्ष जी ने ग्राह्य कर लिया और इसकी ग्राह्यता पर अब चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हमारा यह अधिकार है कि कोई कार्य नियमों के विरुद्ध हो रहा हो तो मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं । जो चीज सदन में होने जा रही है वह भारतीय संविधान और इस नियमावली के खिलाफ है तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उसका विरोध करूं । आप कहें तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने एक मिनट का बंधन लगा दिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं । मैं अपनी किसी बात को दोहराऊंगा नहीं, मैं अपने प्रति न्याय नहीं पा रहा हूं । यह जो चर्चा होने जा रही है यह नियम १०३ के अन्तर्गत हो रही है । नियम १०३ यह कहता है कि 'संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।' यह चर्चा हो रही है, मान्यवर, एक सामान्य लोकहित के विषय पर, जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने ग्राह्य किया । नियम १०३, ४, ५, ६, ७ से लेकर ११२ तक आप पढ़ जाइए । जो यह पूरा चैप्टर है, इसमें कहीं पर भी इस बात का प्राविधान नहीं है कि इस पर चर्चा हो सकती है । मान्यवर, मुझे सन्देह इस बात का है । आप कृपया नियम ८५ देख लीजिए जिसके तहत संकल्प हो सकता है । संकल्प में संशोधन की प्रक्रिया है और संशोधन की व्यवस्था नियम ९५ में है । अब आप कौल और शकधर की पुस्तक देखें जिसके प्रथम पैरा में दिया है कि अगर संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो वह मूल प्रस्ताव का अंग बन जायगा और मूल प्रस्ताव की भांति ही पढ़ा जावेगा । संशोधन की स्वीकृति पर मतदान तो होना ही है । अब मैं नियम ८५ पर आता हूं । आप सारे नियमों का निलम्बन कर दीजिए, नियमावली के खिलाफ काम कर दीजिए और संशोधन स्वीकार कर लीजिए । वह प्रस्ताव का अंग बन गया । अब अगर पूरा प्रस्ताव मिलाकर पढ़े तो विचार करना होगा अगर संशोधन और मूल प्रस्ताव को मिला दीजिए तो संकल्प बन जाता है । इसमें ग्राह्यता के बारे में साफ दिया गया है जिससे बिलकुल स्पष्ट है । अगर संशोधन स्वीकार कर लें ।

मान्यवर, आप जरा संशोधन को पढ़ें । इसमें दिया है कि केरल सरकार की तरह....हमें क्या पता कि वहां क्या नियम हैं । होना यह चाहिए था कि केरल सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, हमें बता दिया जाता कि केरल सरकार क्या करने जा रही है । अगर मान लीजिए केरल सरकार में व्यवस्था है कि अगर कोई रैली होती है तो गोली मार दीजिए । तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे । इसमें आगे दिया है साम्प्रदायिक संस्थाएं, जिसकी परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए । इस

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

तरह से तो हम कांग्रेस को साम्प्रदायिक संस्था मान लें या जनता पार्टी को साम्प्रदायिक मान लें। केरल सरकार ने क्या किया है यह नहीं दिया है। अगर दोनों को मिला दें तो एक ही निश्चित विषय पर विवाद होगा। नियम इसमें नियम १०३ के अन्तर्गत चर्चा हो रही है जिसमें संशोधन का प्राविधान नहीं है। नियम ८५ में जो प्राविधान है उसके अनुसार यह सदन का विनिश्चय बनेगा, संकल्प बनेगा। दूसरे नियम में चले जायं उसके बाद भी प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होना चाहिए। इसमें एक साथ दो विषयों पर चर्चा हो रही है वह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस संशोधन को ग्राह्य कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में नियम २८४ देखें जिसके अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने इस संशोधन को स्वीकार किया है। अगर उनको कोई विरोध करना है तो जब उनको बोलने का मौका मिले तब आप उसका विरोध कर सकते हैं गुण, अवगुण के ऊपर। अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा कर बैठें। अब मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। अगर हम भिन्न भिन्न राय दे सकते हैं तो दे सकते हैं। अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है उसके सम्बन्ध में हम चाहेंगे कि आप नियम १०३ और ८५ देखें अन्यथा हमें मौका दें तो मैं कौल और शकधर की पुस्तक द्वारा सिद्ध कर सकता हूं कि अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब अध्यक्ष द्वारा अपने मेम्बर में स्वीकार किए गए प्रश्न को अग्राह्य किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो आपत्ति उठाई है उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है और इस सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव में जो संशोधन को ग्राह्य किया है उसको माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने चुनौती नहीं दी है। लेकिन गुलाब सेहरा तथा आरिफ साहब यहां आज इस संशोधन को सदन में नहीं रख सकते यह आपत्ति मेरे दोस्त को है।

जो नियम हैं उसमें निश्चित रूप से इस बात का प्राविधान है कि जो संशोधन अथवा प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा वह पहले माननीय अध्यक्ष अथवा सचिव को दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष उसकी ग्राह्यता के विषय में अपने चैम्बर में बैठकर विचार करेंगे। जिस समय संशोधन या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय दूसरे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि आखिर उस प्रस्ताव अथवा संशोधन में क्या बात कही गयी है और जिस समय वह सदन में प्रस्तुत हो जाता है तो उस समय किसी भी सदस्य को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सके। इस सम्बन्ध में पूर्व अध्यक्षों की रूलिंग हैं उसमें मैं जाना नहीं चाहता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन आपने वह व्यवस्था दी है कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी इस प्रस्ताव पर बोलते समय अपने विचार प्रकट कर सकेंगे। लेकिन यह प्रश्न अलग है। लेकिन आपत्ति यहां यह है कि गुलाब सेहरा जो जो संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह ग्राह्य योग्य नहीं है और आपने उस पर अपनी व्यवस्था नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

राजेन्द्र कुमार जी ने जो आपत्ति उठाई थी उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है और मैंने यह निर्णय दिया है कि यह आपत्ति बेबुनियाद है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री गुलाब सेहरा --

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि देव बहादुर सिंह सदस्य विधान सभा के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"और इस सदन की राय में शान्ति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केरल सरकार की तरह सभी साम्प्रदायिक संस्थाओं की शाखाओं व रैलियों के आयोजन सार्वजनिक स्थानों व शिक्षा संस्थाओं में निषिद्ध कर दिए जायं।"

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपना भाषण २-४२ पर प्रारम्भ कर रहे हैं। ठीक २-५२ पर समाप्त कर देंगे।

श्री गुलाब सेहरा---

१० मिनट कम हैं। १५ मिनट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। इसमें आप सहयोग दें।

श्री गुलाब सेहरा---

यह संशोधन इसलिए रखा गया है साम्प्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों से ज्यादा बढ़े हैं। इन साम्प्रदायिक दंगों के बढ़ने का एकमात्र कारण है एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश की शान्ति को भंग करने की चेष्टा जो उसने पिछले वर्ष से प्रारम्भ कर दी।

मैंने इसी विधान सभा में नियम ३०१ के अन्तर्गत दो प्रश्न दिए थे। धामपुर और मेरठ में हिन्दू महासभा के दो अधिवेशन हुए और उनमें एक विशेष सम्प्रदाय की बात इतनी कटुता के साथ पेश की गयी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के भाई का सार्वजनिक रूप से अभिनन्दन किया गया और अल्प-संख्यक समुदाय के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। धामपुर में भी और मेरठ में भी कहा गया कि यह लोग राष्ट्र के शत्रु हैं और इनको यह अधिकार नहीं है कि यह भारत वर्ष में रहें और इस बात की चर्चा हुई कि इनको भारत से निकाल दिया जाय। श्रीमन्, इस बात का मैंने विधान सभा में ध्यान आकर्षण करवाया नियम ३०१ के अन्तर्गत कि इस प्रदेश में शान्ति के वातावरण को कुछ समुदाय के लोग खराब करना चाहते हैं। उसका जनता पार्टी की सरकार क्या उत्तर देती है

[श्री गुलाब सेहरा]

कि "जी हां, सम्मेलन हुआ गोडसे के भाई का अभिनन्दन किया गया और अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया लेकिन सरकार कानूनी राय ले रही है कि इस सन्दर्भ में जिन लोगों ने सेमीनार किया था हिन्दू महासभा के पदाधिकारियों के खिलाफ क्या चीज की जा सकती है।" आश्चर्य इस बात का है कि आज जो दंगे अलीगढ़ में, बनारस में, कानपुर में, फिरोजाबाद में हुए उनमें आर० एस० एस० अपने को राष्ट्रवादी कहने का प्रचार करते हैं और एक कौम को इस देश का निवासी नहीं मानते है। उसी वातावरण में वहां दंगे शुरू किए गए यह काम १९७० में शुरू हुआ। लेकिन सरकार उस पर चुप रही।

आपको याद है कि अलीगढ़ के दंगों पर जब चर्चा हो रही थी, हम यह नहीं कहते हैं वहां पर यह कहा जाता है जनता पार्टी के धुरन्धर नेता वहां गए और कहा गया कि यह दंगे जो बनारस में, अलीगढ़ में हुए वह सुनियोजित थे। उनमें एक साम्प्रदायिक संस्था का हाथ है। श्रीमन्, राजनारायण जी ने २८ अक्तूबर को अपने इन्टरव्यू में जो ब्लिट्ज को दिया स्पष्ट कहा कि इसमें आर० एस० एस० का हाथ है। यही नहीं दो मंत्रियों के नाम मैं लेता हूं एक हमारे पुरुतार अनीस साहब हैं उन्होंने कहा कि दंगे कराने में आर० एस० एस० का हाथ है।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सब को धर्म प्रचार का अधिकार है लेकिन धर्म प्रचार की आड़ में संकीर्णता का विष न बोया जाय। इस बात को सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वह इस सरकार में और बढ़ी है। संकीर्ण विचारधारा के, साम्प्रदायिक संस्थाओं के कुछ लोग मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। आपको याद होगा अलीगढ़ में गुरुदक्षिणा का समारोह हुआ जिसके बारे में इंटेलिजेन्स ओर सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि वहां पर सरकारी आफिसरों ने गुरु दक्षिणा समारोह में भाग लिया और भगवा झंडों की सलामी दी। इसी लखनऊ में श्री देवरस जो एक साम्प्रदायिक संस्था के अध्यक्ष हैं जब आए तो उनको रिसीव करने के लिए मंत्री जी गए जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं जो नकर और कमीज पहन कर देवरस जी के स्वागत के लिए स्टेशन गए। हो सकता है कि वह किसी सम्प्रदाय के हो लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में सब को समान अधिकार है उसमें केवल अपने को राष्ट्रवादी कहना और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रद्रोही कहना उचित नहीं है इससे कटुता फैलती है इन लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए।

श्रीमन्, मैंने केरल गवर्नमेन्ट की बात कही थी। आज आप देखें ५ बजे प्रातः किसी पार्क में स्थान नहीं मिलता है उनके अन्दर शाखायें लगती हैं अटेनशन का हिन्दीकरण सावधान सिखाया जाता है। लाठियां चलाई जा रही हैं। तो उस चीज की बुनियाद इसी बात पर पड़ी है कि केवल संकीर्ण विचारधारा के आधार पर ही इस देश में रहना है और जो अल्पसंख्यक हैं उनको निकाला जाय। आपभी प्रातःकाल जाते होंगे कोई स्थान नहीं मिलेगा, सड़कों पर जुलूस निकलते हैं। उनके आदमी जब से शासन में मौजूद हैं खुले आम लाठियां चौराहों में चल रही हैं, सड़कों पर घूम रही हैं। विशेष रूप से जब भी आर० एस० एस० की कोई रैली होती है तो उसे अल्पसंख्यकों के मोहल्लों के मध्य से निकाला जाता है, इस तरह से उनमें आतंक का वातावरण पैदा किया जाता है। अतः ऐसी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर रैली आयोजित करना और शाखाओं को लगाना सरकार की ओर से निषेध किया जाए।

इनके शासन काल में शान्ति और व्यवस्था कि भी स्थिति बड़ी खराब है। जनता पार्टी के लोग बड़े होशियार हैं, जब अपराधों के सम्बन्ध में सारे पुराने रिकार्ड टूटने लगे, तो बृज में जो एक कहावत है कि 'निर्बल की बहू सबकी भाभी होती है', उसके अनुसार इन्होंने भी एक हरिजन को गृह मंत्री बना दिया, जिससे सब चोट उस पर पड़े, सारी बदनामी उसके सिर पड़े। वह तो हरिजन मंत्री हैं ही, अन्य भी कई हैं। किन्तु उनकी चलती कितनी है। एक आदेश गृह मंत्री का निकला कि जो १४ वर्ष से एक जिले व डिवीजन में पुलिस कर्मचारी नियुक्त हैं, उनका आवश्यक रूप से स्थानान्तरण होगा। इन्होंने जितने ट्रांसफर किए, उसमें धुरन्धर लोगों ने, जिनके ऊपर तक कनेक्शन थे मंत्रियों तक थे, उन सबने अपने ट्रांसफर रुकवा लिए, ऐसे सबके रुक गए। ईस्टर्न और वेस्टर्न जिलों को मिलाकर ऐसे ४० पदाधिकारियों की मेरे पास लिस्ट है, जिनके सबके ट्रान्सफर रोक दिए गए। इसमें भी केवल गरीब और हरिजन मारे गए। उनको दूर फेंक दिया गया। ताकतवाले लोग रुक गए। मंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। जब मैंने इस बारे में मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा यह स्टे मेरे आदेश से नहीं हुए, ऊपर वाले के आदेश से हुए। तो यदि केवल बदनामी के लिए हरिजन मंत्री को नियुक्त किया गया है तो मैं रामसिंह जी से कहूंगा कि इसमें आपके बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

सिविल पुलिस में जितने हरिजन थे, उनमें से अधिकांश को निकालकर सेल में रखा गया है। हाइडिल सेल में १२ में से ९ हरिजन हैं। मैनपुरी में डकती में सिपाही मारे गए और ८-८ व्यक्ति एक साथ कत्ल कर दिए गए। ४२ गोली काण्ड हो गए। आज स्थिति यह है कि आप पैदल नहीं चल सकते, रिक्शा-मोटर में नहीं चल सकते हैं। विधायकों की यह स्थिति है कि शम्भूनाथ चौधरी को यहां लूट लिया गया। अब क्या यही बाकी है कि मंत्रियों को लूटना शुरू हो, तो वही हो सकता है। ऐसा नम्बर लगा है गोली कांडों का कि कुछ कहने को नहीं। पहले छात्रों पर लाठी चार्ज हुए, मजदूरों पर हुए, फिर हरिजनों पर हुए और अब राजनीतिज्ञों पर भी लाठीचार्ज हो रहे हैं। हमारे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर १७ जगह लाठी चार्ज हुए। अब तो इनकी लाठी अन्धे की लाठी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा—

दो मिनट और। यह जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है कि वह इस्तीफा दे दें। इतना ही नहीं अन्धे, लाचार और अपाहिज लोगों पर लाठीचार्ज विधान सभा के सामने किए गए हैं। उसके फोटो देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए, किन्तु उस पर गृहमंत्री जी का ध्यान नहीं गया। श्रीमन्, यह अपाहिज लोगों पर भी लाठी चार्ज और गोली इस्तेमाल करने लगे हैं। अन्त में मैं यह कहूंगा कि ऐसी संस्थाओं पर, जो शान्ति और एकता के वातावरण को अपनी साम्प्रदायिक संकीर्णता से भंग करती है, रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी रैलियां और शाखाएं शहर के सार्वजनिक स्थानों पर न हों।

श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, यहां हम शान्ति और व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस प्रदेश में गृह मन्त्री कोई है ही नहीं। पुलिस मंत्री जरूर है।

श्री बैजेश्वर सिंह (जिला बलिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कोई मंत्रि-परिषद के मंत्री हैं, वह बात में मशगूल हैं, अगली पंक्ति में बैठे हैं। जरा उनको आप ठीक करें, यह परिवहन मंत्री जी हमारे हैं।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था, शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश में कोई गृह मंत्री है ही नहीं। पुलिस मंत्री जरूर हैं, श्री राम सिंह। पुलिस के मामलों में, श्री गुलाब सेहरा की आधी बात का मैं समर्थन करता हूं, ये दोनों आपस में बंटे हुए हैं। आधा काम पुलिस का माननीय मुख्य मंत्री देखते हैं और आधा काम गृह मंत्री देखते हैं। नतीजा यह होता है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। हमारे राम सिंह जी सार्वजनिक जगहों पर पूछते हैं हरिजनों में चमार श्री गुलाब सेहरा ने कैसे समर्थन कर दिया, उनके बचाव में बातें कह दीं, उनको शायद अनुभव होगा। गृह मंत्री जी जब किसी से बात करते हैं सार्वजनिक स्थान पर वहां भी पूछते हैं, अगर कोई चमार इंसपेक्टर हो या एस० पी०, डी० एस० पी० हो तो उसको आगे बढ़ा दूं, प्रोमोशन कर दूं। कभी-कभी फेहरिस्त दिखा देते हैं कि हमने इतने लोगों को आगे बढ़ा दिया। इतने को एस० पी० इतने को डी० एस० पी० बना दिया। जहां पर पुलिस मंत्री हो और वह भी ऐसा नजरिया रखे, वहां शान्ति व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है?

शान्ति-व्यवस्था के विषय में साम्प्रदायिक संस्थाओं की चर्चा श्री गुलाब सेहरा जी ने की है। उनके विषय में मैं सहमत हूं। सार्वजनिक जगहों पर रैलियां और शाखाएं नहीं लगनी चाहिये। लेकिन इस मामले में श्री जवाहर लाल नेहरू ने ही शुरू में भूल कर दी। हमारे संविधान के निर्माताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अंग्रेजी का शब्द 'सेकुलर' रखा था संविधान में, जिसका अर्थ होता है 'इहलोकवाद' इस दुनिया से परे कोई चीज नहीं है। लेकिन जब-जब आपस में संविधान निर्माताओं में झगड़ा हुआ तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसको यों ही रहने दो। जब रूपांतर करने लगेंगे देश की भाषाओं में तो वहां लिख देंगे 'धर्मनिरपेक्ष' इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी धर्म चाहे वह माने। नतीजा यह रहा कि कुछ चड्ढी वाले शाखाएं लगाने लग गये, कुछ और किस्म की रैलियां करने लग गये। आप नहीं रोक सकते हैं। अगर सचमुच सेकुलर यानी इहलोकवाद को माना होता तो यह जो तामझाम होती है कि पुल का निर्माण हुआ तो पूजा करने चले गये यह सब न होता।

श्री देव बहादुर सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखते हुए आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों को लगा कि उनकी ही सरकार बन गयी। मैं पूरी तरह उनकी बात से इंकार नहीं करता। हो सकता है कुछ अंश में उनकी बात सही हो। कल या परसों जब माननीय ओम प्रकाश जी बोल रहे थे तो उन्होंने भी इन्दिरा गांधी के लहजे में कह दिया कि सारे असामाजिक तत्व जेल में चले गये, अपराध कम हो गये। यही इन्दिरा गांधी कहा करती थीं और उसी लहजे में फासिस्ट की तरह से हमारे ओम प्रकाश जी ने भी कह दिया कि इन्दिरा गांधी के नाम पर जो आंदोलन चला उसमें सारे असामाजिक तत्व जेल के अन्दर चले गये और अपराध कम हो गये। इस तरह से माननीय ओम प्रकाश और माननीय देव बहादुर सिंह दोनों के सोचने का ढंग एक है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से सोचना बन्द कर दें अन्यथा इससे न तो देश का खैर न प्रदेश का लाभ होने वाला है।

मान्यवर, मैं इस अवसर पर अपने जिले की भी बात कह दूं। हमारे जिले में कुंडा तहसील में हथगवां गांव है। एक कांसटेबुल विजय चन्द्र थे। चार हल्कों में उनका ट्रान्सफर हुआ। यह तबादला शिकायतों पर किया गया। किसी की शिकायत थी कि उसकी लड़की को उसने छेड़ा, किसी की शिकायत थी कि उसकी स्त्री को उसने छेड़ा और किसी की शिकायत थी कि उसकी मां को उसने छेड़ा। उसका चार बार हल्का बदला गया। पांचवी बार उसका तबादला हथगवां के हल्के में कर दिया गया। वहां वह लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहा। पता नहीं क्या चमत्कारी बात उसने कर दी। ऊंची जाति वालों को नहीं छेड़ता था। अहीर कोरी, गड़रिया, चमार, पासी आदि की लड़कियों को छेड़ता था और ऊंची जाति वाले उसकी मदद करते थे। एक दिन, दिन के ११ बजे शराब पीकर विजय चन्द्र बाजार होकर निकला। अहीर और कुर्मी के घरों की लड़कियां घास काट कर आ रही थीं, क्योंकि बरसात में घास छीली नहीं जाती काटी जाती है। विजय चन्द्र ने बाजार से १०० गज की दूरी पर उन लड़कियों से छेड़खानी की। लड़कियों ने इस पर उसे मारना शुरू किया। वह शराब के नशे में था इसलिए रेसिस्ट नहीं कर पाया और लड़कियों ने मारते-मारते उसे मार डाला। पुलिस ने बदले की भावना से तीन आदमियों को मार दिया और कह दिया कि नक्सलपंथी थे जबकि सारी रिपोर्टें कहती हैं कि प्रतापगढ़ में कोई नक्सलपंथी है ही नहीं। हमारे साथियों ने सवाल उठाया, तो राम सिंह जी ने जिन्हें मैं पुलिस मंत्री कहा करता हूं एक बयान पढ़ दिया। मेरी समझ में कोई बात आयी नहीं तो उनके बयान को मैंने विधान सभा में फाड़ दिया था। वह इतने गुस्से में आए कि अपने गृह सचिव और मुख्य सचिव की बात को भी नहीं माना। गृह सचिव और मुख्य सचिव कह रहे थे कि नक्सलपंथी नहीं हैं और उसका तबादला कर दिया जाय और जांच करवायें। उसके बाद यह हुआ कि तीन आदमियों को मार कर गंगा में फेंक दिया और उनकी लाश भी नहीं मिली। फिर १०० औरतों को इकट्ठा किया जिनके गुप्तांग में बेंत और मिर्चा का पाउडर डाला गया, जिससे दो गर्भवती औरतों का गर्भपात हो गया। इसके बाद काफी जद्दोजहद और लिखापढ़ी तथा पत्रकारों के छापने के बाद यह नतीजा हुआ कि डी० आई० जी०, ए० पी०, डी० वाई० एस० पी० के ट्रान्सफर हो गये। इंसपेक्टर और सब-इंसपेक्टर आज भी वहीं बने हुये हैं इतने अत्याचारों के बाद। मैं यह कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बात चलती रहेगी तो इसमें सुधार आवश्यक है।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला-खीरी)--

मान्यवर, इस माननीय सदन में शान्ति और व्यवस्था की चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप सभी के भाषण इतनी देर तक सुनता रहा तो उनमें मुझे केवल एक ही बात नजर आयी कि दूसरे पर आरोप लगाये जाते हैं। शान्ति-व्यवस्था खराब है तो उसका क्या कारण है और उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिये ?

मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था प्रदेश की जो यह कहा जा रहा है कि निरन्तर गिर रही है मैं इससे सहमत नहीं हूं। शान्ति और व्यवस्था निरन्तर गिर नहीं रही है बल्कि इसको यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि शान्ति और व्यवस्था निरन्तर गिर रही है और उसका एकमेव कारण यह है कि शान्ति और व्यवस्था को गिराने और उठाने का काम हमारे पत्रकार बन्धु कर रहे हैं। शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा होती है या गन्ने की समस्या पर चर्चा होती है या सार्वजनिक समस्या पर चर्चा होती है या किसी विधेयक पर बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेश चन्द्र]

हो रही हो तो पत्रकार बन्धु गैलरी में बैठे नहीं मिलेंगे। वह ऐसी वैसी बात लिखने का प्रयास करते हैं। केवल पत्रों द्वारा ही शान्ति और व्यवस्था खराब देखी जा रही है।

आज जो आरोप लगाया जा रहा है और माननीय देव बहादुर जी का जो यह प्रस्ताव आया कि शान्ति और व्यवस्था निरन्तर गिर रही है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके मुताबिक शान्ति और व्यवस्था का नमूना केवल जून, ७५ से मार्च, ७७ तक हो सकता है, लेकिन मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि उनके पीरियड में भी इतने जघन्य अपराध हुए, डकैती और लूट-पाट हुई, लेकिन वह प्रकाश में नहीं लायी गयी। लेकिन आज उन्हीं बातों को लेकर उछाला जाता है। अब मैं इस बात को दुहरा देना चाहता हूं कि क्या इमरजेन्सी में हजरतगंज में कत्ल नहीं हुआ, अमीनाबाद में व्यापारी को लूटा नहीं गया, शुभ्रा हत्या कान्ड नहीं हुआ, डा० गौतम की हत्या नहीं हुई और क्या सेन्ट्रल बैंक की डकैती नहीं हुई थी? सारे काम होते थे लेकिन किसी को कहने का मौका नहीं था लेकिन आज जबान खुली हुई है जिसके कारण गा रहे हैं कि शान्ति और व्यवस्था गिर रही है। यह गिर नहीं रही है लेकिन हां, जितनी होनी चाहिये वह नहीं है।

शान्ति और व्यवस्था ठीक करने के लिए विरोधी पक्ष को ३०-३१ साल मिले लेकिन कुछ नहीं कर पाये और अब यह प्रयास कर रहे हैं कि शान्ति और व्यवस्था कायम न रहने पावे और उसी को लेकर अब उछालने का प्रयास किया जाता है। अध्यापकों की हड़ताल में योगदान दिया और विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल में योगदान दिया और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि ला एण्ड आर्डर गड़बड़ हो रहा है। जो विरोधी साथी इस बात का तर्क रख रहे हैं कि शान्ति और व्यवस्था गड़बड़ हो रही है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था इस सदन में बैठकर नहीं बनाये रखते हैं, गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। अगर यह ऐसा करेंगे तो जनता क्या कहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी पक्ष ने माइक तोड़े हमारे साथियों की खोपड़ी फूटी, घड़ी तक चोरी गयी और जंजीर तक चुरा ली गयी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या-क्या दफायें हैं तो नोट कर लें, ये हैं ३९५, ३९७, ४५२ जो बनती हैं और ये कहते हैं कि शान्ति व्यवस्था निरन्तर गिरती जा रही है। सदन में बैठ कर जब आप शान्ति-व्यवस्था भंग करेंगे तो बाहर कैसे कायम रह सकती है। जब हम सदन को ठीक से चलने देंगे तभी हम अपनी इमेज को निखार रख सकेंगे और जब तक हमारी यहां पर इमेज नहीं बनेगी तब तक हम शान्ति-व्यवस्था कायम नहीं रख सकते हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व इंदिरा जी की गिरफ्तारी हुई। उस प्रश्न को लेकर प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था में गड़बड़ हुयी और इस गड़बड़ को करने वाले हम सदस्यगण ही हैं। क्या आवश्यकता पड़ गयी थी कि इंदिरा जी की गिरफ्तारी के बाद २-२ पान्डों से विमान का अपहरण कराया जाता है, बलिया में स्टेशन पर गड़बड़ी करायी जाती है? हम तो कहते हैं कि हमारे विरोधी भाइयों के खून में कानून के खिलाफ बगावत करना लिखा गया है। १२ जून, १९७५ को जिस समय इंदिरा जी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उस समय क्या आवश्यकता पड़ गयी कि दिल्ली में कांग्रेसियों द्वारा श्री जग मोहन लाल सिन्हा का पुतला जलाया गया, क्या यह उच्च न्यायालय की मान हानि नहीं थी? आज जब कि लोक सभा ने इंदिरा जी के खिलाफ निर्णय दे दिया तो तमाम प्रदेशों में

गड़बड़ी करने की कोशिश की गयी । लखीमपुर खीरी में जब जेल में कांग्रेसियों की तलाशी ली गयी तो शराब की बन्द बोतलें मिली । वे वहां पर बराबर जाती हैं । एक ओर तो राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर जल में शराब पीते हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

तो क्या मूत पीयें ?

(हंसी)

श्री नरेश चन्द्र--

अगर मूत्र-पान इधर है तो आप भी पी सकते हैं । अगर आप को पसन्द है तो आप भी पीजिए । अभी हमारे भाई श्री गुलाब सेहरा जी शान्ति-व्यवस्था पर बोलने के सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी नाम ले रहे थे । अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जब यहां पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी आर० एस० एस० पर प्रहार किया था । मैं आर० एस० एस० के खिलाफ बोलने वालों से बतलाना चाहता हूं कि हम शाखायें लगाते हैं, खुले में लगाते हैं । हमारी शाखायें लगने से आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है । हम आपके खिलाफ कोई गुप्त षडयंत्र तो नहीं करते हैं । जो भी कुछ कहना होता है, खुले मैदान में कहते हैं । आखिर आप हम सब पर क्यों शंका करते हैं । आर० एस० एस० पर जो भी आरोप लगाते हैं कोई भी विशेष आरोप नहीं होता है । आप आर० एस० एस० की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ही आरोप लगाते हैं । आप इसे कहते हैं कि यह एक साम्प्रदायिक संस्था है और ये आरोप आप गत ३१ वर्षों से लगाते रहे हैं । जब आप शासन में थे तो आपने इनके विरुद्ध क्यों कोई जांच आयोग नहीं बैठाया ? आपने हमारे गृह मंत्री के खिलाफ भी काफी कीचड़ उछालने की कोशिश की है, पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से उछाली गयी । वे एक हरिजन मंत्री हैं । अगर उनको मंत्री बना दिया गया तो आपको क्या आपत्ति है ? हमारे माननीय सदस्य गुलाब सेहरा जी इस बात की बराबर दुहाई देते रहे कि हरिजनों को ऊपर उठाया जाये .....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठिये ।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र--

हमने अगर एक हरिजन को गृह मन्त्री बना दिया तो उस पर आपत्ति होने लगी, एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो उस पर आपत्ति होने लगी...

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री नरेशचन्द्र--

मेरे केवल ३ सुझाव हैं ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था का ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । जैसा कि हमारे मित्र अभी कह रहे थे, शान्ति और व्यवस्था अच्छी है ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में बहुत अच्छी नहीं थी । लेकिन मैं यह तर्क नहीं मानता कि चूंकि उस जमाने में भी खराब थी इसलिए ऐसी अब भी है, यह तर्क गलत है ।

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

आपका मुकाबला हम कम्युनिस्टों से ही होगा । इसलिए हम आपको आश्वास्त अपनी ओर से कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शान्ति से सुनें) ।

श्री ऊदल--

हमारे मित्र कहते हैं कि दूसरी आजादी मिली । मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि आज हालत जो भी है उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । मैं पूछता हूं कि इन डेढ़ वर्षों में कितनी ट्रेन डकैतियां हुई ? कितनी बसें लूटी गयीं ? यह जरायम करने वाले लोग किसी के नहीं होते । आज तो हालत यह हो गयी है कि ट्रेनों में चलना मुश्किल हो गया है । अभी कानपुर से बांदा जाने वाली एक बस को बुरी तरह से लूटा गया, लोगों को मारा गया । इसके पहले एटा में, मैनपुरी में रेलवे क्रासिंग पर एक बस को बुरी तरह से लूटा गया । तो इस प्रकार की जो घटनायें आये दिन बढ़ रही हैं इन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । आप अगर समझते हैं कि यह हमारे कारण हैं, इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं, तो शासन का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही करे । शासन का तो यह भी कर्त्तव्य होता है कि वह जन-मानस में सुरक्षा की भावना पैदा करे । लेकिन चारों तरफ असुरक्षा पैदा हो गयी है । यह शासन की जिम्मेदारी है ।

श्रीमन, आज हालत क्या है । माननीय तोमर जी सरकार से सहायता मांगते हैं । माननीय बोरा जी सरकार से सहायता मांगते हैं । एक माननीय सदस्य इधर थे वह भी सरकार से सहायता मांगते हैं । प्यारे लाल शर्मा की हत्या गाजियाबाद में हो गई । शिवराज सिंह जो इसी सदन के मौजूदा सदस्य थे उनको गोली मार कर हत्या कर दी गयी । अगर आप ऐसी शांति-व्यवस्था को अच्छी समझते हैं तो आपको मुबारक, आप अपने में तसल्ली रखिये और इसका जो परिणाम होगा, वह तो आपको भोगना ही होगा । श्रीमन, आज हालत क्या है जनता पार्टी के शासन में अराजकता बेशुमार, गुंडागर्दी बेशुमार, डकैती, हत्यायें, चोरियां आज दिनों दिन बढ़ रही है । पिछले दिनों, १५ तारीख के पहले मैंने शून्य प्रहर में अकेले बनारस के लिए एक प्रस्ताव दिया था । इन तीन महीनों

में एक-एक घरों में जो डकतियां पड़ीं हैं उनमें ४-४ व्यक्ति मरे हैं। अपराधियों का पता नहीं चल रहा है। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, जो यह पुलिस मुठभेड़ दिखायी जा रही है, उसमें एक फी दी मैं सही मान सकता हूं कि पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ हुयी है बाकी ९२ फी दी लोगों को घर से बुला कर पुलिस इनकाउन्टर दिखा करके मार देती है। कानून के अन्दर जो सरकार को अधिकार हासिल है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन मानवता के नाते पुलिस को इतनी जबरदस्त छूट दे देना, इसीलिए मैं समझता हूं कि पुलिस इस सरकार की भी नहीं सुनती है।

सचिव, गृह सचिव कहते हैं कि वहां के एस०पी० का ट्रांसफर हो गया, लेकिन नीचे के जो इन्सपेक्टर और एस०आई० हैं वे आज भी वहीं पर पड़े हैं और अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पूरे इस डेढ़ साल के इस शासन में जो हुआ है, गिना दूंगा, तो बहुत बड़े अखबार की जरुरत उसे छापने से लिए पड़ेगी। मैं पूछता हूं कि क्या अराजकता की वजह से इन पिछले दिनों में सारी की सारी शिक्षण संस्थायें चाहे विश्वविद्यालय इलाहाबाद, विश्वविद्यालय गोरखपुर, पन्तनगर विश्वविद्यालय हों, क्या बन्द नहीं रहे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वदेशी काटन मिल, पन्तनगर, लखनऊ, बनारस वगैरह में गोली चली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमन्, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मसले पर पार्टी का मसला न बनाकर सरकार गम्भीरता से सोचे। आज इन्सान की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है। सरे आम बाजार में दिन दहाड़े औरतों का चलना मुश्किल हो गया है। उनके गले की जंजीर आज छीनी जा रही है।

श्रीमन्, मैं आप से कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के अलावा श्रीमन्, आज देव बहादुर जी ने जिक्र किया, मैं पूछना चाहता हूं कि गोमती प्रसाद जो इस सचिवालय का चपरासी था, वह रायबरेली में मर गया, उस व्योरे में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि क्यों मरा, कैसे मरा, उसका पोस्टमर्टम हुआ, सरकार की रिपोर्ट आ गयी कि गोमती की लाश को जला दिया गया और गोमती के परिवार वाले जब २-३ दिन बाद खोजते हुये पहुंचे, तो उसकी लाश गोमती नदी में पड़ी हुई पाई। अगर पुलिस इस तरह की कार्यवाही करेगी तो शान्ति व्यवस्था कैसे कायम रहेगी। आज तो पुलिस अराजक तत्वों को सहायता पहुंचा रही है और उनसे मिली है तो देश के अन्दर अमनोमान कायम नहीं रह सकता।

श्रीमन्, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, पिछले डेढ़ सालों का रिकार्ड देख लिया जाय तो बातियों ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें हवालात के अन्दर लोगों को बुरी तरह से पुलिस ने पीटा गया और लोग मर गये हैं जिस पर मैजिस्ट्रेट की जांच बैठायी गयी है। पौण्डा जिले का मामला था। वहां थाने में एक होम गार्ड को जान से मार दिया गया और वहां एस० ओ० उसकी लाश ले कर भाग गया। तो जब इस तरह के कार्य होंगे तो शान्ति और व्यवस्था खतरे में रहेगी। अभी जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आर० एस० एस० की बढ़ती हुई ताकत से लोगों के दिल पर सांप लोटता है। तो अगर इस देश को साम्प्रदायिकता से बचाना है तो जो दल या संगठन साम्प्रदायिकता का जहर फैलाते हैं चाहे वह आर० एस० एस० हो मुस्लिम मजलिस हो या जो भी सांप्रदायिक ताकतें हों। चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे स्कूलों के ग्राउन्ड्स हो इस तरह का प्रचार और प्रसार करती हैं तो उन पर रोक लगानी पड़ेगी। अगर रोक नहीं लगायी गयी तो इस देश का धर्म निरपेक्षता का स्वरूप कभी कायम नहीं रह सकता है। सरकार मजबूत नहीं है राम सिंह जी बेचारे क्या करें? यह तो घटकों और अनुशासन हीनों की सरकार है, यह हरिजन विरोधी और अल्प संख्यक विरोधी सरकार है।

[श्री अदम]

जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को लड़ा कर अपना राज्य कायम करना चाहा था उसी तरह से जनता पार्टी की सरकार सबको लड़ाकर सबको तबाह करके अपने राज्य को कायम रखना चाहती है ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन में विचार हो रहा है ।

एक सदस्य---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी आज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बोलने दें । मैंने पंडित जी को बुला लिया है ।

श्री उदित नरायन---

श्रीमन्, मानव का अस्तित्व तो समाज के ऊपर निर्भर किया करता है और निसंदेह समाज शांति और व्यवस्था के उपर ही कायम रह पाता है । श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज शांति और व्यवस्था जिसे अंग्रेजी में ला-एंड आर्डर कहते हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है । हमारे प्रान्त में खराब है, लेकिन श्रीमन्, सिर्फ इसी प्रान्त में खराब नहीं है । यदि आप देखेंगे तो शायद इस देश का कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं होगा, चाहे उसमें जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार है और चाहे उसमें किसी दूसरे दल की सरकार है । यह बताने की कोशिश करना कि एक अमुक व्यक्ति की वजह से या एक विशेष दल की वजह से या शासन की वजह से कोई व्यवस्था खराब हो रही है, यह श्रीमन् तरकीब है या दलील है, केवल राजनीतिक विरोधी को हेय सिद्ध करने की और समस्या के समाधान से भागने की । यदि हम एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने से लगे रहेंगे तो उससे हमारे यहां की न तो कोई शांति व्यवस्था ही सुधरेगी और न उसमें हम कोई सहयोग ही दे सकेंगे । श्रीमन्, इसमें संदेह नहीं है कि सब जगह शांति और व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसके कोई बहुत ही गहरे कारण हैं जिनमें यदि हम नहीं जायेंगे आमूल परिवर्तन नहीं करेंगे, नये विचारों को सामने नहीं रखेंगे, ई धारणा नहीं बनायेंगे, नई नीति नहीं बनायेंगे तो जिस तरह आज तक जो रीति चलती आयी है, कांग्रेस, एस० वी० डी० और फिर कांग्रेस के जमाने में, तथा आज जो हमारे जमाने में चल रही है और आगे जो चलेगी उसमें कोई अन्तर नहीं आने वाला है । इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश और प्रान्त के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि एक गांव, एक व्यक्ति, एक थाने की बात न देख कर जो समाज का रोग है उसकी क्या दवा और क्या इलाज हो सकता है, उसकी तरफ हमको जाना चाहिये ।

मान्यवर, यदि आप मुझे इजाजत दें तो, वैसे मैं पढ़ना मुनासिब नहीं होता है, मैंने एक पत्र इसी विषय के ऊपर जिस समय हमारे यहां केन्द्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि हम निरोधक कानून को जो हमारी दण्ड प्रक्रिया संहिता है उसका एक अंग बना दें, उसके संदर्भ में एक पत्र माननीय गृह मंत्री जय चौधरी चरण सिंह जी के और मोरार जी को लिखा था जो निरोधक कानून से सम्बन्धित था, उसको छोड़ दें, लेकिन मैंने जो शांति और व्यवस्था जिसकी

सही करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही थी उसके बारे में लिखा था वह मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी प्रतिलिपि हमने मुख्य मन्त्री जी को भी भेजा था। मैंने मुख्य मन्त्री से कई बार कहा कि एक बार बैठकर शान्ति और व्यवस्था पर विचार कर लें लेकिन उन्होंने हमारी दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया। श्रीमन्, मैंने उनको लिखा था कि शान्ति व्यवस्था न सुधर सकने के वास्तविक दो कारण हैं। पहला तो शान्ति व्यवस्था के लिये जिम्मेदार विभाग और उनके अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और दूसरे उन कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप। दोनों परस्पर एक दूसरे के कार्य और कारण होते चले जा रहे हैं और एक ऐसा सर्किल बन गया है जिससे निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है।

उत्तर प्रदेश जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सम्मुख बोलते हुए मैंने निवेदन किया था कि बड़े से बड़े अधिकारियों को शांति व्यवस्था बिगड़ने के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। श्रीमन्, मैं इसी जगह पर जिस मूलभूत सिद्धांत की तरफ आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सबसे बड़ा कारण शान्ति और व्यवस्था के बिगड़ने का यह है कि हम सब जगह शान्ति और व्यवस्था को सुधारने और कायम रखने की जिम्मेदारी एक पुलिस विभाग पर डाल रखी है। श्रीमन्, दुर्भाग्य से इस विभाग के अधिकारियों को और इस विभाग के मंत्रियों का कहूं, तो, हर्ज नहीं होगा, सबका दृष्टिकोण दण्डात्मक प्रिविटिव हो गया है, जबकि दृष्टिकोण, इनकी कार्यवाही, जिसको अंग्रेजी में, प्रिवेन्टिव कहते हैं, निरोधात्मक होनी चाहिए, लेकिन उसको यह लोग समझते हैं कि लोगों को सजा दिलाने का काम इनका है। सजा देने का काम न्याय पालिका का होता है, पुलिस का काम यह होता है और वह यह है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी है। उसको तनख्वाह इस बात की नहीं दी जाती कि अगर कत्ल कर दिया जायगा तो उसके बाद क्या दन्ड मिला। वह विभाग इस बात के लिए रखा जाता है कि यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि कत्ल नहीं होने पाये। आपके सामने बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या हमने इस बात को नहीं देखा कि अगर किसी मन्त्री के विभाग में कोई घटना घटित हो जाती है रेल मन्त्री के विभाग में अगर लगातार चार रेलों की दुर्घटना हो जाया करती है तो दूसरे रोज इस बात की मांग होती है कि रेल मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिए। और इस देश में श्रीमन्, ऐसे उदाहरण भी पेश किये गये हैं कि जिसमें रेल दुर्घटना के कारण रेल मन्त्री ने इस्तीफा भी दिया है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे पांच मिनट और दिये जायं। मैं कुछ काम की बात कह रहा हूं, नहीं तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रुदित नरायन--

मेरा निवेदन है कि मुझे पांच मिनट और दे दें और अगर नहीं मिल सकते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री उदित नरायन--

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था अब मैं विस्तार से नहीं कह सकूंगा थोड़े से ही में मुझे कहना पड़ेगा लेकिन आप कृपा कर मेरी बात सुन लें कि यदि किसी थाने और चौकी के नजदीक दो नहीं ३-४ हत्यायें और डकैती हो जायं तो चाहे उसका कोई कसूर हो या न हो लेकिन वहां के अधिकारी को यह महसूस होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। उनको उसमें सजा जरूर दी जानी चाहियें। निलम्बित भी किया जाना चाहिए, कि उनका प्रमोशन भी रोका जाना चाहिए, एफिसियेन्शी इस बात पर निर्भर करनी चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनायें होने से रोक सकते हैं या नहीं जिससे उनके क्षेत्र में इस किस्म की घटनायें न हों। मुझे एक उदाहरण देना था वह आपके सामने निवेदन कर रहा हूं और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा क्योंकि अधिक समय नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था के तौर पर कि हमारे यहां इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है और वह औपचारिकता मात्र हुआ करते हैं। जरा सोचिए यदि कोई वास्तव में कुछ कहना भी चाहते हैं तो दस मिनट में कैसे कह सकते हैं। इतने समय में तो भूमिका भी आरम्भ नहीं कर सकते। यह जरूर है कि कहने को हो जायगा कि शान्ति और व्यवस्था के बारे में यहां बहस हो गयी और हमारे मित्रों ने उसका हम लोगों को मौका दिया। क्या मौका दिया। कोई मौका नहीं दिया। श्रीमन्, इस समय आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं यदि अध्यक्ष जी होते तो उनसे कहता कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर कितना समय दे रहे हैं।

आपके सामने एक घटना सिर्फ बता देना चाहता हूं। मेरे जिले में ही एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या दिन में थाने से २०० कदम के फासले पर हो गई। हमारे यहां के मोदा बस स्टेशन से बस से आदमी को बाहर खींच कर गोली से मार दिया गया। ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने सात दिन पहले हमीरपुर में आपके आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी० को बतलाया था कि इस आदमी की हत्या सात दिन के अन्दर कर दी जायगी और इसके मारने वाले फलां आदमी होंगे और उनके पास यह हथियार हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री उदित नरायन--

हत्या हुई और उस अधिकारी के खिलाफ आज तक किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे हालात में शान्ति व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो जायगी?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राधे श्याम शर्मा इस अनुरोध के साथ आप बोलें कि सात मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, दस मिनट का समय दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुलाब सेहरा जी तो इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन माननीय देव बहादुर जी मौजूद हैं। मैंने उनके और अन्य कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मान्यवर, इससे तो आज कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। इस तथ्य को तो आज छिपाया नहीं जा सकता कि विरोधी दल और हमारी तरफ

के जो लोग कह रहे हैं, वह जनता की मनःस्थिति है। लेकिन मैं माननीय श्याम धर मिश्र और देव बहादुर जी से कहूंगा चाहूंगा कि आज सारे देश में जनता पार्टी की अकेली सरकारें नहीं हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है। आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में भी करीब-करीब आपकी सरकार है। केवल उत्तर भारत के राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं जानता हूं, माननीय गुलाब सेहरा जी और माननीय देवबहादुर जी आंकड़े देने में बहुत ही विद्वान हैं। लेकिन आंकड़े मैं भी रख सकता हूं। यह तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज ला एन्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है लेकिन दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप देख लें। जहां पर आपके सबसे बड़े नेता देवराज अर्स हैं, कर्नाटक में क्या स्थिति है। केवल दो महीने में १,७०० डकैतियां, ४०० रोड डकैतियां, ३७२ लूट, ४६ हत्यायें, ८५२ राहजनी, ३५२ बिजली के तार काटने की घटनायें, ८२ राजनैतिक हत्यायें, ३२ रेल की पटरी हटायी गयी....

श्री श्यामधर मिश्र--

तो क्या आपकी सरकार इस मामले में प्रतियोगिता बढ़ा रही है ?

श्री राधे श्याम शर्मा--

केवल आंकड़े पेश न करने की बात है, तो आंकड़े मैंने भी आपके सामने रख दिया। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहा हूं। दरअसल यह सारे समाज का मामला है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि सारे मुल्क के लोगों के साथ सब सी० आई० डी० लगा दी जाय तो क्या जिम्मेदारी है कि सी० आई० डी० भी ईमानदार होगी ? तो यह सबकी मनःस्थिति का मामला है।

अब मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मान्यवर, जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से बराबर कोशिश होती गयी कि किस तरह से इस को विफल किया जाय। क्यों ? क्योंकि इसने बहुत ही शक्तिशाली लोगों को गिराया था। किस तरह से सरकार बनी, यह सबको मालूम है। आज जरा मथुरा चले जाइये। इसी २१ दिसम्बर तारीख की घटना है। वहां की घटना से वहां का सारा समाज रो रहा है। वहां एक चम्पा अग्रवाल कालेज है कोतवाली के बीच में। आपके भूतपूर्व कानून और न्याय मन्त्री जी सैकड़ों लोगों के साथ चम्पा अग्रवाल कालेज में घुस गये। इन लोगों के पास बंदूकें और रिवाल्वर, चाकू और छुरे थे। ऊदल भाई उसको देख लें। वहां जा कर कालेज की दीवार गिरा दिया। उसके बाद लड़कों और मास्टरों में हड़कम्प मच गया। ७ लड़के दब गये, ३ के अगुलियों में चोट आयी, दो लड़कों के कान टूट गये और वे बहरे हो गये, ५/६ की टांगें टूट गयी और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। लेकिन आपकी शिकायत लाठी चार्ज से होता है। मुझे दुःख होता है ऐसी अराजकतापूर्ण घटना को बताते हुये कालेज में इस तरह का हड़कम्प हो रहा है, और हां की पुलिस मूकदर्शक की तरह से सब देखती रही और केवल धारा १४४ में बराय नाम कुछ लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि पुलिस डरती थी कि जनतन्त्र का जमाना है। कहीं दुबारा ये लोग पावर में आ गये तो कुशल नहीं रहेगी। तो माननीय मिश्र जी, यह ला एन्ड आर्डर की बात जनता पार्टी की बात नहीं है। यह तो एक राष्ट्रीय मामला है। यह ऐसा मामला है कि सबको मिलकर इसको ठीक करना चाहिये।

अब माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात कहूंगा जिसको कहने में मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाय तो क्या होगा ? तो मुझे इस बात की शिकायत है।

एक सदस्य--

वह चिट्ठी तो पेश कर दें ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

उसको पढ़ दूंगा ।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब रक्षक ही भक्षक हो जायें तो हमारे लिये मुश्किल हो जाता है । मान्यवर, एक घटना का मैं जिक्र करता हूं । मैं जानता हूं कि सारे सदन में इस घटना को सुनकर हलचल पैदा हो जाएगी । २९ जुलाई को यह घटना है । मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आकृष्ट करना चाहता हूं । २९ जुलाई, १९७८ को एक आदमी रामचरण, थाना इगलास ग्राम नवीनगर ने माननीय गृह मंत्री जी को दरखास्त दिया है, भारत सरकार के गृह मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को, तमाम जगह दरखास्त दी कोई जगह नहीं छोड़ी, २५ जगह दरखास्त दी । एक ही बात सब में है । दरखास्त तो बहुत लम्बी है । मैं इसका कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुना रहा हूं । उसमें लिखा है 'दिनांक २५ जुलाई, सन् १९७८ को थानाध्यक्ष, इगलास ने मुझे बुलाया और कहा कि कृषि मंत्री जी का आदेश है कि तुम गांव छोड़कर भाग जाओ । मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे नौकरी नहीं खोनी है । इस तरह से मैंने अपने लड़के को मेरठ भेज दिया । गांव में कोई नहीं है, मैं लखनऊ में पड़ा हुआ हूं और हमारी खेती खराब हो रही है । मेरे लिए सार्वजनिक सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध किया जाए, मुझे यह कहते हुये बड़ी तकलीफ होती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जायें तो वहां का प्रबन्ध कौन ठीक कर सकता है । २९ जुलाई को २५ जगह उसने दरखास्त दी और उसके २० ही दिन बाद २० अगस्त को उस आदमी की नृशंस हत्या कर दी गई । वह कहीं जा रहा था, उसे तांगे से उतार करके जबरदस्ती हत्या कर दी जाती है । मैं आज वह बात आपसे कहना चाहता हूं जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि न कहूं । आपके कैबिनेट के एक मंत्री, एक डाकू को चिट्ठी लिखते हैं, उनके हाथ की हस्तलिपि का पत्र है । 'प्रिय गजेन्द्र सिंह', यह उन्हीं की बिरादरी का आदमी है, मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा समझिये । 'प्रिय गजेन्द्र सिंह, कौम की मौत और जिंदगी का प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप केवल इसका हवाला दे दें क्योंकि सिर्फ १० मिनट का समय है । संक्षेप में आप इसको कह दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण-व्यवधान)

श्री राधश्याम शर्मा--

दो तारीख को यह पत्र पहुंच रहा है, दो तारीख को वह आदमी पहुंचा नहीं । १५-२० दिन बाद उस आदमी की हत्या कर दी गई । यह कृषि मंत्री कौन हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर ? उन्हीं का यह पत्र है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं बड़े दिन से इस बात को सोच रहा था । यदि यह पत्र उनका न हो तो आप जो बड़ी से बड़ी सजा मुझे देना चाहें, मैं उसके लिए तैयार हूं ।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा सिन्धु (जिला आगरा)--

माननीय कृषि मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

सरकार ने सी० आई० डी० जांच का आदेश दे दिया। जो भी सी० आई० डी० जांच हो रही है, उसका जो नतीजा होगा, वह निकलेगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ाई के साथ ला एंड आर्डर पोजीशन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जनता स्वच्छ प्रशासन चाहती है। हम यदि न्याय देंगे तो जनता में जनकल्याण-कारी भावना पैदा होगी। इसके साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। इस आशा के साथ कि इस तरह की घटनायें फिर नहीं घटेंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हामिद रजा खां, आप अगर ७ मिनट लें तो बड़ा अच्छा होगा।

(श्री गौरी शंकर के खड़े होने पर)

श्री गौरी शंकर जी, दो आदमियों को मैंने इधर से बुलवा दिया, अब आप उनको मौका दें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

चौधरी साहब, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री गनेशी लाल चौधरी --

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आदरणीय शर्मा जी ने इस सदन के सामने जिस पत्र का हवाला दिया, वह एक मंत्री जी के खिलाफ भारी आरोप है। मेरा निवेदन है कि श्री शर्मा जी से वह पत्र सदन की मेज पर रखवा लिया जाय ताकि वह सदन की प्रापर्टी बन जाय। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और इसे हाउस की प्रापर्टी बना दें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गनेशी लाल चौधरी ने एक आपत्ति उठायी है। लेकिन शर्मा जी ने वह पत्र पढ़ना आरम्भ ही किया था, तभी मैंने कहा कि आप संक्षेप में हवाला दे दें और उन्होंने हवाला उन्होंने दिया और अक्षरशः नहीं पढ़ा। इसलिए आपकी आपत्ति अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा पुनः श्री हामिद रजा खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि श्री राधेश्याम जी ने एक पत्र पढ़ा और यह कार्यवाही में आ गया तो यह पत्र किस सन्दर्भ में लिखा गया होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पत्र अब माननीय सदन की सम्पत्ति बन गई है। इसे सदन की मेज पर रखा लिया जाय और इसकी जांच कराई जाय कि यह पत्र किस सन्दर्भ में लिखा गया है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर एक निर्णय ले चुका और मैंने पूरा पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं दिया । इसलिए यह पत्र सदन की सम्पत्ति नहीं हुआ ।

श्री नेम सिंह चौहान--

या तो उस पत्र का सन्दर्भ ही सदन की कार्यवाही में न हो । लेकिन जब वह सदन के समक्ष आ गया तो उसकी जांच जरूरी है कि किस सन्दर्भ में लिखा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं । एक निर्णय मैं ले चुका हूं ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मैंने आपको नहीं पुकारा है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, मैं कभी-कभी व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । आप मेरे प्रश्न को तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपाकर बैठें, फिर मौका दूंगा । अभी नेम सिंह जी ने और चौधरी साहब ने जो आपत्ति उठाई थी, उसी को दोहराया है और उस पर मैं एक निर्णय दे चुका हूं कि मैंने उस पत्र को शब्दशः पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी । इसलिए मैं उसे सदन की सम्पत्ति घोषित नहीं करता हूं, लेकिन मैं कार्यवाही देखने के बाद इसके ऊपर पुनः विचार करूंगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है की शान्ति और व्यवस्था पर बहस चल रही है और आरोप यह लगाया जाय किसी मंत्री पर या उसके इनिशियेटिव पर किसी की हत्या करा दी जाय तो केवल उस मंत्री की जिम्मेदारी नहीं रहती है, केबिनेट स्तर का मंत्री हत्या कराता है लिहाजा पूरी कैबिनेट हत्या कराती है, जिससे यह सरकार हत्यारी बन जाती है और मंत्री ३०२ का मुलजिम बन जाता है । ऐसी स्थिति में शान्ति व्यवस्था कैसे कायम रह सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इस पर एक निर्णय ले लिया है कि कार्यवाही देखकर इस पर मैं पुनः विचार कर लूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, श्री राधेश्याम शर्मा ने जो पत्र पढ़ा है यह बहुत गम्भीर मसला है कि कैबिनेट मंत्री द्वारा एक पत्र डकैत को लिखा जाय । अब आपने यह जो निर्णय लिया कि इसे कार्यवाही से निकाल देंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने यह नहीं कहा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह मसला ऐसा है कि इस पत्र को लेकर इसकी जांच करवाई जाय और जो दोषी पाया जाय उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर बहुत गर्मागर्म बहस हो रही है और दोनों तरफ के माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन एक माननीय सदस्य, जो प्राक्कलन समिति के सभापति भी हैं, ने इतना गम्भीर आरोप एक माननीय मंत्री के खिलाफ इस सदन में लगाया है वह कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है । अगर किसी डकैत को पत्र लिखा गया और किसी एक व्यक्ति की हत्या कराई गई तो यह पत्र कार्यवाही में रखा जाय या न रखा जाय लेकिन एक स्टेटमेंट आफ फैक्ट तो हो ही जाता है । इसके लिए एक ही विकल्प रह जाता है कि इस माननीय सदन की एक समिति गठित की जाय जो इस मामले की जांच करे क्योंकि इतने गम्भीर आरोप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता । आप पीठासीन हैं और उस पद से आप एक समिति गठित कर दें जो इसकी जांच करे । मंत्री महोदय को भी अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा ताकि उनके सार्वजनिक जीवन को बचाया जा सके । यही इस समस्या का समाधान हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने एक आश्वासन दे दिया है कि कार्यवाही देखकर मैं फिर इस पर पुनर्विचार कर लूंगा । अब माननीय सदस्यों को इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। अब मैं उनको आज्ञा नहीं देता ।

(श्री उदित नरायन के खड़े होने पर)

पंडित जी, आप बैठ जायं, अब इस पर न बोलें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपने अपनी पीठ से एक शब्द का इस्तेमाल किया "पंडित जी" तो इस सदन के अंदर न कोई पंडित है और न मुसलमान, सब माननीय सदस्य हैं यह असंसदीय परम्परा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनका आदर करता हूं, इस नाते मैंने कहा । यह असंसदीय नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इनको समझा दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हाफिज रजा खां (जिला बरेली)—

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि इस प्रदेश में शांति व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। इस सदन में जो प्रस्ताव माननीय देव बहादुर सिंह जी ने पेश किया है, उसका समर्थन उस तरफ से ज्यादा हो रहा है। इसमें वह तत्व निकल कर आ रहे हैं, जो इस प्रदेश, सरकार और जनता पार्टी के लिए बड़े शर्मनाक हैं। इसमें मंत्रियों पर इस तरह के इल्जाम लगाये जायें यह गम्भीर बात है। मेरा अपना जातीय तजुर्बा है, मंत्रियों में गुटबंदी के कारण या मुख्य मंत्री की गद्दी से हटाने के लिए यह सब बातें हो रही हैं और उससे शांति और व्यवस्था बिलकुल बिगाड़ देना चाहते हैं और उन तत्वों का संरक्षण करते हैं जो अराजकता फैलाते हैं। मालूम ऐसा होता है जो बहुत पुराने चीज हैं, जो सड़ गये हैं, आपातकाल में क्या हुआ, क्या जुल्म ढाये गये, उन्होंने क्या जुल्म किए उससे ज्यादा आप बदतरीन जुल्मकार हैं। सड़कों पर, रेलों पर, और घरों में बदले की भावनाओं से इनसान के कत्ल हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं। तो वही फ्यूडल निजाम चला आ रहा है और गृहमंत्री और मुख्य मंत्री के सामने पेश किया जाय कि ला एण्ड आर्डर अच्छा है तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। यह जो बिगड़ती हुई शांति-व्यवस्था है इसमें गुटबंदी न लाई जाय। मुसीबत यह है कि जो गद्दी में बैठे हुए हैं उनको पुलिस के ऊपर अधिकार नहीं है, अनुशासन नहीं है। इसलिए आज जो रुपया खर्च कर दिया है वह कत्ल से छूट जाता है।

अभी एक बात माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कही कि साम्प्रदायिकता क्या है। दंगे हुए, यह बड़ी शर्मनाक बात है और अफसोस की बात है। कहा गया कि जिसने किसी बाग की कली को नोचा, किसी फूल को रौंदा वह कौन थे, किसी इनसान का कत्ल किया वह कौन थे? तो वह मारने वाले और मरने वाले मर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का कोई नया शब्द कोश बन गया है? क्या उन्होंने कोई नये मान उसके निकाले हैं? इस देश के अंदर हमने लोकतंत्र की बहाली की है, आप कहते हो तो सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। इन्सान की जिंदगी सुरक्षित रहे। तो जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह की बात कहें तो यह महसूस होता है कि बदले की भावना से आज यह सब हो रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि बहुत बड़ी सभ्यता के लोग, संस्कृति के लोग यहां बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, इस तरह से बदले की भावना दी जाय, रोज-बरोज इस हाउस के अंदर इस तरह की बातें होती हैं।

मैं कहता हूं कि अब बरदाश्त करने की ताकत पूरे समाज में खत्म हो गई है। रूलिंग पार्टी को उसके ऊपर होना चाहिए था। नारवादारी इंसानियत को कुचलती हुई चली जा रही है, उसके नीचे कौन कुचल जाए, उसका जहर किसको मार जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। साम्प्रदायिकता तो सभी को मिलकर समाप्त करनी चाहिए। उसको कोई एक फरीक दूर कर लेगा, यह नहीं समझना चाहिए। सियासी मदालत का जहां तक सवाल है, मैं इस विधान सभा में पहला आदमी था, जिस पर दो गोलियां सरेबाजार चलीं। उसके सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी से गुजारिश किया, किन्तु जिस डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट का उसमें हाथ था, जिस थानेदार का हाथ था, उनका किसी का तबादला नहीं किया गया। मुझको इसका बड़ा दुःख है। लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि मैं सियासी जिन्दगी में मजहब को नहीं लाया हूं या मैं अल्पसंख्यक समुदाय का हूं, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मेरा यह भ्रम शीघ्र ही दूर हो गया है, जब श्री शिवराज सिंह की हत्या हो गई और कई-कई सदस्य रोज चिल्लाते हुए यहां आते हैं कि मेरी जान की रक्षा कीजिए, मेरी जान की रक्षा कीजिए और

उनके कहने से किसी का तबादला नहीं हुआ तो हमने अपने दिलों में समझ लिया कि इनमें काम करने की सलाहियत नहीं है, नकारापन है। मैं तो उस दिन के अब इंतजार में हूं जब मुख्य मंत्री जी यहां हाउस में आकर कहेंगे कि मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मेरी जान को बचाओ।

अब मैं कुछ रिश्वत के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आज वह चीज ऐसी हो गई है कि जैसे वह हमारे दीन-ईमान का हिस्सा हो। जो आज मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और दूसरे मंत्री हैं उनको इस चीज का अभी एहसास नहीं है लेकिन जब वह अपने पद से हटकर लाइन में खड़े होंगे, इसका उनको मौका मिलेगा तब सब पता चलेगा। आज पूरे शासन पर से जनता का विश्वास उठ गया है। हर सेक्शन का उठ गया है। आप पर अब विश्वास किसी का नहीं रहा।

जहां असलहा की बात आई, अब तो हर थाने में असलहों की निजी फैक्टरियां हैं, जो बाज-बाज दरोगा के संरक्षण में चलती हैं। जहां तक शराब की भट्ठियों की बात है, आबकारी मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैंने उनसे गुजारिश किया था कि हमारे जिले को आप ड्राई कर दो, लेकिन वह उनके संरक्षण में होगा, मुझे विश्वास है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री हामिद रजा खां—

मैं अब समाप्त ही कर रहा हूं, मुझे कह लेने दीजिये, तब व्यवस्था का प्रश्न रखिए। वहां भट्ठियां हैं, नाजायज शराब पकड़ी जाए या न पकड़ी जाए, उसमें से मंगा कर पी लेंगे और पिला देंगे। उसे मुस्तकिल तौर पर रखा जाता है। यह वातावरण कुछ मनोवैज्ञानिक है। आप लोकतन्त्र के बहाली की, आजादी के बहाली की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि आपके अमाल से मालूम पड़ता है आपके राज्य में जो भी करो, जायज है। ऐसे जरिए हैं और वे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए मैं आपके साथ और आपके शासन के साथ बड़ी हमदर्दी रखते हुए कहना चाहता हूं, हालांकि आपके आमाल यही हैं कि जिस लम्हे चले जायं अच्छा है, आप इन चीजों पर कुछ गौर करें। मैं तो पछतता हूं इस विधान सभा में आने के बाद। हमने तो सोचा था कि अंधेरे से उजाले की तरफ चलेंगे, बदअमनी से अमन-चैन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब लगता है कि तबाही और मौत की तरफ जा रहे हैं।

प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था के प्रस्ताव पर बहस के लिए समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब मुझको गृह मंत्री को बुलाना है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, गृह मंत्री तो रोज ही बोलते हैं। दो मिनट हमें दे दें।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रघुवर दयाल कृपया पांच मिनट में अपनी बात कह लें ।

इस बहस के लिए माननीय अध्यक्ष ने सवा चार बजे तक समय रखा था । मैं इसका समय १५ मिनट और बढ़ाता हूं । यह बहस साढ़े चार तक चलेगी जिसमें माननीय गृह मंत्री को बुलाना होगा और श्री देव बहादुर सिंह को मौका देना होगा ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, यह प्रदेश का अहम सवाल है । इसमें अनेक सुझाव आएंगे जिनके आधार पर हमारे गृह मन्त्री कुछ विशेष निर्णय, अच्छी व्यवस्था करेंगे । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कल इसमें समय पुनः बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैं इस सम्बन्ध में गृह मंत्री से पूछ रहा हूं ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, आपने इस हाउस में मुझसे कहा कि समय दिया जायगा । आपने समय नहीं दिया । दस बार उठक बैठक करायी । यह ला एंड आर्डर का चल रहा है । अगर इस बारे में और दिन काफी समय नहीं दिया जायगा ।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने शब्द वापस लें यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । कृपया आप बैठें ।

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का सवाल है । कल के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं । गृह मंत्री की बात सुन लें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, हाउस में प्रस्ताव है समय बढ़ाने के लिए उसको उपस्थित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय गृह मंत्री से इसी पर पूछ रहा हूं, समय बढ़ाने के बारे में ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री राम सिंह) गृह मन्त्री--

मान्यवर, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, समय बढ़ाने में । जितना समय आप निर्धारित करें, जैसा आप चाहें, वैसा करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल) --

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि ६ बजे तक इस प्रस्ताव पर चर्चा चले ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आज दिन में दो घंटे की चर्चा तय हुई थी । उसके बाद दो घंटे की चर्चा तय हुई थी, शाह जांच आयोग के रपट के आधार पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर । दो घंटे पूरे हो गये या कल इस पर बहस हो । आज मेरे प्रस्ताव पर समय न घटाया जाय । या कल परसों बढ़ा लें या एक दिन समय बढ़ा दें । उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समय न लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसका समय कम नहीं होगा ।

श्री मान सिंह आजाद--

मान्यवर, दस बार उठा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर दूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, आप सुन लें । आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूं । मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को सुना तो हमारी समझ में यह आया कि समय के सम्बन्ध में आपको जैसा अधिकार है और सदन जैसा चाहे, वैसा करे । अब पांडेय जी, नेगी जी और दूसरे सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर अभी अपर्याप्त विवाद हुआ है और बहुत से सदस्यों को बोलना है । दो प्रश्न हैं । एक तो शतरुद्र प्रकाश जी का प्रस्ताव है और एक यह प्रस्ताव है जो चल रहा है । अगर दो घंटे और करना है तो इसको छः बजे तक कर लीजिये । इसका मतलब यह नहीं है कि वह जो दूसरा प्रस्ताव है वह नहीं आयेगा । कार्य-मंत्रणा समिति में और दूसरी चीजें जा रही हैं तो यह भी जायगा और इसको समय दिया जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मिश्रा जी जो पढ़ा रहे हैं यह बहुत गलत बात है ।

श्री मान सिंह आजाद--

मान्यवर, आपके अधिकार को मिश्रा जी चुनौती दे रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर हम भी विचार प्रकट करना चाहते हैं। जो नेगी जी का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् छः बजे तक इसको ले लें और उसके बाद शत्रुघ्न प्रकाश वाले प्रस्ताव को ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह शान्ति एवं व्यवस्था पर बहस ६ बजे तक चले।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकाशन का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि बोलने वाले बहुत हैं इसलिए पांच मिनट प्रत्येक सदस्य को मिलेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, दस मिनट रख।

श्री उपाध्यक्ष--

अधिक समय नहीं दिया जा सकता सात मिनट निश्चित करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

आज शान्ति एवं व्यवस्था जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है। मैं माननीय देव बहादुर जी का ध्यान हाल की घटित घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस (आई०) के लोगों ने जिस प्रकार की हिंसा और तोड़फोड़ की कार्यवाही की है, क्या वह शोभनीय है? मेरे यहां एक डाकखाने में उन्होंने ऐसा कांड किया और सब्जी मंडी को कांग्रेस (आई०) के प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया। मैं इन थोड़ी सी बात के साथ माननीय देव बहादुर जी से कहना चाहूंगा कि जब राजनीतिक दल के लोग हिंसा पर उतारू हो जायं, मारपीट करें, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचायें तो फिर शान्ति और व्यवस्था के मामले में उनकी जनता के सामने क्या भूमिका हो सकती है? हमारे विपक्ष के नेता तिवारी जी स्वयं इस प्रकार की हिंसक घटनाओं के लिए लोगों को प्रेरित करें और श्रीमती इन्दिरा गांधी फतेहपुर की सभा में यह कहें कि अगर कुछ हुआ तो जनता पार्टी के लोग भी बच नहीं पायेंगे, जब इस प्रकार की बातें हों तो फिर पुलिस के वे लोग जो इन्दिरा गांधी के शासन काल में और तिवारी जी के शासन काल में उनके अधीनस्थ रहे हैं उनकी क्या क्षमता है कि वह इनके कार्यकर्ताओं को दबा सकें और पकड़ सकें। माननीय ऊदल जी से भी कहना चाहता हूं कि जब राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की हिंसक

घटनाओं में अपना सहयोग देंगे तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि गृह मंत्री स्वयं डंडा लेकर उसको पकड़ेंगे। यह बड़ा गम्भीर मसला है जो बड़ी प्रखरता से उठ रहा है।

मैं ने अपने क्षेत्र की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा डकैत था जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पहल की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस थाने में जाकर थानेदार को बर्बरता से हड़काया कि उसके साथियों और छिपाने वालों को गिरफ्तार करके क्यों लाये। वे लोग उस डकैत के साथियों को छुड़ा ले आये। मुझे सूचना मिली है कि एक डकैत था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस डकैत के पास से डकैती के हथियार बरामद हुए। गुलाब सेहरा के साथ वहां का प्रधान जेल गया और वह डकैत उसी प्रधान के यहाँ पर शरण पाता है। कांग्रेस (आई०) के लोग अपना समर्थन देते हैं और प्रयास करते हैं कि शान्ति और व्यवस्था के मामले ठीक न रहें। यह हमारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असामाजिक तत्वों को राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और जब तक राजनैतिक संरक्षण मिलेगा कोई भी सरकार चाहे जो भी हो शान्ति और व्यवस्था के मामले को हल नहीं कर सकती है।

उन्नाव की घटना को लेकर हमारी जनता पार्टी के लोगों में तनाव पैदा हुआ। आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मन्डल में ९० लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं साफ-साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से शान्ति और व्यवस्था का मसला हल नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी उपाध्यक्ष महोदय, आपसे और माननीय मंत्री जी से तथा माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि असामाजिक तत्वों को राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और हमको इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि असामाजिक तत्वों को प्रश्रय नहीं देंगे अगर प्रश्रय देंगे तो यह देश चल नहीं सकता है। माननीय मिश्र जी इसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी आपके साथियों की है। हम तो शासन में अभी आये हैं। मुझे ऐसा दिखायी पड़ता है कि कांग्रेस (आई०) के नेता ऐसे असामाजिक तत्वों को शरण दे रहे हैं। आपने बलिया स्टेशन की घटना सुनी कि किस प्रकार से गुन्डों ने स्टेशन पर हमला किया कांग्रेस (आई०) के लोग मौजूद रहे। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है। असामाजिक लोग व गुन्डा लोग, एम० एल० ए० और एम० पी० के साथ घूमते हैं और पुलिस वालों को डराते और धमकाते रहते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था के मामले में विपक्ष के लोगों को इस प्रकार का माहौल नहीं बनाना चाहिए कि गुन्डों को उनके यहां पर संरक्षण मिल सके। अगर गुन्डों को उनके यहां पर प्रश्रय नहीं मिलेगा तो अच्छी तरह से शान्ति और व्यवस्था कायम हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं। उसमें कैंसर हो चुका है जब तक उसको ठीक नहीं किया जायेगा शान्ति और व्यवस्था के मामले में पुलिस कारगर नहीं हो सकेगी। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस शान्ति व्यवस्था के मामले में हम लोगों का सहयोग नहीं कर रही है। उसके पीछे भी कई कारण है जिस पर हम सब को, पक्ष के और विपक्ष के लोगों को अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। इसका एक कारण तो यह है कि शाह आयोग ने आई० जी०, डी० आई० जी० और पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों के विरुद्ध अपनी सिफारिशें की हैं। इसलिए पुलिस के सारे महकमें में एक असन्तोष फैल रहा है और वे सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कोई भी सरकार आये अगर हम किसी गुंडे को पकड़ेंगे तो हमारी नौकरी जायगी।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]

उनकी बड़ी-बड़ी समस्यायें भी हैं। थानों पर उनके रहने के लिए स्थान नहीं हैं न जीप का प्रबन्ध है। मेरा इस प्रशासन से अनुरोध है कि वह सबसे पहले पुलिस वालों का मनोबल उठायें। यदि किसी हकीकत का मौके पर नहीं पकड़ा जा सका तो अगर वह बाद में किसी प्रकार पकड़ कर कानून के हवाले किया जाता है तो हमें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, तभी जाकर पुलिस वाले कारगर सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं।

(श्री वीरेन्द्र पति यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

*श्री विक्रमा राय (जिला आंजमगढ़)--

मान्यवर, जिस दिन साम्प्रदायिक दंगों पर बहस हो रही थी उस दिन आपने और माननीय अध्यक्ष ने भी उन व्यक्तियों को आश्वासन दिया था कि जिनको उस दिन बहस में समय नहीं मिला उनको ५ मिनट का समय दिया जायगा उस दिन जब कि बाद में किसी दिन कानून और व्यवस्था पर बहस होगी और जो उस दिन बोल चुके हैं, उनको बाद में बोलने का अवसर नहीं दिया जायगा। आज आप एक व्यवस्था देकर हमें उन अधिकारों से वंचित करते हैं। जब पुनः मौका आता है तो एक सदस्य को १० मिनट का समय दे देते हैं। जो सदस्य आपके आदेशों को, नियमों को मान कर चलते हैं, आप उनकी उपेक्षा करते हैं। आखिर हम ५-५ मिनट के समय में क्या मंत्र उच्चारण करेंगे? या तो आप १०-२० आदमियों को सलेक्ट कर लें कि उनको ही बोलने का मौका मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम इस सदन में केवल इस कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए आये हैं या हम भी कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

उस दिन अध्यक्ष जी ने यह घोषणा की थी जिन लोगों को मौका नहीं मिला बार-बार खड़े होने पर भी, तो उनको आज अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायगा। इसलिए आज ६ बजे तक का समय बढ़ाया गया है। उस दिन श्री वीरेन्द्र पति जी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उनको मैंने बुलाया।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि प्रदेश में अपराध स्थिति भयंकर होती जा रही है। इसके लिये जनता भी दोषी है और शासन के लोग भी दोषी हैं। शाह कमीशन ने भी कहा है कि "जैसा शासक होगा वैसा शासन होगा।" जब तक हमारे मंत्री लोग स्वच्छ नहीं होंगे, प्रशासन स्वच्छ नहीं होगा। हमारे माननीय राम सिंह जी, गृह मंत्री, के खिलाफ १९७३ के पूर्व एक मुकदमा ३३२ और ३५३ का चल रहा था। इसमें इनका एक्वीटल हो गया, सरकार ने अपील की जिसका नं० २५१५ सन् १९७३ था। २८ सितम्बर, १९७८ को हाई कोर्ट में इसकी पेशी थी, यह दुर्भाग्य की बात है हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्री नहीं कहना चाहिये, माननीय राम सिंह जी, सितम्बर माह के आखिरी सप्ताह में इलाहाबाद गये और वहां गवर्नमेन्ट एडवोकेट श्री सुशील कुमार को सर्किट हाउस में जो बुलाया। उनसे बात की। फिर उनके निवास पर आपने चाय पी और खाना खाया। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका नोटिस लें या न लें, मगर यह बात सत्य है कि एडवोकेट गवर्नमेन्ट बड़े-बड़े मामलों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोर्ट में आते हैं, मगर राम सिंह जी के केस में वे कोर्ट में गये। और इस एक मामले की बहस करके सरकारी अपील को खारिज करा दिया। यद्यपि कि उस अदालत में उस दिन श्री जितेन्द्र कुमार उप शासकीय अधिवक्ता नियुक्त थे, मगर गृह मंत्री ने श्री सुशील कुमार को प्रभावित कर तथा नाजायज दबाव डालकर अपने पक्ष में अभियुक्त होते हुए भी सरकारी वकील से बयान दिलवाया।

(व्यवधान)

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय सदस्य को ला एन्ड आर्डर पर बोलने के लिये समय दिया है या किसी मन्त्री पर आक्षेप करने के लिये समय दिया है? यह संसदीय प्रणाली के खिलाफ है, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप, वीरेन्द्रपति जी, कृपया अपना भाषण विषय तक ही सीमित रखें, कोई व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी ला एन्ड आर्डर के ऊपर बहस चल रही है। इसकी जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री पर है। माननीय गृह मंत्री के स्टेटमेन्ट के ऊपर माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे कि जुडीशियरी को इन्फ्लूएन्स करने के लिये क्या किया। तो उनको कहने दीजिये। वे एक मिसाल दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया शान्ति व्यवस्था तक ही अपना भाषण सीमित रखें।

श्री वीरेन्द्रपति पाण्डेय--

जनता के सामने ऐसा उदाहरण नहीं रखना चाहिये जिससे जनता के सामने शासन की छवि बिगड़े।

मैं कहता हूं कि जिस समाचार पत्र में यह खबर आ रही है कि प्रदेश में एक महीने में १५-१५ कत्ल हुये, वह क्या है? मैनपुरी जिले में २८ अक्टूबर से २८ नवम्बर तक ४३ कत्ल हुये इसके दोषी हम भी हैं और हमारी सरकार भी है। जब भी यहां गम्भीर से गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं, यहां मंत्री जी की ओर से कहा जाता है कि हम जांच करायेंगे। यह भी कहते हैं कि जिस एजेन्सी से कहेंगे जांच करायेंगे। १ मई को जैसा कि ऊदल साहब ने कहा मैनपुरी जिले में लूटमार हुई थी उस समय कुछ विधायक भी वहां पर थे। हमारे मंत्री जी ने १० अप्रैल को कहा था कि जिस एजेंसी से जांच कराना चाहेंगे, करा दिया जायगा। आज ८ महीने हो गये, क्या हुआ? विशेष रूप से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो आरोपकर्त्ता होता है, उसका कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है।

एक गांव नरैनी नगला में ६ आदमियों को पहले तलवारों, चाकुओं से मारा गया था, बाद में गोलियों से उड़ाया गया था, उसमें यह आरोप लगाया गया था कि ३ घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद देखा ३ घंटे बाद २ बजे से ५ बजे तक जिसमें पी० ए० सी० भी थी, उसके सामने चितायें जल रही थीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे मंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच कराई जायगी। उस जांच का क्या हुआ? जो आरोपकर्त्ता था, उनका क्या बयान लिया गया?

[श्री बीरेन्द्रपति यादव—]

मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं, आज उसी का कारण है कि आपने जांच नहीं कराया कि उसी नरैनी के नगले में १२-११-७८ को फिर डाकू लोग पहुंच गये, एक आदमी को मार दिया गया, ४ के मकान जलाये गये, पी० ए० सी० पुलिस देखती रही। अगर आपने जांच करायी होती, तो मैं समझता हूं कि यह घटना न हुई होती। एक डाकू, जिसे मारा गया था, डाकुओं को मारा जाना चाहिए, लेकिन आपको अपनी शैली को, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए था। एक रेडियोग्राम दिया गया था, पहले कहा गया कि सुबह को १० बजे मारा गया फिर कहा गया रात में मारा गया।

पुलिस के साथ जितनी शिकायतें की जायं कोई सुनने के लिये तैयार नहीं, चाहे सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस हो या गृह मंत्री हों। मैनपुरी जिले में वहां पर एस० ओ० मिस्टर शर्मा जो आजकल हैं, उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोशियेशन व सिविल बार एसोशियेशन ने दो-दो प्रस्ताव पास किये हैं कि उसे हटाया जाय, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ जब, जांच कराई गयी, तो सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि अगर यहां से उसका स्थानांतरण किया जायगा, तो पुलिस का मनोबल गिर जायगा। इसका मतलब क्या है? मेरे पास यह फोटो है। (माननीय सदस्य ने फोटो दिखाया)। यह क्या शो कर रहा है कि कोतवाली की पुलिस जुआ खेला रही है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका शासन सुधरे। हमारे कहने पर, हमारी राय को आप जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक शासन को सुधारा नहीं जा सकता। एक उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारे मंत्री लोग आज पुलिस के गुलाम बने हुए हैं। इलाहाबाद जिले में, फूलपुर तहसील में ५-६ महीने हुआ, एक मूक जुलूस निकाला गया, जिसमें चार-पांच सौ आदमी थे, उनको मुर्गा बनाया गया। पुलिस के मार स्वरूप जेल के डाक्टर ने २५-२६ चोटें पाईं। मगर सवाल पूछने पर वही जबान आया कि कोई ऐसी मारपीट ही नहीं हुई। क्या यही शासन है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्री देव बहादुर सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखकर आज अपने प्रदेश की शांति व्यवस्था पर विचार रखने का मौका दिया है वाकई में वह धन्यवाद के पात्र हैं। आज जब हम प्रदेश की शांति व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, तब हम भूल जाते हैं कि यह शांति व्यवस्था पर विचार नहीं है बल्कि यह आज राजनैतिक मुद्दों पर विचार है।

आज जो हमारे प्रदेश में इतने झगड़े और अव्यवस्था फैली हुयी है उसके जिम्मेदार हमारे भाई राजनीतिक लोग हैं। मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि आज ही सुबह से आप देख रहे थे कि इस हाउस के अन्दर क्या हालत थी। हमारे हाउस में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं जो आज शांति और व्यवस्था के ऊपर बोल रहे हैं वह अव्यवस्था की बात करते हैं। मैंने इसलिये आज अध्यक्ष जी से प्रार्थना की थी कि मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर न बोलने दें बल्कि अव्यवस्था के प्रश्न पर बोलने दें।

(गेट की तरफ इशारा करते हुये)

एक सदस्य--

यहां से पुलिस गायब है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मैं कहना चाहता हूं कि जिन संकटों से सरकार गुजर रही है और जिस तरह से हम आदमी उनको गिराने में लगा है लेकिन सरकार मुस्तैदी से ला एन्ड आर्डर का सामना कर रही है । जबसे हमारे गृह मंत्री हुये हैं ला एन्ड आर्डर में बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है बल्कि कमी हुयी है । मैं इसके लिये मुबारकबाद देना चाहता हूं । जो ला--एन्ड--आर्डर की समस्या पैदा की गयी है वह हमारे विरोधी भाइयों की है । जब हम ला एन्ड आर्डर पर विचार कर रहे हैं तो इसके कारणों पर हमें जाना पड़ेगा । मोटे मोटे कारण क्या है । कारण तो जो हमारी पुरानी आई० पी० सी० है, कोर्ट मैनुअल हैं, सी० आर० पी० सी० हैं, हमारा जो ला आफ इवीडेंस है तो यह जो मोटे--मोटे कानून हैं जिससे देश और प्रदेश का ला गवर्न करता है इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, आप बताइये किसी जगह पर डकैती पड़ी ,उसमें आई विटनेस गवाह होना चाहिये । तो जब डकैती पड़ रही है तो ऐसी आपत्ति के समय में कौन गवाह बनने के लिये खड़ा रहेगा । दुनियां के दूसरे हिस्सों में ला एन्ड आर्डर की इतनी समस्या नहीं है । क्योंकि वहां पुलिस के सामने जो साक्ष्य होता है उसकी कुछ कीमत होती है । अपने देश के पुराने कानून हैं, इन कानूनों के कारण आज जो पुलिस के सामने साक्ष्य होता है, इन साक्ष्यों का कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि हमको ला एन्ड आर्डर की समस्या को देखना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पुराने मैनुअल हैं, उनको बदलें और संशोधन लाने की प्रक्रिया को करें । जो सेन्ट्रल एक्ट हैं, इन कानूनों में भी संशोधन करें तभी ला एन्ड आर्डर की समस्या दुरुस्त हो सकती है । मेरे भाई रोज--रोज हाउस में चिल्लाते हैं, वह कहते हैं कि मुझको मार डालने का खतरा है, जरा वह लोग भी अपने आचरण पर ध्यान दें । जब रात में सोयें तब अपने आचरण पर ध्यान दें ।

श्रीमन्, आज गरीबी है । जायजाद का बंटवारा नहीं हो पाया है । यह सरकार चाहती है कि आज धन और धरती बांटें । जब उसके बंटवारे की बात आती है तो जिन लोगों के पास धन और धरती है उनको गुस्सा आता है और ला एन्ड आर्डर की सिचुयेशन को वह पैदा करते हैं । मैं उनसे कहता हूं कि आज दुनिया में कोई भूखा नहीं रह सकता । धन और धरती बंट कर रहेगी । यह दिमाग लेकर के यह भावना लेकर आज जनता के सामने जायेंगे और अपने आचरण को ठीक रखेंगे तो शायद ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक हो सकती है ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज (पापुलेशन) जन संख्या काफी तादाद में बढ़ गयी है और जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हमारी पुलिस का इंतजाम नहीं हो पाया है । तो आप जनसंख्या बढ़ती देखकर उतनी पुलिस का इंतजाम करें । पुलिस का इंतजाम तो बाद में होता है, जब क्राइम हो जाता है, इसलिये पुलिस का इन्तजाम पहले से होना चाहिये । हमारे आदरणीय सदस्य, हमीरपुर के, जोरों से कह रहे थे कि हमने सारे लोगों से उस आदमी की सुरक्षा करने के लिये कहा लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी और १४ दिन बाद वह आदमी मार डाला गया । तो मैं कहना चाहता हूं कि वह एक अच्छे वकील हैं, उनको समझना चाहिये कि यह देने से पुलिस का कार्य नहीं

[श्री गनेशी लाल चौधरी--]

हो जाता जब तक कि घटना न घटे । घटना होने के बाद ही पुलिस अपना काम करती है । इन शब्दों के साथ में श्री देव बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(इस समय ४ बज कर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (जिला आगरा)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहां ला एन्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी को कोई परेशानी नहीं है । चाहे कत्ल हो या डकैती हो जाय लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं है । श्रीमन्, जितने भी कांड हुए, चाहे आगरा हो या अलीगढ़, सब में आप देखेंगे कि हर कांड में मुस्लिम लोगों के ऊपर लाठी चलाई गयी । शांति व्यवस्था के नाम पर हर शहर के अन्दर मां-बहिनों की इज्जत लूट ली जाती है । यदि कोई अधिकारियों के पास जाता है तो वह कहते है कि हमें किसी का डर नहीं है चूंकि जनता पार्टी है । इतने निडर अधिकारी आप कभी नहीं पायेंगे । इसके अलावा जब यहां मंत्रिगण झूठ बोल जायं तो फिर पब्लिक का क्या हाल होगा । जैसे राम सिंह जी आगरा गये तो आपने कहा आगरा कांड के अन्दर जितने मुकदमें लगाये गये हैं उन सब को वापस ले लेंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां इस कांड से सम्बन्धित लोगों पर आज भी सम्मन क्यों जारी हो रहे हैं ? इसलिये पब्लिक का विश्वास आपके ऊपर से उठ गया है ।

मान्यवर, हमारे नेतागण आज भी कह रहे हैं कि हमारी शांति व्यवस्था अच्छी है, जबकि पुलिस कोतवाली के नीचे जुआं होता है और शराब पुलिस बिकवाती है । एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आंदोलन के अन्दर शराब पी रहे थे । तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि १२ मिनिस्टर जो शराब पीते हैं और ४ मिनिस्टर जो भूत पीते हैं, क्या उनको यह पता नहीं है और वह दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पुलिस प्रशासन इस बात से निडर हो गया है कि उनका कोई ट्रान्सफर तक नहीं करा सकता है । आगरा में राम कुंवर, ए० डी० एम० कहता है कि मैं जनता पार्टी के मंत्री का रिश्तेदार हूं । आज सारा आगरा उनके ट्रान्सफर की बात कह रहा है लेकिन मंत्रियों पर जूं तक नहीं रेंग रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें । शांति के साथ दूसरों की बात सुनें ।

*श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिंधु'--

श्रीमन्, आगरा के अन्दर जिस वक्त हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी पुलिस ने गलत तरीके से हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किये । जब उसी अधिकारी के साथ शांति से जुलूस हमारा जा रहा था, वहां पर दफा १४४, ४२५, लागू की गयी। मैं समझता हूं कि जनता सरकार पर दफा १४४ का भूत सवार हो गया है । बिना दफा १४४ के काम नहीं होता । इन को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा है । इस प्रकार कैसे प्रशासन चल सकता है । आज उन्हीं के लोग, सत्ता में बैठे लोग कृषि मंत्री पर आरोप लगाते हैं जिन्होंने डाकू को चिट्ठी लिखी थी । इस्तीफा दे देना चाहिए । उस मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए । आज आप राम सिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं...(कुछ सदस्यों के बोलने पर) आप बहुत ही बोलते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

श्री दीप नरायन, आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है समय के बारे में। पांच मिनट में क्या भाषण दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों समय नष्ट करते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस समय आप बोलने तो दीजिये।

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन में जो पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था पर चर्चा हो रही है उस के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, शांति व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश के लिए एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह बात सही है कि जनता पार्टी की हुकूमत आने पर जनतंत्र कायम किया गया लेकिन जनतंत्र का अर्थ यह नहीं है जैसे कि आजकल सड़कों पर किया जा रहा है कि जो जैसा चाहे कर ले अगर रूल आफ ला समाप्त हो गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतंत्र तो उसी दिन समाप्त हो जायगा। मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम लोग जो यहां पर बैठे हैं हमारा यह कर्त्तव्य है, हमारा यह उत्तरदायित्व है, इस शासन का यह उत्तरदायित्व है कि रूल आफ ला की स्थापना करे, हम लोगों के दिमाग में यह होना चाहिए कि अगर जनतंत्र नहीं रहेगा तो मानवाधिकार भी नहीं रहेंगे। जनतंत्र नहीं रहेगा तो हम और आप यहीं पर नहीं रहेंगे। तो जनतंत्र की रक्षा करते हुये हमें जनता को भी इस कान्फिडेन्स में लेना है कि हम शांति व्यवस्था कायम करने के इच्छुक हैं।

मान्यवर, कुछ ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं जिससे एक ऐसी फीलिंग आम में फैल रही है कि यह जनता पार्टी की सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। माननीय गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रदेश में प्रति १०० मिनट पर एक बलात्कार हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से कि आज समाज में जो जरायम हो रहे हैं उन पर हमें सोचना चाहिए। यहां पर भाषण देने से जरायम समाप्त नहीं हो जायेंगे, यहां पर चर्चा करने से पुलिस कर्मचारियों में भ्रष्टाचार नहीं मिटाया जा सकता। उनकी मनोवृत्ति खत्म हो चुकी है। जनता की सेवा करने वालों की, कानून को मानने वालों की कमी होती जा रही है। यह चिन्ता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से कहना चाहता हूं कि आप अपने नियमों में, कानून में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में भारी परिवर्तन नहीं करेंगे तो शांति व्यवस्था को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, कल ही हम गोन्डा के आठ विधायक मुख्य मंत्री से मिले। हम ने कई चार्जेज वहां के पुलिस कप्तान पर लगाये। गोन्डा जिले का कप्तान इतना भ्रष्ट है कि उतना शायद ही और प्रदेश में कोई हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नरायन—]

आज सभी माननीय सदस्यगण करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी को देखना चाहिये कि जब एस० पी०/डी०—वाई० एस० पी० और डी० एम० के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उस पर क्यों नहीं कार्यवाही होती। आज मेरे जिले की स्थिति क्या है ? मान्यवर, सारे जिले के विधायकों ने मुख्य मंत्री जी से मिलकर ज्ञापन दिया। सारे जनता पार्टी के गोंडा के विधायकों ने ज्ञापन दिया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मेरे यहां स्टेट बैंक में डकैती हुई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उस डकैती में बैंक का मैनेजर मारा गया। उस डकैती के सिलसिले में एक लत्तर नामक आदमी पकड़ा गया। बाद में वह पकड़कर उत्तरौला थाने में रखा गया उसकी इन्टोगेशन हुआ। दो दिनों तक हिरासत में रहा। उसके बाद उससे २५/३० हजार रुपये ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब वह व्यक्ति नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, तो बलरामपुर के डी०—वाई० एस० पी० ने उसको पकड़ा और उससे ७०,००० रुपये बरामद किये। लेकिन, मान्यवर, एक लाख की डकैती थी, बाकी ३० हजार कहां गया, उसका पता नहीं चला। मेरा गृह मंत्री जी से, मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि क्या इस मामले को बिजीलेंस से जांच करायेंगे कि आखिर उस ३० हजार रुपये का क्या हुआ।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पुलिस कर्मचारी अपने को पूर्ण स्वतंत्र समझ रहा है। आज वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। आज पुलिस के जरिये देहातों में किस तरह से घूसखोरी हो रही है, उसके सम्बन्ध में कई अप्लीकेशन्स माननीय गृह मंत्री जी को दिये गोंडा के पुलिस कप्तान और वहां के जिलाधिकारी को दिये। लेकिन आज तक एक भी थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आखिर उसका क्या कारण है ? मान्यवर, आज जन प्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। अगर इस तरह से चलेगा और जन—प्रतिनिधियों की शिकायत को इस तरह से दबा दिया जायेगा, तो इस तरह से ज्यादा दिनों तक चीजें नहीं चलने वाली। मैंने केवल दृष्टांत दिया कि आज किस तरह से पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है।

आज देहातों में वहां के पुलिस और दरोगा, और कान्स्टेबिल पैसा कमाने में लगे हैं। २०/२० रुपया लेकर हजारों पेड़ कटवा रहे हैं। आज सारे थानाध्यक्ष पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर केवल पुलिस ईमानदार हो जाय तो जरायम अस्सी फीसदी कम हो जाय। लेकिन आज पुलिस डकैतों को संरक्षण देती है, जरायम कराती हैं, आज, मान्यवर, इस विधान सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर जरायम क्यों इतने हो रहे हैं। अभी माननीय गनेशी लाल जी ने कहा धन और धर्ती बटकर रहेगी। तभी जरायम खत्म होंगे। मैं भी कहना चाहता हूं कि जब तक सम्पत्तिहीन समाज की स्थापना नहीं होगी, जरायम नहीं समाप्त होने वाले। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, तब तक इसको नहीं समाप्त कर सकते। जब तक सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति नहीं ठीक होती, तब तक जरायम नहीं समाप्त होने वाले। आज लाखों की तादाद में बेरोजगार लड़के निकल रहे हैं। उनको १०० रुपये की भी नौकरी नहीं मिलती। तब वे क्या करें। वे देशी तमंचा लेकर डकैती करते हैं। तो आज इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को सोचना होगा। आज हमें सोचना है कि हमारी आर्थिक नीति क्या हो ? देश और प्रदेश का आर्थिक ढांचा क्या होगा। कैसे हम लोगों को रोटी—रोजी, और खाना—कपड़ा दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते, तो जरायम को रोक नहीं सकते। चाहे राम सिंह गृह मंत्री रहें चाहे मिश्रा जी रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। मैंने कुछ और सुझाव दिये हैं। भ्रष्टाचार के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री अगर ईमानदारी से उनको देखते हैं, तो उनकी जांच करायेंगे और जो लोग दोषी पाये जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, आज प्रदेश की जनता भयभीत है। १०० मिनट में एक दहल हो रहा है। इससे डेटा निकाल सकते हैं कि साल भर में क्या स्थिति होगी। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई शासन है ही नहीं। मालूम पड़ता है कि कोई राज्य या प्रशासन है ही नहीं। इस तरह से कैसे चलेगा? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी से, कि कृपया वे इसको देखें और नहीं सम्भाल सकते हैं तो सत्ता को छोड़कर अलग हो जायं, क्योंकि अब इस तरह से ज्यादा दिन नहीं चल सकता है।

मान्यवर, अभी इन्दिरा गांधी के पार्टी के लोग पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री दीप नारायन--

मान्यवर, जो लोग पकड़े गये हैं, जो लोग इन्दिरा गांधी के सिलसिले में जेल गये हैं, गोंडा जिले में करीब ७५ ऐसे अनडिजाइरेबिल एलीमेंट्स हैं, जो चोरी करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं, मिस्टकटी करने वाले हैं, वे इन्दिरा कांग्रेस की तरफ से अपने को कहकर जेलों में बंद हैं। यह बड़े शर्म की बात है इन्दिरा कांग्रेस के अनेकों लोग जेलों में बंद हैं। इन चीजों को आपको दबाना पड़ेगा, और सारी चीजों को देखते हुए शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्रीमती रामपति देवी (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि मुझे भी बार बार के उठने बैठने के बाद समय तो मिल गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाये रखने पर काफी चर्चा हुई है और हमारे माननीय सदस्यों ने मौजूदा समय में जो प्रदेश में अशांति है, उसका बड़ा व्यापक रूप दिया। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि देश में इसके बड़े पैमाने पर अशांति फैली हुई है कि माननीय सदस्यों की ही सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। जब माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तब और लोगों का जीवन किस तरह से सुरक्षित रह सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जिस समय जिस सरकार का यहां पर गुणगान गाया जा रहा है, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि सभी १९५४ में इसी विधान सभा के सदस्य भगवती प्रसाद शुक्ला बाराबंकी के थे, उनकी को सड़क के ऊपर चलते-चलते गोली से हत्या की गई थी। उसके बाद ६२, उसने बाद ६७ या ६६ में इस तरह की दो-एक और घटनायें हुई हैं माननीय सदस्यों के साथ। मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस सरकार का इतना गुणगान गाया जा रहा है, उन माननीय सदस्यों के साथ उस समय यह व्यवहार क्यों किया गया? उस समय तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये थीं। उस समय भी माननीय सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। आज जो यह कहा जाता है कि सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रहा यह कि उस समय भी ऐसी बातें होती थीं, आज भी ऐसी घटनायें हो रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती रामरती देवी--]

अब प्रश्न यह आता है कि क्या इसी तरह का चलता रहेगा ? दूसरा प्रश्न आता है कि यदि इसी तरह का चलता रहेगा तो इसकी जिम्मेदारी किन व्यक्तियों की है । क्या हम यह कहकर छुटकारा ले लें कि सारी जिम्मेदारी विभाग के मंत्री की और उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों की है । जहां हम यह कहने के अधिकारी होते हैं, हमारी भी अपनी जिम्मेदारी होती है । मैं इसके सम्बन्ध में यह कहूंगी कि अगर हमारे विभाग के मंत्री जी तथा उनके अधिकारी व कर्मचारी सही रूप में अपना कर्तव्य समझ करके उस कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो उनको उनके कर्तव्यों का पालन वहीं करने दिया जाता है । अगर वे पालन करते हैं तो उनके उत्साह को भंग किया जाता है । हम माननीय सदस्य, चाहे वह अपर हाउस के सदस्य हों, चाहे हम इस सदन के सदस्य हों, हम लोगों के द्वारा भी ऐसी घटनाओं की बढ़ोत्तरी हो रही है ।

मिसाल के रूप में मेरे फैजाबाद जिले में टांडा तहसील, नगरपालिका टांडा जो है उसमें एक मुबारकपुर कस्बा है । वहां कुछ जुआड़ियों को विभाग के लोगों ने पकड़ा और वे जुआड़ी पुराने गुरु लोग थे । पुलिस का मुहकमा जो था उसने बड़ी सख्ती से सब उनको पकड़ा । दो-चार लोग तो पकड़ में आए और बाकी लोग नदी की तरफ भागे । नदी की तरफ जब भागे और नाव का सहारा लिया तो जो पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने भी उनका पीछा किया और उन जुआड़ियों में से एक आदमी ने नदी में कूदकर जल दे दी । दूसरे दिन उसकी लाश निकाली गई थी और जनता में इतनी उत्तेजना फैलायी गई इस तरह से आतंक फैलाया गया । इस तरह से कहा गया कि पुलिस वालों ने डण्डा मारकर मार डाला । यह बिल्कुल गलत चीज है हमारे सामने का किस्सा है और मुझे अच्छी तरह मालूम । मैं कहना नहीं चाहती हमारे सदन के ही जिम्मेदार लोग, चाहे उसमें उनका अर्थिक लाभ हो, चाहे राजनैतिक लाभ हो, जनता में इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और कर्मचारियों को दोषी ठहराते हैं यदि विभाग को ही रूप में काम करना चाहे और हमारे माननीय सदस्य दोषारोपण करें तो यह अधिकारी और कर्मचारी कैसे ठीक से काम कर सकते हैं ।

मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि चाहे माननीय सदस्य हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर नियमों में ढिलाई होगी तो निस्सन्देह इस तरह के लोगों को बल मिलेगा और वे दुर्व्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे । आज की मौजूदा परिस्थिति में जिसमें कहा जाता है कि सरकार द्वारा ढिलाई की जा रही है और अराजकता की स्थिति आ गयी है । क्या इसे प्रदेश की जनता नहीं समझ रही है । उनकी घर घर समाज में चर्चा हो रही है। बसें फूंकी जा रही हैं, जनता को भड़काया जा रहा है । यह वही कुर्सी के भूखे लोग कर रहे हैं जिनकी कुर्सी छूट गयी है और जिसे वे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं । यही लोग प्रदेश में अशान्ति फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें खोई हुई शक्ति प्राप्त हो जाय । मैं अपने मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि जहां पर इस तरह का दोषारोपण लगाया जा रहा है वहां पर शासन को कड़ाई का रुख अपनाना चाहिए वह चाहे इस सदन के सदस्य हों चाहे बाहर के लोग हों । कानून का कड़ाई से पालन किया जाय तभी प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रख सकती है ।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शान्ति व्यवस्था पर माननीय देव बहादुर सिंह के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई है । मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्मरण दिलाना चाहूंगा कि स्व० डा० राधाकृष्णन ने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, एक सैम्पोजियम में कहा था कि जब आदमी पेट से भूखा होता है तो समाज में अव्यवस्था फैलती है और जब आदमी बौद्धिक रूप से भूखा होता है तो समाज की भयंकर स्थिति हो जाती है। आज समाज में स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा लोग भूखे हैं और ७० प्रतिशत बौद्धिक रूप से भूखे हैं। यही लोग सारी अव्यवस्था पैदा कर रहे। हमारे पूज्य बापू जी ने यह बात कही थी कि अगर कोई गलती हो जाय तो आन्दोलन वापस ले लेना चाहिए। इसी सदन में हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन उन्होंने भी व्यवस्था का आदर किया। वे हरिद्वार गये थे। जब छोटे कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया तो वे वापस आ गये और उन्होंने व्यवस्था का आदर किया। यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में कुछ अपराधी लोग ऐसे हैं जो जन्मजात अपराधी होते हैं, इसकी भी विवेचना आपको करनी होगी। हमारे आदर्श महामना मालवीय जी स्वयं अनशन और उपवास करने बैठ जाते अगर उन्हें यह ज्ञात हो जाता किसी छात्र ने किसी पुलिस वाले या दारोगा के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन आज वह सारी परम्परा समाप्त हो चुकी है।

आप देखें कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी को गिरफ्तार किया तो लोगों ने आन्दोलन शुरू किया और दफा १४४ तोड़ा। लेकिन मेरे अपने सिकन्दराराव में भूतपूर्व एम० पी० ने लोगों को शराब पिलाकर हमला करवाया चुंगी पर। हमला करवाया जाने पर, आग लगवाने की कोशिश की गयी तो जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है अगर वही ऐसी बात करेगा तो स्थिति और भयंकर होगी। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात आती है, आपातकाल स्थिति की घोषणा जब की गयी तो उनको सत्ता पक्ष के लोगों ने किस कदर करण कर दिया था कि जब एक सदस्य गिरफ्तार किया जा रहा था तो एक डी० एस० पी० ने कहा कि हमको डिसरेलाइज किया जा रहा है। आपने उनको किस अवस्था में लाकर डाल दिया है। रामरती जी कह रही थीं कि तीन साल तक इस पर विचार नहीं हुआ कि पुलिस के सिपाही की क्या स्थिति है। ग्रामीण अंचल में उसको आपने क्या सुविधा दे रखी है। नई-नई टेक्नीक जो अन्य देशों में अपनाई गई हैं उनको हमने कहां तक अपनाया है। अपराधों को अगर रोकना है तो सारे सदन की की जिम्मेदारी है। जहां सत्ता पक्ष के लोगों का आचरण ठीक होना चाहिए वहां विपक्ष के लोगों का भी आचरण ठीक होना चाहिये।

मुझे स्मरण आता है एक सवाल यहां उठाया गया था कि पूरे सदन में ऐसे लोग हैं जिनका नाम नक्शा ८ में है, जो हिस्ट्रीशीटर रह चुके हैं। कभी इस बात की जांच नहीं हुई। गलत चीजों की प्रेरणा देने वाले अगर समाज के मुणिया बन जायं तो स्थिति और भयंकर बन जाती है। सभी लोग जानते हैं कि हमने वचन दिया था कि देश को आजादी देंगे, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन आज उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मिनी मीसा के रूप में यह चीज होनी चाहिये लेकिन हमने ऐसी कोई चीज रहने नहीं दी।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मिनी मीसा है।

[श्री नेम सिंह चौहान—]

पर्सनल बांड पर जमानत हो जाती है। आपने पूरा मौसा कायम कर रखा था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज सुनवाई होती है। आज व्यवस्था बिगड़ी तब निराशा पैदा हुई। अधिकारी वर्ग में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका सम्बन्ध पुरानी सरकार से होने के कारण शान्ति और व्यवस्था सुधारने में उनकी आज रुचि न हो। लेकिन हमारे साथ अगर विरोधी पक्ष भी सहयोग करे तो शान्ति व्यवस्था में सुधार हो सकता है लेकिन अगर इन्दिरा कांग्रेस के लोग हवाई जहाज का इस तरह से अपहरण करेंगे, गालियां देंगे, सड़कों पर तोड़-फोड़ करेंगे और यहां तक कि लोक सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर माननीय सदस्य बैठ जायेंगे तो व्यवस्था कैसे रह सकती है। जहां तक पुलिस का सवाल है उसकी संख्या में कमी है। आबादी जितनी बढ़ी है, उसके अनुपात में पुलिस की संख्या नहीं है। अलीगढ़ में जब करफ्यू लगा तो देखा कि किसी पुलिस चौकी पर पेशाब घर तक नहीं था। शौच के लिये लोग कहां जायं। अगर आवश्यक सुविधायें उनको नहीं दी गयी तो मानसिक संतुलन नहीं हो सकता। अपनी सरकार से मैं मांग करता हूं कि पुलिस को आवश्यक सुविधायें दी जायं तभी शान्ति व्यवस्था कायम रखने में उसे दिलचस्पी हो सकती है।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था के नाम पर सदन में सम्मानित सदस्यों के दिमाग में गुस्सा भरना स्वाभाविक है। अगर किसी के पास दिल व दिमाग है तो कोई भी चाहे वह किसी भी पक्ष का हो यह नहीं कह सकता कि सूबे में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज है। चारों तरफ अपराध और अशान्ति का वातावरण आज मचा हुआ है।

विद्या मंदिरों में पी० ए० सी० के लोग निष्ठावान छात्रों को परीक्षा नहीं देने देते और यहां तक कि चारों तरफ आज प्रदेश में अराजकता का वातावरण मचा हुआ है। आप बाबनबद्ध थे, आपने वायदा किया था कि आपातकाल में जिन अधिकारियों ने घोर अपराध किये हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी लेकिन इमरजेंसी के घनघोर पापियों को इस जिले से बदल कर उस जिले में कर दिया। कहीं कोई हरिजन आफिसर रहा तो उसने हरिजन मंत्री का सहारा ले लिया और आज राज्य बदला तो यहां के मंत्रियों के रिश्तेदार बन गये।

मेरी पार्टी न इन्दिरा गांधी की चमचागिरी करती है और न आपकी। मैंने सत्ता परिवर्तन में माननीय जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर काम किया और जेल गया। आपने कहा था कि सब को कानून मिलेगा, इन्साफ मिलेगा। क्या कारण है कि चारों तरफ बेचैनी का वातावरण छाया हुआ है। हमारे बहुत से मित्र लोकतंत्र की बात करते हैं और कुछ लोकतंत्रीय मित्र जेल में बंद हैं थोड़े बहुत लोग इधर आ गये हैं। आज ४२० आदमी जो बदनाम थे, लफंगे थे, गुंडे थे वह बाराबंकी में, बरेली में या दूसरी जगहों में बंद हैं। अगर इस देश में बाबू जयप्रकाश नारायण के अरमानों को पूरा करना है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को केवल मेम्बरी से निकालने से काम नहीं चलेगा यह ६० करोड़ जनता की पुकार है।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, इसमें जो आपत्तिजनक शब्द हों उन्हें निकाल दें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आपको भी बुरा लग गया। अगर इस देश की ६० करोड़ जनता की भावना को वास्तव में पहचानते हैं तो तर्कमान गेट पर क्या हुआ वहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नरसंहार करवाया तो ऐसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री को फांसी हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपसे बाराबंकी जनपद की वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं उस धरती से आया हूं जहां पर श्री रामसेवक यादव जैसा समाजवादी पैदा हुआ जिन्होंने समाजवादी आन्दोलन चलाया। आज रामसेवक यादव जी की पार्टी की ही सरकार है। लेकिन मेरे जिले में क्या हो रहा है। मेरा आरोप है गृह मंत्री जी सुन लें....

श्री अध्यक्ष—

आपने तीन मिनट कहा था ५ मिनट आपको बोलते हो गये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मेरा निवेदन है गृह मंत्री से कि अगर आप चाहते हैं (व्यवधान) मैं भी कांग्रेसी राज्य में जेल में रहा और माफी नहीं मांगी, जिंदा निकल आया। आपके पुलिस अधीक्षक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और वर्तमान संसद सदस्य मोहिसिना किदवई के घर में बैठकर कांग्रेसियों का आन्दोलन चलाता है। जिले के सारे विधायकों ने पुलिस अधीक्षक और सी० ओ० सिटी को हटाने की मांग की है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी चाहें और वहां जायें तो हम जनता को इकट्ठा कर देंगे उनसे आ पूछ लें अगर मेरी बात सही न हो तो जो सजा मुझे देना चाहे दे सकते हैं या फिर उस एस० पी० को निलम्बित करें अगर यह आरोप झूठा हो तो यह सदन मुझे सजा दे सकता है।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता कि आपने मुझ जैसे छोटे आदमी को आज इस सदन में खड़े होकर अपनी सही बात कहने का अवसर दिया, जो नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। जनता पार्टी के सही कामों के साथ हूं और मैं पहला आदमी होऊंगा। आज आप बड़े कमजोर हैं, बड़े बड़े अफसर आपके खिलाफ गलत प्रचार करते घूमते हैं। हर अफसर कह रहा है कि मैं मुख्य मंत्री का, फलां मंत्री का रिश्तेदार हूं। इस पर मैंने कितनों को डांटा है कि इस तरह की बात करेंगे तो मैं इसे बरदाश्त नहीं करूंगा। आपके पास सी० आई० डी० है और दूसरे साधन हैं, आप पता लगा लीजिए कि आज थाने नीलाम होते हैं। फतेहपुर का २५ हजार, रामनगर का २६ हजार और कोतवाली का ६० हजार में नीलाम होता है। मैं एहसानमंद हूं और आशा करता हूं वर्तमान सरकार, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से कि वह आई० जी० के सम्मेलन को नहीं सम्बोधित करेंगे। (व्यवधान) कानून और व्यवस्था पर बहस चल रही है, इसकी खराब स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी आप पर है, जय हिन्द।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

६ बजे इस पर विवाद समाप्त होने वाला है (व्यवधान) (दोनों पक्ष के बहुत से सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का समय मांगने का प्रयास करने लगे) (घोर व्यवधान)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पूर्व पीठासीन उपाध्यक्ष ने इस पर साढ़े बजे तक का समय निश्चित कर दिया था।

(श्री रामजी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, बड़े प्रयासों के बाद आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है तो आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? (श्री रामजी बठ गए) आप स्वयं निश्चय करें । आप लोगों न निर्णय किया था कि यह सदन ६ बजे तक चलेगा। सवा ४ बजे विवाद समाप्त होना था। अब इसमें मुझे पहले गृह मंत्री को बुलाना होगा, फिर जिनका संशोधन है उनको समय देना पड़ेगा, और फिर प्रस्तावक को समय देना होगा । तो अब जितने आदमी हैं, उसको देखते हुए आप बता दें, एक आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बता दें । आप बता दीजिए किसको दे दें ।

(शोर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष—

एक नाम तय कर दीजिए । आप लोग कृपया बैठिए ।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर अनुमति दें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस दिन साम्प्रदायिकता रोकने के ऊपर बहस चल रही थी, उस दिन मान्यवर आप ने इस कुर्सी पर बैठ कर यह व्यवस्था दी थी कि जो लोग आज बोलना चाहते हैं और समय के अभाव में नहीं बोल पा रहे हैं, जिस दिन शान्ति व्यवस्था के ऊपर सदन में बहस होगी उस दिन दोनों विषयों पर उनको बोलने का और विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जो लोग बच गए हैं उनको उस दिन मौका दूंगा । अगर उस व्यवस्था का आज पालन हुआ हो तो हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है । हम लोग बोलने के अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं, उस आश्वासन के बाद । अगर लिस्ट उठाकर देखें तो उस दिन बोलने वाले लोग ही बहुमत में आज भी बोले हैं । हम लोगों को मौका नहीं मिलता है । जो लोग अनुशासन तोड़ कर, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके सदन में खड़े होते हैं, उनकी ओर आपका ध्यान जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

हो गया, बैठिए ।

श्री विक्रमा राय—

यह बताइए उन लोगों को किस प्रक्रिया से मौका दिया गया जो उस दिन बोले थे और आज के दिन हम लोगों को वंचित किया गया है ? शुरू-शुरू में दस मिनट का समय अलाट होता है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने इस पर भाषण दे डाला । आप बैठिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम जी --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह कौन सा नियम है कि एक सदस्य बोल लेता है तो दूसरी बार नहीं बोलने दिया जायगा। यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

एक व्यवस्था खत्म होने दें। (श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर।) गौरी शंकर जी, बैठिए। श्री विक्रमा राय जी ने जो प्रश्न दिया है, मैंने अवश्य उस रोज आश्वासन दिया था, कि आज जो बहस हो उसमें जो लोग अलीगढ़ के साम्प्रदायिक विवाद पर बोले हैं उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए, नए लोगों को मिलना चाहिए। मैंने स्वयं देखा है मुझे इस बात का खेद है कि ऐसे लोगों को समय मिला जो अलीगढ़ के विवाद पर भी बोल चुके हैं। मान सिंह जी और श्री पुरुषोत्तम कौशिक भी बार-बार खड़े हो रहे हैं। आप बैठ जाइए। लेकिन अब आप देखते हैं, यह ठीक है कि उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन अब समय नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बहस को समाप्त करना है, इसलिए गृह मंत्री को बुला रहा हूं।

श्री राम जी--

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया था। आपने मेरा नाम पुकारा था। आपने मुझे अवसर दिया था।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मैंने आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए अवसर दिया था। मैंने आपको विषय पर बोलने के लिए अवसर नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक घंटा और समय बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद--

यह घोर अन्याय है।

(शोर)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा के लिए और समय बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं इसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान) (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, ४ बजे तक का समय इस पर विचार करने के लिए रखा गया था सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और यह बात ध्यान में रखते हुए कि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें छः बजे तक का समय बढ़ा दिया गया था। जब अलीगढ़ के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी उस समय भी काफी माननीय सदस्यों के विचार आए थे। आज भी दो घंटे पहले और फिर इधर जो विचार प्रकट किए गए हैं उससे माननीय सदस्य काफी संतुष्ट हैं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि समय के अन्दर ही इसको समाप्त कर दिया जाय। अभी गृहमंत्री जी को भी अपने विचार रखने हैं। आपसे अनुरोध है कि आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, कानून और व्यवस्था पर जो बहस चल रही है उसका समय बढ़ा दिया जाय। यह घोर अपमान है कि कोई सदस्य प्रस्ताव रखे और उस पर निर्णय न लिया जाय।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मुझे व्यवस्था पर एक बात कहने दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद समाप्त हुआ। अब नहीं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× ×]

श्री अध्यक्ष—

अब इजाजत नहीं है। जो कुछ भगवती प्रसाद सिंह कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। अब आप बैठ जाएं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर)

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन से जायं। मार्शल, इन्हें बाहर ले जाइए। अब आप बैठ जाइए। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बाहर जाइए। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए या बाहर जायं। (श्री सिंह के न बैठने पर) मार्शल, बाहर ले जाइए।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न इस सदन को चलाने के सम्बन्ध में है।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बैठ जाने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, वापस जायं।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य आपका बहुत कम समय लेते हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि बहुत कम पड़ती है। जो सदस्य आपको तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ती है जो लोग जबरदस्ती समय ले लेते हैं उनको समय देते हैं। मैं इस विषय पर बोलना चाहता था और मेरा नाम भी आपके पास है लेकिन आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी और मुझे समय नहीं मिला। आगे के लिए आप इस पर अपनी व्यवस्था करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। (श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर)। मार्शल इनको बाहर ले जाइए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं तो व्यवस्था पर बोल रहा हूं?

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी जगह पर बैठिए।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, आपको?

श्री अध्यक्ष—

पद्माकर लाल जी ने एक प्रश्न उठाया। यह बात सही नहीं है। मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि सभी को अवसर मिले। मेरे पीछे जब मैं नहीं था जिन लोगों का नाम लिखा गया मैंने आने के बाद उनको देखा तो जिन लोगों अवसर नहीं मिला था, उनको दिया।

श्री राघव राम मिश्र (जिला बी ी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए नहीं तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा । आप बैठ जाइए। यह कोई तरीका बहस का नहीं है ।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आपने हमको एक बार भी समय नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग नियंत्रित होइए। इस प्रकार सदन नहीं चल सकता है ।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, हमको तो आप निकलवाते हैं, सबको क्यों नहीं निकलवाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव रखा था । आप मुझे नहीं बोलने देते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि एक साथ बहुत से सदस्य बोल रहे हैं अतः मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मान्यवर, मेरा नाम भी सूची में था । उस दिन भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया और आज भी मौका नहीं मिला । [× × ×]

श्री भगवती प्रसाद सिंह --

मान्यवर, आप उनको तो सुन रहे हैं लेकिन मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मान्यवर, आप मेरी भावनाओं को तो सुन लीजिए, नारायण ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां पर बोलने के लिए आपने एक निश्चित व्यवस्था दी थी कि प्रातःकाल जिन लोगों के नाम आपके पास आ जायेंगे, वरीयता के आधार पर, आप उनको बोलने का अवसर देंगे लेकिन देखने में यह आता है कि जिस पर श्रीमन्, की कृपा दृष्टि जाती है उनको आप बोलने का अवसर देते हैं लेकिन जिनके नाम सूची में पहले से होते हैं या तो उनको इजाजत नहीं देते या उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिल पाता है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, यह सीधा-सीधा आक्षेप है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगी कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रातःकाल की सूची में हैं, उनको बोलने का अवसर दिया जायगा या जिन व्यक्तियों को बोलने का मौका नहीं मिला उनको अवसर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

हमारे सामने जो सूची है उसमें से माननीय उपाध्यक्ष ने बोलने का अवसर दिया । जब मैं आया तो मैंने देखा कि इस सूची में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जो कि अलीगढ़ के विवाद में बोल चुके हैं । सही बात तो यह है कि जिन्होंने अलीगढ़ के सम्बन्ध में हुए विवाद में भाग लिया है उनको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए ।

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया) --

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुरोध पर बहुत लोग शांत हो गए । एक माननीय सदस्य, श्री भगवती प्रसाद सिंह, व्यवस्था के नाम पर कुछ कहना चाहते थे । यह सही है कि जब आपने गृहमंत्री को पुकारा तो उस बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता लेकिन माननीय भगवती प्रसाद सिंह पिछले सत्र से बहुत शान्ति से बैठते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं और पार्टी के अकेले सदस्य भी हैं । वे कोई भाषण नहीं करना चाहते हैं । भले ही उनका यह कृत्य नियमों के विपरीत हो लेकिन आपसे यह प्रार्थना है कि नियमों पर ध्यान न देकर आप उनको व्यवस्था की बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

जब आपने स्वयं कहा, श्री भगवती प्रसाद सिंह बोलते ही उस समय हैं जब कि उनको नहीं बोलना चाहिए । पहले जब कभी भी उन्होंने बोलने के लिए कहा है, मैंने उनको अवसर दिया है लेकिन जब मैंने अब माननीय गृह मंत्री को बुला लिया तब वे बोलने के लिए खड़े हुए । वे बोलने लगे । यह सर्वथा अनुचित है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, चूंकि आप वहां पर बैठे हुए हैं तो जो लोग अल्पमत में हैं, उनके हितों की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है । माननीय भगवती प्रसाद सिंह बोलने के लिए खड़े हुए और आपने मार्शल को कहा दिया और मार्शल भी तत्काल आ जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या किया जाय, वे बैठते नहीं हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, यह देखा गया है कि जो लोग आपको बुलो करते हैं तो उनके सामने आप सरेन्डर कर देते हैं । माननीय भगवती प्रसाद सिंह आल इंडिया

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

पार्टी के एक मात्र सदस्य हैं। इस सदन में यह परम्परा रही है। माननीय टंडन जी और माननीय खेर साहब के जमाने से कि ऐसी इम्पार्टेन्ट डिबेट में हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाता था। आपको भी उन्हें अवसर देना चाहिए। माननीय भगवती प्रसाद सिंह तो जनता पार्टी की मित्र पार्टियों के सदस्य हैं। आप उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

उनको पहले समय के लिए कहना चाहिए था, अब समय नहीं है। मैंने तो उनसे स्वयं कहा था कि वे माननीय उपाध्यक्ष जी से कहें।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

मान्यवर, इसका अलीगढ़ वाले मामले से क्या सम्बन्ध है जो आपने कहा कि जो लोग अलीगढ़ वाले मामले में बोल चुके हैं, इस पर नहीं बोल सकते। आखिर हम लोग नए आए हैं, आप कहते हैं कि सदन को स्थगित कर देंगे। हम कैसे बोलें?

श्री अध्यक्ष--

जब १०-१० लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सदन कैसे चल सकता है? मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुलाया है, वे बोलें। मार्शल वापस आयें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं इजाजत इस तरह से नहीं दूंगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह तरीका गलत है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

[× × ×]

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, २५ मिनट तो इसी में निकल गए, इतने समय में तो ४-५ सदस्य बोल लेते।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैंने जीरो आवर में एक प्रस्ताव दिया था जिसमें यह लिखा था कि हमारे क्षेत्र में एक मुसलमान जो ताजिया लेकर गया उसे इतना मारा दरोगा ने कि वह मर गया .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आपका व्यवस्था का प्रश्न कहां है ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस तरह से इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठिए ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

जब कि मैं अकेला प्रतिनिधि हूं, मुझे बोलने नहीं दिया । जब तक आप इस कुर्सी पर हैं, मान्यवर, मैं नहीं बोलूंगा । मैं इस सदन से बहिर्गमन करता हूं । इस मसले पर सदन का कोई सदस्य नहीं कह सकता, जो मैं कह सकता हूं और मान्यवर, मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं । मान्यवर, मैं न इस सरकार और न आपकी मेहरबानी पर जीता हूं । मान्यवर, मैं जा रहा हूं ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन छोड़कर चले गए)

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही मेंनहीं लिखा जायगा ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

[× × ×]

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में जो संकल्प माननीय .... (व्यवधान)

(व्यवधान)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय, आपने इस पर कोई व्यवस्था नहीं दी और माननीय गृह मन्त्री जी को बुला लिया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने किसी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी ।

(व्यवधान)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं छोटी बुद्धि से स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी जवाब भी देने जा रहे हैं, मेरी समझ से शांति व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आई है .... ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप भाषण दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

इस सदन में जितनी सुन्दर व्यवस्था है..... ।

श्री अध्यक्ष--

हां, उसी की प्रतिबिम्बता बाहर है ।

(व्यवधान)

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

पहले उनको सुन लीजिए, तब प्रश्न कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, पहले पद्माकर लाल जी को सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जब सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नहीं है, तो बाहर सुरक्षा कैसे होगी । 'हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा ।' आज सदन के अन्दर सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है, तो क्या हालत बाहर होगी । आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं । खाली वक्तव्य देने से सुरक्षा व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती है । मान्यवर, आप देखते हैं इलाहाबाद कचेहरियों के अन्दर साल-साल के अन्दर दो-दो कचेहरियों को आग में फूंका गया । क्या सुरक्षा

व्यवस्था होती है ? मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमको जनता में सुनना पड़ता है, उस तरह से मन्त्रियों को नहीं सुनना पड़ता है । ये मोटर पर बैठते हैं और फुर्र से निकल जाते हैं । मैं चाहूंगा कि इसके लिए सचमुच केवल सदन के अन्दर बहस करा कर विषय खत्म न कर दिया जाय सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए । आज लोकतंत्र का नाम लेते हैं ।

मान्यवर, मैं आगाह करना चाहता हूं माननीय सदन को कि हमारे मन्त्री महोदय, मन्त्रि परिषद् के लोग, हमारे विधान सभा के सदस्यों क बात सुनने के लिए राजी नहीं हैं, कैसी इनको सुरक्षा व्यवस्था है । हमें दुःख होता है कि क्षत्र से आए हुए लोग आपको क्षेत्र की हालत बतलाना चाह हैं ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर स्वास्थ्य मन्त्री उपस्थित नहीं हैं । ६ महीने के अन्दर, ३ महीने के अन्दर इलाहाबाद से मुख्य चिकित्साधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं । यहां पर घटकवाद चल रहा है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस कुर्सी पर आसीन होकर गुस्सा मत किया कीजिए । कमजोर आदमी को मत निकलवाया कीजिए । तमाम लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं कहते । भगवती प्रसाद सिंह जो अकेले है बार-बार मार्शल से उन्हें निकलवाते हैं । मैं भी बोलता नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए ।

*श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस प्रदेश के हित में है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय देव बहादुर सिंह की कृपा से सदन में आया, चाहिए तो यह था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस तरह का प्रस्ताव रखते कि यह सदन चिंता व्यक्त करता है अराजकता की स्थिति पर । यह सरकार की तरफ से आना चाहिए था । यह महत्वपूर्ण विषय था इसको आप समाप्त करना चाहते हैं । यह जनसाधारण के जीवन से सम्बन्धित है । सारी जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है ।

माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय गृह मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आए दिन ट्रेनों में डकैतियां पड़ रही हैं उनकी रोकथाम का क्या उपाय है ? हम जानना चाहते हैं कि आए दिन रेलों में सफर करती बहनों और माताओं की असमत लूटी जा रही है उसको रोकने की क्या व्यवस्था है ? मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि रात में बसों में सफर करते विधायक और साधारण जनता को लूटा जाता है उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? मैं जानना चाहता हूं कि कानून को तोड़ कर दफा १४४ को तोड़कर एक मन्त्री की मौजूदगी में पुलिस कस्टडी में नारा लगाते हुए जुलूस जा रहा है, पुलिस अशांति पैदा कर रही है इन तमाम प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है कि शांति कैसे कायम हो सकती है ? कोई एक पार्टी का प्रश्न नहीं है । इस देश का प्रश्न है, राष्ट्र का प्रश्न है अराजकता देश भर में है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । देव बहादुर सिंह जी प्रस्ताव लाए, मैं समझता हूं कि इसका समर्थन होना चाहिए और इस पर चिंता करनी चाहिए । देश अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है । लोकतन्त्र को खतरा हो जायगा । लोकतन्त्र हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायगा । तानाशाही शक्तियां फिर देश में आयेंगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव.—]

तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारा दल शांति व्यवस्था का रक्षक है। उसके पीछे माननीय देव बहादुर सिंह की पार्टी की सरकार ने शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में पुलिस फोर्स जो है उसके मुंह में खून लगा दिया है। पुलिस को खून का मजा उन्होंने चखाया है। तानाशाही में किस प्रकार से लूट की जा सकती है और चूं नहीं किया जा सकता है इसका मजा हमारी पुलिस ले चुकी है। इमरजेंसी के जमाने में देश और प्रदेश पुलिस ने जनता को लूटा है। मीसा और डी० आई० आर० का भय दिखाकर जेलों में बन्द किया और उनसे रुपए लूटा। वह खून पुलिस के मुंह में लगा है। इसलिए वह चाहते हैं कि यहां तानाशाही हो और आपातस्थिति लागू हो। इस प्रकार यहां जो भयंकर स्थिति पैदा की गई है वह शांति और व्यवस्था के जो रक्षक है वह उसके भक्षक बन गए हैं।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें। आपके प्रश्न समाप्त हो गए।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—

यहां शांति और व्यवस्था की ऐसी हालत हो गई है कि खिलौने का पिस्तौल दिखाकर और गेंद दिखाकर विमान का अपहरण कर लिया जाता है और मुख्य मन्त्री वहां भागे-भागे जाते हैं। जब उन लोगों के पास रिवाल्वर था तो उनको विमान में कैसे जाने दिया गया।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संजय गांधी का नाम बार-बार लिया जाता है। तो हमारे मुख्य मन्त्री और दूसरे मंत्रियों ने अब काफी संजय पैदा कर लिए हैं जो हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि माननीय सदन के कितने सदस्यों के अंग रक्षक की व्यवस्था सरकार ने किया है? हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं। जैसे गाजीपुर जिले के एक गांव में २० मकान हरिजनों के जला दिए गए, क्योंकि वहां अराजकता फैलाई गई है? अखबारों में रोज एक न एक अराजकता की चर्चा होती है। लेकिन मुख्य मन्त्री और गृहमन्त्री की तरफ से उसका कोई प्रतिवाद नहीं निकलता है क्योंकि वह घटनाएं सही होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी हमारी इन सब बातों का जबाव दें।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो मनमानी तौर पर बोलेंगे उनको आप मौका देते हैं। तो यदि आपकी यही व्यवस्था रही तो हम भी मनमानी करके बोलेंगे। उनको क्यों बोलने की इजाजत दी जा रही है? इस तरह सदन नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष —

आप लोग बैठ जायं। अब इस पर विवाद नहीं।

अब मैं नियम २२७ के अनुसार प्रश्न उपस्थित करता हूं पहले श्री गुलाब सेहरा का संशोधन है।

प्रश्न यह है कि श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"और इस सदन की राय में शांति व्यवस्था व साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केरल सरकार की तरह सभी साम्प्रदायिक संस्थाओं की शाखाओं व रैलियों के आयोजन सार्वजनिक स्थानों व शिक्षा संस्थाओं में निषिद्ध कर दिए जांय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति पर खेद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, विभाजन कराने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

जब उनकी मांग है, तो वह मुझे करना ही है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है... ।

श्री अध्यक्ष--

जब घंटी बजती है उस समय कोई व्यवस्था नहीं होती है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

आप सुन तो लें । सदन में दो घड़ियां लगी हैं, एक श्रीमन् जी के पीछे और एक आग । सदन का समय किससे निश्चित होता है ?

श्री अध्यक्ष--

समय वह है जो मेरे सामने की घड़ी में है ।

(घन्टी बन्द होने पर)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मुझे देनी थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी के लिए नियत समय अर्थात् दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ के अपराह्न ४.०० बजे तक, कोई नाम वापस नहीं लिया गया है और वैध नाम-निर्देशनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है ।

अतः अब उक्त कौंसिल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिनांक ३० दिसम्बर, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक, विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

२- उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

जो सूचनायें मुझे, नियम ५१ के अन्तर्गत प्राप्त हुई उनमें मैंने सर्वश्री राम बक्स वर्मा, गिरीश चन्द्र तिवारी, वंश गोपाल चौबे, झाम लाल अहेरवार की सूचना को जो फर्रुखाबाद में आलू की नई फसल के निर्यात के अभाव में आलू का धूप में पड़े रहने के कारण भारी विनाश के सम्बन्ध में है, को स्वीकार कर लिया है ।

इसको मैंने स्वीकार किया है । माननीय मन्त्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)--

मान्यवर, ३० तारीख को दे देंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा जो प्रस्ताव था. . . .

शाह जांच आयोग की रपट के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

अब जो दूसरा प्रस्ताव है, वह आज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ६ बज गए हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कल की कार्य-मन्त्रणा समिति के सामने रख देंगे । अब ६ बज गया है । अब नियम ५१ का वक्तव्य होगा ।

हमीरपुर जिले में डकैतियों में वृद्धि के विषय पर नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २९-१०-७८ को श्री धीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गुन्देला, थाना मुसकरा (हमीरपुर) ने अपने तथा अपने चाचा के यहां डकैती पड़ने के बारे में एक रिपोर्ट लिखाई। डकैती पड़ते समय पुलिस के ४ सिपाही, जो उस समय गश्त पर थे, तुरन्त घटनास्थल पर गए तथा उन्होंने बदमाशों को ललकारा व उन पर फायर किए। डकैतों की कुल संख्या २०-२५ थी, जब कि पुलिस के सिपाहियों की संख्या केवल ४ थी। पुलिस की सामयिक कार्यवाही के कारण डकैत केवल लगभग रु० १०,००० की सम्पति ही लेकर भागने में सफल हो सके। चूंकि उपलब्ध पुलिस वालों को गांव वालों की मदद नहीं मिली तथा डकैत संख्या में भी अधिक थे, अतः वे अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। वादी के पिता तथा भाई को लाठी-डन्डों की कुछ चोटें आयी। घटना के सम्बन्ध में थाने पर अपराध संख्या ७३, अन्तर्गत धारा ३९५/३९७/३०७ भा० द० वि०, थाना मुसकरा में पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचना से ३ अभियुक्त प्रकाश में आये हैं जिनके विरुद्ध धारा ८२/८३ जा० फौ० की कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों का पता लगाने हेतु पुलिस प्रयत्नशील है।

२--जांच में यह सही नहीं पाया गया कि डकैत लाखों की सम्पत्ति ले गए। वादी ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामान की लूट अंकित कराई है, उसका कुल मूल्य उसने रु० १०,००० के लगभग बताया है। वादी के घर में केवल २ लोगों को कुछ चोटें आई पाई गई हैं तथा यह सत्य नहीं है कि घर के लोगों को अधमरा कर दिया गया। जिले में असुरक्षा के भय से अधिकांश लोगों के गांव छोड़कर अन्यत्र बसने की बात में भी तथ्य नहीं पाया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार जिले की पुलिस पूर्णतया सतर्क है।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि २९-१०-७८ की घटना है और अभी तक केवल तीन अभियुक्तों की जानकारी आयी है। उनके विरुद्ध केवल ८२/८३ की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही अभी की नहीं गयी तो इसका क्या कारण है? एक बात।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन तीन अभियुक्तों की शीघ्र से शीघ्र पकड़ कर अदालत के हवाले करने में पुलिस को देरी क्यों हो रही है?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, चूंकि घटनास्थल से डकैत भाग गये थे और पुलिस कम थी और गांव वाले भी नहीं आ पाये थे, तो शिनाख्त और ८२/८३ की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के बाद उनको तुरन्त पकड़ लिया जायेगा।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

प्रश्न है कि इन तीनों अभियुक्तों को अभी कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ८२/८३ की कार्यवाही में थोड़ी देरी तो लगती ही है इसलिये इसमें देरी हुयी। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इसमें अब तुरन्त कार्यवाही होगी।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, इसमें एक जानकारी चाहूंगा। मान्यवर, हमीरपुर जिले में अराजकता की हालत है और कई डकैतियां पड़ चुकी हैं। एक सरकारी बस को लूटा गया। उसी स्थान पर दूसरी बस लूटी गयी। शाम को यातायात बंद हो जाता है। हमीरपुर में भीषण डकैतियां पड़ रही हैं और अभी तक जानकारी नहीं हो रही है। तो कृपया गृह मंत्री क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां विशेष क्राइम ब्रान्च और एन्टी डकैती ब्रान्च जैसी कोई यूनिट लगा दी जाय ताकि यहां की बिगड़ती हुयी स्थिति को सम्भाला जा सके ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, उस पर विचार कर लेंगे और एन्टी डकैती आपरेशन के लोगों को भेजना होगा, तो जरूर भेजेंगे।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हमीरपुर और कानपुर के बीच में जो यमुना और बेतवा का किनारा है, उसके बीच में जो डकैतों का आतंक फैला हुआ है क्या उसके लिये गृह मंत्री जी कोई समुचित व्यवस्था करेंगे जिससे कि वहां डकैतों का आतंक समाप्त हो जाए ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो भी सम्भव होगा, वह किया जायेगा। माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उन पर विचार किया जायेगा।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, जो डकैत लोग घूम रहे हैं उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा, क्या गृह मंत्री बतायेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इससे सम्बन्धित जो सूचना मैंने सदन को दी है, वह तो मैंने निवेदन कर दिया कि ८२-८३ की कार्यवाही शुरू हो गई है और शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि हमीरपुर जनपद में डकैतिओं और राहजनियों के द्वारा हालत बहुत खराब हो रही है। क्या गृह मंत्री जी के पास कोई आंकड़े हैं कि कितनी डकैतियां ऐसी हुयीं जिनमें एक महीने से ज्यादा हो चुका और अभी तक वर्कआउट नहीं हो पाई हैं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न इस प्रश्न से तो उठता नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप किसी विशेष घटना के बारे में सूचना देंगे तो माननीय मंत्री जी आपको उसके ऊपर सूचना देंगे।

श्री ओंकार नाथ—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया था कि डकैतियों और राहजनियों के कारण स्थिति बड़ी खराब हो रही है। माननीय मंत्री जी के पास आंकड़े आये होंगे, वह सदन के सामने रखें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपके पास जो भी सूचना उपलब्ध हो, उससे सदन को अवगत करा दें।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

ग्राम भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर में हरिजनों के मकान जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार महन्त राम बरन दास इन्टर कालेज, भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर में दिनांक १९-१२-७८ को राजेश्वर सिंह (सवर्ण) तथा हरिनाथ राम (हरिजन) (दोनों कक्षा-११) छात्रों में बेंच पर बैठने के प्रश्न पर झगड़ा हो गया। हरिनाथ राम ने हरिजन बस्ती में जाकर बताया कि राजेश्वर सिंह न उसे मारा है। इससे हरिजन बस्ती के कुछ हरिजनों ने उपरोक्त कालेज में घुसकर दो सवर्ण छात्रों को मारा पीटा। किसी लड़के के द्वारा घंटी बजा देने पर हरिजन भाग गये। ३०-४० सवर्ण छात्रों ने उन हरिजनों का पीछा किया और हरिजन बस्ती में जाकर ४-५ झोपड़ियों में तथा पुआल में आग लगा दी। डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य तथा स्टाफ के अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचकर लड़कों को समझा बुझा कर थाने ले गये। थाने पर लड़कों ने श्री राम हरिजन को अपने हवाले करने को कहा। पुलिस ने कहा कि उक्त नाम का कोई आदमी थाने पर नहीं है। इस पर लड़कों ने थाने का फर्नीचर तोड़ दिया तथा वायरलेस का तार काट दिया और ग्राम हुसैनपूर (थाना भुड़कुड़ा) पहुंचे एवं वहां के ग्रामीणों (सवर्णों) को साथ लेकर करीब ५०-६० की संख्या में ग्राम भुड़कुड़ा के हरिजन बस्ती को घेर लिया तथा आगजनी, मारपीट तथा लूट में संलग्न हो गया। परिणामस्वरूप हरिजन बस्ती के ३३ मकानादि क्षतिग्रस्त हो गये, जिससे करीब २२५ हरिजन प्रभावित हुये तथा ६ हरिजनों को साधारण चोटें पहुंची। लगभग १८,१६० रुपये की हानि होना बताया गया है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर अपराधियों के विरुद्ध धारा १४७/१४८/३२३/४२५/४३८/४२७/४२८/४२९/३९५/३९७ भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा १६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना से प्रभावित लोगों को १०० कम्बल, १०० साड़ी, १०० सेट बच्चों का कपड़ा ३३०० रु० नकद सहायता स्वरूप बांटे गये हैं। घटना की सूचना मिलने पर सर्किल आफिसर फोर्स सहित तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक तथा परगनाधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह स्वीकार किया गया है कि ४-५ झोपड़ियों में, एक पुआल में आग लगा दी गई तथा ३३ मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यह जानना चाहता हूं कि जिन झोपड़ियों और पुआल में आग लगा दी गई और जो ३३ मकान क्षतिग्रस्त हुए, उन में निर्माण कराने के लिए अभी तक कोई सहायता क्यों नहीं दी गई ? और मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में जिन्होंने भी प्रभावित लोग हैं, जिन के मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और जिनकी झोपड़ियां जला दी गयी हैं उन सबको पर्याप्त सहायता शासन की ओर से दी जाए क्योंकि वे सब गरीब लोग हैं, हरिजन लोग हैं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इस घटना से सम्बन्धित चूंकि बहुत गम्भीर और दुखद घटना है, तीन आदेश दिये हैं । शायद उससे स्थिति स्पष्ट हो जाय । सारी घटना की जांच के लिए शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर जो इस प्रदेश में हैं और आई० ए० एस० आफिसर हैं, आदेश दे दिये गये हैं और उनकी सहायता के लिए डी० आई० जी० हरिजन सेल को भेजा गया है और उनसे यह कहा है कि एक सप्ताह के अन्दर आप सभी बिन्दुओं पर अपनी आख्या दें जिस पर शासन आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसके कितनी क्षतिपूर्ति होनी है ? क्या क्राइम हैं आदि सभी विषयों पर एक सप्ताह के भीतर आख्या आ जायेगी ? फिर शासन उस पर आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि यह तो स्पष्ट हो गया कि चार-पांच झोपड़ियों और पुआल में आग लगा दी गयी और उससे ३३ मकान क्षतिग्रस्त हो गये । अब मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जो क्षति हुई है । वे बेचारे गरीब हरिजन हैं और सर्दी का मौसम है तो क्षतिपूर्ति के लिए अभी तक आपने आर्थिक सहायता क्यों नहीं दिया है जिसकी तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिये ?

श्री राम सिंह--

अभी आपने जो मकानों की संख्या बताई है तो ३३ मकानों को नुकसान पहुंचा है और पांच तो बिलकुल ध्वस्त हो गये हैं इसके लिए जिलाधिकारी के पास जो फन्ड होता है उसमें से सहायता दी है । मैंने उनसे कहा है कि एट्रोसीटीज फण्ड से जो सरकार की ओर से जिलाधिकारी के डिस्क्रेशन पर रहता है, बकाया राशि उसमें से दें । मैं समझता हूं कि एक सप्ताह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है । कमिश्नर कल पहुंचे हैं वे सारी चीजों का आंकलन करेंगे और इसीलिए मैंने उनको भेजा है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के पास भी इस तरह का कुछ धन है कि जब कहीं प्रदेश के ऊपर उत्पीड़न किया जाय तो उस धन से उनकी सहायता की जाय ? वहां के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी अब तक घटनास्थल पर पहुंचे कि नहीं । दूसरे मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतनी दुखदपूर्ण घटना है तो क्या कलेक्टव फाइर या इस तरह की कोई चीज लगाई गयी जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और प्रदेश हरिजन और सवर्ण के झगड़े से बचा रहे ।

ग्राम भुड़कुड़ा, जिला गाजीपुर में हरिजनों के मकान जलाये जाने के सम्बन्ध १५० १ में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राम सिंह--

पहला प्रश्न जो गनेशी लाल जी ने किया है जो एट्रोसीटीज का पैसा है वह हरिजन कल्याण विभाग का ही पैसा है जिसके लिए हरिजन उत्पीड़न के सिलसिले में जिलाधिकारियों को आदेश है कि उसके लिए वे पैसा उसमें से दें। जहां तक अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने की बात है, मैंने बता दिया कि अमुक-अमुक अधिकारी पहुंचे। परगना अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल को देखा।

श्री रामअवार (जिला आजमगढ़)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लड़कों ने थाने में घुसकर फर्नीचर तोड़ा उसके बाद गांव भड़कुड़ा पहुंचे ५०-६० की संख्या में और हरिजन बस्ती को जला दिया और मारपीट किया तो उस समय थाने में पुलिस फोर्स क्या थी और उसने क्या कार्यवाही किया ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर जिस समय लड़के वहां पहुंचे, मुझे जो सूचना है एक हेड कान्स-टेबिल और दो सिपाही थाने पर थे। शेष पुलिस के सिपाही थाने पर नहीं थे। तीन व्यक्तियों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे इतना बड़ा ऐक्शन लड़कों के खिलाफ ले लेते। लेकिन इसके बावजूद मैंने यह तय किया है कि इस थाने से पूरे स्टाफ को तुरन्त वहां से ट्रान्सफर किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

गाजीपुर में यह दूसरा कांड है और पहले कांड के समय बहुगुणा जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हैलीकाप्टर से उस स्थान का निरीक्षण किया था और हर तरह की आर्थिक सहायता हरिजनों को पहुंचाई थी तो क्या गृह मंत्री जी स्वयं स्पाट पर जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसके अलावा यह जो सूचना है कि तीन ही पुलिस वाले थाने पर थे, जो एक अनहोनी बात है तो ऐसा नहीं था कि पुलिस वालों की कनाइवेंस थी और इसके लिये सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा ?

श्री राम सिंह--

मैंने निवेदन किया यह बहुत अहम मसला है लिहाजा इस पर तुरन्त कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं। कमिश्नर जो आई० ए० एस० आफिसर हैं तथा डा० आई० जी० (हरिजन सेल) दोनों जा कर एक हफ्ते के अन्दर जो निर्णय करेंगे उस पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस दोषी है तो वह भी बचने वाली नहीं है। इसके साथ ही थाने के पूरे स्टाफ को हटाने की व्यवस्था तो कर ही दी है।

श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, घटना मेरे क्षेत्र की है और मैं घटनास्थल पर गया था। ३३ मकान हरिजनों के जल गये और घरों के बगल में जितनी फसल खड़ी थी वह जल गयी और अगली फसल यानी चार महीने तक उनके पास खाने को कुछ नहीं है तो क्या सरकार विशेष कार्यक्रम चला कर उनको रोजगार देकर उनकी रोजी का प्रबन्ध करेगी ?

श्री राम सिंह--

मैंने जिलाधीश को कह दिया है कि जो पैसा हरिजन उत्पीड़न हेतु है और जितना कंलेमिटीज हेतु है दोनों फंड में से जितना मुनासिब समझें, दे सकते हैं, किसी तरह की कोताही की बात नहीं है ।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर इस घटना के घटने के तुरन्त बाद में मौके पर गया था और यह रिपोर्ट भी देखी जो सदन में गृह मंत्री महोदय ने रखी है । इसमें डिग्री कालेज क प्रधानाचार्य का उद्धरण है कि लड़कों को लेकर थाने पर गये । मेरी जानकारी है कि लड़कों की भीड़ अपने आप थाने पर गयी और उसने सारा बवाल किया । डिग्री कालेज स्टाफ में से एक अध्यापक ने तो जान पर खेल कर ३ अबोध बच्चों की जान बचाई । वह जलते हुए घर में कूद पड़े और दरवाजा खोल कर बच्चों को लेकर बाहर निकल आये ।

लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । तो क्या गृह मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर या जो उचित समझें जांच कराकर डिग्री कालेज के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने, जिन्होंने तीन अबोध बच्चों की जान बचाई उनको प्रशस्तिपत्र देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

श्रीमन्, जांच हो जाय उसके बाद पता चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा प्रशस्तिपत्र देंगे ।

श्री राम सिंह--

वह प्रसंशा के पात्र हैं ही ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जिन लोगों न हरिजनों का उत्पीड़न किया उनको कठोरतम दंड दिया जाय इसमें सभी सहमत हैं । एक चीज और है इसमें सवर्ण छात्र और एक हरिजन छात्र में मारपीट हुई । उसके बाद में जो हरिजन थे वह कालेज में घुस गये और रिपोर्ट न करके कानून को अपने हाथ में लेकर बबाला मचाया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

दो वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, वह इस बिन्दू पर पहुंचेंगे । आखिर हरिजनों ने गैर कानूनी काम किया तो मालूम हो जायेगा ।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक यह बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ६ महीने से यह चीज चल रही थी और तब से हरिजन छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है इसकी खबर बराबर थाने के लोगों को दी गई । मान्यवर, इस घटना के घटने के चार दिन पूर्व १५ तारीख को भी जब चैक छीना गया तब हरिजन छात्रों ने थाने पर सूचना दी, पता नहीं रिपोर्ट में वह अंकित है या नहीं । मैं मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि जो १६ लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं, इसमें कितन लोग नामजद ह और कितने लोग ऐसे हैं जो निर्दोष थे जो विभिन्न जाति के हैं ? उनकी गिरफ्तारी की गई है और पीटा गया और कुकर्म किया गया ।

श्री राम सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है कि कितने एफ० आई० आर० में थे और कितने बगैर एफ० आई० आर० के गिरफ्तार किये गये ।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

गृह मंत्री जी के उत्तर में लिखा हुआ है कि दो बच्चों के बीच मारपीट हुई सीट के सिलसिले में तो वह कौन सा समय था और जब ४, ५ झोपड़े जलाये गये इस वक्त में कितना अन्तर था और इस बीच पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह--

बहुत संगत सवाल अशफाक साहब ने पूछा है इसके महत्व को देखते हुए मैंने निश्चय किया कि पुलिस की कहीं न कहीं नेग्लिजेंस है क्योंकि घटना के बाद दो या सवा दो घंटे का समय रहा जब झगड़ा हुआ जो आग की आखिरी घटना हुई ढ़ाई घंटे का समय रहा और फिर यह सूचना आई है कि केवल एक हेड कानिस्टेबल और दो सिपाही वहां थे इससे संदेह व्यक्त होता है ।

श्री अध्यक्ष--

थाने क जो अन्य सिपाही और कर्मचारी थे उन्होंने रोजनामचे में अपनी हाजिरी दर्ज की होगी ?

श्री राम सिंह--

जो इंचार्ज थे उनके बारे में कहा गया है कि गाजीपुर गये हैं और बाकी अपनी-अपनी ड्यूटी पर दिखाये हैं । इसीलिए डी० आई० जी०, हरिजन सैल को वहां भेजा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि यह अहम मसला है । वह १९ तारीख का मसला है आपने कहा कि पूरे थाने के लोगों का तबादला कर दिया जाएगा । जब इतना अहम मामला है और अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ और कोई तबादला नहीं हुआ तो यह कब तक हो जायेगा ? इसमें देर क्यों हो रही है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, कार्यवाही तो हुई, २६ आदमी गिरफ्तार हुए, मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश हो रही है ....

श्री अध्यक्ष--

इनका कहना यह है कि १९ तारीख को यह घटना है और चूंकि स्थानान्तरण आपने अब किया तो क्या उस पर अमल हो गया है या होने वाला है ?

श्री राम सिंह--

यही तो मैंने कहा कि वे पुलिस अधिकारी जांच के पहले वहां से हट जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने प्रश्न यह किया कि इस देरी का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

१९ की घटना की क्या आपको देर से सूचना मिली कि इस पर आज से पहले आपने निर्णय नहीं लिया ?

श्री राम सिंह--

ऐसा नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गई, कार्यवाही तो तुरन्त ही शुरू हो गयी थी । स्थानान्तरण का जो सवाल है, तो जब सब रिपोर्ट आई और मैंने उनका अध्ययन किया तो उसमें ऐसा अनुभव हुआ और इसको कराने की हमें आवश्यकता पड़ी । उसके पहले गिरफ्तारी हो चुकी थीं ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, हरिजन और सवर्ण के बीच जो यह दुखद घटना घटी है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जिस ढंग से ३६ मकानों को जला दिया गया और ३०० के करीब लोग बेघरबार हो गये तथा हजारों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, इसके लिए गृहमन्त्री जी कौन सा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

इस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन है कि यह तो कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था में दोष है कि २ बच्चों की लड़ाई में इतना उग्र रूप धारण कर लिया । दो बच्चों के अचानक झगड़े में इतनी गहनता आई कि यह हुआ । सरकार जो भी सम्भव होगा, करेगी ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला बिहार प्रदेश से मिलता है और वहां पर इसी तरह के जातीय उपद्रव की घटनायें घटी हैं, तो उसके महत्व को देखते हुये इस घटना को इस प्रकार देखेंगे कि इसमें वास्तविकता यह है कि कोई हरिजन छात्र अगली कतार पर बैठा था और दूसरे सवर्ण छात्र ने उससे कहा "तुमको इस सीट पर बैठने का अधिकार नहीं है" और इसी बात पर हरिजन छात्र को मारा गया और बस्ती में आग लगाई गई ?

श्री राम सिंह--

हमने यही कहा कि सीट पर बैठने के मामले पर ही झगड़ा हुआ है । अब आगे की हो या पीछे की ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जिस हरिजन छात्र को मारा गया है, उसकी डाक्टरी रिपोर्ट है, वह क्या है ? और किन-किन सवर्ण जातियों के लड़के पकड़े गये हैं ?

ग्राम भुड़कुड़ा, जिला गाजीपुर में हरिजनों के मकान जलाये जाने के सम्बन्ध १५०५ में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राम सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जयराम--

गाजीपुर जिले की यह दूसरी घटना है, मैं बताऊं और मन्त्री जी खुद जायेंगे, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चल जायेगा, कितनी देर तक घूम-घूम कर बस्ती फूंकी गई है, कितना उसमें समय लगा होगा ? तो इसके महत्व को देखते हुए क्या गृहमन्त्री जी इसकी जांच सी० बी० आई० के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे बड़ा क्या होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को भेज दिया है ?

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, गृह मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि सारे पुलिस थाने में उस समय केवल ३ लोग रहे, तो क्या उनकी साजिश नहीं है झगड़ा कराने में ? और क्या कुल थाने के लोगों को वहां से हटाकर आप सी० बी० आई० से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्ड देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर दे दिया है कि उस थाने से सभी को ट्रांसफर कर दिया और जांच करके सजा दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जब समाचार-पत्रों में इस शासन की नीति घोषित हो चुकी है कि जहां हरिजन उत्पीड़न होगा वहां इसकी जिम्मेदारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर होगी, इस घटना के संदर्भ में वहां के पुलिस अधिकारियों को अब तक क्या दण्ड दिया गया ? जब कि शासन की नीति है कि हरिजन उत्पीड़न के लिये वहां के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार होंगे ?

श्री राम सिंह--

इसी लिए बहुत सोच विचार कर मैंने निर्णय लिया है शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सीनियर हैं और डी० आई० जी०, हरिजन सैल जो वहां के एस० पी० से सीनियर हैं दोनों जिम्मेदारी फिक्स करेंगे तो ऐक्शन होगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ दिसम्बर, १९७८

मेरा पुस्तकालय सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम २९ (४) के तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५५ पर) :

संलग्नक

मांगों का संक्षिप्त विवरण	मांगों पर कृत कार्यवाही का विवरण
(१) के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ को शासन अपने नियन्त्रण में लेकर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में परिवर्तित कर दें।	(१) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।
(२) मेडिकल कालेज में प्रवेश एवं स्नातकोत्तर नियुक्तियों में हो रही धांधलियों एवं अनियमितताओं के लिए सी० बी० आई० या उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाय।	(२) अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिये गये हैं। विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर जांच कराई जा सकती है।
(३) डा० सी० पी० राय के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जांच कराई जाय।	(३) डा० सी० पी० राय के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में आवश्यक जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है।
(४) अस्पताल की नियुक्तियों तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए समान नियम बनाया जाय।	(४) हाउस जाब तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्रों का चुनाव उनके अन्डर ग्रेजुएट मार्क्स तथा इन्डेक्स के आधार पर मेरिट से किया जाता है।
(५) आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी छात्र को उत्पीड़ित न किया जाय।	(५) किसी भी छात्र को आन्दोलन में भाग लेने से कारण दण्डित नहीं किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम २९ (४)के तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५७ पर) :

संलग्नक

मांग	शासन द्वारा लिया गया निर्णय/कृत कार्यवाही
१	२
१--होम्योपैथिक निदेशालय का गठन पृथक रूप से किया जाय ।	१--मांग स्वीकार कर ली गई है और पृथक निदेशालय के गठन के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।
२--होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जाय ।	२--मांग सात सदस्यीय समिति को संदर्भित की गई थी जिसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं ।
३--होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टर-मीडिएट सांइस बायलोजी हो ।	३--मांग स्वीकार की गई । आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
४--कालेजों में शिक्षा व्यवस्था एक शिफ्ट में की जाये तथा सीमित छात्रों का प्रवेश हो ।	४--मांग स्वीकार की गयी । आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
५--छात्रों की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा ली जायें ।	५--मांग स्वीकार की गयी और कान-पुर विश्वविद्यालय को परीक्षा हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है ।
६--अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति समुचित होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायं ।	६--गत वित्तीय वर्ष में ३० होम्यो-पैथिक चिकित्सालय खोले जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । इस वित्तीय वर्ष में भी ३० होम्यो-पैथिक चिकित्सालय खोले जाने हेतु बजट में प्राविधान दिया गया है ।
७--होम्यो० चिकित्सा अधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा अधिकारी की भांति समान अधिकार एवं समान वेतन हो एवं उक्त चिकित्सालयों में अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों को इन्टर्नशिप की व्यवस्था की जाय । पूर्व घोषित होम्योपैथिक चिकि-त्सालयों की व्यवस्था समुचित रूप से की जाय । इसमें व्याप्त अनिय-मितायें दूर की जायं । घोषित डिस्पेंसरियां चूंकि अभी तक नहीं खोली गई है, उन्हें शीघ्र खोलने की व्यवस्था की जाय।	७--होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को समान वेतन एवं अधिकार तथा अनिवार्य इन्टर्नशिप आदि के मामले सात सदस्यीय समिति को संदर्भित किये गये थे जिसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं ।

१	२
८—होम्योपैथिक बोर्ड को भंग किया जाय ।	८—होम्योपैथिक बोर्ड को भंग कर दिया गया है और एक कन्ट्रोलर (नियंत्रक) की नियुक्ति कर दी गई है ।
९—होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराई जाय ।	९—बोर्ड को भंग करने के पश्चात् उसके कायकलापों की जांच हेतु विशेष सचिव चिकित्सा के अन्तर्गत एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की गयी है जो शिकायतों की जांच कराकर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी । समिति की रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित है ।
१०—प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं जिला अस्पतालों में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी भी नियुक्त हो ।	१०—इस सम्बन्ध में शासन की चिकित्सा सुविधाओं को यथा सम्भव विकेन्द्रीयकरण की नीति है, जिससे प्रदेश की जनता को व्यापक रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सके । अतएवं इस समय सर्वप्रथम वहां चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना जनहित में होगा, जहां पर उनका अत्यन्त अभाव है । यह मांग मान लेने से विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधायें एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जायेगी जो प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त नहीं है ।
११—प्रान्त के प्रत्येक कालेज में डिग्री कोर्स जी० एच० एम० एस० की व्यवस्था की जाय और बी० एम० एस० पास चिकित्सकों हेतु जी० एच० एम० एस० के कन्डेन्सड कोर्स की व्यवस्था की जाय ।	११—यह मांग सात सदस्यीय समिति को संदर्भित है जिसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं ।
१२—प्रत्येक कालेज में कम से कम ५० शैय्याओं का अस्पताल हो जिसका संचालन शासन द्वारा हो ।	१२—यह मांग सात सदस्यीय समिति को संदर्भित है जिसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं ।
१३—होम्योपैथिक चिकित्सा के उत्थान हेतु राज्य में एक होम्योपैथिक शोध संस्थान खोला जाय ।	१३—प्रदेश में शोध संस्थान स्थापित करने हेतु ५ सदस्यों की एक समिति गठित की गई है । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर शोध संस्थान की स्थापना पर विचार किया जायेगा ।

१	२
१४--होम्योपैथिक फार्मेसी को जो अल्कोहल परपूम्ड ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जाता है, वह मेडिसिन ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जाय ।	१४--इस मांग से छात्र सम्बन्धित नहीं हैं । किसी होम्योपैथिक फार्मेसी से मांग आने पर इस पर विचार किया जायेगा ।
१५--सभी होम्योपैथिक कालेज हेतु भूमि भवन की व्यवस्था की जाय और जिन कालेजों को भूमि भवन का आवंटन किया जा चुका है और उन्हें अभी तक अधिकार नहीं मिला है उसे तुरन्त दिलाया जाय ।	१५--यह मामला सात सदस्यीय समिति को संदर्भित है जिसकी संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं ।
१६--जिन होम्योपैथिक के पुराने छात्र नेताओं पर मुकदमा चलाया जा रहा है उसे अविलम्ब वापस लिया जाय	१६--होम्योपैथिक बोर्ड ने सूचित किया है कि इन मांग से छात्रों का संदर्भ उस अग्निकांड से है जो १९७२ में बोर्ड के कार्यालय में हुआ था । यह मामला सी० आई० डी० को जांच के बाद न्यायालय में चलाया गया है ।
१७--वार्षिक परीक्षा के पहले एक और पूरक परीक्षा ली जाय और जो छात्र पिछली सप्लीमेन्ट्री एक्जाम में छूट गये थे उनकी परीक्षा अगली परीक्षा के साथ ली जाय ।	१७--इस मांग पर परीक्षा लेने वाली संस्था द्वारा नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।
१८--होम्योपैथिक कालेजों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की सेवा नियमावली बनायी जाय ।	१८--यह मांग सात सदस्यीय समिति को संदर्भित है जिसकी संस्तुतियां शासन के विचारधीन है ।
१९--प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा संघ की मान्यता ।	१९--मांग शासन के विचाराधीन हैं ।

नत्थी 'ग'

(देखिये माननीय विद्युत् मन्त्री की प्रार्थना पर २रे गुरुवार (१४ दिसम्बर, १९७८) के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६४ पर)

मांगे	वर्तमान स्थिति
(१) राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित कर उन्हें १ अप्रैल, १९७४ से न्यूनतम वेतन ३२५ रु० प्रतिमाह दिया जाय। १ अप्रैल, १९७४ से पुनरीक्षित वेतनमान तय होने के पूर्व आर० जी० सी० (दैनिक श्रेणी लिपिक) के १ अप्रैल, १९६९ से वेतन विवाद तय किया जाय।	विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों का नया वेतनमान दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से पुनरीक्षित कर दिया गया है। तथा २० दिसम्बर, १९७८ को मुख्य मन्त्री जी की उपस्थिति में में वेतन-विवाद के सम्बन्ध में श्रमिक पक्ष से एक समझौता हो गया है।
	इस मांग पर दिनांक २० दिसम्बर, १९७८ को मुख्य मन्त्री जी की उपस्थिति में कर्मचारियों के संघर्ष कमेटी से एक समझौता हुआ है जिससे इस समस्या का समाधान हो गया है।
(२) एक्स-लाइसेन्सी कर्मचारियों के अनुचित वेतन फिटमेंट को रद्द करके उनके पद, कार्य, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर नये वेतन क्रम का निर्धारण किया जाय एवं उनके अन्य विवाद तक दिये जायें।	एक्स लाइसेन्सी कर्मचारियों के वेतन विषयक विवादों को हल करने के लिये परिषद् द्वारा श्री बी० एन० बोस सदस्य (प्रजनन) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन कर्मचारियों के फिटमेन्ट के विवादों को देखेगी।
(३) आपरेटिंग एवं जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति का कोटा २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत किया जाये एवं मिनिस्ट्रीयल कैडर की पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जायें और स्टोर कीपर, कम्प्यूटर केबिन ज्वाइन्टर आदि के पदोन्नति के अवसर खोले जायं।	यह मांग परिषद् द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी है।
(४) सहायक पर्यवेक्षक को जूनियर इंजीनियर घोषित किया जाय।	यह मांग अस्वीकृत की जा चुकी है।
(५) शिफ्ट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शिफ्ट एलाउन्स दिया जाय।	इस मांग को मानने से परिषद् पर वित्तीय भार बहुत अधिक बढ़ जायेगा अतएव यह मांग परिषद् को मान्य नहीं है।

१	२
(६) सहायक लेखा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती बन्द की जाय ।	यह मांग परिषद् को स्वीकार नहीं है ।
(७) उन सब कर्मचारियों को जिन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा है उनको आवास न मिलने की दशा में आवास भत्ता दिया जाय ।	जहां तक परिषद् द्वारा आवास न उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों को आवास भत्ता (House Rent Allowance) का प्रश्न है परिषद् के आदेश इस सम्बन्ध में पूर्व से ही उपलब्ध है जिसके अनुसार कर्मचारियों को आवास भत्ता दिया जा रहा है ।
(८) अपरेंटिस जूनियर इंजीनियर्स की भांति एकाउन्ट्स विंग के अपरेंटिस की सेवा में लाया जाय ।	एकाउन्ट्स अप्रेन्टिसों को उनके अप्रेन्टिस कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नियमित सेवा में लेने का कोई प्राविधान नहीं है ।
(९) जूनियर इंजीनियर को बिना किसी भेदभाव के ५० रुपये कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जाय और मोटर साइकिल एलाउन्स जल निगम की भांति दिये जाय ।	जूनियर इंजीनियर को ५० रुपये प्रति माह की दर से प्रतिकर भत्ता (कम्पेन्सेटरी एलाउन्स) देने के आदेश परिषद् द्वारा निर्गत कर दिये हैं । इसके अतिरिक्त परिषद् में जूनियर इंजीनियरों को मोटर साइकिल के लिये ३० रु० प्रतिमास तथा स्कूटर के लिये २० रु० प्रतिमाह की दर से कनवेन्स एलाउन्स दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परिषद् के कुछ कार्यालयों में ७५ रु० प्रतिमाह के दर से कनवेन्स एलाउन्स दिया जा रहा है ।
(१०) रेवेन्यू एकाउन्टेन्ट, जूनियर इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारियों को जहां-जहां इंजीनियर को स्पेशल पे मिलता है, स्पेशल पे दिया जाय ।	यह मांग परिषद् को मान्य नहीं है क्योंकि इससे परिषद् पर बहुत अधिक वित्तीय भार पड़ेगा । जो परिषद् वहन करने की स्थिति में नहीं है ।
(११) लोअर पोस्ट पर कार्यरत डिग्री एवं अ ई० टी० आई० प्राप्त कर्मचारियों को उचित पद लोअर पोस्ट डिप्लोमा होल्डर की तरह दिया जाय ।	शैक्षिक योग्यता के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पद पर ले लेना परिषद् के लिये सम्भव नहीं है ।
(१२) कर्मचारियों को मस्टर रोल के २४० दिन कार्य पूर्ण कर लेने पर उचित पद पर नियमित किया जाय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार लेने की प्रथा समाप्त की जाय ।	परिषद् के लिये यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक कर्मचारी जिसने २४० दिन की नौकरी मस्टर रोल पर कर ली है नियमित कर दे । जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार लेने का प्रश्न है यह मांग अस्पष्ट है ।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३७३ पर)

क्र० सं०	मुख्य-मुख्य मांगें	उन पर की गयी कार्यवाही
१	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाय।	१—जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तीन साल तक लगातार कार्य करते रहे हैं और साल में २४० दिन कार्य कर लिया है उनको रेगुलर करने के आदेश शासन द्वारा ६-७-७८ को जारी किए जा चुके हैं। नगर महापालिका लखनऊ में ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए ८८ पदों के सृजन के लिए प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
२	शासन द्वारा स्वीकृत चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी शासनादेश का लागू किया जाना।	२—नगर महापालिका लखनऊ के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या ४०१० ए/११/नपा-४-७६ के/७५, दिनांक ५/३/१९७६ में महापालिका के आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिए जाने और आपातिक एवं गम्भीर मामलों में राजकीय चिकित्सालयों को निदेशित किए जाने और राजकीय चिकित्सालयों में उपचार में हुए नियमित व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्राविधान किए गए हैं।
३	महापालिका कालोनियों में बने मकानों में कर्मचारियों के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित किया जाना।	३—शासनादेश संख्या ४५०४-ए/११-नपा-४-१ए (७६)/७८, दिनांक २७-९-७८ द्वारा नगर महापालिका के भवनों के आवंटन में नगर महापालिका कर्मचारियों के लिए ८ प्रतिशत का कोटा निर्धारित कर दिया गया है।
४	जिन कर्मचारियों के अपने निजी मकान हैं उनसे प्रापर्टी टैक्स न लिया जाय।	४—यह मामला नगर महापालिका, लखनऊ प्रशासन के विचाराधीन है।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३७९पर)

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के जूनियर डाक्टरों के ज्ञापन में उल्लिखित मांगों का संक्षिप्त विवरण

१—हाउसआफिसर्स/रेजीडेंट्स/रजिस्ट्रार्स आदि के पद मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया की संस्तुति के आधार पर दिये जांय और इस संबंध मे शासनादेश शीघ्र जारी किया जाय ।

२—मेडिकल कालेज, गोरखपुर में स्नातकोत्तर शिक्षा की १ जनवरी, १९७९ से प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था की जाय ।

३—मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इन्टर्न्स के लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाय ।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८८ पर)

ग्रुप 'ए'--

१--अलीगढ़, २--आजमगढ़, ३--आगरा, ४--इलाहाबाद, ५--अल्मोड़ा, ६--बांदा, ७--बिजनौर, ८--बरेली, ९--बाराबंकी, १०--देहरादून, ११--बलिया, १२--बदायूं, १३--बहराइच, १४--बुलन्दशहर, १५--चमोली, १६--इटावा, १७--एटा १८--फर्रुखाबाद, १९--फैजाबाद, २०--फतेहपुर, २१--गोन्डा, २२--गोरखपुर, २३--गाजीपुर, २४--गाजियाबाद, २५--हरदोई, २६--हमीरपुर, २७--सीतापुर ।

ग्रुप 'बी'--

१--बस्ती, २--देवरिया, ३--जालौन, ४--झांसी, ५--जौनपुर, ६--कानपुर, ७--ललितपुर, ८--खीरी, ९--लखनऊ, १०--मुरादाबाद, ११--मिर्जापुर, १२--मथुरा, १३--मैनपुरी, १४--मेरठ, १५--मुजफ्फरनगर, १६--नैनीताल, १७--पीलीभीत, १८--प्रतापगढ़, १९--पौड़ी गढ़वाल, २०--पिथौरागढ़, २१--रायबरेली, २२--रामपुर, २३--सहारनपुर, २४--शाहजहांपुर, २५--सुलतानपुर, २६--टेहरी गढ़वाल, २७--उन्नाव, २८--उत्तर काशी, २९--वाराणसी ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८९ पर)।

श्रीमान् आबकारी आयुक्त महोदय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी अशोक कुमार व राम गोपाल, ठेकेदार दुकान गौरा बाजार ठेका देशी शराब की है। दिनांक १-४-७८ को निकासी हमारी ५ रोज के बाद दी गयी। क्योंकि इतने दिनों तक दुकान बन्द थी जिसकी प्रार्थना पत्र श्रीमान् को दी जा चुकी है परन्तु उस प्रार्थना-पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह कि तारीख २६-४-७८ को भी मेरी निकासी संबंधित अधिकारियों ने जानबूझ कर रोक दी है इसकी भी प्रार्थना पत्र श्रीमान् को दी गयी। श्रीमान् के आदेशानुसार निकासी २७-४-७८ को दी गयी।

यह कि दिनांक ३-५-७८ को ४०० लीटर सादी शराब केवल १८९ लीटर रंगीन मसालेदार की निकासी इस माह में हुयी है। आज दिनांक १०-५-७८ को निकासी ६०० लीटर सादी शराब व मसालेदार १८९ लीटर रंगीन, जबकि चेक जमा करके इस्पेक्टर महोदय को चेक दिया। उन्होंने कहा कि निकासी आपको नहीं दे पाऊंगा जबकि माह अप्रैल की लाईसेंस फीस भी ४००० रुपया जमा है।

प्रार्थी ने दिनांक १०-५-७८ को चालान नं० २ से मु० ६३०३.८४ पैसा निकासी हेतु जमा कर दिया, परन्तु इस्पेक्टर साहब निकासी देने को तैयार नहीं है, जबकि प्रार्थी की दुकान में शराब नहीं है आज की तारीख से प्रार्थी के दुकान में ताला लग गया है।

अतः निवेदन है कि यदि प्रार्थी को आज ही निकासी नहीं दी जायेगी तो प्रार्थी को प्रतिदिन २०० रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा जो सरकार के जिम्मे होगा तथा प्रार्थी की दुकान आज से बन्द हो जावेगी। निवेदन है कि प्रार्थी को तुरन्त निकासी दिये जाने के आदेश देने की कृपा की जाये।

प्रार्थी

दिनांक ११-५-७८

ह०/अशोक कुमार व राम गोपाल,
ठेकेदार देशी शराब,
गौरा बाजार, राय बरेली।

प्रतिलिपि :—

१—श्री मान् आबकारी मंत्री महोदय, लखनऊ।

२—श्रीमान् उप आबकारी आयुक्त महोदय, लखनऊ चार्ज लखनऊ।

३—श्रीमान् जिलाधीश महोदय, रायबरेली।

४—श्रीमान् आबकारी अधिकारी महोदय, रायबरेली।

५—श्रीमान् इक्साइज इंस्पेक्टर महोदय, रायबरेली।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९३ पर)

परिशिष्ट 'क'

श्री गिरीश कुमार चौरिहा के शिकायती पत्र दिनांक २५-६-१९७६ में परगनाधिकारी, नरैनी के विरुद्ध शिकायतों का विवरण :—

(१) सीवन चौटा मार्ग का ठेका पालिका द्वारा पहले श्री हनुमान प्रसाद ठेकेदार को दिया गया था। जो बाद में रद्द कर दिया गया और अधिशासी अधिकारी व कार्यवाहक अध्यक्ष ने मिलकर यह ठेका अपनी पसंद के ठेकेदार श्री रफते अली को दे दिया। पहले ठेकेदार को केवल ८,००० रु० का काम करना था परन्तु दूसरे ठेकेदार श्री रफतेअली को १९,००० रु० का भुगतान किया गया। पुराने ठेकेदार, श्री हनुमान प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन परगनाधिकारी, श्री दयाराम द्वारा ३३३४.८० रु० के भुगतान का आदेश भी किया गया। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में १४,००० रु० की अधिक धनराशि व्यय की गयी और अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के साथ-साथ परगनाधिकारी ने भी अवैध कार्य के लिए धन प्राप्त किया।

(२) उक्त आरोप से सम्बन्धित मार्ग का निर्माण खराब हुआ और धन का दुरुपयोग किया गया। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय को शिकायत की गई जिनके द्वारा उसकी जांच परगनाधिकारी को दी गई। उन्होंने कोई जांच नहीं की और श्री रफते अली खां को धनराशि १८,००० रु० का भुगतान करा दिया गया।

(३) श्री हीरा लाल आदि ने मनिहारी गली की दक्षिणी पट्टी को ११७५ (पौने बारह सौ रुपये) में लेने हेतु एक प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष को दिया था या खुली नीलामी किये जाने की प्रार्थना की थी जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आयुक्त झांसी मंडल के समक्ष २५-३-७६ को अध्यक्ष के विरुद्ध हीरालाल आदि ने शिकायत की जो श्री दयाराम तत्कालीन परगनाधिकारी नरैनी को आयुक्त द्वारा सौंप दी गई उन्होंने कोई जांच नहीं की बाद में अध्यक्ष, नगरपालिका अतर्रा ने यह भूमि कम धनराशि में श्री मुन्नीलाल स्वर्णकार को दी। उक्त क्षति में परगनाधिकारी का भी हाथ रहा है।

(४) दिनांक १२-१०-७५ को श्री गौरीशंकर गुप्त ने श्री संत कुमार अग्निहोत्री कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को ३४३.८० चुंगी की चोरी के सम्बन्ध में चालान की प्रतियों सहित शिकायत की। उस पर कार्यवाही न किये जाने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई। कार्यवाही न होने पर आयुक्त महोदय को शिकायत की गई। उस पर परगनाधिकारी नरैनी को जांच हेतु आदेशित किया गया। उन्होंने जांच नहीं की और अध्यक्ष को बचाने के लिए चार गुना चुंगी जमा कराकर मामला निपटवा दिया।

परिशिष्ट 'ख'

श्री गिरीश कुमार चौरिहा के शिकायती पत्र, दिनांक २५-६-१९७६ में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका अतर्रा के विरुद्ध शिकायतों का विवरण :—

(१) मीवन चौटा मार्ग का ठेका पालिका द्वारा पहले ही श्री हनुमान प्रसाद ठेकेदार को दिया गया था जो बाद में रद्द कर दिया गया और अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी ने मिलकर यह ठेका अपनी पसन्द के ठेकेदार श्री रफत अली को दे दिया । पहले ठेकेदार को केवल ८,००० रु० का काम करना था परन्तु दूसरे ठेकेदार श्री रफतअली को १९,००० रु० का भुगतान किया गया इस प्रकार लगभग ११,००० रु० धनराशि का अधिक भुगतान किया गया । ३३३४.८० पैसे का भुगतान परगनाधिकारी नरैनी के आदेश से पुराने ठेकेदार श्री हनुमान प्रसाद को भी किया गया इस प्रकार पूरे प्रकरण में लगभग १४,००० रु० की धनराशि अधिक व्यय की गयी ।

(२) उक्त आरोप से सम्बन्धित मार्ग का निर्माण खराब हुआ । सड़क टूटना प्रारम्भ हो गयी है और कुछ समय में खराब हो जायेगी ?

(३) श्री हीरा लाल आदि ने मछिहारी गली की दक्षिणी पटरी को ११७५ रु० में तह-बाजारी पर लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को दिया था कुल नीलामी किये जाने की प्रार्थना की । जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आयुक्त झांसी मंडल के समक्ष दिनांक २२-३-७६ को अध्यक्ष के विरुद्ध श्री हीरा लाल आदि ने शिकायत की जो श्री दयाराम तत्कालीन परगना अधिकारी नरैनी को आयुक्त द्वारा सौंपी गयी । उन्होंने कोई जांच नहीं की बाद में अध्यक्ष नगरपालिका अतर्रा ने यह भूमि कम धनराशि में श्री मुन्नी लाल स्वर्णकार को दे दी । इस प्रकार पालिका अध्यक्ष के इस कृति से हजारों रुपयों की क्षति हुई ।

(४) दिनांक १२-१०-७५ को श्री गौरी शंकर गुप्त ने श्री संत कुमार अग्निहोत्री कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को एक शिकायती-पत्र दिया जिसमें बताया कि ३४३.८० पैसे की चुंगी की चोरी की गयी । अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की । कार्यवाहक अध्यक्ष ने केवल चार गुना पैनालटी व चुंगी जमा कराकर मामला निपटा दिया और इस प्रकार पालिका धन की क्षति हुई । जिसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर है ।

(५) पालिका कार्यालय भवन निर्माण के बिल पर श्री रफते अली खां ठेकेदार बांदा को करीब रु० २५,००० का भुगतान अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष ने किया । जिस पर एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

(६) पुराने कार्यालय भवन से निकली निर्माण सामग्री अध्यक्ष द्वारा हड़प ली गयी है ।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४०० पर ।)

क्रम-सं०	दुकानदार (प्रेसों के नाम जिनके द्वारा फार्म छपाये गये)	भुगतान की धनराशि	भुगतान की तिथि
	आफिस फार्म	रु०	
१	पुरुषोत्तम प्रसाद खरे (पी० डी० प्रेस)	१०५०.००	७-८-७५
२	सरस्वती प्रेस, बांदा	२५६.००	१३-३-७६
३	मछेबरी प्रेस, बांदा	५०.००	३१-३-७६
४	तदेव	४१.००	..
५	राज प्रेस, बांदा	४६०.००	९-५-७७
	एम० ए० सी० फार्म		
६	बुन्देल खण्ड प्रिन्टर्स, बांदा	६०००.००	२७-२-७६
७	तदेव	६५.००	१९-४-७६
८	तदेव	५२५०.००	५-५-७७
९	बबू प्रेस इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, कानपुर	४६५२.९५	९-६-७६
१०	तदेव	३२१९.७५	१०-६-७६
११	तदेव	३६५७.२६	१४-९-७६
१२	तदेव	७८८९.८०	१५-२-७७
१३	तदेव	९४१०.८५	२३-२-७७
१४	तदेव	१०७७३.००	२५-३-७७
१५	तदेव	१११२४.००	३१-३-७७
१६	तदेव	१०३८७.१२	१९-४-७७
१७	तदेव	११०७०.००	१३-६-७७
१८	तदेव	७७४९.००	३०-७-७७

सत्यमेव जयते

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४०८ पर ।)

तालिका--१

वर्ष १९७८ में स्थानान्तरित डाक्टरों (एलोपैथिक, होम्योपैथिक) की संख्या (१-१-७८ से ३१-१०-७८ तक)

क्रम सं०	श्रेणी	
१	५ वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर लेने के कारण ..	५६१
२	प्रशासनिक कारणों से	६७०
३	प्रार्थना पत्र के आधार पर	४७७
४	गृह जनपद होने के कारण	१६८
५	पर्वतीय अंचल से स्थानान्तरित डाक्टरों की संख्या	२०२
६	जेल से स्थानान्तरित डाक्टरों की संख्या ..	१५
७	पी० ए० सी० से स्थानान्तरित डाक्टरों की संख्या ..	२१
८	पुलिस अस्पताल से स्थानान्तरित डाक्टरों की संख्या	९
९	दम्पति डाक्टरों को एडजेस्टमेन्ट के कारण हुए स्थानान्तरण की संख्या	११५
१०	जिलों में किए गये स्थानान्तरणों की संख्या ..	२१
	योग ..	२२५९

तालिका--२

वर्ष १९७८ में नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों (एलोपैथिक, होम्योपैथिक) के स्थानान्तरण की सूचना (१-१-७८ से ३१-१०-७८ तक)

क्रम सं०	श्रेणी	
१	५ वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर लेने के कारण	१२७९
२	प्रशासनिक कारणों से	१४२०
३	प्रार्थना के आधार पर	१७६३
४	गृह जनपद होने के कारण	५६८
	योग ..	५०३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका—३

वर्ष १९७८ म हुए राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण की तालिका
(आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी)

क्रम सं०	श्रेणी	
१	निर्धारित अवधि पर	
	(क) मैदानी भाग में ५ वर्ष पूर्ण कर लिया ..	१३५
	(ख) पर्वतीय क्षेत्र में २ वर्ष पूर्ण कर लिया ..	१२
२	प्रशासनिक आधार पर	८
३	गृह जनपद	×
४	प्रार्थना पर	१०९
५	दम्पति	१०
६	प्रोन्नति	×
	योग ..	२७४

तालिका—४

वर्ष १९७८ में हुए अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण की तालिका (आयुर्वेदिक)

क्रम सं०	श्रेणी	
१	निर्धारित अवधि पर	
	(क) मैदानी भाग में ५ वर्ष पूरा करने पर ..	१९७
	(ख) पर्वतीय क्षेत्र में २ वर्ष पूरा करने पर ..	३१
२	प्रशासनिक आधार पर	१०
३	प्रार्थना पर	२०
४	दम्पति	×
५	प्रोन्नति	५
	योग ..	२६३

कल्याण संघ

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० १४०९ पर)

उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ द्वारा दिनांक २४-२-७८ को दिये गये मांग पत्र में मांगों की सूची ।

१--आबकारी विभाग के नवसृजित अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के पद को विभागीय अधिकारी से भरा जावे और आई० ए० एस० व पी० सी० एस० के अधिकारियों से न भरा जावे ।

२--उत्तर प्रदेश के सभी आबकारी निरीक्षकों के स्थायीकरण, दक्षतारोक, वेतनवृद्धि उपार्जित अवकाश के सभी पुराने मामलों का ३१-३-७८ तक निस्तारण किया जावे ।

३--आबकारी निरीक्षकों के बकाया वेतन तथा पिछले कई वर्षों के भत्ता बिलों का अपटूडेट भुगतान दिनांक ३१-३-७८ तक किया जावे ।

४--आबकारी निरीक्षक द्वारा पकड़े गये अभियोगों के अपहृत मादक वस्तुओं को मालखाना में जमा करने का प्रबन्ध किया जावे ।

५--आबकारी निरीक्षकों को निरोधक क्षेत्र में कार्यालय उपलब्ध किया जावे ।

६--पारितोषिक व्यय के मद में पिछले वर्षों के समान प्रत्येक जिले को धनराशि का आवंटन किया जावे ।

७--समस्त आबकारी निरीक्षकों को वर्दी बनाने के लिये धनराशि का आवंटन किया जाये ।

८--आसवनी व फार्मेसी में रविवार व छुट्टियों के दिन आबकारी निरीक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य पर विभाग द्वारा जो ओवर टाइम का राजस्व प्राप्त होता है उस धनराशि को ओवर टाइम काम करने वाले निरीक्षकों को भुगतान कराया जावे या ओवर टाइम के एवज में विशेष अवकाश दिया जावे ।

९--आसवनी में एवं फार्मेसी में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को उनके परिसर में आवासीय सुविधा प्रदान की जावे और यदि परिसर से दूर आसवक या फारमेसिस्ट आवास उपलब्ध कराते हैं तो आसवक से आवास का किराया व प्रतिदिन आने-जाने का मार्ग व्यय दिलाया जावे ।

नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१० पर)

कानपुर में स्थित कारखाना कानून, १९४८ के अन्तर्गत पंजीकृत टेनरियां तथा उनमें स्थायी तथा अस्थायी कार्यरत कर्मचारियों की सूची :—

क्र० सं	प्रतिष्ठान का नाम	१४-१२-७८ को प्रतिष्ठान के रोल पर कुल श्रमिकों की संख्या	१४-१२-७८ को प्रतिस्थान में		विवरण
			स्थायी कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	
१	२	३	४	५	६
१	मे० न्यू यूनिवर्सल टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	९६	५०	४६	
२	,, इण्डियन नेशनल टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१८०	९७	८३	
३	,, जावेद टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	४७	२५	२२	
४	,, डिलाइट टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१३	५	८	
५	,, सालोन टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	२९	१७	१२	
६	,, यू० पी० टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	२९१	१७७	११४	
७	,, सीवान टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१६१	६२	९९	
८	,, हुसेनिया टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	४२	११	३१	
९	,, अपर इण्डिया टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	८०	३२	४८	
१०	,, एवरेस्ट टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१२	६	६	
११	,, कमल टेनिंग इण्डस्ट्रीज, जाजमऊ, कानपुर	६९	३५	३४	
१२	,, हिमलिया टेनिंग इण्डस्ट्रीज जाजमऊ, कानपुर	१०	८	२	
१३	,, ग्लोब टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१४	१०	४	
१४	,, नुसरत (नं० २) (कोहनूर), जाजमऊ, कानपुर	६८	१६	५२	
१५	,, ट्रूवर टेनरीज, जाजमऊ, कानपुर	१५	१५	..	
१६	,, प्रिमीयर अलहमेन टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	३८	३२	६	

१	२	३	४	५	६
१७	मे० सुपर टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	२४७	११८	१२९	
१८	,, शाह टेनिंग इण्ड०, जाजमऊ, कानपुर	२३	१०	१३	
१९	,, माडल टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	९५	४०	५५	
२०	,, आजम टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	३५	१६	१९	
२१	,, इण्डिया टेनिंग इण्ड०, जाजमऊ, कानपुर	१०४	४४	६०	
२२	,, पायनियर टेनरी एण्ड ग्लूवर्क्स, जाजमऊ, कानपुर	२३६	१५५	८१	
२३	,, गोपाल टेनरी एण्ड ग्लूवर्क्स, जाजमऊ, कानपुर	५४	३०	२४	
२४	,, एशिया टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१४०	७२	६८	
२५	,, जाज टेनरीज, जाजमऊ, कानपुर	८७	५३	३४	
२६	,, आइडियल टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	४४	२२	२२	
२७	,, यूनाइटेड टेनरी (ड्यनटेनर्स), जाजमऊ, कानपुर	२९	..	२९	यह टेनरी १-११-७८ से इस नाम से चल रही है।
२८	,, नार्दर्न टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१३५	६९	६६	
२९	,, सुल्तान टेनिंग इण्ड०, जाजमऊ, कानपुर	२२५	७९	१४६	
३०	,, एलाइड टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	१००	४७	५३	
३१	,, न्यूलाइट टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	६५	२५	४०	
३२	,, सनर इज टेनरी, जाजमऊ, कानपुर	२२	१३	९	
३३	,, नुसरत टेनरी (नं० २), जाजमऊ, कानपुर	१२	८	४	
३४	,, इण्टरनेशनल टेनरीज, गरडियनपुरवा	१८	४	१४	४ माह कर दिया जाता है।
३५	,, एम० के० जे० कारपोरेशन, सरेश बाग, कानपुर	२८६	११३	१७३	२४० दिन पर कार्य करने पर स्थाई कर दिया जाता है।
३६	,, जी० टी० टेनरी, कल्यानपुर, कानपुर	१७	१४	४३	तदैव
	योग ..	३१७२	१५३०	१६४९	

इस सूची में टेनरी एवं फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर के सम्बन्ध में सूचना सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित बिल्कुल भिन्न प्रकार का प्रतिष्ठान है जिसमें लगभग ३५०० श्रमिक नियोजित हैं।

पी० एस० यू० पी०—५१ वि० सभा—३—१—७९—८३०— (पी० डी०)।

अविधान सभा